खण्ड-352, अंक-1
मंगलवार, 24 भाद्रपद, शक संवत् 1903
(15 सितम्बर, 1981 ई0)

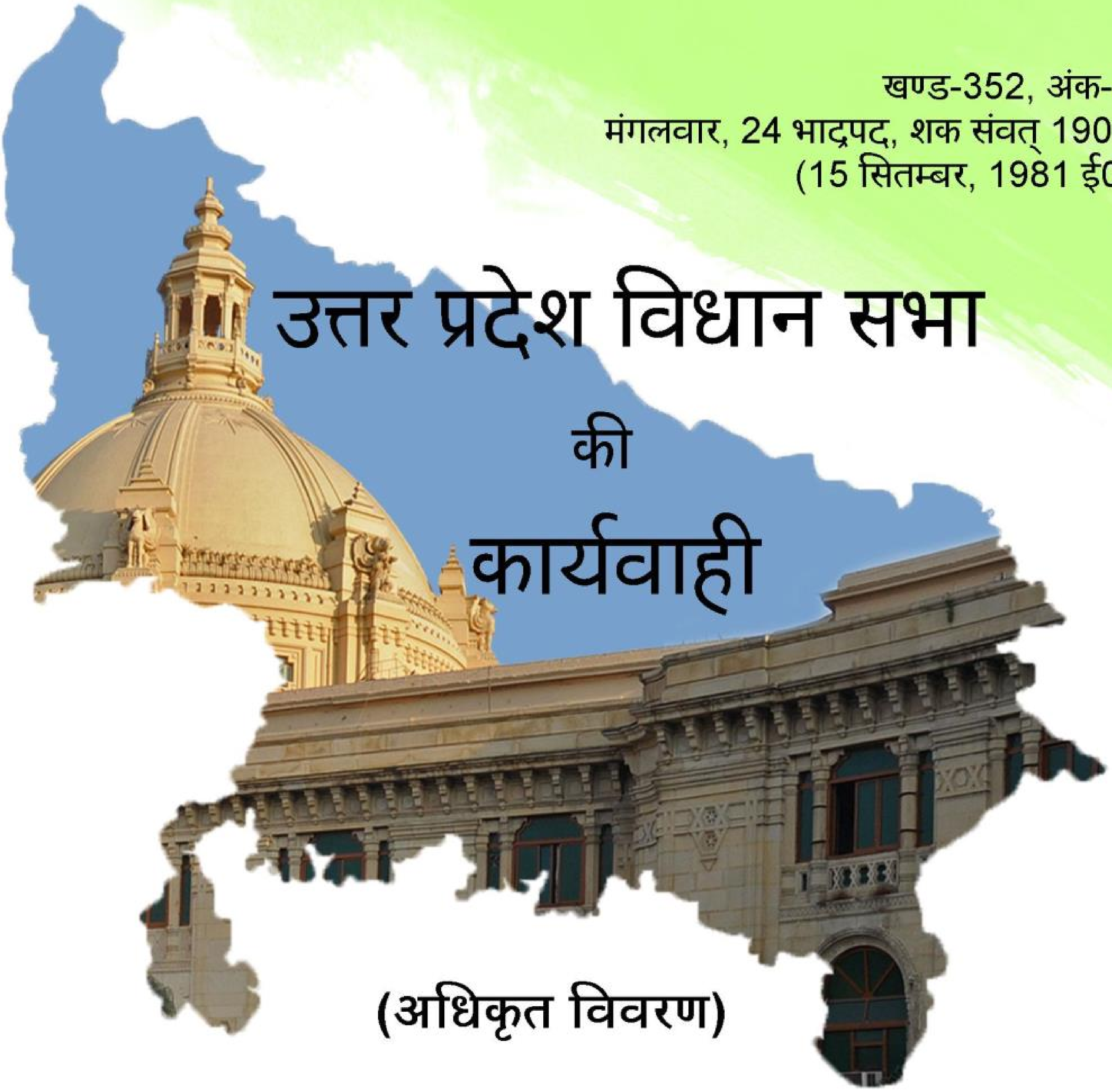

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 352 में 6 अंक है
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य ..	1–
प्रश्नोत्तर ..	7–113
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री नवाब सिंह चौहान के निधन पर शोकोद्गार ..	113–116
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री मुल्ला प्रसाद हंस के निधन पर शोकोद्गार ..	116–118
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री केशवदेव मालवीय के निधन पर शोकोद्गार ..	118–121
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री राम कुमार शास्त्री के निधन पर शोकोद्गार ..	121–123
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री शिव गोपाल तिवारी के निधन पर शोकोद्गार ..	124–125
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री जे0 पी0 मिश्र के निधन पर शोकोद्गार ..	125–128
कार्य–स्थगन प्रस्तावों को पहले लिए जाने की मांग तथा व्यवस्था का प्रश्न ..	128–129
आज की कार्य–सूची सदस्यों को वितरित न किए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	129–130
विद्युत् परिषद् द्वारा बिछाए गए विद्युत् तारों के छू जाने से प्रदेश के कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	130
लोक दल के नेतृत्व में हो रहे सत्याग्रह आन्दोलन में गिरफ्तार राजनैतिक बंदियों के साथ दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	130–131
आयुर्वेदिक कालेज, झांसी के छात्रों द्वारा आन्दोलन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	131–132
टिहरी–गढ़वाल जनपद के देव प्रयाग–गजमोटर मार्ग के निर्माण में धांधली तथा गूलों की व्यवस्था न कराए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	132–133
उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रबन्ध ग्रहण) (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	133

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश मोटरगाड़ी (यात्री कर) (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	133
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	133
उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश 1981 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	133
उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	133
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	133
उत्तर प्रदेश स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	134
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अध्यादेश, 1981 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	134
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	134
किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) अध्यादेश, 1981 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	134
उत्तर प्रदेश आमोद और पण कर (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	134
उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1981 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	134
उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	134
उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, कानपुर का 17वां वार्षिक प्रतिवेदन, 1977–78 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	135
उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, कानपुर का 18वां वार्षिक प्रतिवेदन 1978–79 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	135
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1979 से संबंधित शुद्धि–पत्र (सदन के पटल पर रखा गया) ..	135
स्थानीय विकास योजना के अधीन जिला परिषद् द्वारा ऋण देना नियमावली, 1978 से संबंधित शुद्धि–पत्र (सदन के पटल पर रखा गया) ..	135

विषय	पृष्ठ संख्या
जिला परिषद् कर्मचारी सेवा निवृत्त लाभ (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 1980 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	136
उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन, 1986-77 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	136
उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे (सदन के पटल पर रखे गये) ..	136
उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (बाइसवां संशोधन) नियमावली, 1981 (सदन के पटल पर रखी गई) ..	136
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स इक्तीसवां (संशोधन) नियमावली, 1981 (सदन के पटल पर रखी गई) ..	137
कुमाऊं मण्डल विकास निगम लिमिटेड, नैनीताल की वार्षिक रिपोर्ट 1977-78 (सदन के पटल पर रखा गई) ..	137
कुमाऊं मण्डल विकास निगम लिमिटेड, नैनीताल की अष्टम वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1978-79 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	137
वाराणसी मन्डल विकास निगम लिमिटेड का प्रथम एवं द्वितीय, तृतीय वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1976-77, 1977-78, एवं 1978-79 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	137
उत्तर प्रदेश विधान मन्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) नियमावली, 1981 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	138
मुजफ्फरनगर जांच आयोग का प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ..	138
उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उपलोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1981 (शाब्दिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखा गया) ..	138
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर पारित धन्यवाद प्रस्ताव पर श्री राज्यपाल द्वारा धन्यवाद का संदेश ..	138
उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1981 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	139
उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	139
इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1981, (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	139
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेन्शन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1981 (विधान परिषद से वापसी की सूचना) ..	139

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उपलोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1981 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा ..	140
उत्तर प्रदेश कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	140
इन्टरमीडिएट--शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1981 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	140
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1981 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	140
सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1981 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	141
उत्तर प्रदेश उच्च न्यायलय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) विधेयक, 1981 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	141
कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई की सूचनाएं ..	141
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव..... (स्वीकृत) ..	142–145
राज्य भूमि तथा जल संरक्षण बोर्ड में कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव....(स्वीकृत) ..	145
गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंत नगर, जिला नैनीताल के प्रबन्धक बोर्ड में कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	145
विधान मण्डल के सदस्यों के वेतन भत्ते एवं अन्य उपलब्धियों सम्बन्धी समिति के कार्यकाल में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	146–147
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1980 पर नियुक्त प्रवर समिति के कार्यकाल में वृद्धि का प्रस्ताव...(स्वीकृत) ..	147–148
उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1981 (पुरःस्थापित किया गया) ..	148
उत्तर प्रदेश आमोद और मनोरंजन कर (संशोधन) विधेयक, 1981 (पुरःस्थापित किया गया) ..	148–149
उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रबन्ध ग्रहण) (संशोधन) विधयक, 1981 (पुरःस्थापित किया गया) ..	149
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड विधेयक, 1981-(पुरःस्थापित किया गया) ..	149

विषय	पृष्ठ सं0
किंगजार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एवं एसोशिएटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) विधेयक, 1981....(पुर:स्थापित किया गया) ..	150
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्रीकर) (संशोधन) विधेयक, 1981 (पुर:स्थापित किया गया) ..	150
उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1981 (पुर:स्थापित किया गया) ..	150-151
उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1981 (पुर:स्थापित किया गया) ..	151
वित्त मन्त्री द्वारा बजट की गोपनीयता भंग किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	151-153
प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा प्रदेश का दौरा तथा प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	153-160
गढ़वाल संसदीय उप चुनाव में हुई गड़बड़ियों के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	160-178
उत्तर प्रदेश स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) विधेयक, 1981 (जारी) ..	178-182
1981-82 के प्रथम अनुपूरक अनुदान (प्रस्तुत किए गए) ..	182
उत्तर प्रदेश स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) विधेयक, 1981 (पारित) ..	182-190
उत्तर प्रदेश मन्त्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) (संशोधन) विधेयक, 1981 (जारी) ..	190
सदन की बैठक 5 बजे के उपरान्त होने पर आपत्ति ..	190-191
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	191-192
एक मालगाड़ी के उत्तर प्रदेश के टूण्डला क्षेत्र से होती हुई तुगलकाबाद दिल्ली पहुंची, की डिविजनल सिक्योरटी आफिसर (आर0 पी0 एफ0) द्वारा चेकिंग करने पर 103 हैन्ड ग्रिनेड्स के गायब पाए जाने की घटना के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	192-196
नत्थियां ..	197-252

मेरा पदेश्वा प्रधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 15 सितम्बर, 1981 ई0

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 373

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपूर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (खारी) (उर्फ सुत्तन भैया)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (बनारसी)
ए0 सी0 ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंगल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्र, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूं)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)

गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गँदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जयदीप सिंह, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नराधन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइज)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनो राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया) (उर्फ लाल बाबू)
निर्मल कुमार, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)

बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दौहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृजकिशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भीम सिंह, श्री (मेरठ)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद, श्री (एटा)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मिसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुबीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम कृष्ण महेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)

राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझ वन, श्री (जौनपुर)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवई, श्री (बाराबंकी)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कटयाल, श्री (कानपुर)
बिशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री (बांदा)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायण सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्यामलाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
लरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां, श्री (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखबीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)

सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूरजभान, पंडित (अलीगढ़)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरनरायन सिंह, श्री (रायबरेली)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

संसद पुस्तकालय

विद्यान सभा पटेरा

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 15 सितम्बर, 1981

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

सीतापुर में सरायन नदी पर हुई नाव दुर्घटना की मैजिस्टीरियल जांच

*1--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि पिछली वर्षा के समय (माह जुलाई अथवा अगस्त, 80) सीतापुर में सरायन नदी पर हुई नाव दुर्घटना के कारणों की कोई जांच करायी गयी, यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा इस बारे में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

जी हां ।

मैजिस्टीरियल जांच रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 16-8-80 को लगभग साढ़े आठ बजे रात (रात में नाव चलाने का नियमों में प्राविधान न होने पर भी और फेरीज ऐक्ट में प्राविधानों के विपरीत) जब कि दरिया भयंकर बाढ़ में था तथा अंधेरी थी मधवापुर बरसोहिया, गड्ढ़ोपुर, दारानगर तथा सरेडरा के रोजाना आने-जाने वाले लगभग 30 यात्रियों द्वारा मल्लाहों को डरा धमका कर उनसे बलात नाव चलवायी गई तथा मल्लाहों द्वारा मना करने पर भी यात्री नाव के कगारों पर बैठे तथा शोर मचाते रहे । इसके अतिरिक्त क्षमता से अधिक भार साइकिलें पम्पसेट इत्यादि का सामान नाव में रखा । नाव जब नदी की धारा में पहुंची तो लग्गा धारा के दबाव को सहन न कर सका, फलतः मल्लाह के हाथ से लग्गा छूट गया अथवा टूट गया और नाव बेकाबू होकर धारा में बह चली तथा प्रथम पिलर से टकराई, तदुपरान्त सन्तुलन बिगड़ जाने के कारण पीपों के पुल से टकराकर डूब गई । उक्त दुर्घटना में आठ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई । नाव दुर्घटना का सम्पूर्ण दायित्व नाव पर बैठने वालों का सिद्ध हुआ जो गम्भीर स्थिति में संतुलन खो बैठे ।

जिला स्तर से मृतकों के परिवारों को रु0 1,000 प्रत्येक मृतक के अनुसार तथा माननीय मुख्य मंत्री जी के पीड़ित सहायता कोष से भी रुपया एक हजार प्रति परिवार की दर से सहायता दी गई है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जो मैजिस्टीरियल जांच रिपोर्ट में तथ्य आए उनसे ज्ञात होता है कि सब गलती नाव पर बैठने वालों की थी । जिस समय यह दुर्घटना हुयी उस समय अन्धकार में कोई दूसरा आदमी नहीं था , तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किन लोगों के बयान पर यह रिपोर्ट आधारित थी , जो 2-1 लोग बच गए थे क्या उनसे कोई पूछताछ की गयी थी ? यदि हां, तो उनके क्या-क्या नाम हैं ? या केवल मल्लाहों से ही पूछताछ की गयी थी । इस मामले में मल्लाह और सरकार दोषी हैं । क्या यह भी सही है कि 2 दिन पहले सार्वजनिक

निर्माण विभाग के अभियन्ता के आदेश थे कि वहां से पोपे हटा दिए जायं ? जो लोग वहां पर बच गए थे वे ही सही गवाह थे, क्या उनकी गवाही ली गयी थी, यदि हां, तो उनके नाम बता दिए जायं ।

एक हजार रुपया राजस्व विभाग की ओर से और 1000 रुपया प्रति परिवार की दर से माननीय मुख्य मंत्री जी के पीड़ित सहायता कोष से भी दिया गया उसके लिए तो हम आभारी हैं लेकिन जो लोग मरे हैं उनमें से एक की पत्नी इन्टर-मीडिएट है किसी के भाई को वही क्वालीफिकेशन है जो मृतक की थी, तो जितने लोग मरे हैं और जिनके आश्रित परवरिश करने योग्य हैं, उनको सामान्यतः नौकरी दी जा सकती है, क्या यह भी आश्वासन सरकार द्वारा दिया गया है ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि मृतकों के परिवारों में किसी न किसी को नौकरी दिलाने का प्रयास किया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

जब जांच की गयी थी तो जितने लोग मिल सके थे, उन सभी से पूछताछ की गयी थी । यदि माननीय सदस्य उनके नाम जानना चाहेंगे तो मैं उनके नाम भी बता दूंगा । मल्लाहों से भी पूछताछ की गयी थी । इस घटना से सभी को दुःख पहुंचा है । जहां तक सहायता का प्रश्न है उस समय जो सम्भव हो सकी वह उनको दे दी गयी । जहां तक रोजगार में वरीयता देने का प्रश्न है आदेश दे दिए जायेंगे कि उनको वरीयता दी जाय ।

किसान इन्टर कालेज, भानपुर, जनपद बस्ती में अप्रशिक्षित अध्यापकों को सी0 टी0 वेतनक्रम में भुगतान

*2--श्री माता प्रसाद पान्डेय (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि किसान इन्टर कालेज, भानपुर, जनपद बस्ती में सत्र 1967-68 से अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षित सभी सी0 टी0 वेतनक्रम में वेतन भुगतान किया गया है जब कि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा 2/3 अप्रशिक्षित वेतनमान में नियुक्ति का अनुमोदन प्राप्त हुआ था ? क्या यह सही है कि प्रबन्धक समिति ने 1-7-79 ई0 को अनियमित वितरित वेतन वापसी का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो उक्त धनराशि की वापसी की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

पूर्ण उत्तर के अभाव में पुनः सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्राइमरी शिक्षकों के भविष्य निधि की पास बुकें देने के आदेश

*3--श्री भोला लाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन से ऐसे आदेश हैं कि प्राइमरी शिक्षकों को भविष्य निधि की पास-बुकें दी जायेंगी ? यदि हां, तो क्या इस आदेश का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री सच्चिदानन्द)--

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भीखा लाल—

मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि जी हां, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने सुनिश्चित जानकारी कर ली है कि आदेश का पालन हो रहा है ? और क्या वे, यदि उनको यह सूचना दी जाय कि अमुक जगह पर आदेश का पालन नहीं हो रहा है तो क्या वे उसकी जांच करवायेंगे ?

श्री सच्चिदानन्द—

इस प्रदेश में करीब 2 लाख 54 हजार से ऊपर अध्यापक हैं और इनमें से 1 लाख से ऊपर लोगों को पास बुकें दी जा चुकी हैं । यह प्रक्रिया चालू है ।

श्री पंचानन राय—

अभी आधे अध्यापकों को पास बुकें नहीं मिली हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि वे कौन-कौन से जिले हैं कि जहां पर पास बुकें जारी नहीं की गयी हैं ?

श्री सच्चिदानन्द—

इसी के साथ एक नत्थी भी संलग्न है । उसमें हैं ।

श्री अध्यक्ष—

नत्थी तो कोई नहीं है ।

श्री पंचानन राय—

मैंने पूछा है कि वे कौन-कौन से जिले हैं जहां पास बुकें नहीं मिली हैं ?

श्री सच्चिदानन्द—

बुलन्दशहर है, इलाहाबाद है, इसी तरह कई जिले हैं । लेकिन जैसा मैंने अभी निवेदन किया इस कार्य को शीघ्र कराने की व्यवस्था की जा रही है ।

गांव पलसों गोवर्धन, जिला मथुरा में श्रीमती हरदेवी द्वारा आत्मदाह तथा अपराध अनुसंधान शाखा द्वारा जांच

*4—श्री ऊदल, श्री बदन सिंह तथा श्री सरदार सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव पलसों गोवर्धन, जिला मथुरा में एक स्त्री हरदेवी 19 अगस्त, 1980 को आत्मदाह करके मर गयी और इसको रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कोई खास व्यवस्था नहीं की और अब उक्त स्थान को तीर्थ स्थल बनाने की प्रक्रिया में बढ़ावा दे रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

गृह राज्य मन्त्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 16-8-80 को श्रीमती हरदेवी पत्नी स्व० श्री राधेश्याम अहिवासी ब्राह्मन, निवासी पलसो, थाना गोवर्धन अपने पति की चिता पर स्वयं भस्म होने के लिए बैठ गई । पुलिस ने हस्तक्षेप कर श्रीमती हरदेवी को चिता से उतारा । उनके विरुद्ध अपराध संख्या 158 धारा 309 भा दं० वि० कायम किया और उन्हें गिरफ्तार किया गया । श्रीमती हरदेवी को वित

से अलग करने के पश्चात् उसी दिन सायंकाल उनके मृत पति के शरीर को चिता में जला दिया गया। श्रीमती हरदेवी को दिनांक 18-8-80 को मुंसिफ मजिस्ट्रेट पंचम, मथुरा के अदालत से जमानत स्वीकार हुई और वह अपने परिवार जनों के साथ वापस पलसी लौट गई। दिनांक 19-8-80 को श्रीमती हरदेवी गांव वासियों की भीड़ की उपस्थिति में अपने पति की बुझी हुई चिता की राख पर बैठ गई, जिसकी सूचना मिलने पर थाना गोवर्धन की पुलिस मय थानाध्यक्ष के वहां पहुंच गई। रात्रि के करीब 8 बजे पुलिस एवं ग्रामवासियों की भीड़ के समक्ष श्रीमती हरदेवी के शरीर से स्वतः अग्नि प्रज्वलित हुई और उसके सारे शरीर में फैल गई और वह अग्नि को समर्पित हो गई।

शासन द्वारा इस घटना की जांच अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कराई जा रही है।

जिला प्रशासन वहां तीर्थस्थल बनाने का कोई बढ़ावा नहीं दे रहा है।

श्री ऊदल--

क्या सरकार 19-8-80 के बाद जिस दिन वह जल गयी, जिसको सरकार कहती है कि हमारे विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रतापी राजा हैं, उनके प्रताप से स्वयं अग्नि प्रज्वलित हो गयी और 19-8-80 को जिला मजिस्ट्रेट, एस0 एस0 पी0 और सरकार के सभी अधिकारियों के सामने स्वतः अग्नि प्रज्वलित हुई और वह जल गयीं और वहां दो महीने तक तो तीर्थ स्थल कायम किया गया था और लाखों रुपया इकट्ठा किया गया था। क्या सरकार इस सम्बन्ध में भी जांच कराने की कृपा करेगी ?

गृह मन्त्री (चौधरी नौनिहाल सिंह)--

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे अधिकारीगण कोई भी उसमें सम्मिलित नहीं थे, वहां की जनता ने जो कुछ किया हो, वह किया।

श्री ऊदल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी, जैसा कि सरकार का कहना है कि श्रीमती हरदेवी के विरुद्ध एक अपराध कायम किया गया और मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के यहां उसका जमानत हो गयी और जमानत होने के बाद वह पुनः अपने पति की चिता के स्थान पर गयी थी, जहां पर वह जलाये गये थे और वह जल गयीं मैं यह पूछना चाहता हूं कि जमानत होने के बाद श्रीमती हरदेवी के लिये क्या एहतियाती कार्यवाही की गयी ताकि वह स्वयं न जल सके ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब वह अपने घर वापस आ गयीं तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह फिर चिता में पहुंच जायेगी और वह स्वयं अपने पति की चिता में जाकर पहुंच गयी और उन्होंने स्वयं अपने आप यह कार्य किया।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, श्रीमती हरदेवी को उनके पति के मरने के बाद उनको उनके पति की चिता में रख दिया गया था। वहां पर लोगों ने कहा कि अपने आप अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए, तब वहां पर पुलिस आ गयी और उन्हें थाने में ले आई

और उनकी अदालत में जमानत हुई और जमानत के बाद उनके परिवार वालों ने उनको प्रेस किया कि तुम्हारें पति खत्म हो गये, तुम्हें भी उनकी चिता में जल जाना चाहिए। उनके परिवार में पारिवारिक क्लेश इतना था कि उसने अपने जीवन को खत्म कर दिया। उसमें पुलिस अधिकारियों का पूरा हाथ था। वहां के जिलाधिकारी का भी पूरा हाथ था। वहां पर हमारे दयाल कृष्ण जी भी गये थे, वहां पर उन्होंने भाषण दिया कि हमें श्रीमती हरदेवी पर गर्व है। मान्यवर, वहां पर जो ट्रस्ट बना उसके वह सदस्य हैं। वहां के सी० एम० ओ० थाने के दरोगा आदि भी वहां पर गये।

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न क्या है ?

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, वहां के देहातों में ही पति अपने घर में यह कहने लगा है कि तुमको भी हमारे मरने के बाद सती होना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न क्या है ? आप सीधा प्रश्न करें।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार उन तथ्यों की जांच करायेगी ? मान्यवर, मुझे जानकारी है कि उसमें प्रशासन का पूरा हाथ था। जिसको राजा राम मोहन राय ने बन्द कराया था, आज उसके लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। क्या सरकार इसकी सही जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने इसका उत्तर दे दिया।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि प्रशासन के अधिकारियों का उसमें हाथ था। जो आज माननीय मन्त्री जी ने उत्तर दिया है कि किसी प्रशासनिक अधिकारी का उसमें कोई हाथ नहीं था। क्या इसकी कोई जांच करायी है और करायी है, तो किस अधिकारी द्वारा जांच करायी और जांच का क्या परिणाम है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, यह कहना सच नहीं है कि अधिकारियों का हाथ था। यह भी कहना सच नहीं है कि इसमें माननीय मन्त्रि मण्डल के कोई सदस्य ने उसको बढ़ावा दिया। केवल इन्हीं सब तथ्यों पर पिछली बार जब प्रश्न उपस्थित हुआ था, तो मान्यवर, आपकी आज्ञा से अपराध अनुसंधान शाखा से इसकी जांच कराई जा रही है ताकि जितने प्रकार के भी प्रश्न हैं, उन सबके उत्तर स्पष्ट आ सकें।

श्री ऊदल--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें 19 तारीख को रात्रि में जिसकी सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष गोवर्द्धन और गोवर्द्धन

की पुलिस पहुंच गई । माननीय मन्त्री जी ने कहा कि पुलिस का कोई हाथ नहीं है । थानाध्यक्ष पहुंच गये थे उनके सामने सती हुई, जैसा सरकार कहती है आग प्रज्वलित हुई या उसने लगाई मैं जानना चाहता हूं कि गोवर्द्धन की पुलिस जब वहां मौजूद थी तो उन पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

इन सब तथ्यों की जांच अपराध अनुसंधान शाखा से कराई जा रही है अपराध सिद्ध हो जायगा तो कार्यवाही की जायेगी ।

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास इस प्रकार की सूचना है कि उस सती स्थल को तीर्थ स्थल में बदलने के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की गई है और उस ट्रस्ट का सदस्य मन्त्रि मण्डल का एक सदस्य श्री दयाल कृष्ण खन्ना है यदि इसकी जानकारी नहीं है तो कब तक इसकी इन्क्वायरी करा कर सूचना देंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

जांच कराई गई किसी प्रकार की कोई कमेटी नहीं बनी है जिलाधिकारी या मन्त्रिमण्डल का कोई सदस्य कमेटी से सम्बद्ध नहीं है ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, सोलजर्स बोर्ड मन्त्री ने जो उत्तर दिया है उनसे तो बात और स्पष्ट हो गई । उन्होंने कहा कि सी0 आई0 डी0 से जांच करा रहे हैं और इन्होंने यह भी कह दिया कि पुलिस का हाथ नहीं है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सी0 आई0 डी0 की जांच किन-किन बिन्दुओं पर कराई जा रही है और क्या इसके पहले शासकीय जांच भी कराई गई ? यदि कराई गई थी, तो उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, जिलाधिकारी और कमिश्नर से इसकी जांच कराई गई थी प्रारम्भिक जांच में यह आरोप सिद्ध नहीं हुये सी0 आई0 डी0 द्वारा सभी बिन्दुओं पर जांच कराई जा रही है कि आग कैसे लगी सारी बातों की जांच कराई जा रही है ।

श्री कन्हैया लाल--

एस0 पी0 और दयाल कृष्ण के साथ में भी था । वहां बताया गया कि दो पुलिस वाले डियूटी पर थे उनकी मौजूदगी में वह जली । तो उन दो पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, उन पुलिस वालों से इसकी पूछताछ की गई है । चूंकि सी0आई0 डी0 इसकी जांच कर रही है इसलिए उसकी आख्या आने पर कार्यवाही की जायेगी ।

जिला बस्ती में बांसी–तेतरी मार्ग पर ककरही पुल के पास सड़क निर्माण

*5––श्रीमती कमला साहनी––

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती में बांसी–तेतरी मार्ग पर ककरही पुल के पास दो वर्ष पूर्व बाढ़ से जो सड़क बह गई थी उसके निर्माण में लाखों रुपए के सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है ? यदि हां, तो सरकार सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी––

प्रश्नगत सड़क के निर्माण में सरकारी धन के दुरुपयोग की कोई सूचना नहीं है ।

शेष के प्रश्न नहीं उठते हैं ।

जो तथ्य सामने आए थे उस पर मैंने उच्च अधिकारी को नियुक्त कर दिया है । वह इन सब तथ्यों के आधार पर जांच कर रहे हैं, जांच समाप्त होते ही कार्यवाही की जायेगी ।

श्रीमती कमला साहनी––

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि यह सूचना कब तक मिल जायगी और जांच कब तक पूरी हो जायेगी ? यही नहीं वह जर्जर सड़क जिसकी सूचना तीन वर्षों से मेरे द्वारा और मेरे से जो पहले के विधायक थे मिल रही है कब तक पूरी हो जायेगी और इसमें अब तक कितने धन का दुरुपयोग किया गया है ?

श्री अम्मार रिजवी––

मान्यवर, इसका उत्तर माननीया सदस्या को 15 दिन में मिल जायेगा । जहां तक सड़क के निर्माण का प्रश्न है तो उसमें जो कमियां रह गई हैं उनको पूरा किया जायेगा ।

(प्रश्न संख्या 6 पुकारे जाने पर)

श्री जसवंत सिंह विष्ट––

मैं जानना चाहता हूं कि किन अधिकारियों को इस सड़क की जांच के लिये वहां भेज रहे हैं ? क्योंकि इनके विभाग में कोई ईमानदार अधिकारी नहीं रह गया है ।

श्री अध्यक्ष––

आप बैठ जायं ।

श्री अम्मार रिजवी––

अधिकारियों के सिलसिले में कोई सूचना देना चाहते हों तो वह दे दें ।

श्री जसवंत सिंह विष्ट—

जांच में कम से कम दो प्रतिनिधि वहां के रखें तभी सही जांच आ सकेगी ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मैं माननीय सदस्या के प्रश्न के सम्बन्ध में पूछना चाहता हूं कि उत्तर तो 15 दिन में दे देंगे, लेकिन उस सड़क पर रोलर कब चलेगा ?

श्री अध्यक्ष—

जांच के बाद चलेगा ।

जनपद बस्ती में स्थौली बखिरा मार्ग के निर्माण तथा भू-अर्जन की कार्यवाही

*6—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

सप्तम विधान सभा के जनवरी, 1980 सत्र के प्रथम बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या 35 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने के 7 वर्ष बाद भी भू-अर्जन-भू-अधिग्रहण कार्यवाही अभी तक पूर्ण न करके किसानों को मुआवजा न दिए जाने के लिए जिम्मेदार कौन हैं ? कब तक किसानों को मुआवजा का भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद बस्ती में स्थौली बखिरा मार्ग के निर्माण हो जाने के बाद भी भू-अर्जन की कार्यवाही अभी तक पूरी न होने का कारण मुख्यतः मार्ग निर्माण से प्रभावित ग्रामों में वर्ष 1966-67 से प्रारम्भ हुई चकबन्दी प्रक्रिया का अन्तिम न होना तथा सम्बन्धित खसरा नम्बरों, उनके क्षेत्रफल एवं स्वामित्व में परिवर्तन हो जाना है जिससे भू-अर्जन प्रस्तावों को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका ।

अब तैयार हुए स्वच्छ चकबन्दी अभिलेखों के आधार पर भू-अर्जन प्रस्ताव बनाकर धारा 4/6 भूमि अध्याप्ति अधिनियम, 1884 के अन्तर्गत विज्ञप्तियां जारी कर दी गई हैं तथा नियमानुसार कार्यवाही करके प्रतिकर का भुगतान शीघ्र कर दिया जायगा ।

भू-अर्जन प्रस्ताव बनाने में हुए विलम्ब के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को भी दंडित कर दिया गया है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, मेरी यह सुनिश्चित जानकारी है कि बस्ती जनपद की बांसी तहसील में चकबन्दी की कार्यवाही प्रारम्भ होने से बहुत पहले इस सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया था । यह सड़क श्रीमती सुचेता कृपलानी जब वह मुख्य मन्त्री थी तो उनके समय में बनायी गयी है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जवाब में कहा है कि अब तैयार हुये स्वच्छ चकबन्दी अभिलेखों के आधार पर भू-अर्जन प्रस्ताव बनाकर धारा 4/8 भूमि अध्याप्ति अधिनियम, 1834 के अन्तर्गत विज्ञप्तियां जारी कर दी गई है तथा नियमानुसार कार्यवाही करके

प्रतिकर का भुगतान शीघ्र कर दिया जायेगा, तो मंत्री जी यह बतायें कि शीघ्र के माने कब, एक महीने या एक साल, एक निश्चित तिथि बता दें।

दूसरा प्रश्न है कि कौन-कौन कर्मचारी और अधिकारी दोषी पाये गये और उनको क्या दन्ड दिया गया और कब ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, भुगतान के सम्बन्ध में विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब दुबारा सत्र में यहां मिलेंगे तब यह प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं होगी।

श्री मोहन सिंह—

क्या आप दुबारा मन्त्री रहने की आशा करते हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, सदन तो रहेगा ही। इसलिए इसमें व्यक्तिगत बात नहीं है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मंत्री जी रहें या नहीं लेकिन मोहन सिंह का नाम मेम्बर में नहीं होगा।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो दूसरा प्रश्न पूछा है उसके सम्बन्ध में कहना है कि श्री एच0 एस0 गुप्ता, श्री बी0 के0 बंसल, श्री आर0 के0 जैन आदि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं जो इस बीच वहां रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी है तथा कैरेक्टर रोल में एन्ट्री की गयी है जो सहायक अभियन्ता हैं वी0 पी0 त्रिपाठी के0 जी0 श्रीवास्तव, जे0 पी0 सिंह, एम0 के0 सिंह इनकी एडवर्स एन्ट्री की गयी है और यह कार्यवाही कुछ दिन पूर्व मैंने की है।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, स्पष्ट है कि 10 साल तक किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है तो मैं पूछना चाहता हूं जो इन 10 वर्षों तक किसानों को मुआवजे से वंचित रखा गया है तो क्या इन 10 वर्षों के बारे में विचार करेंगे और इसी रेशियों से मुआवजा देंगे ताकि 10 साल में उनका जो नुकसान हुआ है उसका भी मुआवजा उनको मिल सके ?

श्री अम्मार रिजवी—

मुआवजा जो दिया जाता है तो जो वर्तमान दर होती है उस पर दिया जाता है। आप जानते हैं कि चकबन्दी में स्वामित्व तय करने में जरा देर लगती है। लेकिन जो अधिकारी इसमें सम्बन्धित हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी है क्योंकि उस समय उनको कार्यवाही कर देनी चाहिये थी और सड़क निर्माण से पहले मामले को तय कर देना था लेकिन वह नहीं हुआ इसलिये उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि इन दस सालों में जो उनका नुकसान हुआ है उसका भी ध्यान रखा जायगा और उनके नुकसान को पूरा किया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मुआवजा की वर्तमान जो दर है उसके हिसाब से दिया जाता है। पिछले का कोई प्रश्न नहीं है।

मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों को यह सूचना देना चाहता हूं कि यह हम लोगों के ध्यान में आया है, मुआवजा देने की प्रक्रिया पर अंकुश लगाने जा रहे हैं और मन्त्रिमंडल इस पर गम्भीरता से विचार करेगा कि पूरी प्रक्रिया में क्या परिवर्तन किया जाय जिससे जिनकी जमीन अध्याप्त होती है उनको शीघ्र मुआवजा दिया जा सके।

बेसिक शिक्षा परिषद्, मैनपुरी के कर्मचारियों को अनिवार्य जमा योजना का भुगतान

*7—श्री रघुवीर सिंह यादव तथा श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बेसिक शिक्षा परिषद्, मैनपुरी के कर्मचारियों का अनिवार्य जमा योजना सी0 डी0 एस0 का करीब 30 लाख रुपया जमा धनराशि 1972 ई0 से अप्रैल, 1977 तक का अभी तक नहीं मिला है जब कि अन्य विभागों को भुगतान किया जा चुका है और सरकार की तरफ से भी इनके एक ही बार में सम्पूर्ण भुगतान के आदेश 1978 में हो चुके हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त कर्मचारियों को कब तक भुगतान किया जा सकेगा ?

श्री सच्चिदानन्द—

जी नहीं।

बेसिक शिक्षा परिषद् मैनपुरी के अधीन कार्यरत कर्मचारियों का सन् 1972 से 1977 तक का अनिवार्य जमा योजना का रु0 21,22,244·95 रु0 का भुगतान किया जाना था, जिसका सम्पूर्ण भुगतान कर्मचारियों को कर दिया गया है।

श्री रघुवीर सिंह यादव—

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह धन उनको कब वितरित किया गया है ?

श्री सच्चिदानंद—

मान्यवर, इसका भुगतान रीजनल फंड कमिश्नर कानपुर से चेक संख्या ई0 94846 दिनांक 9 अक्तूबर, 1980 तथा चेक संख्या ई0 948473, दिनांक 10 अक्तूबर, 1980 द्वारा प्राप्त होने पर क्रमशः 1,44,69,864·88 रु0 तथा रु0 6,73,380·87 रु0 का भुगतान किया जा चुका है। अब किसी कर्मचारी का भुगतान शेष नहीं है।

श्री रघुवीर सिंह यादव—

मेरा प्रश्न था कि कब वितरित किया गया है, किन डेट्स में वितरित किया गया है ?

श्री सच्चिदानन्द—

10 अक्तूबर, 1980 और 9 अक्तूबर, 1980 को, दो तारीखें बनायी हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जिस संदर्भित धन का उल्लेख माननीय मंत्री जी ने किया है वह बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में आने की तिथियां हैं। मैं जानना चाहता हूं कि अध्यापकों को धन मिल गया है या नहीं ? अगर मिला है तो किस तिथि को मिला है ?

श्री सच्चिदानंद--

इसकी सूचना की आवश्यकता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है वह साफ है कि भुगतान कब किया गया है। इसमें सूचना की क्या आवश्यकता है ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी यह कृपया बता दें कि अध्यापकों को भुगतान किया गया है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री सच्चिदानन्द--

सूचना की आवश्यकता है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास दिलाती हूं कि इसमें काफी लोगों का भुगतान हो चुका है और जिन लोगों का भुगतान अभी नहीं हुआ है, उनको तुरन्त करवा दिया जायेगा।

(शोर)

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

इस आदरणीय सदन में क्या कोई आदरणीय मंत्री किसी प्रश्न का उत्तर अनुमान के आधार पर दे सकता है ? मंत्री जी कह रही हैं कि सम्भवतः काफी लोगों का भुगतान किया जा चुका है। यहां सवाल इस बात का नहीं है। स्पष्ट रूप से यह बताने की कृपा करें कि कितनों का भुगतान किया गया है और कितनों का अभी बाकी है और वह कब तक किया जायेगा ? इसकी निश्चित जानकारी शीघ्रातिशीघ्र दी जाय। उत्तर माननीय मंत्री जी की ओर से सुस्पष्ट होना चाहिये ताकि अस्पष्ट। इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी ने पहले ही कहा था कि सूचना की आवश्यकता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

नहीं मान्यवर, कबिनेट स्तर के मंत्री जी कह रहे हैं कि भुगतान हो चुका है काफी लोगों का और उनसे छोटे मंत्री कह रहे हैं कि सूचना की आवश्यकता है। यह परस्पर एक दूसरे के विरोधी बयान हैं अगर माननीय मंत्री जी यह कह रही हैं कि काफी भुगतान हो चुका है, तो वह कृपया यह भी बता दें कि वह भुगतान किन-किन तिथियों में हुए हैं और कितने-कितने रुपयों के हुए हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

यह सूचना लेनी है कि कितने का कुल भुगतान अभी तक हुआ है और कितने अध्यापक अभी ऐसे बाकी हैं जिनको भुगतान नहीं हुआ है, लेकिन काफी लोगों को भुगतान हो चुका है। फिर भी किसी माननीय सदस्य के पास कोई नाम हो, जिनका भुगतान नहीं हुआ हो, वह हमें दे दें, मैं विश्वास दिलाती हूं कि उनका भुगतान शीघ्र हो जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना देता हूं। इस अदारणीय सदन में कि इस संदर्भ में दोनों माननीय मंत्रियों के उत्तर परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं, एक मंत्री कह रहे हैं कि उसकी तिथि का उनको पता नहीं है कि कब-कब भुगतान हुआ है उस सबकी सूचना मंगाने की आवश्यकता को बता रहे हैं और दूसरे कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं, वह बराबर हाउस में कह रही हैं कि भुगतान काफी लोगों को हो चुका है। इस तरह जान बूझकर तथ्यों को छुपाया जा रहा है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना देता हूं।

एक सदस्य--

इसकी व्यवस्था माननीय अध्यक्ष महोदय अभी दे दें।

श्री अध्यक्ष--

जब वे सूचना देंगे तो माननीय मंत्री जी से इस संबंध में जानकारी प्राप्त करके व्यवस्था दूंगा।

(मंगलवार, 15 सितम्बर, 1981 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न)

*1--श्री बलदेव सिंह आर्य--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं सांसद श्री योगेन्द्र झा पर पुलिस द्वारा अशोभनीय व्यवहार की जांच

*2--श्री मित्रसेन तथा श्री मसरूर जाफरी--

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि 7 अप्रैल, 1980 को कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं सांसद श्री योगेन्द्र झा की गाजियाबाद पुलिस और पी० ए० सी० द्वारा निर्मम पिटाई की गयी? उनके साथ कितने अन्य लोग घायल हुए? ओझा के साथ इस अशोभनीय व्यवहार एवं पुलिस द्वारा सरेआम पिटाई करने के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

दिनांक 7 अप्रैल, 1980 को गाजियाबाद में तथाकथित कोई घटना नहीं हुई थी। वरन् दिनांक 3 अप्रैल, 1981 को सांय 5-45 पर लगभग छः सात सौ श्रमिकों की हिंसा पर उतारु एक भीड़ ने पहले से वहां लगी धारा 144 का उल्लंघन कर नगर मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद की जीप एवं पुलिस को घेर कर उन पर पथराव किया जिससे नगर मजिस्ट्रेट तथा 3 अन्य पुलिस के व्यक्ति गंभीर

रूप से एवं जीप ड्राइवर सहित 10 अन्य पुलिस के व्यक्ति साधारण रूप से घायल हो गये । उक्त भीड़ में श्री योगेन्द्र झा, सांसद भी थे जिसकी कोई सूचना जिला प्रशासन को नहीं थी । नगर मजिस्ट्रेट तथा वहां उपस्थित पुलिस अधिकारी ने पथराव कर रही भीड़ को समझाने का प्रयास किया, परन्तु भीड़ पर कोई प्रभाव नही हुआ । अतः नगर मजिस्ट्रेट ने उक्त भीड़ को "मजमा खिलाफ कानून" घोषित कर उसे तितर-बितर करने के लिए हल्का लाठी चार्ज का आदेश दिया । उक्त लाठी चार्ज से किसी भी व्यक्ति के घायल होने की सूचना गाजियाबाद में नहीं थी । बाद में श्री योगेन्द्र झां, सांसद तथा तीन अन्य श्रमिक नेताओं द्वारा राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में अपनी डाक्टरी मुआयना कराया जाना पाया गया ।

इस घटना के लिए कोई सरकारी कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया है । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि श्री योगेन्द्र झां, सांसद भी थे, जिसकी कोई सूचना पूरे प्रशासन को नहीं थी । लाउडस्पीकर से प्रचार हुआ था सारे नगर में सूचना थी, सी0 आई0 डी0 को भी सूचना थी, इनकी सरकार को खबर नहीं हुई, वह किन कारणों से नहीं हो पायी, इनकी सी0 आई0 डी0 उस समय क्या कर रही थी ? दूसरी बात यह है गाजियाबाद में पिछले 6 महीने से धारा 144 लागू है । तो माननीय मन्त्री जी यह भी बता दें कि इस अवधि में इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, माननीय सांसद ने कोई सूचना शासन को नहीं दी थी और इसी आधार पर यह बताया गया कि....

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, सूचना शासन को देने की क्या जरूरत है, मीटिंग करने का अधिकार तो है ही ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

तो इस आधार पर यह बताया गया था । इस पूरी घटना की 1-4-81 से 4-4-81 तक की जांच, माननीय श्रम मन्त्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है, जो सभी पहलुओं पर विचार करेगी ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जब धारा 144 लगी होने पर लाठी चार्ज किया गया तो उस समय कौन से मुकदमें गढ़े गये या बनाये गये । मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि लाठी चार्ज के बाद मजदूरों के खिलाफ और कथित सांसद के खिलाफ कौन-कौन से मुकदमें दर्ज किए गये हैं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

जी हां, मुकदमें दर्ज किए गये हैं बलवाइयों के खिलाफ, जो कि धारा 147, 148, 307, 332, 427, 336/188 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत हैं ।

श्री भोखालाल--

क्या माननीय गृह मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि गाजियाबाद में पुलिस ने जो वहां का मजदूरों का आफिस है, उसमें जाकर आफिस में मौजूद मजदूर, उनके नेताओं और श्री योगेन्द्र झा पर लाठी चलाई ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, अध्यक्ष पीठ से भी यह निर्णय हो चुका है कि जिस घटना में माननीय विधायकों या संसद सदस्यों का इनवाल्वमेंट होगा, तो उस सम्बन्ध में उनसे भी पूछ-तांछ की जायेगी । आरोप लगाया गया कि वर्तमान संसद सदस्य को पीटा गया, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि पूरी जांच प्रक्रिया में किस स्तर पर सम्बन्धित संसद सदस्य से पूछताछ की गयी और क्या उनका कोई बयान लिया गया ? यदि हां, तो कृपया बतायें कि उनका बयान क्या है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, इसमें समिति गठित कर दी गयी है, माननीय श्रम मंत्री जी की अध्यक्षता में ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, प्रश्न यह नहीं था, प्रश्न यह था कि क्या माननीय सांसद से कोई पूछताछ की गयी और उनका बयान लिया गया ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्री योगेन्द्र झा, सांसद से अभी इस बारे में कोई बात नहीं की गयी है ।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, जिस तरह का उत्तर इस प्रश्न का दिया गया उससे जाहिर है कि बड़ी लाइटली सरकार इस बात को ले रही है । जब श्री योगेन्द्र झा, सांसद एवं अन्य द्वारा राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अपनी डाक्टरी करायी गयी, तो या तो माननीय संसद सदस्य ने यह सब फर्जी कराया, जैसा कि सरकार का उत्तर है । वैसे जो एक संसद सदस्य के ऊपर चीजें पायी गयीं, वे यह कि पुलिस ने घर में घुसकर उनको पीटा । तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि किस एजेन्सी से आपने जांच कराई जिसके आधार पर आपने यह उत्तर दिया है ? जिसकी पिटाई हुई है उससे पूछने की आवश्यकता ही नहीं समझी गयी ।

चौधरी नौनिहाल सिंह--

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इन्सपेक्टर उनसे बयान लेने के लिए गये । वह वहां नहीं मिले, मालूम हुआ कि वह घर वापस चले गये हैं इसलिए बयान नहीं लिये जा सके ।

एक सदस्य--

इन्सपेक्टर घर तो जा नहीं सकता था ।

श्री राम आसरे वर्मा--

प्रश्न यह है कि क्या माननीय योगेन्द्र झा की पिटाई की गयी और वह अस्पताल में भर्ती रहे । जवाब दिया गया है कि पिटाई नहीं हुई । अब मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बात की जानकारी करके कि माननीय योगेन्द्र झा को चोटें आयीं, तत्काल नोटिस दिया जायेगा कि सम्बन्धित लोगों के विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 लाज कराई जाय और उस पर कार्यवाही की जाय ? अन्य लोगों के खिलाफ जो मुकदमें कायम किए गये हैं उसको वापस लेने पर क्या सरकार निर्णय करेगी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

माननीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में जो समिति गठित की गयी है उसकी रिपोर्ट आ जाने पर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय योगेन्द्र झा की पिटाई हुई । उस सिलसिले में विवाद को निपटाने के लिए, उसे सुलझाने के लिए कमेटी गठित की गयी है ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

जब अखबार में यह खबर आयी तो वहां के अधिकारी उनसे मिलने वहां पर गये तो पता लगा कि वह वहां पर नहीं हैं । उसकी पूरी विवेचना की जा रही है ।

श्री मुख्तार अनीस--

माननीय संसद सदस्य, श्री योगेन्द्र झा की पिटाई हुई । इन राजा साहब के राज्य में पिटाई कराना तो एक आम बात हो गयी है । पिटाई होने के बाद माननीय योगेन्द्र झा से कोई बात नहीं की गयी । मैं माननीय गृह मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि वह माननीय सांसद सदस्य से बात करके उनकी शिकायत के बारे में कोई आश्वासन देंगे । जितने पी0 ए0 सी0 के लोगों ने उन्हें मारा-पीटा उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का आप क्या यहां आश्वासन देंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, समिति की जांच रिपोर्ट आ जाय....

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय मंत्री जो घोषित कर दें, जो अधिकार उन्हें दिया गया है ..

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद सदस्य से पूछ लिया जायेगा, जैसा कि आपने सुझाव दिया है ।

श्री मुख्तार अनीस--

पूछने के बाद उस पर आप कार्यवाही भी करेंगे ?

श्री राम आसरे वर्मा--

उनसे सम्पर्क करने का प्रयास तक नहीं किया गया ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

उनसे सम्पर्क करने का प्रयास किया गया, माननीय मंत्री ने अभी बता दिया है ।

श्री सूबेदार सिंह--

यहां पर सरकार के द्वारा जो जवाब दिया गया है कि उस संसद सदस्य से पूछ की जायेगी । तो क्या जो सरकार ने अभी जवाब दिया है, उसे वह वापस लेकर संसद सदस्य का बयान लेने के बाद इस प्रश्न का उत्तर देंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मैंने अभी आदरणीय सदन के सामने निवेदन किया कि जब समाचार पत्रों में यह खबर छपी तब वहां के अधिकारी उनसे मिलने के लिए गये वहां उन्हें सूचना मिली कि वो नई दिल्ली चले गये । जब समाचार मिला कि वे अस्पताल में हैं तो फिर इन्सपेक्टर उनसे मिलने अस्पताल में गये तो पता चला कि वे घर चले गये ।

(शोर)

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

निश्चित जानकारी है कि जिस स्थिति में माननीय संसद सदस्य की पिटाई हुई थी उसी हालत में डी० एम० के यहां गये हुए थे ।

डा० प्रहलाद कुमार, होम्योपैथिक सेवा सदन, सण्डीला द्वारा राजकीय बालिका इण्टर कालेज, सण्डीला को खाली करने की नोटिस

*3--श्री नन्द किशोर सिंह तथा श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी--

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला के राजकीय बालिका, इण्टर कालेज के भवन को खाली कराने के सम्बन्ध में डा० प्रहलाद कुमार, होम्योपैथिक सेवा सदन, सण्डीला ने दिनांक 20 मई, 1980 की धारा 80 के अन्तर्गत कोई नोटिस दिया है ? यदि हां, तो अभी तक उस पर कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

नियमानुसार नोटिस का उत्तर दे दिया गया था ।

श्री नन्द किशोर सिंह--

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि 20 मई, 1980 को डाक्टर प्रहलाद ने जो नोटिस दिया उसमें क्या बातें कही गयी हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

उसमें मकान को खाली करने के सम्बन्ध में नोटिस दिया है जिसका उनको उचित उत्तर दे दिया गया था ।

श्री नन्द किशोर सिंह—

जो उत्तर दिया गया है वह क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

यह प्रश्न इस समय सिविल जज के न्यायालय में है और न्यायालय के विचाराधीन है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

न्यायालय का मसला अलग है, शासन का अलग है...

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने नोटिस दिया, उन्होंने उत्तर दिया, अब मामला न्यायालय के विचाराधीन है, ठीक है ।

थाना सलेमपुर, जिला देवरिया में मृतक श्री नारायण तथा उसके परिवार वालों की मृत्यु की जांच

*4—श्री हरिवंश सहाय—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत थाना सलेमपुर में गत 4/5 मार्च, 1981 को नगर में श्री नारायण उसकी गर्भवती पत्नी मालती व पुत्र झगरु, (2 साल 6 माह) को जहर देकर गला दबाकर जान से मार डाला गया तथा उसका ढाई लाख रुपए का सामान ले लिया गया ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार 4/5 मार्च, 1981 को श्री नारायण उनकी पत्नी श्रीमती मालती उर्फ कान्ती देवी व पुत्र झगरु की मृत्यु हुई थी । मृतक के रिश्ते के चाचा श्री राम आधार गुप्ता की लिखित सूचना के आधार पर मुकदमा अपराध सं0—40/81 धारा 480/328 भारतीय दंड विधान थाना सलेमपुर में कायम कर विवेचना प्रारम्भ की गई । विवेचना से इस मामले में जहर देने की सम्भावना पायी जा रही है । पोस्ट मार्टम से मृत्यु का कारण ज्ञात नहीं हो सका, अतः तीनों मृतकों के विसरा केमिकल एग्जामिनर, आगरा को अन्वेषण के लिए भेज दिये गये है । मृतक श्री नारायण के दस्खत हस्तलिपि एक्सपर्ट, लखनऊ के पास भी भेज दिये गये है ।

मृतक श्री नारायण एक खाता—पीता साधारण व्यक्ति था लूटी गई सम्पत्ति के विषय में यह ज्ञात नहीं हो सका है कि कौन—कौन सी वस्तु गई है । अब तक की जांच से आभूषणों के जाने की सम्भावना पायी जाती है । लोगों का अनुमान है कि लूटे गए सामान की कीमत अधिक से अधिक 3—4 हजार रुपया हो सकती है ।

अब तक की हुई प्रगति में अभियुक्त रामचन्दर निवासी थाना लार दिनांक 14-8-81 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इस अभियुक्त की कार्यवाही शिनाख्त में 3 गवाहों ने उसे सही पहचान लिया। अग्रेतर विवेचना जारी है।

श्री हरिवंश सहाय--

उत्तर में कहा गया है कि मृतक नारायण के दस्तखत हस्ताक्षर लिपि एक्सपर्ट, लखनऊ के पास भेज दिया गया है, तो उसके क्या कारण है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

इसलिए कि हस्ताक्षर उन्हीं के हैं या नहीं।

श्री हरिवंश सहाय--

मैंने यह पूछा है कि हस्ताक्षर भेजने का कारण क्या है, वही आदमी के हस्ताक्षर हैं या नहीं इसलिए भेजा गया है, यह उत्तर है। मैं जानना चाहता हूं कि मन्त्री जी क्या बतायेंगे कि उनकी जायदाद को फर्जी तरीके से किसी आदमी ने रजिस्ट्री करा ली है जिसके कारण यह हस्ताक्षर भेजा गया है ? यह किन-किन लोगों ने कराया है और जायदाद क्या है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। इसकी सूचना एकत्र की जा रही है।

*5--श्री गोपीनाथ वर्मा--

[2रे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जूनियर हाई स्कूल, महनौरा में कार्यरत श्री कृष्ण कुमार अवस्थी द्वारा फर्जी जन्म तिथि दिखाकर नियुक्ति

*6--श्री कुबेर भण्डारी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम आशा खेड़ा, थाना असोहा जनपद उन्नाव निवासी कृष्ण कुमार अवस्थी पुत्र श्री शिवलाल अवस्थी जो इस समय जूनियर हाई स्कूल, महनौरा में कार्यरत हैं और जिनकी असली प्रमाण-पत्र के अनुसार जन्म तिथि 31-7-31 है, ने फर्जी जन्म तिथि 31-7-39 दिखाकर नियुक्ति प्राप्त कर ली थी ? यदि हां, तो क्या ऐसे अनियमित कार्य करने वाले व्यक्ति के शिक्षा सम्बन्धी सारे प्रमाण-पत्र को सील कराकर जांच कराने के निर्देश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द--

जी नहीं।

फर्जी जन्म तिथि 31-7-39 दिखाकर नियुक्ति नहीं प्राप्त की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री कुबेर भंडारी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस प्रमाण-पत्र के आधार पर नियुक्ति की गई है, वह किस स्कूल का है ?

श्री सच्चिदानन्द--

जूनियर हाई स्कूल महनौरा का है ।

ग्राम सूथा विकास खंड, खुदागंज में खोला गया स्कूल

*7--श्री सत्यपाल सिंह (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा समिति जनपद, शाहजहांपुर की बैठक दिनांक 28-2-81 के निर्णयानुसार नया जू० हा० स्कूल, ग्राम ककरौआ में खोलने के बजाय ग्राम सूथा विकास खंड कटरा में खोलने का क्या कारण है जबकि ककरौआ से दूर-दूर तक जू० हा० स्कूल नहीं है ? क्या सरकार नया स्कूल ककरौआ में खुलवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां । बेसिक शिक्षा समिति, शाहजहाँपुर की बैठक दिनांक 28-2-81 के निर्णय के अनुसार अधिक पिछड़े हुये ग्राम सूथा विकास खंड खुदागंज में स्कूल खोला गया है । जिले के लिए नये सीनियर बेसिक स्कूल स्वीकृत होने पर यदि जिला बेसिक शिक्षा समिति, ककरौआ में विद्यालय खोलने का निर्णय लेती है, तो वहां भी विद्यालय खोलने दिया जायेगा ।

शिक्षा प्रणाली व शिक्षा पाठ्यक्रम में मौलिक परिवर्तन करने पर विचार

*8--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री वर्तमान शिक्षा प्रणाली व शिक्षा पाठ्यक्रम में कोई मौलिक परिवर्तन करने की बात सोच रही हैं ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां । राष्ट्रीय स्तर पर मान्य 10+2 की शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत हाई स्कूल स्तर पर सभी छात्रों के लिए सामान्य पाठ्यचर्या निर्धारित करने का निश्चय किया गया है । इन्टरमीडिएट स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किये जाने की दिशा में कुछ जिलों का सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगी कि शिक्षा प्रणाली में मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ तो क्या वह मेरे इस सुझाव पर विचार करेंगी कि 8 दर्जे की शिक्षा के बाद शिक्षा प्रणाली को दो भागों में बांट दिया जाय, पहला व्यावहारिक प्रणाली की शिक्षा और दूसरी उच्च शिक्षा और उसमें व्यावहारिक प्रणाली में सारा तकनीकी ज्ञान जितना आवश्यक हो उनको दिया जाय ताकि लोग व्यवसाय में लग सकें ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

आपने जो प्रश्न उठाया उसके सम्बन्ध में हम यह विचार कर रहे हैं कि व्यावहारिक शिक्षा के सम्बन्ध में आगे कदम बढ़ा सकें ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि कक्षा 8 के बाद जो उच्च शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा शुरू होती है तो क्या सरकार तकनीकी शिक्षा पर विशेष ध्यान देगी ताकि सारा देश कुशल कारीगरों से भर जाय और दूसरी तरफ वह न जायं, तो क्या सरकार मेरे इस सुझाव पर विचार करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

अभी हमने दसवीं कक्षा में इस बात का निर्णय लिया है कि हम जनरल साइंस को धीरे-धीरे सब स्कूलों में और सब छात्रों के लिए कम्पलसरी बना दें क्योंकि साइंस और गणित की शिक्षा आवश्यक है । इसलिए अभी यह पहला कदम हमने उठाया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं यह जानना चाहता हूं कि कक्षा 8 और उसके बाद तो परिवर्तन का निर्णय आपने लिया है, लेकिन कक्षा 8 के पहले क्या परिवर्तन करना चाहते हैं इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया । कक्षा 8 के पहले की जो कक्षायें हैं उनके लिये किसी परिवर्तन पर सरकार विचार कर रही है ? मैं जानना चाहूंगा कि कुछ जिले जो छोड़ दिये गये हैं, वह कौन से हैं और क्यों छोड़ दिये गये हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

अभी हम 4 जिलों में सर्वेक्षण करवा रहे हैं । अभी उनके नाम मुझे याद नहीं हैं । यह शायद हैं--आगरा, उन्नाव और फैजाबाद तथा एक और है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरे प्रश्न के पूर्वार्द्ध का उत्तर नहीं आया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

कक्षा 8 से पहले परिवर्तन करने के ऊपर कोई कदम अभी नहीं उठाया गया है । जो आपकी राय होगी और सुझाव होंगे, उस पर हम जरूर विचार करेंगे क्योंकि हमारा यह मकसद है कि शिक्षा का उन्नयन हो ।

आई० पी० एस० में नियुक्ति हेतु स्टेट पुलिस सर्विस के अधिकारियों का चयन का आधार

*9--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या गृह मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सत्य है कि स्टेट पुलिस सर्विस के अधिकारियों को आई० पी० एस० में चयन हेतु 54 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये, उनकी चरित्र पंजिका अच्छी होनी चाहिए तथा सत्यनिष्ठा संदिग्ध नहीं होनी चाहिए ? परन्तु अभी फरवरी, 1981 में उक्त चयन हेतु जो सूची बनाई गयी है उसमें वरिष्ठ एवं अच्छे तथा अच्छी सत्यनिष्ठा प्राप्त अधिकारी छोड़ दिए गए हैं ? यदि ऐसा हो तो उक्त सूची को निरस्त कर नियमों के आधार पर नई सूची तैयार करने के आदेश जारी करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

आई० पी० एस० में नियुक्ति हेतु स्टेट पुलिस सर्विस के अधिकारियों का चयन आई० पी० एस० (अप्वाइंटमेंट बाई प्रोमोशन) रेगुलेशन्स, 1955 के प्राविधानों

के अनुसार किया जाता है । चयन संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्षता में मेरिट के आधार पर होता है । चुनाव समिति की पिछली बैठक फरवरी, 1981 में हुई थी । चुनाव के परिणाम पर अभी संघ लोक सेवा आयोग का अनुमोदन भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त होना शेष है । अतः अन्य बिन्दुओं पर सूचना देना सम्भव नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मेरा सवाल यह है कि आई0 पी0 एस0 में चयन हुए अधिकारी को 54 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिये, उसकी चरित्र पंजिका अच्छी होनी चाहिये तथा सत्य निष्ठा संदिग्ध नहीं होनी चाहिये इस आधार पर चुनाव किया गया है या नहीं ? माननीय मंत्री जी को अपने जवाब में इस बात को मानते हैं कि चयन समिति का पिछली बैठक जो फरवरी, 1981 में हुई उसका परिणाम अभी तक नहीं आया है तो मैं जानना चाहता हूं कि फरवरी, 1981 में जो बैठक हुई थी, उसके लिये जो सूची जारी की गई है उसमें कौन-कौन से लोग हैं ? क्या उसमें ऐसे भी लोग हैं जिनकी आयु 54 वर्ष से अधिक थी जिनकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि रही है ? यदि हां, तो वे कौन-कौन से लोग हैं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मैंने निवेदन किया कि संघ लोक सेवा आयोग से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही इस सम्बन्ध में कुछ सूचना दी जा सकती है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि चयन समिति ने जो सूची बनायी है, उस सूची में कौन-कौन से लोग रखे गये हैं क्या उसमें ऐसे लोग भी रखे गये हैं जिनकी आयु 54 वर्ष से ज्यादा है जिनकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि है और जिनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध है ? श्रीमन् चयन के लिये सिद्धान्त है, एक नीति होती है, और उस नीति के आधार पर ही कुछ लोगों का चयन किया जाता है, शासन को यह देखना पड़ता है कि जो सिद्धान्त और नीति बनी हुई है, उनके निर्देश का पालन किया जाय, तो क्या शासन इस सिलसिले में निर्देश देने का कष्ट करेगा ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

शायद माननीय सदस्य का विशेष मन्तव्य यह मालूम होता है कि 54 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को बुलाया गया । तो इस सिलसिले में मैं निवेदन कर दूं कि रैगुलेशन 5 के पैरा 65 के अन्तर्गत चयन समिति उन अधिकारियों के बारे में विचार करती है जिनका चयन 54 वर्ष से ज्यादा आयु न पूरी हुई हो । परन्तु यदि किसी वर्ष चयन समिति न बैठी हो तो उन अधिकारियों को भी मौका दिया जाता है जो पिछले वर्ष चयन समिति की बैठक न होने की वजह से 54 वर्ष से ज्यादा के हो गये हों ।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय मंत्री जी नाम नहीं बतला रहे हैं । ऐसे कौन-कौन लोग हैं जिनकी आयु 54 वर्ष से ज्यादा है और उनकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि हुई है ? उनका नाम न बतलाने से गड़बड़ मालूम होता है और यह रहस्य की बात बनी हुई है ।

श्री अध्यक्ष—

जब चयन की प्रक्रिया पूरी ही नहीं हुई है तब वे नाम कैसे बतला सकते हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय चुनाव समिति शासन के प्रस्ताव में कुछ उलट फेर कर सकती है, इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी कम से कम इस गलती को सुधार लें ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री ऊबल—

यह जो फरवरी, 1981 में चयन समिति बैठी हुई थी जैसा वर्मा जी ने कहा है और मंत्री जी ने नियमों का हवाला दिया उसके मुताबिक चार व्यक्तियों की चरित्र पंजिका संदिग्ध थी वे 54 से ऊपर थे उनके खिलाफ जो लोग नहीं चुने गये उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी के यहां प्रतिवेदन दिया और माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस चुनाव को ही अवैध घोषित कर दिया । क्या यह सही है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई चुनाव अवैध घोषित कर दिया गया हो ।

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं वही बता दें ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

माननीय सदस्य मुझसे ज्यादा जानकारी मेरे बारे में रखते हैं ।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सी0 आई0 डी0, महानगर, लखनऊ में अस्थायी वैज्ञानिक कर्मचारियों का स्थायीकरण

*10—श्री श्याम नारायन तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि विधि विज्ञान प्रयोग शाला सी0 आई0 डी0, (यू0पी0) महानगर, लखनऊ में विगत 10 वर्ष से कार्यरत अस्थायी वैज्ञानिक कर्मचारियों को तथा विभाग के स्थायीकरण पर विचार हो रहा है ? अगर हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी हां, यह विषय शासन के विचाराधीन है ।

यथा शीघ्र निर्णय लिया जायेगा ।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 9 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*11--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त] ।

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग नियम लि0, कानपुर के सहायक सचिव, कार्मिक अधिकारी श्री बी0 एन0 पाण्डेय द्वारा की गयी अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार संबंधी जांच

*12--श्री कुंवर योगेन्द्र सिंह--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमि0, कानपुर के सहायक सचिव, कार्मिक अधिकारी (श्री0 बी0 एन0 पाण्डेय) की अवैध प्रतिनियुक्ति एवं उनके द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार सम्बन्धी जांच कराये जाने हेतु श्री ओम प्रकाश पाण्डेय द्वारा दिए गये प्रार्थना-पत्र दिनांक 29/30-8-80 पर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्योग मंत्री (श्री नियाज हसन खां)--

जी हां । प्रश्न नहीं उठता ।

अकबरपुर, जिला फैजाबाद स्थित राज्य कताई मिल के हेड टाइम कीपर की गोली मारने से मृत्यु

*13--श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर, जिला फैजाबाद स्थित राज्य कताई मिल के हेड टाइम कीपर को दिनांक 5 अप्रैल, 1981 को गोली से मार दिया गया है ? क्या यह सही है कि घटना के समय घटना-स्थल पर मिल के कुछ अधिकारी भी मौजूद थे ? यदि हां, तो उक्त घटना में अब तक कितने लोग बन्दी हुये ? पूर्ण घटना क्या है और अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री आर0 बी0 सिंह सिक्योरिटी आफीसर मरैला मिल, अकबरपुर ने थाना अकबरपुर में दिनांक 5-4-81 को लिखित सूचना दी कि मरैला मिल के हेड टाइम कीपर श्री एम0 बी0 लाल श्रीवास्तव के उन्ही के क्वाटर में गोली मार दी गयी है । उक्त सूचना पर थाना अकबरपुर में एक अ0 सं0 134 धारा 302 भा0 द0 वि0 पंजीकृत हुआ । विवेचना में तीन अभियुक्त प्रकाश में आये । जिनमें से एक को गिरफ्तार किया गया तथा दो ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया । सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है । घटना के समय मिल के दो अधिकारियों का उपस्थित होना प्रकाश में आया है ।

बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजीपुर द्वारा लावां जूनियर हाई स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति

*14--श्री राम नरायन--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि लावां जूनियर हाई स्कूल, परगना व जनपद गाजीपुर में विज्ञान शिक्षक की नियुक्ति बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजीपुर द्वारा अब तक नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जूनियर हाई स्कूल लाला में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजीपुर के आदेश दिनांक 8 जून, 1981 के द्वारा विशेष अध्यापक की नियुक्ति की जा चुकी है ।

ग्राम लोखरिया मजरा महमूदपुर, थाना गोसाईगंज, जनपद लखनऊ में डकैती की घटना तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी

*15—श्री सन्तबक्श रावत—

क्या गृह मन्त्री को जानकारी है कि ग्राम लोखरिया मजरा महमूदपुर, थाना गोसाईगंज, जनपद लखनऊ के धनपति व परसादी पासी के यहां दिनांक 4 व 5-4-81 को डकैती पड़ी जिसमें धनपति के सगे भाई चौहान को डकैतों ने मार डाला जिसकी रिपोर्ट थाना गोसाईगंज, लखनऊ में मु0 अ0 सं0 129, धारा 396 भा0 द0 वि0 5-4-81 को चार लोगों के नाम नामजद रिपोर्ट हुई है ? यदि हां, तो अभियुक्तों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी तथा मृतक के आश्रितों को क्या सहायता दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

डकैती की घटना तथा डाकुओं द्वारा श्री धनपति के भाई के मारे जाने की बात सही है । प्रथम सूचना रिपोर्ट में चार व्यक्तियों की नामजदगी विवेचना से झूठी पायी गयी । इस अभियोग की विवेचना के फलस्वरूप कुल 6 व्यक्ति प्रकाश में आये जिसमें 2 पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये, किन्तु वादी तथा गवाहों द्वारा पहचान न किये जाने के कारण धारा 169 दं0 प्र0 स0 के अधीन रिहा हो गये । तीसरा अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित हुआ किन्तु वह भी कार्यवाही शिनाख्त धारा 169 दं0 प्र0 स0 के अन्तर्गत छूट गया शेष तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है तथा इनके विरुद्ध धारा 82/83 दं0 प्र0 सं0 की कार्यवाही की जा रही है ।

मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता का मामला विचाराधीन है ।

कस्बा गौरा बादशाहपुर में नया थाना स्थापित किये जाने की स्वीकृति

*16—श्री प्रभुनारायण सिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर के जफराबाद पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत पड़ने वाला गौराबाद शाहपुर कस्बा जौनपुर, आजमगढ़ जनपदों के सरहद पर बसी एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थान है ? क्या यह भी सत्य है कि यह स्थान जफराबाद पुलिस स्टेशन से बीस कि0 मी0 दूर है और बीच में गोमती नदी भी बहती है ? क्या इस कस्बे और समीपवर्ती गांवों के निवासियों की सुरक्षा हेतु सरकार इस स्थान पर पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी हां । कस्बा गौरा बादशाहपुर में एक नया थाना स्थापित किये जाने की स्वीकृति दे दी गई है ।

वर्तमान निदेशक सैनिक कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कर्नल डी0 बी0 शुक्ला की नियुक्ति का आधार

*17--श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा श्री सूबेदार सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान निदेशक सैनिक कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को लेफ्टीनेंट कर्नल की पेंशन मिल रही है ? क्या यह सही है कि निदेशक, सैनिक कल्याण, उत्तर प्रदेश की नियुक्ति स्थायी ब्रिगेडियर या स्थायी कर्नल के पद से सेवा निवृत्त अधिकारियों में से नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त नियुक्ति को समाप्त करके वैधानिक निदेशक, सैनिक कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पद पर पुनः नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

जी हां ।

जी नहीं ।

वर्तमान निदेशक, सैनिक कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ कर्नल डी0 बी0 शुक्ला (अ0 प्रा0) सेना मुख्यालय द्वारा दिनांक 1-3-75 से वरिष्ठता के अनुसार स्थायी कर्नल घोषित हुये हैं जब कि इन्होंने दिनांक 6-11-76 को निदेशालय, सैनिक कल्याण में अपना कार्यभार सम्हाल लिया । भारत सरकार के निर्णयानुसार निदेशक सैनिक कल्याण के पद पर नियुक्ति हेतु यह प्रतिबन्ध नहीं है कि अभ्यर्थी स्थायी, ब्रिगेडियर/कर्नल हो ।

जी नहीं ।

*18--श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

[मन्त्री परिषद् में सम्मिलित होने के कारण निरस्त) ।]

*19--श्री सरदार सिंह--

[दिनांक 15-9-81 के 38 (2) के प्रश्न संख्या 4 की पुनरावृत्ति के आधार पर हटाया गया] ।

*20--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त] ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राजकीय कर्मचारियों, नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रीय स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा शिक्षकों के वेतन का पुनरीक्षण हेतु गठित वेतन आयोग की रिपोर्ट

**1--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री हरिवंश सहाय--

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय कर्मचारियों, नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रीय स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा शिक्षकों के वेतन पुनरीक्षण हेतु गठित वेतन आयोग की रिपोर्ट जो कि शासन को काफी दिन पूर्व प्राप्त हो चुकी है, उस पर अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या निर्णय क्या है तथा उसे कब से लागू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों तथा निर्णय कब तक लिया जायगा ?

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

जी नहीं । वेतन आयोगों की संस्तुतियों पर शासन का निर्णय शीघ्र ही घोषित किया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को स्मरण होगा कि पिछले अप्रैल में इस सदन के उठते समय भी आश्वासन दिया गया था कि कमेटी की रिपोर्ट आयेगी विसंगतियां दूर कर के मंत्रिमंडल निर्णय करेगा और उसके कार्यान्वयन के बारे में निर्णय करेगा । उसके बाद समाचार पत्रों में शासन की नीति की घोषणा हम लोग पढ़ते रहते हैं कि शीघ्र निर्णय कर लिया जायेगा, जून में शीघ्र निर्णय कर लिया जायगा, जुलाई में कर लिया जायगा, अगस्त में कर लिया जायगा । अब सितम्बर में भी आज उत्तर दिया गया है कि शीघ्र निर्णय कर लिया जायगा । आज तक इस पर निर्णय न लिये जाने के कारण सम्पूर्ण प्रदेश की एक जिज्ञासा है और सम्बन्धित लोगों में उत्तेजना है । कर्मचारियों ने शायद माननीय मंत्री जी को मालूम हो इस तरह की घोषणा कर दी है कि अगर इस पर निकट भविष्य में निर्णय नहीं हुआ तो वे आन्दोलन के रास्ते पर चले जायेंगे । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो शीघ्र घोषणा कर दी जायेगी इसकी कोई परिभाषा करने की कृपा करेंगे । शीघ्र माने दस दिन पन्द्रह दिन या सदन उठने के पहले, कब निर्णय की घोषणा कर दी जायगी ?

श्री ब्रह्म दत्त-- 135252

शीघ्र माने शीघ्र ही होता है, उसकी परिभाषा तो होती नहीं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैंने पहले ही क्लेयरीफाई कर दिया था, दस दिन, पन्द्रह दिन, या सदन उठने से पहले..

श्री अध्यक्ष--

माननीय वित्त मंत्री जी वह यह जानना चाहते हैं कि शीघ्र का मतलब सदन उठने से पहले निर्णय की घोषणा कर दी जायगी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

शीघ्र का मतलब किसी डिक्शनरी में ऐसा मतलब नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

केन्द्र सरकार ने एक निर्देश जिसे मैं तो काला निर्देश कहता हूं जारी किया है, उत्तर प्रदेश को लिखा है, कि डी० ए० फ्रीज कर दिया जाय । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह निर्णय उस घोषणा के संदर्भ में तो सरकार नहीं करने जा रही है ? इस संबंध में शासन ने क्या निर्णय लिया है ।

श्री ब्रह्म दत्त--

उस निर्देश के संबंध मे शासन ने अभी विचार नहीं किया । वेतन आयोग का मामला डी० ए० फ्रीज से असंबंधित है ।

श्री मीठा लाल—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसे कई बार घोषणा की जा चुकी है माननीय मुख्य मंत्री जी ने की, वित्त मंत्री जी ने की कि 7 सितम्बर तक रिपोर्ट प्रकाशित कर दी जायगी, 15 सितम्बर तक की जायगी, अभी मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि 30 सितम्बर तक की जायगी, सरकार किन प्रशासनिक कारणों से रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करने जा रही है। क्या राजनीतिक कारणों से नहीं की जा रही है ? राजनैतिक कारण यह हो सकता है कि रिपोर्ट के प्रकाशन के साथ-साथ टैक्स लगाने की घोषणा भी करनी पड़ेगी और उसका उपयोग सदन के उठने के बाद किया जाय और तब ही उसकी घोषणा की जाय, सदन के सामने उस पर विचार न हो सके ?

श्री ब्रह्म दत्त—

इसका राजनीतिक कारण नहीं है लेकिन लोकतांत्रिक कारण जरूर है क्योंकि हमने इस संबंध में जो वेतन आयोग की संस्तुति थी वह प्रकाशित की, उस पर सब के विचार मालूम किये, उसके बाद अधिकारियों की कमेटी बनी, उस पर विचार करने के लिए मंत्रि मंडल की एक उप समिति बनी और अब मंत्रि मंडल ने काफी बिन्दुओं पर अपना निर्णय ले लिया है। कुछ सैद्धान्तिक सवाल हैं, जिनको देखना पड़ेगा। न तो इसको टालने की कोशिश की जा रही है और न इसके पीछे कोई राजनीतिक बात है। पहली बार इस प्रदेश में सम्बन्धित लोगों को विश्वास में लिया गया है, उनके विचार जाने गये हैं। हमें प्रसन्नता है कि जितने कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने हमसे मांग की है वहां उन्होंने हमें आय के श्रोत भी बतायें हैं। उन पर भी हम विचार कर रहे हैं। इसलिए कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया है जो कि उनमें असन्तोष पैदा करे।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, यह अनेक मुंह की सरकार है। कई तरह के उत्तर इस सरकार ने इस संदर्भ में दिये हैं। एक सप्ताह के अन्तर्गत निर्णय देने की अवधि कई बार सरकार अखबार में प्रकाशित कर चुकी है और आज आदरणीय सदन में वित्त मंत्री ने शीघ्र को अपरिभाषित करते हुये उसकी घोषणा की है। जो संस्तुतियां आपको पे कमीशन ने दी हैं उन पर जिस अलोकतांत्रिक तरीके से लोगों से आपने विचार विमर्श किया है उसके अनुसार कितने पैसे के खर्च का प्राविधान आप करने जा रहे हैं, सरकार ने क्या अनुमान लगाया है और उस पर कितना पैसा खर्च होने की सम्भावना है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, बच्चा इनका और दायी हम बन गये। अब ये खोज में हमारी पड़ गये। जिसने उस बच्चे का चेहरा देखा, उसी ने मुंह बिचकाया। जिस बच्चे का मुंह इस तरह से हो उसको सुन्दर बनाने के लिए हमको प्लास्टिक सरजरी भी करनी पड़ रही है। मान्यवर, वित्तीय भार के सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारियों, अध्यापकों और निकायों के कर्मचारियों के लिए कमीशन की मौजूदा रिकमन्डेशन मान ली जाय तो वह 71 करोड़ के लगभग होता है।

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात से संतुष्ट हैं कि पे कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित होने के तुरन्त बाद बाजारों मे मूल्य भाव बढ़ जायेंगे ? यदि हां, तो उन पर अंकुश लगाने के लिए क्या आप कोई उपाय सोच रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

काल्पनिक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जायेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, अर्थशास्त्र का नियम है और उसी के तहत में उनसे यह पूछना चाहता हूं कि जैसे ही रिपोर्ट आ जायेगी वैसे ही बाजार भाव बढ़ जायेंगे । इसलिए उन पर अंकुश लगाने की आप सोच रहे हैं ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को पुकारा नहीं गया)

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

श्रीमन्, यह बात स्पष्ट है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद जनता में और कर्मचारियों में असन्तोष फैला हुआ है । मुख्य मंत्री जी जानते हैं और जैसा कि मोहन सिंह जी ने कहा इस सरकार के कई मुंह हैं । इस सरकार और इसके मंत्रि मंडल के लोगों का शरीर ही केवल यहां पर है और दिमाग दिल्ली में हैं

श्री अध्यक्ष--

आप पूछना क्या चाहते हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

ये अपने दिमाग की खोज कर रहे हैं ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिन सिद्धान्तों पर आप चल रहे हैं उनके अनुसार इस सम्बन्ध में भी ऊपर से सूचना आने वाली हैं ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मंत्री जी ने जानकारी दी है कि अभी कुछ और वर्गों से जानकारी लेनी है उनसे परामर्श करना है । मैं जानना चाहता हूं कि जो हमें समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है उसमें मंत्रि-मंडल ने विचार कर लिया है, उसकी सब कमेटी ने भी उस पर विचार कर लिया है और अब मंत्रि-मंडल उस पर अंतिम निर्णय लेने की स्थिति में है, वास्तविक स्थिति क्या है, किन से परामर्श लेने की आवश्यकता पड़ गई, वे कौन-कौन से वर्ग हैं, जिनसे आपको परामर्श करना शेष रह गया है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मैंने निवेदन किया कि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर कई ज्ञापन हमको मिले । उन पर विचार किया गया । अधिकारियों की उप समिति ने उस पर विचार किया । उनकी रिपोर्ट आयी और मंत्रिमंडल के सामने रखी गयी ।

उन्होंने भी उस पर निर्णय लिया है, लेकिन कुछ सैद्धान्तिक बातें 2/3 आवश्यक हैं, जो कि शीघ्र ही पूरी हो जायेंगी, कोई घबड़ाने की बात नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आपने कहा कि वित्तीय भार और कुछ वर्गों आदि के सम्बन्ध में वार्ता करनी है । तो किन-किन से और बात करनी है । मैं उनके नाम जानना चाहता हूं ?

श्री ब्रह्म दत्त--

हम ही समीक्षा कर रहे हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि कर्मचारियों की ओर से उन्हें कोई सूचना मिली है कि अगर 30 सितम्बर तक फैसला नहीं हुआ तो वह 14 अक्तूबर से हड़ताल पर चले जायेंगे ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या सोचा है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मुझे तो कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है और न ही मंत्रिमंडल के सदस्यों ने बताया है कि कोई ऐसी आशंका है ।

संविधान निर्माता डाक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिन पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग

**2--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि संविधान निर्माता डाक्टर भीमराव अम्बेदकर के जन्म दिन (14 अप्रैल) पर गजेटेड छुट्टी घोषित करने का निर्णय हाल ही में शासन ने लिया है ? यदि नहीं, तो शासन इस विषय में विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

जी नहीं ।

राज्य सरकार साधारणतः भारत सरकार द्वारा घोषित अवकाश तथा इस सम्बन्ध में उनके द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों का अनुसरण करती है । डा0 अम्बेडकर की जन्मतिथि 14 अप्रैल के उपलक्ष में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के विषय में भारत सरकार से मार्ग दर्शन करने का अनुरोध किया गया था । इसके उत्तर में भारत सरकार ने यह सूचित किया था कि उनकी यह नीति रही है कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अलावा किसी भी विशिष्ट व्यक्ति के जन्म दिवस पर सरकारी छुट्टी घोषित न की जाय । इस मामले में राज्य सरकार द्वारा भी विचार किया गया और डा0 अम्बेदकर की जन्म दिवस के उपलक्ष में 14 अप्रैल को निर्बन्धित अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया गया है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

भारतीय संविधान के निर्माण में डा0 भीमराव अम्बेदकर के अद्वितीय योगदान को कोई इनकार नहीं करता । यहां प्रश्न यह उठाया गया है कि ऐसे

व्यक्ति के जन्म दिन 14 अप्रैल को गजटेड छुट्टी घोषित किया जाय। माननीय मंत्री जी ने उसके लिए केन्द्र से मार्गदर्शन चाहा। पिछले शासन में, माननीय सेठी जी यहां पर नहीं हैं, इसी सदन में जनता शासन में प्रश्न उठाया था कि गुरुगोविन्द सिंह जी के जन्म दिन को गजटेड छुट्टी घोषित की जाय और यहीं पर उसकी घोषणा कर दी गयी थी। तो किन कारणों से मौजूदा शासन डा0 अम्बेदकर के जन्म दिन को गजटेड छुट्टी घोषित नहीं कर पा रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

कारण बता दिये हैं।

श्री राम आसरे वर्मा—

कोई वैधानिक पहलू होना चाहिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

मैं माननीय सदस्य को एक सूचना देना चाहता हूं कि सन् 1977 में यह मार्ग दर्शन मांगा गया था। 30-11-77 को उसी पर 1978 में जनता पार्टी की सरकार जो केन्द्र में थी, उसने मार्ग दर्शन दिया था।

श्री राम आसरे वर्मा—

मेरा सवाल इस शासन से है उस शासन से नहीं। मेरा स्पष्ट सवाल है कि संविधान के निर्माता डा0 भीमराव अम्बेदकर के जन्म दिन (14 अप्रैल) पर गजटेड छुट्टी घोषित करने का निर्णय हाल ही में शासन ने लिया है ? यदि नहीं, तो शासन इस विषय में विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? मैं हाल का निर्णय पूछ रहा हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी 1977 की बात बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने आपके पूरक प्रश्न का उत्तर दिया।

श्री राम आसरे वर्मा—

यह सिर्फ हरिजन प्रेमी होने का सबूत दे रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं इस निर्बन्धित छुट्टी को जिस रूप में जनता शासन ने गुरु गोविन्द सिंह के जन्म दिन पर गजटेड छुट्टी घोषित किया था उसी रूप में गजटेट छुट्टी घोषित करने पर विचार करेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

उत्तर में स्पष्ट कहा गया है पहले भाग के उत्तर में कि जो नहीं दूसरे भाग में यह कह रहे हैं कि कोई विचार करेंगे तो वह विचार करके ही निर्णय लिया गया है।

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने 1977 के विचार को बता दिया और माननीय राज्य गृह मंत्री जी ने बताया कि विचार करके ही निर्णय लिया गया। तो मैं स्पष्टरूप से जानना चाहता हूं कि आखिर वह कौन से कारण हैं, जिनकी वजह से डा0 अम्बेदकर के जन्म दिन को गजटेड घोषित नहीं कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

बताया तो कारण उन्होंने ।

श्री राम आसरे वर्मा—

जो भी उत्तर मंत्री जी दे स्पष्ट होना चाहिये और उनका वैधानिक पहलू भी होना चाहिये । यह कोई वैधानिक पहलू नहीं था । आपने बताया कि केन्द्र से इस पर मार्ग दर्शन लिया गया था, लेकिन हमने तो उस मसले को उठाया, जिसका सम्बन्ध राज्य सरकार से है । उसका असर केवल अपने प्रदेश पर पड़ेगा न कि पूरे भारत पर । तो इसमें कौन सी अड़चन है कि यह शासन उस पर निर्णय नहीं ले रहा है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

निर्बन्धित अवकाश घोषित किया गया था और माननीय सदस्य को उससे सन्तुष्ट होना चाहिये, क्योंकि यह सरकार स्वतः हरिजनों के हक में काम करती है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मंत्री जी क्या बताने की कृपा करेंगे कि जिस समय माननीय सदस्य के प्रश्न की सूचना पहुंची, उस समय अपने जनता शासन का निर्णय लेकर उसको स्वीकार कर लिया, प्रश्न की प्राप्ति के बाद इस वर्तमान शासन ने भी अपनी कोई नीति निर्धारित करने की कोशिश की या नहीं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

शासन निरन्तर चलता रहता है—चाहे जनता पार्टी आ जाए या कांग्रेस आ जाए । जो भी निर्णय शासन के अन्तर्गत होते हैं, उनके पुराने पहलुओं को देखकर ही वर्तमान में निर्णय किये जाते हैं और....

श्री सुन्दर सिंह—

अम्बेदकर तो अपने अन्तिम समय में बौद्ध हो गये थे । उनके हरिजन होने की कोई बात नहीं है । न उनका कोई रिप्रेजन्टेशन है । क्या आप ही हरिजनों के बड़े समर्थक हैं और हम उनके विरोधी हैं ।

श्री मोहन सिंह—

यह आप अपनों से पूछ लीजिए ।

अतारांकित प्रश्न

टिहरी गढ़वाल में गजा देव प्रयाग मोटर मार्ग पर कण्डार गांव के समीप निर्माण कार्य

1—श्री विद्यासागर नौटियाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल में गजा देव प्रयाग निर्माणाधीन मोटर मार्ग पर कण्डार गांव में निर्माण कार्य क्यों तथा कब से ठप्प पड़ा है ? और विभाग की ओर से उस पर काम जारी करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नोट :—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

श्री अम्मार रिजवी--

टिहरी गढ़वाल में गंगा देव प्रयाग मोटर मार्ग पर कण्डार गांव के पास कि0 मी0 14 में, सन् 1979 की वर्षा में हुए भूस्खलन तथा आई हुई स्लिप के कारण, लगभग 200 मी0 की लम्बाई में मार्ग अवरुद्ध हो गया था। विभागीय भूगर्भवेत्ता द्वारा दिये गये सुझाव के आधार पर अवरुद्ध स्थल पर मार्ग खोलने का कार्य प्रगति पर है।

नारायण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गोरखपुर के प्रधानाचार्य श्री रमाकान्त शुक्ल के चुनाव की वैधता तथा जांच

2--श्री दीनानाथ--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि नरायन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रामपुर पाण्डेय, गोरखपुर की प्रधानाचार्य के चुनाव को उप शिक्षा निदेशक सप्तम मण्डल, गोरखपुर ने अपने आदेश दिनांक 4-7-73 द्वारा स्वीकृत कर दिया था परन्तु शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ने उक्त प्रधानाचार्य के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था ? यदि हां, तो पुनः उप शिक्षा निदेशक, सप्तम मण्डल, गोरखपुर ने अपने आदेश दिनांक 20-3-80 द्वारा उक्त प्रधानाचार्य के चुनाव को वैध घोषित किया है ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं।

नारायन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रामपुर पाण्डेय, गोरखपुर के प्रधानाचार्य के चुनाव को उप शिक्षा निदेशक, सप्तम मण्डल, गोरखपुर ने ही दिनांक 4-7-73 को अस्वीकृत कर दिया था। शिक्षा निदेशक ने भी अपील को अस्वीकृत कर दिया था।

जी हां।

उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर ने बाद में अपने आदेश दिनांक 20-3-80 द्वारा उक्त चुनाव को वैध घोषित किया। उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिविल मिस0 रिट नं0 1973/आफ 1966 को आधार मानकर यह निर्णय दिया है।

3--श्री दीनानाथ--

क्या उक्त प्रधानाचार्य (रमाकान्त शुक्ल) के चुनाव एवं अनुमोदन की कार्यवाही की शिक्षा मन्त्री जी जांच कराकर उचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां।

जांच चल रही है। विधिक राय लेकर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

बागपत, जनपद मेरठ में 'लोकदल' द्वारा चलाये गये सत्याग्रह आन्दोलन में विधायकों तथा कार्यकर्ताओं के विरुद्ध पंजीकृत किये गये अभियोग

4—श्री नरेन्द्र सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि जून, 1980 में बागपत, जनपद मेरठ की घटना को लेकर प्रदेश भर में "लोकदल" ने सत्याग्रह किया था और पुलिस ने विधायकों तथा कार्यकर्ताओं के खिलाफ अनेकों मुकदमें कायम किये ? यदि हां, तो ऐसे कितने मुकदमें इस समय अदालतों के सामने विचाराधीन हैं ? न्यायिक जांच की रिपोर्ट के प्रकाश में उक्त वादों को जारी रखने के प्रति सरकार की क्या नीति है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

बागपत, जनपद मेरठ में जून, 1980 में घटित घटना के सम्बन्ध में 'लोकदल' द्वारा चलाये गये सत्याग्रह आन्दोलन में विधायकों एवं कार्यकर्ताओं के विरुद्ध प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कुल 716 अभियोग पंजीकृत किये गये, जिनमें से 699 अभियोगों का निस्तारण हो चुका है । 13 अभियोग (फैजाबाद–1, मेरठ–7, तथा मुजफ्फरनगर–5) न्यायालयों में विचाराधीन हैं तथा 4 अभियोग (अलीगढ़–1 तथा मेरठ–3) विवेचनाधीन हैं ।

न्यायिक जांच की रिपोर्ट केवल बागपत में हुई घटना के सम्बन्ध में थी जिसको ध्यान में रखते हुये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । जहां तक उक्त कांड को लेकर प्रदेश के अन्य स्थानों पर किये गये आन्दोलन के सिलसिले में आन्दोलनकारियों के विरुद्ध चलाये गये वादों का सम्बन्ध है, शासन उन वादों को वापस लेने के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि आन्दोलनकारियों द्वारा हिंसा, तोड़–फोड़ आदि की कार्यवाहियां की गई थीं ।

श्री दिनेश नारायण श्रीवास्तव, सहायक अध्यापक, क्वींस कालेज, वाराणसी के अवशेष वेतन का भुगतान

5—श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री दिनेश नारायण श्रीवास्तव, सहायक अध्यापक (शिल्प), क्वींस कालेज, वाराणसी के सन् 1965 से चले आ रहे अवशेष वेतन के भुगतान हेतु ट्रिब्युनल कोर्ट के फैसले मुकदमा नं0 149(1)/1977, दिनांक 26 दिसम्बर, 1978 एवं रिवीव अप्लीकेशन के फैसले दिनांक 7–9–79 के बावजूद भी अभी भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो कब तक भुगतान किया जावेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजकीय इन्टर कालेज भृगुखाल, जिला पौड़ी-गढ़वाल के सेवा निवृत अध्यापकों को पेन्शन, ग्रेच्युटी तथा भविष्य निधि का भुगतान

6--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल तथा श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राजकीय इन्टर कालेज, भृगुखाल, जिला पौड़ी गढ़वाल के कौन-कौन अध्यापक दिनांक 30-6-1980 को सेवा निवृत्त हुए हैं ? क्या उनको अभी तक पेन्शन, ग्रेच्युटी तथा भविष्य निधि का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में पुलिस मुठभेड़ में मारे गये दस्युओं की संख्या

7--श्री मोहन सिंह--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में अगस्त, 1980 से जनवरी, 1981 तक पुलिस मुठभेड़ में कितने दस्युओं का संहार किया गया, उसमें आगरा, कानपुर और लखनऊ जिलों में मारे गये दस्युओं की संख्या क्या है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि में उत्तर प्रदेश में 473 दस्यु पुलिस से मुठभेड़ में मारे गये, जिनमें से आगरा जनपद में 32, कानपुर जनपद में 23 तथा लखनऊ जनपद में 4 दस्यु मारे गये ।

जनपद मिर्जापुर में सूखे में परीक्षण कार्यों द्वारा सड़कों का निर्माण

8--श्री विजय सिंह (मिर्जापुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष के सूखे में मिर्जापुर जनपद में परीक्षण कार्यों के द्वारा कितनी लम्बी सड़कों का निर्माण हुआ है और उनके रख-रखाव के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जनपद मिर्जापुर में गत वर्ष के सूखे में परीक्षण कार्यों के द्वारा कोई कार्य नहीं कराया गया है । प्रश्न नहीं उठता है ।

उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल अकबरपुर जिला फैजाबाद की स्थापना के बाद से हुयी हड़तालें

9--श्री जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती', श्री गजेन्द्र सिंह तथा श्री प्रियदर्शी जैतली--

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर जिला फैजाबाद स्थित राज्य कताई मिल में उसकी स्थापना के बाद से कुल कितनी हड़तालें हुईं और उसमें कुल कितने घन्टे मिल बन्द रही, कितनी आर्थिक क्षति हुई ?

श्रम मन्त्री (श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित)--

उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल कं0 1 लि0, अकबरपुर, जिला फैजाबाद की स्थापना अक्तूबर, 1976 में हुई । वहां 15-4-81 तक कुल 23 हड़तालें हुई हैं । उन हड़तालों के फलस्वरूप कुल 7706 घंटे मिल बन्द रही तथा प्रतिष्ठान को लगभग 1,86,36,700·00 रु0 की आर्थिक क्षति उत्पादन हानि के रूप में हुई ।

श्री गुलाब दत्त तिवारी, एस0 डी0 आई0 क्षेत्र खलीलाबाद के विरुद्ध शिकायती-पत्र

10--श्री मोहम्मद नबी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम दुलारे, प्रधानाध्यापक, जू0 हाई स्कूल पच पोखरी, जनपद बस्ती ने कोई प्रार्थना-पत्र गत माह दिसम्बर, 1980 में श्री गुलाब दत्त तिवारी, एस0 डी0 आई0 क्षेत्र खलीलाबाद के विरुद्ध डी0 आई0 बस्ती को इस आशय को दी थी कि श्री गुलाब दत्त तिवारी जब स्कूलों पर आते हैं तो हरिजन और मुसलमान अध्यापकों की कुर्सियों को धुलवा कर ही बैठते हैं ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

गत माह दिसम्बर, 1980 में श्री गुलाब दत्त तिवारी एस0 डी0 आई0 क्षेत्र खलीलाबाद के विरुद्ध श्री राम दुलारे प्रधान अध्यापक जूनियर हाई स्कूल पोखरी जनपद बस्ती का प्रार्थना-पत्र डी0 आई0 बस्ती को प्राप्त हुआ था । शिकायती-पत्र पर जांच की जाने पर आरोप निराधार पाये गये ।

स्वर्गीय श्री केदार नाथ रिछारिया के आश्रितों को जीवन बीमा जी0 पी0 एफ0 तथा ग्रेच्युटी का भुगतान

11--श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चित्रकूट इन्टर कालेज, कर्वी, जिला बांदा के उप प्रधानाचार्य श्री केदार नाथ रिछारिया की मृत्यु लगभग तीन वर्ष पूर्व हो गयी थी ? यदि हां, तो उनकी विधवा पत्नी को अभी तक उनका जीवन बीमा, जी0 पी0 फन्ड तथा ग्रेच्युटी की धनराशि न देने का कारण क्या है ? सभी धनराशि का भुगतान अब कब तक कर दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां, स्वर्गीय श्री केदार नाथ रिछारिया के जीवन बीमा, जी0 पी0 एफ0 (निजी तथा प्रबन्धकीय अंशदान) का भुगतान कर दिया गया है । राजकीय अंश के भुगतान की कार्यवाही हो रही है । वर्तमान नियमों के अन्तर्गत उनके आश्रितों को ग्रेच्युटी अनुमन्य नहीं है ।

मेरठ कालेज छात्र संघ के महामन्त्री श्री विजय कुमार सारस्वत का निष्कासन

12--श्री सुरेन्द्र कुमार--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ कालेज छात्र संघ के महा मन्त्री विजय कुमार सारस्वत को दफा 323, 147 आई0 पी0 सी0 आदि के आधार पर प्राचार्य ने 3 वर्षों से कालेज से निकाल रखा है ? क्या यह सही है कि वह इस केश में मेरठ न्यायालय के श्री हरी सिंह जुडीशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोर्ट नं0 4 मेरठ तारीख 29-10-80 द्वारा उनको बरी घोषित कर दिया गया है ? यदि हां, तो श्री सारस्वत को मेरठ कालेज में प्रवेश न देने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मेरठ कालेज के प्राचार्य से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री विजय कुमार सारस्वत को कालेज में अनुशासन हीनता, दुराचार तथा प्राचार्य एवं अन्य स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार के कारण कालेज से शैक्षिक सत्र 1978-79 में निकाला गया था। पुलिस ने दफा 506, 147 323, 332, 149, 342, 427 आई० पी० सी० के अन्तर्गत इनका चालान किया था। न्यायालय ने श्री सारस्वत को उनके द्वारा क्षमा याचना करने तथा प्राचार्य के साथ हुये राजीनामा के आधार पर दण्डित नहीं किया।

प्राचार्य ने श्री सारस्वत को उक्त कारणों के आधार पर कालेज में प्रवेश नहीं दिया।

यह मामला शासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। अतः प्रवेश के मामले में शासन हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

जनपद टेहरी गढ़वाल के राजकीय हाई स्कूलों एवं राजकीय इन्टरमीडिएट कालेजों में अध्यापकों के रिक्त पद

13--श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टेहरी-गढ़वाल जनपद में राजकीय हाई स्कूलों तथा राजकीय इन्टरमीडिएट कालेजों में कितने-कितने अध्यापकों के पद कब से रिक्त पड़े हैं? उन्हें भरने के लिए शासन की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? उन पर कब तक नियुक्ति कर ली जायेगी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

सेवा निवृत रेंजर श्री गबर सिंह भन्डारी को पेंशन, ग्रेच्युटी, फन्ड आदि का भुगतान

14--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कोटद्वारा पौड़ी गढ़वाल के श्री गबर सिंह भन्डारी, सेवा निवृत्त रेंजर, जो 1976 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं, को आज तक पेंशन, ग्रेच्युटी, फन्ड आदि का भुगतान नहीं किया गया? यदि हां, तो विलम्ब के लिए कौन जिम्मेदार है और क्या उक्त अधिकारी को पेंशन आदि देने का आदेश सरकार तुरन्त जारी करेगी?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां। सेवा निवृत्ति के समय श्री गबर सिंह भन्डारी के विरुद्ध सरकारी धनराशि बकाया थी। अतः उन्हें पेंशन इत्यादि का भुगतान नहीं किया गया। ऐसी परिस्थिति में विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने का प्रश्न नहीं है। पेंशन स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी को इस मामले का तुरन्त निस्तारण करने हेतु निर्देश दिये जा रहे हैं।

शिक्षा विभाग के आवासीय भवनों में अनधिकृत रूप से रह रहे व्यक्तियों को खाली कराने की नोटिस

15—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ में शिक्षा विभाग के जो आवासीय भवन हैं उसमें कौन-कौन व्यक्ति 31 जनवरी, 1981 को अनधिकृत रूप से रह रहे थे तथा इनसे इन भवनों को खाली कराने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

उक्त तिथि को उल्लिखित भवनों में निम्नलिखित व्यक्ति अनधिकृत रूप से रह रहे थे :—

(1) श्री नरेन्द्र बहादुर खरे, भूतपूर्व प्रधानाचार्य, राजकीय इन्टर कालेज, हुसैनाबाद, लखनऊ जो सेवा-निवृत्त हो चुके हैं ।

(2) श्री संत राम वर्मा, भूतपूर्व प्रवक्ता, राजकीय इन्टर कालेज, चरखारी (हमीरपुर) जो सेवा-निवृत्त हो चुके हैं ।

(3) श्री छोटे लाल, भूतपूर्व चपरासी, राजकीय जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कालेज, लखनऊ जो सेवा-निवृत्त हो चुके हैं ।

(4) श्री लालता प्रसाद मिश्र, सहायक अध्यापक जो दिनांक 25 सितम्बर, 1980 को लखनऊ से उत्तरकाशी स्थानान्तरित हो चुके हैं ।

(5) श्री वेद प्रकाश श्रीवास्तव जो दिनांक 17 सितम्बर, 1980 को लिपिक, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी के पद पर स्थानान्तरित हो चुके हैं ।

(6) श्री राम लखन शुक्ल जो दिनांक 11 अगस्त, 1979 को लिपिक, राजकीय दीक्षा विद्यालय, सीतापुर के पद पर स्थानान्तरित हो चुके हैं ।

(7) श्री राम इकबाल, चतुर्थ वर्ग कर्मचारी जिनका स्थानान्तरण काफी पूर्व बलिया जनपद में हो गया था ।

अनधिकृत रूप से रह रहे इन लोगों को भवन खाली करने हेतु नोटिस दी गई थी जिसका अनुपालन न होने पर इन भवनों को खाली कराने हेतु पब्लिक प्रापर्टी ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

आजमगढ़ जनपद में घाघरा के किनारे महुला-गढ़वल बांध को पक्का कराने सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र

16—श्री पंचानन राय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1 अक्तूबर, 1980 जो आजमगढ़ जनपद में घाघरा के किनारे बने महुला-गढ़वल बांध को पक्का कराने से सम्बन्धित है, मुख्य मन्त्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में आवश्यक सर्वेक्षण कराया गया है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

जी नहीं ।

ग्राम सतपुली तल्ली, जिला पौड़ी गढ़वाल की क्षतिग्रस्त गूल की मरम्मत

17—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल तथा श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड ढांगू के अन्तर्गत निर्माणाधीन मोटर मार्ग सतपुली-दुधारखाल के निर्माण के कारण ग्राम सतपुली तल्ली की निजी सिंचाई गूल जो ध्वस्त हो गई है और सिंचाई का कार्य बन्द हो गया है वह गूल कब तक चालू कर दी जायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्नगत क्षतिग्रस्त गूल की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है जिसे शीघ्र ही पूरा कर दिया जायेगा ।

घाघरा नदी पर पुल सर्वेक्षण का कार्य

18—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टाण्डा के पास घाघरा नदी पर पुल बनाने की योजना का वर्तमान प्रारूप क्या है ? इस पुल के सर्वेक्षण का कार्य 1973 में आरम्भ किया गया था परन्तु अब तक प्रगति न होने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी—

घाघरा नदी पर पुल का सर्वेक्षण कराने का कार्य दिसम्बर, 1980 में स्वीकृत हुआ है ।

इस पुल पर 1973 में सर्वेक्षण का कार्य आरम्भ कराने के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

यह धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगी ।

जूनियर हाई स्कूल, सिधारी, आजमगढ़ के सेवा निवृत हुए प्रधानाध्यापक श्री गंगा राय के प्राविडेन्ट फण्ड का भुगतान

19—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि श्री गंगा राय, प्रधानाध्यापक, जूनियर हाई स्कूल, सिधारी, आजमगढ़ ने 30 जून, 1970 को अवकाश ग्रहण कर लिया था और उन्हें आज तक देय प्राविडेन्ट का पूरा भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या प्रमुख कारण हैं तथा शीघ्र भुगतान के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

श्री गंगा राय 30 जून, 1980 को अर्थात् बेसिक शिक्षा परिषद् के गठन के पूर्व ही सेवा निवृत्त हुये थे । उस समय तक अध्यापकों की प्रतिधायी निधि सम्बन्धी लेखा-जोखा, अध्यक्ष, नगरपालिका, आजमगढ़ द्वारा ही रखा जाता था । नगरपालिका द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद् के गठन के पूर्व का लेखा-जोखा पूर्ण न होने के कारण प्रशासक, नगरपालिका द्वारा श्री राय के प्राविडेन्ट फन्ड का अवशेष भुगतान नहीं किया जा सका है । अध्यापकों के खाते में 5,038 रु0 जमा बताया गया है, उसमें से रु0 4,931·94 पैसे का भुगतान हो चुका है । अभी रु0 106·07 पैसे का भुगतान अवशेष है । अध्यापक का उक्त मद का वर्ष 1969-70 से लेजर अपूर्ण है । प्रशासक, नगरपालिका, आजमगढ़ से अनुरोध किया गया है कि वह श्री गंगा राय के प्राविडेन्ट फन्ड की अवशेष धनराशि का भुगतान करने की व्यवस्था करें ।

कु0 शान्ती शर्मा, प्रधानाचार्या, राजकीय बालिका इण्टर कालेज, सण्डीला, हरदोई का स्थानान्तरण

20--श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी--

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि शान्ती शर्मा, प्रधानाचार्या, राजकीय बालिका इण्टर कालेज, सण्डीला, हरदोई अनेकों वर्षों से इस विद्यालय में कार्यरत है ? इनका अभी तक स्थानान्तरण न करने का क्या कारण है ? क्या सरकार इन्हें अविलम्ब स्थानान्तरित करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं। कुमारी शान्ती शर्मा, प्रधानाचार्या, राजकीय बालिका इण्टर कालेज, सण्डीला, हरदोई का स्थानान्तरण दिनांक 23 जून, 1981 को प्रधानाचार्या, राजकीय कन्या इण्टर कालेज, बाराबंकी के पद पर हो गया है।

21--श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

जिला चमोली तथा पौड़ी गढ़वाल में राजकीय हाई स्कूलों व इण्टर कालेजों में अध्यापकों के रिक्त पद

22--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला चमोली तथा पौड़ी गढ़वाल के किन-किन राजकीय हाई स्कूलों तथा राजकीय इण्टर कालेजों में कितने-कितने अध्यापकों के पद दिनांक 1-2-1981 को रिक्त थे तथा उनको न भरने के क्या कारण हैं और कब तक सभी पदों पर नियुक्तियां हो जायेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

दिनांक 1-2-1981 को विद्यालयों तथा उनमें रिक्त पदों की सूची संलग्न है। रिक्त पदों को भरने के निर्देश दे दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 197 पर।)

23 --श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[तीसरे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव की पुलिस के विरुद्ध क्षेत्रीय जनता की शिकायतें

24--श्री बलगंजन सिंह--

क्या गृह मन्त्री को जानकारी है कि अगस्त, 1980 से फरवरी, 1981 तक थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव की पुलिस के विरुद्ध सचिव, गृह, आई० जी० पुलिस, उत्तर प्रदेश को कितनी शिकायतें क्षेत्रीय जनता द्वारा प्राप्त हुयीं ? शिकायतें क्या हैं और उसकी जांच कराई गई ? यदि हां, तो उसकी जांच रिपोर्ट क्या है और सरकार द्वारा उस जांच रिपोर्ट के अनुसार पुलिस के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

प्रश्नगत अवधि में कुल 10 शिकायती-पत्र प्राप्त हुए। इसमें 9 प्रार्थना-पत्रों में निहित आरोप जांच में निराधार पाये गए, अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता। एक प्रार्थना-पत्र जो श्री कुबेर भंडारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिया गया था में भी अंकित अधिकांश आरोप जांच से अप्रमाणित रहे, किन्तु यह जांच कुछ गवाहों के न मिलने के कारण अभी पूरी नहीं हो सकी है। शिकायती-पत्रों का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 203 पर।)

जिला परिषद्, कानपुर के अध्यापकों का बकाये वेतन का भुगतान

25--श्री भीखा लाल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, कानपुर के अध्यापकों का अगस्त, 1972 से पूर्व का एक लाख बहत्तर हजार रुपया बकाया वेतन का परिषद् में जमा है लेकिन उसका भुगतान अभी तक अध्यापकों को नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जिला परिषद्, कानपुर के अध्यापकों का अगस्त, 1972 के पूर्व का वेतनादि के बकाये के भुगतान हेतु 1,10,513 रु० की धनराशि जमा है। जिसमें से 15,731 रु० का भुगतान किया जा चुका है शेष अवशेष प्रकरणों में जिला परिषद्, कानपुर से भुगतान वाउचर्स उपलब्ध न होने के कारण भुगतान नहीं हुआ है।

गोरखपुर एवं वाराणसी मण्डल में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बाढ़ एवं सूखे से हुई क्षतिपूर्ति

26--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर एवं वाराणसी मण्डल के किन-किन सहायताप्राप्त उ० मा० विद्यालयों में बाढ़ एवं सूखे से हुई शुल्क मुक्ति की क्षतिपूर्ति वर्ष 1979-80 एवं 1980-81 में नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्षतिपूर्ति न दिए जाने के क्या प्रमुख कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

वीर स्मारक इण्टर कालेज, बड़ौत, मेरठ में अवैध शुल्क लिये जाने सम्बन्धी शिकायतें

27—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वीर स्मारक इंटर कालेज, बड़ौत, मेरठ में अवैध शुल्क वसूल किये जाने की कोई शिकायतें शिक्षा विभाग एवं शासन को जुलाई, 1979 में प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी से कराई गई तथा उसके क्या परिणाम निकले ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि शिकायतें किनके द्वारा की गयी थीं और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां । प्राप्त शिकायतों की जांच सह जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ द्वारा की गई थी जिन्होंने अवगत कराया है कि अवैध शुल्क लिए जाने का कोई प्रमाण जांच के समय नहीं मिला ।

अवैध शुल्क लिए जाने सम्बन्धी शिकायतें विद्यालय के अध्यापकों द्वारा ही आपसी रंजिस तथा गुटबन्दी के आधार पर की गयी थी । अवैध शुल्क लिये जाने का प्रमाण न मिलने पर किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी ।

गोरखपुर तथा वाराणसी मण्डल में जिला विद्यालय निरीक्षकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत

28—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979 में गोरखपुर तथा वाराणसी मण्डल के किन-किन जिला विद्यालय निरीक्षकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत शिक्षा विभाग एवं शासन को प्राप्त हुयी ? क्या इन शिकायतों की जांच कराई गई, जांच के उपरान्त दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और इनमें कौन-कौन से ऐसे अधिकारी हैं जिसकी पदोन्नति कर दी गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

वाराणसी मण्डल—

1—श्री हृदय कुमार दास, तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया ।

2—श्री अखिलेश चन्द्र शुक्ल, तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक, मिर्जापुर ।

गोरखपुर मण्डल—

1—श्री रामायण सिंह, तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर/बस्ती ।

2—श्री पंचम लाल, तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ ।

जी हां ।

जांचोपरांत निम्नांकित अधिकारियों के विरुद्ध जो कार्यवाही की गयी उसका विवरण सम्बन्धित अधिकारी के समक्ष अंकित है :—

अधिकारी का नाम	कार्यवाही
वाराणसी मंडल—	
(1) श्री हृदय कुमार दास ..	अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन है।
(2) श्री अखिलेश चन्द्र शुक्ल ..	जांच आख्या विचाराधीन है।
गोरखपुर मंडल—	
(1) सर्वश्री रामायण सिंह एवं पंचम लाल ..	जांचोपरान्त दोषी नहीं पाये गये।

उपर्युक्त में श्री रामायण सिंह को प्रोन्नति दी गई है।

गोरखपुर मंडल के गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षकों का ज्ञापन

2 —श्री पंचाननराय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मंडल के गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षकों का कोई ज्ञापन माह नवम्बर, 1980 में शिक्षा सचिव एवं शिक्षा निदेशक को उनके बस्ती जनपद के दौरे के समय प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उनकी प्रमुख मांगें क्या थीं और इस सम्बन्ध में 30-12-80 तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

दिसम्बर, 1980 में शारीरिक शिक्षकों का ज्ञापन शिक्षा सचिव एवं शिक्षा निदेशक को दिया गया था। ज्ञापन की प्रतिलिपि संलग्न* है। इसमें उल्लिखित मांगों पर विचार किया जा रहा है।

रानी महेन्द्र कुमारी सरदार बल्लभ भाई इन्टर कालेज, दिवरा, जनपद सुल्तानपुर को आवर्ती अनुदान तथा अर्थशास्त्र के प्रवक्ता का चयन

30—श्री सुरेश दत्त पालीवाल—

क्या यह सत्य है कि जनपद सुल्तानपुर के तहसील कादीपुर में रानी महेन्द्र कुमारी सरदार वल्लभ भाई इण्टर कालेज, दियरा के नाम कोई शिक्षा संस्था चालू है जिसे शासन से आवर्ती अनुदान लगभग 17/18 वर्षों से प्राप्त होता रहा है ? क्या यह सही है कि यह संस्था सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अन्तर्गत निबंधित नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

संस्था निबंधित है। प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

*(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 204 पर।)

31--श्री सुरेश दत्त पालीवाल--

क्या यह सत्य है कि इस शिक्षा संस्था के प्रबन्ध समिति के व्यवस्थापक ने गत 3-4 माह पहले की अवधि में अर्थशास्त्र के प्रवक्ता का चयन समिति में स्वयं सम्मिलित होकर और एक प्रत्याशी को 50 अंक कर उन्हें नियुक्त कराने में योगदान दिया है ? यदि हां, तो क्या वह प्रत्याशी आरक्षित कोटे में था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

संस्था के प्रबन्धक ने प्रबन्ध समिति के प्रतिनिधि के रूप में प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव के अन्तर्गत अर्थशास्त्र प्रवक्ता के चयन में भाग लिया था । किन्तु उन्होंने चयनित प्रवक्ता को 50 अंक प्रदान कर चयन कराने में योगदान नहीं दिया ।

आरक्षित अभ्यर्थियों के अनुपयुक्त होने से चयन समिति ने कथित प्रवक्ता का चयन किया ।

जनपद गोरखपुर के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्तियों में धांधली, अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें

32--श्री हरिवंश सहाय, श्री कुवेर भण्डारी तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के कितने मान्यता प्राप्त विद्यालयों में माह जुलाई, 1980 से अब तक विज्ञापन द्वारा शिक्षकों की नियुक्तियों में धांधली, अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें स्थानीय अधिकारियों एवं शासन को विधायकों के हस्ताक्षर से प्राप्त हुई हैं ? क्या इनमें इन्टर कालेज, बरहो, सोनवरसा का भी नाम है ? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

पूर्व उत्तर के अभाव में पुनः सूचना एकत्र की जा रही है ।

नेहरू विद्यापीठ इण्टर कालेज रेवतीपुर, गाजीपुर में अनियमितताओं के फलस्वरूप प्रबन्धक को दी गयी नोटिस तथा प्राधिकृत नियंत्रक को नियुक्ति रोकने के आदेश

33--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नेहरू विद्यापीठ इण्टर कालेज, रेवतीपुर, गाजीपुर की अनियमितताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा निदेशक द्वारा माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16-डी (2) के अन्तर्गत प्रबन्धक को अक्तूबर, 80 में नोटिस दी गयी है ? यदि हां, तो उसके प्रमुख बिन्दु क्या हैं ? क्या मन्त्री यह भी बतायेंगे कि उक्त कार्यवाही में विलम्ब क्यों किया जा रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

नोटिस में प्रमुख बिन्दु निम्नवत् हैं :

1--विज्ञान कोष में 1942·70 रुपया का प्रबन्धक द्वारा हड़प लिया जाना ।

2--विज्ञान कोष में कम सामानों को मंगाकर अधिक का बिल प्रस्तुत करना ।

3--विकास निधि के 1870·89 रुपया प्रबन्धक द्वारा हड़प कर जाना ।

4--हरिजन क्षतिपूर्ति की धनराशि को जमा न करके सीधे अपहरण कर लेना ।

5--ऋणों का आदान-प्रदान बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति से करना ।

6--भविष्य निधि का रुपया सम्बन्धित अध्यापकों के खाते में न जमा करना ।

7--मकान भाड़ा की कटौती की धनराशि का भवन पर व्यय दिखाकर 4354.00 रु० का गबन करना ।

8--श्री निलकंठ चतुर्वेदी के वेतन से की गई कटौती की धनराशि 3693.00 रु० को प्रबन्धक द्वारा हड़प किया जाना ।

9--स्थायी निधि में घोटाला आदि ।

उक्त प्रकरण पर कोई विलम्ब नहीं हुआ है । क्योंकि 16-डी (2) की नोटिस प्राप्त होने पर प्रबन्धक ने निर्धारित अवधि के बाद भी एक माह का समय अस्वस्थता के कारण लिया था । इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है ।

34--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जनता इण्टर कालेज, जीवपुर, गाजीपुर में नियुक्त प्राधिकृत नियन्त्रक नवम्बर, 1979 में हटा दिया गया ? और उक्त विद्यालय में पुनः सितम्बर, 80 में प्राधिकृत नियन्त्रक नियुक्त किया गया और उसे दो माह बाद कार्य करने से रोक दिया गया ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं ।

कथित कालेज में नवम्बर, 1979 के पूर्व प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति ही नहीं की गई थी । अतः नवम्बर, 1979 में उसे हटाये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

इस विद्यालय में मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, वाराणसी ने दिनांक 21-9-80 को वेतन वितरण अधिनियम की धारा 6 (3) के अन्तर्गत प्राधिकृत नियन्त्रक की नियुक्ति की थी। प्रबन्धक ने इस नियुक्ति के विरुद्ध दिनांक 26-9-80 को शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश को अपील आयोजित की थी। उस अपील का परीक्षण करने के उपरान्त शिक्षा निदेशक ने अपने निर्णय दिनांक 6-11-80 द्वारा नियन्त्रक की नियुक्ति सम्बन्धी मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, वाराणसी के आदेश को रोक दिया है।

ग्राम समाज इण्टर कालेज, जयनगर, जिगनी, आजमगढ़ की स्पेशल आडिट आख्या

35—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम समाज इण्टर कालेज, जयनगर, जिगनी, आजमगढ़ का स्पेशल आडिट कराने का कोई आदेश शिक्षा निदेशालय द्वारा 25-1-80 को हुआ था तथा आडिट पार्टी ने 15-3-80 से 30-3-80 तक आडिट भी किया ? यदि हां, तो आडिट आख्या के प्रमुख बिन्दु क्या हैं तथा उस पर 15 जनवरी, 1981 तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां, शिक्षा निदेशालय की आडिट इकाई द्वारा सन्दर्भित विद्यालय का स्पेशल आडिट 15-3-80 से 27-3-80 तक कराया गया।

आडिट आख्या में प्रमुख बिन्दु निम्न हैं।

1—शुल्काय लेखा न रखना।

2—ब्याज की आय जमा न करना।

3—प्राभूत का लेखा न रखना।

4—जमींदारी उन्मूलन अनुदान लेखे में जमा न करना।

5—राजकीय अनुदान विद्यालय के संयुक्त खाते में जमा करना।

6—परिषदीय परीक्षा के अंक व प्रमाण-पत्र शुल्क का लेखा न रखना।

7—वेतन वितरण खाते से अनियमित आहरण।

8—छात्रकोषों में संदिग्ध अपहरण एवं

9—अनावश्यक नगद धनराशि हाथ में रखना।

शिक्षा निदेशक द्वारा विद्यालय के अधिकारियों से जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से आडिट आख्या में इंगित त्रुटियों को दूर करने सम्बन्धी अनुपालन आख्या मांगी गई।

श्री चन्द्र मोहन पान्डे, प्रवक्ता, जीव विज्ञान द्वारा सेवाकालीन एल0 टी0 प्रशिक्षण एवं उक्त अवधि के अवकाश का वेतन भुगतान

36—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री चन्द्रमोहन पान्डे, प्रवक्ता, जीवविज्ञान, राजकीय इन्टर कालेज, डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़ में वर्ष 1978 में सेवाकालीन एल0 टी0 प्रशिक्षण प्राप्त किया था ? क्या उनको उक्त प्रशिक्षण अवधि का वेतन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां, 22 मई से 5 जुलाई, 1978 तक सेवाकालीन एल0 टी0 प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उक्त अवधि का देय अवकाश वेतन भुगतान किया जा चुका है।

37--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

[3रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 29 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

टिहरी-गढ़वाल जिले में जिला प्रगति समीक्षा समिति तथा उसकी बैठकें

38--श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को ज्ञात है कि अधिशासी अभियन्ता अस्थायी खण्ड, नरेन्द्र नगर टिहरी, गढ़वाल ने अपने को जिला प्रगति समीक्षा समिति का मन्त्री घोषित करते हुए 7 मार्च, 1981 को कोई मीटिंग आयोजित की है ? यदि हां, तो यह समिति कौन सी है और इसका निर्माण किसके आदेश से कब किया गया और उसके सदस्य कौन-कौन व्यक्ति हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

टिहरी गढ़वाल जिले में जिला प्रगति समीक्षा समिति की बैठक दिनांक 7 मार्च, 1981 को हुई थी। समिति के सचिव अधिशासी अभियन्ता निर्माण खंड भूतपूर्व अस्थायी (खन्ड), नरेन्द्र नगर थे। शासन की ओर से प्रदेश के व प्रत्येक जिले में प्रगति समीक्षा समिति का गठन कार्यालय ज्ञाप संख्या 1015-79/23-सा0 नि0-9-7-एसी/74, दिनांक 26 मार्च, 1979 द्वारा किया गया था। उक्त समिति के प्रत्येक जिले में निम्नलिखित सदस्य हैं।

1--जिले के समस्त विधायक एवं संसद सदस्य।

2--सार्वजनिक निर्माण विभाग के सभी अधिशासी अभियन्ता जिनका कार्य क्षेत्र जिले में पड़ता है।

3--जिले के समस्त उपखंड अधिकारी।

4--जिला विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी विकास।

बोर्ड आफ हाई स्कूल उत्तर प्रदेश 1980 का एक परीक्षाफल न घोषित करने के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

39--श्री तपेश्वर--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बोर्ड आफ हाई स्कूल, उत्तर प्रदेश 1980 अनुक्रमांक 8624 94 का परीक्षाफल घोषित न करने के सम्बन्ध में जुलाई, 1980 से शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो कितने और उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी और कब तक उक्त परीक्षाफल घोषित कर दिए जाने की सम्भावना है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां, तीन प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे। परीक्षार्थी का 1980 का परीक्षाफल संस्कृत के एक प्रश्न-पत्र में अनुपस्थित अंकित कर पूर्ण कर दिया गया तथा नियमानुसार पूरक परीक्षा में विनियम के अन्तर्गत सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की गई।

परीक्षार्थी ने 1981 की परीक्षा एक विषय के स्थान पर सम्पूर्ण विषयों से दी है और उत्तीर्ण घोषित है ।

पर्वतीय जिलों में राजकीय हाई स्कूलों, इन्टर कालेजों, महाविद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

40—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय जिलों में राजकीय हाई स्कूलों, राजकीय इन्टर कालेजों और राजकीय महाविद्यालयों में दिनांक 31-1-81 तक किन-किन विषयों के अध्यापकों के पद कब से रिक्त हैं और इनको न भरे जाने के क्या कारण हैं तथा क्या इन पदों पर नियुक्त किए जाने के लिए स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला मैजिस्ट्रेट को पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी बनाये गये व्यक्तियों की भेजी गयी सूचनायें

41—श्री श्यामलाल बाजपेयी—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 58 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि वह पुलिस अधीक्षक से बन्दी बनायें गये लोगों की सूचना प्राप्त करें जिससे पुलिस पर नियन्त्रण बना रहे ? क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 9 जून, 1980 से 2-2-81 तक बाराबंकी पुलिस अधीक्षक ने जिला मजिस्ट्रेट को बन्दी बनाये गये लोगों की क्या सूचनाएं भेजीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चौधरी नौनिहाल सिंह—

धारा 58 द० प्र० सं० द्वारा विहित सूचना प्रश्नगत अवधि के लिए सामान्य रूप से जिलाधिकारी बाराबंकी को थानाध्यक्षों द्वारा सीधे अथवा पुलिस अधीक्षक के माध्यम से नहीं भेजी गयी है । अब सभी थानाध्यक्षों को सूचना भेजने के लिय निर्देशित कर दिया गया है और अब जिला मजिस्ट्रेट को सूचनायें प्राप्त हो रही हैं ।

अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) वेतनमान में पदोन्नति हेतु अनुसूचित जाति एवं जन जाति के प्रत्यावेदन तथा आरक्षण पद

42—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल तथा श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अधीनस्थ शिक्षा सेवा राजपत्रित वेतनमान रु० 450-950 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सेवारत कितने लोगों के प्रतिवेदन पदोन्नति के लिए 31-1-81 तक शासन को प्राप्त हुये हैं तथा इन पर क्या निर्णय लिया गया है ? और निर्णय लेने में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) वेतनमान में पदोन्नति के लिय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के अध्यापकों के अनेकों प्रत्यावेदन प्राप्त होने पर आरक्षण कोटा के अभ्यर्थियों के लिये निर्धारित अर्हताओं को शिथिल करके प्रोन्नति दिये जाने के सामान्य प्रश्न पर शासन द्वारा विचार किया गया। यह निर्णय लिया गया कि प्रोन्नति हेतु पात्रता की शर्तों को शिथिल न किया जाय किन्तु निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को यह जिम्मेदारी सौंपी जाय कि वह विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा/एल० टी० वेतनमान के पदों [जिससे अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) वेतनमान के पदों पर प्रोन्नति की जाती है] पर कार्यरत कर्मचारियों के स्थायीकरण के मामलों को देखें ताकि अस्थायी पदधारकों को शीघ्र स्थायी करके उनकी प्रोन्नति की जा सके। उक्त निर्णय के फलस्वरूप शिक्षा निदेशक द्वारा अप्रैल, 1981 से अब तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 16 अध्यापकों को स्थायी किया जा चुका है और उनमें से 12 अभ्यर्थियों को अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) में प्रोन्नति दी जा चुकी है।

43--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल तथा श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 1977 से अगस्त, 1980 तक अधीनस्थ शिक्षा सेवा राजपत्रि वेतनमान 450--950 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित थे और कितने-कितने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लोगों को पदोन्नति दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) (वेतनक्रम रु० 450-950) संवर्ग में पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों की वर्तमान संख्या 260 है ? इन पदों में से अनुसूचित जाति के लिये 47 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 5 पद निर्धारित कोटे के अनुसार आरक्षित थे। इन पदों पर नीचे के संवर्ग से पदोन्नति हेतु 10 साल की अविरल सेवा एवं स्थायी होना अनिवार्य अर्हतायें निर्धारित है। इन अर्हताओं को रखने वाले 11 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों एवं एक अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थी को पदोन्नति अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) में दी जा चुकी है। इस प्रकार अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का कोटा 4-3 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का कोटा 0-3 प्रतिशत है। शेष पदों पर पात्र एवं अर्ह अध्यापकों के उपलब्ध न होने के कारण इन पदों पर आरक्षण कोटा पूरा नहीं किया जा सका।

देवरिया जिले में एकोना घाट पर नाव दुर्घटना से हुई मृत्यु

44--श्री भास्कर पाण्डेय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में सन् 1978 में एकोना घाट पर नाव दुर्घटना में 23 व्यक्तियों की मौतें हुई थी तथा उस समय शासन ने वहां पुल बनाने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो आज तक पुल न बनवाने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी, हां। उस समय पुल बनाने की घोषणा नहीं की गई थी।

प्रश्न नहीं उठता।

लाल बहादुर शास्त्री इण्टर कालेज, दरियाबाद में संस्कृत प्रवक्ता के आरक्षित पद हेतु चयन

45—श्री जमुना प्रसाद तथा श्री राम सागर—

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद बाराबंकी अन्तर्गत लाल बहादुर शास्त्री इन्टर कालेज, दरियाबाद के रिक्त आरक्षित संस्कृत प्रवक्ता पद हेतु दिनांक 6-10-80 को दैनिक जनमोर्चा में विज्ञापन प्रकाशित हुआ था जिसमें श्री दयाराम अभ्यर्थी अनुसूचित जाति ने भी प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो उसे चयन न करके सामान्य अभ्यर्थियों से भरने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

दिनांक 8-10-80 को दैनिक जनमोर्चा में विज्ञापन प्रकाशित होने की कोई सूचना प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्थानीय विद्यालय निरीक्षक को नहीं दी गई थी । प्रश्नगत विज्ञापन दैनिक जनमोर्चा तथा दैनिक जागरण में क्रमशः दिनांक 24-9-80 तथा 28-9-80 को प्रकाशित हुआ था । इन विज्ञापनों के आधार पर आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 10-10-80 थी । श्री दयाराम अभ्यर्थी अनुसूचित जाति ने भी प्रार्थना पत्र दिया था जो निर्धारित तिथि 10-10-80 के पश्चात् प्राप्त हुआ था । इसलिये इनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया गया तथा इनका नाम वरीयता सूची में नहीं रखा गया । अतः इनके चयन का प्रश्न नहीं था ।

प्रश्नगत चयन के सम्बन्ध में एक शिकायती-पत्र प्राप्त होने के कारण अभ्यर्थी की नियुक्ति की सूचना स्थानीय विद्यालय निरीक्षक द्वारा स्वीकार नहीं की गई है ।

प्रदेश में जिंक सल्फेट बनाने की इकाइयां तथा इनकी उत्पादन क्षमता

46—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जिंक सल्फेट बनाने की इस समय कुल कितनी इकाइयां कार्य कर रही हैं और उनकी उत्पादन क्षमता क्या है तथा भविष्य में निर्माण हेतु कुल कितनी इकाइयां उद्योग विभाग में रजिस्टर्ड हैं जिन्होंने अभी उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया है ?

श्री नियाज हसन खां—

प्रदेश में जिंक सल्फेट बनाने की इस समय कुल 11 इकाइयां कार्य कर रही हैं और उनकी उत्पादन क्षमता 5156 मी0 टन वार्षिक है ।

भविष्य में उत्पादन हेतु उद्योग विभाग में इस प्रकार की 7 इकाइयां पंजीकृत हुई हैं जिन्होंने अभी उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया है ।

जिला चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में जिला जज के न्यायालय के भवन एवं आवास का निर्माण

47—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या न्याय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में प्रस्तावित जिला जज के न्यायालय के भवन एवं आवास का निर्माण कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

न्याय मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)—

जिला चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में जिला जज के न्यायालय के भवन एवं आवास के निर्माण हेतु प्लान एवं आगणन उच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग से बनवाया जा रहा है। उच्च न्यायालय से उक्त प्लान तथा आगणन प्राप्त होने पर शासन द्वारा कार्य की स्वीकृति दिए जाने पर विचार किया जायेगा।

महाराजा देवी बक्श सिंह इण्टर कालेज, वेलसर, गोंडा में प्रवक्ताओं की संख्या तथा अनुसूचित जाति का आरक्षण

48—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि महाराजा देवी बक्श सिंह इंटर कालेज, वेलसर, गोंडा में प्रवक्ताओं की कुल संख्या क्या है और उनमें अनुसूचित जाति के आरक्षण के अनुसार कितने प्रवक्ता हैं ? क्या आरक्षण का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

कोई नहीं।

जी नहीं।

विद्यालय निरीक्षक की आख्यानुसार अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति अथवा चयन समिति द्वारा उपयुक्त न पाये जाने के कारण ही कोटा पूरा नहीं हुआ।

निकासी मुहर्रिरों की राज्य कर्मचारियों की तरह सहूलियत दिये जाने सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र

49—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 8 सितम्बर, 1980 को उन्हें कोई पत्र दिया गया था, जो कि तराई भावर डिवीजन, रामनगर डिवीजन व हल्द्वानी डिवीजन के सीजनल निकास मुहर्रिरों को नियमित किए जाने व राज्य सरकार के समान अपने कर्मचारियों को दी जाने वाली हर सहूलियत के समान ही उन्हें भी दिए जाने के सम्बन्ध में था ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी हां। निकासी मुहर्रिर, वन विभाग में, वनों से माल की निकासी की, निकासी चौकियों में जांच करने हेतु, कार्य सीजन में प्रतिवर्ष आठ महीने तक के लिए नियुक्त किए जाते हैं। अतः इनको अन्य नियमित राज्य कर्मचारियों की तरह सहूलियत दिया जाना नियमानुसार सम्भव नहीं है। सामयिक (सीजनल) कर्मकारों को विभाग में नियमित नियुक्ति देने के लिए अवर अधीनस्थ वन सेवा नियमावली, 1980 में आवश्यक प्राविधान कर दिया गया है।

"टीचर्स पेमेन्ट सैलरीज ऐक्ट" के अन्तर्गत विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं लिपिक वर्ग का वेतन भुगतान

50—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि "टीचर्स पेमेन्ट सैलरीज ऐक्ट" के अन्तर्गत ऐसा कोई प्राविधान है कि विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं लिपिक वर्गों को आगामी माह की 20 तारीख तक वेतन दिया जाय ? यदि नहीं, तो जनपद शाहजहांपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक ऐसा किस नियम के अन्तर्गत करते हैं, क्या ऐक्ट की धाराओं का उल्लंघन करने पर सरकार दोषी व्यक्ति को दंडित करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

वेतन वितरण में अवरोध उत्पन्न करने के कारण जनपद के 3 विद्यालयों में राजाज्ञा दिनांक 4-7-80 के अनुसार केवल प्रधानाचार्य, प्रधानकर्णिक और कुछ चपरासियों का वेतन रोका गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भदुसुआ ईसापुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सहारनपुर के सेवा निवृत श्री जटाशंकर त्रिपाठी की पेंशन का भुगतान

51—श्री जगदीश सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में भदुसुआ ईसापुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से 19 अक्तूबर, 1968 को श्री जटाशंकर त्रिपाठी 60 वर्ष की आयु पूरी कर सेवा निवृत किए गए और उनको अभी तक न पेंशन दी गई और न उनका अवशेष वेतन सेवा काल का भी नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मिर्जापुर में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी पाठशालायें एवं जूनियर हाई स्कूलों के भवन

52—श्री राम चरण सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर की बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत कितने प्राइमरी पाठशालायें एवं जूनियर हाई स्कूलों के भवन या तो अधूरे हैं या भवन उपलब्ध ही नहीं हैं । सरकार अधूरे भवन को कब तक पूर्ण करायेगी ? एवं बिना भवनों के स्कूलों को कब तक उपलब्ध करायेगी ? उन पाठशालाओं एवं स्कूलों के नाम क्या हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद मिर्जापुर में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित 167 प्राइमरी स्कूलों के और 14 जूनियर हाई स्कूलों के भवन अधूरे हैं जिनका निर्माण जिला

परिषद्, मिर्जापुर ने कराया था। इस समय 530 प्राइमरी स्कूलों के और 73 जूनियर हाई स्कूलों के भवन उपलब्ध नहीं हैं। सदर तहसील मिर्जापुर में 53 अधूरे प्राइमरी स्कूल और 8 अधूरे जूनियर हाई स्कूलों के निर्माण कार्य को पूरा कराने के लिए जिला परिषद्, मिर्जापुर को 11,13,400 रु0 की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। भवन रहित विद्यालयों में से 66 प्राइमरी स्कूल के भवन निर्माण का कार्य और 4 जूनियर हाई स्कूलों के भवन निर्माण का कार्य ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा किया जा रहा है। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भवनहीन विद्यालयों के लिए जैसे-जैसे धन उपलब्ध होता जायेगा इनके निर्माण की स्वीकृति दी जा सकेगी। विद्यालयों की संख्या अधिक होने के कारण उनके नाम की सूची उपलब्ध कराया जाना फिलहाल सम्भव नहीं है।

देवरिया जिले के अन्तर्गत शुगर फैक्ट्री में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को देय वेतन

53--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के अन्तर्गत शुगर फैक्ट्री में डेली वेजेज के कार्यरत कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन कितना दिया जा रहा है ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

देवरिया जिले में स्थित चीनी के कारखानों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को पिछले पेराई मौसम में 1 जनवरी, 1981 से 476·60 रु0 मासिक के हिसाब से मजदूरी देय थी, जो लगभग 18·33 रु0 प्रति दिन होती है। जांच से यह ज्ञात हुआ है कि पेराई के मौसम में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की संख्या नियोजकों द्वारा बढ़ाई जाती है और उन्हें देय दैनिक वेतन से कम मजदूरी दी जाती है, किन्तु इस सम्बन्ध में श्रमिकों अथवा किसी श्रमिक संघ द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई। दिनांक 1 जुलाई, 1981 से न्यूनतम वेतन, परिवर्तनीय मंहगाई भत्तों में हुई वृद्धि को सम्मिलित करते हुए, 502·60 रु0 मासिक हो गया है। श्रम निरीक्षकों को निर्देश दे दिए गये हैं कि वे जांच करके कम मजदूरी देने वाले नियोजकों के विरुद्ध अनुचित कटौती सम्बन्धी डाइरेक्शन बाद दायर करें।

श्री नरपति सिंह इन्टर कालेज, माधोगंज, हरदोई की प्रबन्ध समिति तथा उसका चुनाव

54--श्री हरिद्वार पाण्डेय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री नरपति सिंह इन्टर कालेज, माधोगंज, हरदोई में कितनी प्रबन्ध समितियां चल रही हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

श्री नरपति सिंह इन्टर कालेज, माधोगंज (हरदोई) में इस समय एक प्रबन्ध समिति चल रही है।

55—श्री हरिद्वार पान्डेय—

क्या यह सही है कि श्री नरपति सिंह इन्टर कालेज, माधोगंज, हरदोई में जुलाई, 1980 में प्रबन्ध समिति का जो निर्वाचन हुआ क्या वह अवैधानिक है ? यदि हां, तो जिला विद्यालय निरीक्षक ने अभी तक सदस्यों का व्यक्तिगत सत्यापन क्यों नहीं किया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जिला विद्यालय निरीक्षक, हरदोई ने सूचित किया है कि जुलाई, 1980 में प्रबन्ध समिति का चुनाव हुआ ही नहीं है । अतः शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

कांस्टेबिल गोपाल जी को चोट लगने सम्बन्धी जी0 डी0 में दर्ज तथ्य तथा दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही

56—श्री गोपी नाथ वर्मा—

प्रथम सत्र 1981 के पहले मंगलवार दिनांक 3 फरवरी, 1981 के अता0 प्रश्न 29 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि जी0 डी0 में कांस्टेबिल गोपाल जी को चोट आना एवं सदर अस्पताल डाक्टरी मुआयना हेतु भेजना दर्ज है तथा सत्र 1980 के 6वें मंगलवार दिनांक 7 अक्तूबर, 1980 के अतारांकित प्रश्न 12 के उत्तर में सम्बन्धित अधिकारी ने केवल न्यायालय के ही सिपाहियों द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्रों में मात्र चोट आने की बात ही दर्ज होना बताया है तथा जी0 डी0 में दर्ज उपरोक्त पूर्ण तथ्य को प्रकट नहीं किया है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री ऐसे दोषी अधिकारी को अविलम्ब निलम्बित करके उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करके सदन को अवगत करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

प्रथम सत्र 1980 के छठे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 12 में जी0 डी0 में दर्ज तथ्यों के बारे में कुछ नहीं पूछा गया था, अतः प्रश्नोत्तर में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया था । चूंकि प्रथम सत्र 1981 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 29 में जी0 डी0 के बारे में पूछा गया था इसलिए वांछित सूचना प्रश्नोत्तर में दी गई थी । अतः प्रश्नोत्तर में पूर्ण तथ्य को प्रकट न करने तथा दोषी अधिकारी को निलम्बित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

57—श्री गोपी नाथ वर्मा—

प्रथम सत्र 81 के मंगलवार दिनांक 3-2-81 में अतारांकित प्रश्न 20 के उत्तर के सन्दर्भ से क्या सरकार यह बतलायेगी कि प्रार्थना-पत्र में वर्णित घटनाओं के लिए अब कौन-कौन सी धारायें लगाई गयी हैं ? इसके पूर्व घटना के समय लेखक प्रथम सूचना द्वारा आवश्यक धारायें न लगाने का क्या कारण था ? क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों .

चौधरी नौनिहाल सिंह--

प्रश्नगत मामले में विवेचना के दौरान 13 जुआ ऐक्ट के अतिरिक्त 147, 353, 332 व 224 भा० दं० वि० की धाराएं लगायी गयीं। इस मामले में विवेचनोपरान्त अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 5-4-81 को प्रेषित की गयी। प्रारम्भ में ही ठीक धाराएं न लगाने के संबंध में दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

कार्यालय रजिस्ट्रार, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों का स्थायीकरण

58--श्री राधेश्याम पटेल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय रजिस्ट्रार, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में तृतीय श्रेणी के कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी सेवाएं 17 वर्ष से अधिक होने पर भी अभी तक स्थायी नहीं किए जा सके हैं ? यदि हां, तो इस शिथिलता के क्या कारण हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

केवल तीन कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें विभागीय कार्यवाही एवं न्यायाधिकरण में याचिका लम्बित होने तथा प्रतिकूल प्रविष्टियों के कारण स्थायी नहीं किया जा सका है।

बांदा हमीरपुर रोड का निर्माण

59--श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बांदा से हमीरपुर रोड वाया सुरौली मटौंध-कपसागत 4 वर्षों से निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो यह सड़क कब तक बन जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

इस नाम की कोई सड़क निर्माणाधीन नहीं है।

जनपद गोरखपुर में अध्यापकों की नियुक्तियों के संबंध में शिकायतें

60--श्री भगवानदीन कुशवाहा तथा श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1980 के चौथे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 162 दिनांक 23-9-80 के क्रम में क्या शिक्षा मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि माह जुलाई, 80 से अब तक फर्जी व नियम विरुद्ध अध्यापकों आदि की नियुक्ति के संबंध में जनपद गोरखपुर से कितनी गम्भीर शिकायतें जनता व विधायकों से प्राप्त हुई और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? तथा ऐसे विद्यालय कौन-कौन से हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

सनातन धर्म बालिका इन्टर कालेज, मेरठ केन्द्र की रंजन कला विषय की गुम पुस्तिकाएं

61--श्री नरेन्द्र सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 198 0में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् की रंजन कला विषय की शहर मेरठ की छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं गुम हैं और इस कारण से उनका परीक्षाफल रुका हुआ है ? यदि हां, तो उक्त विषय के हजारों छात्रों का परीक्षाफल कब तक घोषित होगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं । इंटरमीडिएट परीक्षा के सनातन धर्म बालिका इन्टर कालेज, लाल कुर्ती, मेरठ केन्द्र की केवल 9 व्यक्तिगत परीक्षार्थिनियां ऐसी थीं जिनके रंजन कला प्रथम प्रश्न के प्राप्तांक उपलब्ध न होने के कारण परीक्षाफल अपूर्ण थे । केन्द्र से उनके उपस्थिति की पुष्टि कराने के पश्चात उनका परीक्षाफल नियमान्तर्गत पूर्ण कर दिया गया है तथा उसकी सूचना भी सम्बन्धित केन्द्र को भेज दी गई है ।

जौनपुर जनपद में लटाऊवीर से नौपेड़वा मार्ग पर पीली नदी पर पुल निर्माण

62--श्री जंगबहादुर तथा श्री तेजबहादुर सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को ज्ञात है कि जौनपुर जनपद में लटाऊवीर से नौपेड़वा मार्ग पर मई, 1980 में पीली नदी पर पुल निर्माण का कार्य शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो पुल का निर्माण किन कारणों से रुका हुआ है ? क्या मन्त्री जी शीघ्र पुल निर्माण का कार्य प्रारम्भ करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी, नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

धनाभाव के कारण ।

जनपद जालौन में डाकुओं द्वारा व्यक्तियों का अपहरण

63--श्री दलगंजन सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद जालौन में सन् 1980 से माह जनवरी, 1981 तक कितने व्यक्तियों को डाकुओं द्वारा पकड़ा गया और कितने व्यक्तियों की हत्या इसी अवधि के दौरान डाकू दलों द्वारा की गई ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद जालौन में 1 जनवरी, 1980 से 31 जनवरी, 1981 तक बयालिस व्यक्तियों का डाकुओं द्वारा अपहरण किया गया । इसी अवधि में डाकू दलों द्वारा चौवालिस व्यक्तियों की हत्या की गई ।

बेसिक शिक्षा परिषद् गाजीपुर में शिक्षकों को अनिवार्य जमा योजनान्तर्गत काटी गई धनराशि का भुगतान

54—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मन्त्री बतायेंगे कि गाजीपुर जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत कार्य करने वाले शिक्षकों को अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत काटी गई धनराशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसका भुगतान कब तक कर दिया जायगा और क्या विलम्ब के लिए उत्तरदायी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए सरकार विचार करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

गाजीपुर जनपद के बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत कार्य करने वाले नगर क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों को पुराने अनिवार्य जमा योजना की धनराशि का सम्पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। नगर क्षेत्र के अध्यापकों को नये अनिवार्य जमा योजना की तीन किश्तों का भुगतान किया जा चुका है। नगर क्षेत्र के अध्यापकों को नये अनिवार्य जमा योजना की एक किश्त तथा ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों को नये अनिवार्य जमा योजना की चार किश्तों का भुगतान करना शेष है। जिसके भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। अनिवार्य जमा योजना की धनराशि का बिल रीजनल प्राविडेन्ट फन्ड कमिशनर, कानपुर के कार्यालय द्वारा पारित होने पर ही भुगतान किया जाता है और उपरोक्त भुगतान प्राप्त करने हेतु बिल उनको प्रस्तुत किये गये, जो आपत्तियों के साथ लौटा दिये गये, जिस कारण भुगतान में विलम्ब हुआ है।

शिक्षा विभाग में हिल कैडर में पर्वतीय जिलों में नियुक्तियों की सूची

65—श्री बल्देव सिंह आर्य—

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग में हिल कैडर में पर्वतीय जिलों में कब से नियुक्तियां शुरू की गयी हैं और तब से अब तक कुल कितनी नियुक्तियां हुई हैं ? क्या सरकार नियुक्तियों की जिलेवार सूची देने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

दिनांक 6 अगस्त, 1981 से अब तक कुल 236 तदर्थ नियुक्ति-पत्र जारी किये गये हैं। जिलेवार सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 207 पर।)

प्रदेश के आई० ए० एस० अधिकारियों को स्वीकृत भवन निर्माण अग्रिम

66—श्रीमती धनेश्वरी देवी—

क्या मुख्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि पिछले दस वर्षों में प्रदेश में आई० ए० एस० अधिकारियों को मकान बनवाने के लिए अलग-अलग कितना लोन (कर्ज) दिया गया कितनों ने मकान बनवाए तथा कितनों ने अभी तक नहीं बनवाये उसमें कितने अधिकारी अपने मकान में रहते हैं ? क्या इस स्थिति को माननीय मन्त्री जी अलग-अलग नाम व पते के साथ प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

पिछले 10 वर्षों में (1970-71) से 83 आई0 ए0 एस0 अधिकारियों को कुल 48,01,562 रुपये भवन निर्माण अग्रिम स्वीकृत किया गया। प्रत्येक अधिकारी को अलग-अलग स्वीकृत राशि की सूचना संलग्नक (क) में दी गयी है। इनमें से 17 अधिकारी सेवा निवृत्त हो गये तथा 2 अधिकारियों का निधन हो गया है। शेष 64 आई0 ए0 एस0 अधिकारियों में 45 अधिकारियों से सूचना प्राप्त हो गयी है जो निम्न प्रकार है :

(1) 24 अधिकारियों ने मकान बनाया (संलग्नक "ख")।

(2) 21 अधिकारियों के निर्माणाधीन हैं उनमें से दो ने अभी तक भूमि क्रय की है (संलग्नक "ग")।

(3) 2 अधिकारी अथवा उनके कुटुम्ब अपने मकान में रहते ह (संलग्नक "घ")।

(देखिये नत्थी 'ङ' अगले पृष्ठ 208 पर।)

जनपद फर्रुखाबाद के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में त्रिभाषा सूत्री कार्यक्रम तथा उर्दू अध्यापकों के वेतन भुगतान में विलम्ब

67--श्री तेजबहादुर गंगवार--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में कितने मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं जिनमें त्रिभाषा सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत उर्दू अध्यापक हैं ? क्या बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीनस्थ उर्दू अध्यापकों के वेतन न भुगतान होने से सम्बन्धित कोई शिकायत शिक्षा निदेशक को सन् 1979 में प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कन्या प्राइमरी पाठशाला, रोशनाबाद की अनुपस्थित अध्यापिका को वेतन भुगतान तथा अध्यापक व अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण

68--श्री तेजबहादुर गंगवार--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के ब्लाक शमसाबाद के कन्या पाठशाला, रोशनाबाद की किसी अध्यापिका को जो एक वर्ष से विद्यालय में उपस्थित नहीं हो रही है नियमित रूप से वेतन भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो कैसे सम्बन्धित वेतन बिल किस अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद फर्रुखाबाद के शमसाबाद ब्लाक के कन्या प्राइमरी पाठशाला, रोशनाबाद में कोई ऐसी अध्यापिका नहीं है जो एक वर्ष से विद्यालय में उपस्थित नहीं हो रही है और उसे वेतन भुगतान हो रहा हो। वर्णित स्थिति म किसी अधिकारी द्वारा वेतन बिल प्रमाणित किए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

69—श्री तेजबहादुर गंगवार—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीनस्थ कितने अध्यापक/अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण सितम्बर, 1979 से 1-2-81 तक किए गये और क्यों ? और कौन सी प्रक्रिया अपनाई गयी तथा सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

बेसिक शिक्षा परिषद् जनपद फर्रुखाबाद में प्राइमरी विद्यालयों के अध्यापक/अध्यापिकाओं के 332 स्थानान्तरण एवं जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों के 16 स्थानान्तरण इस प्रकार कुल 348 स्थानान्तरण बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा गठित जिला समिति की स्वीकृति के आधार पर किए गये ।

टेरीकाट उद्योग हेतु मऊरानीपुर क्षेत्र में कलेन्डरिंग एवं पालिशिंग मशीन लगाने का निर्णय

70—श्री भागीरथ तथा श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या झांसी जनपद के मऊरानीपुर क्षेत्र में टेरीकाट उद्योग के लिए कलेन्डरिंग एवं पालिशिंग मशीन लगाने का शासन ने निर्णय कर लिया है ? यदि हां, तो उक्त उद्योग कब तक लग जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नियाज हसन खां—

अभी तक इस प्रकार का कोई निर्णय शासन द्वारा नहीं लिया गया है । वैसे इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद के अधिकारियों के विरुद्ध सी0आई0डी0 जांच

71—श्री रमाकान्त मिश्र—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद के अधिकारियों के विरुद्ध पिछले 2 वर्षों में की गयी शिकायतों पर सी0 आई0 डी0 जांच कराई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जी नहीं । सामान्यतया विभागीय जांच के निष्कर्ष प्राप्त होने के बाद ही तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अन्य स्रोतों से (जैसे सी0 आई0 डी0 अथवा सतर्कता अधिष्ठान) जांच कराई जा सकती है ।

पिछले दो वर्षों में आयोग के अधिकारियों के विरुद्ध कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई थी जिनमें से एक शिकायत को निराधार पाते हुए मामला समाप्त कर दिया गया । एक अन्य शिकायती पत्र आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष को जांच हेतु भेजा गया था जिसके सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग के वर्तमान सचिव एवं अध्यक्ष का यह उत्तर प्राप्त हुआ कि उससे सम्बन्धित अभिलेख उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं है । अग्रिम छानबीन के आदेश दिये गये हैं । अतः इस स्तर पर सी0 आई0 डी0 जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शिव कुमार त्रिपाठी, शिक्षा अवीक्षक का प्रशासनिक आधार पर उन्नाव से हापुड़ स्थानान्तरण

72—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि शासनादेश संख्या 1758/तीन-15(2)-78—टी० सी० सा० प्र० अ० दिनांकित 2 जून, 1980 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों, मण्डलायुक्तगण, प्रशासक नगर महापालिका तथा विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया गया था कि वह जनगणना में लगे हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्थानान्तरण 1 जुलाई, 1980 से अप्रैल, 1981 तक करें? यदि हां, तो जनगणना मे लगे हुए श्री शिव कुमार त्रिपाठी, शिक्षा अधीक्षक, वाराणसी का हापुड़ स्थानान्तरण करने का क्या औचित्य है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

श्री शिव कुमार त्रिपाठी शिक्षा अवीक्षक का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर उन्नाव से हापुड़ किया गया था और संदर्भित शासनादेश में निर्गत निर्देशों क अवहेलना नहीं की गई है ।

श्री श्याम सुन्दर लाल श्रीवास्तव, तत्कालीन रेन्ज अधिकारी, बांदा वन प्रभाग के विरुद्ध आरोपों की जांच

73—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या वन मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि श्री श्याम सुन्दर लाल श्रीवास्तव, तत्कालीन रेन्ज अधिकारी कर्वी, कर्वी रेन्ज, बांदा वन प्रभाग बांदा के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाते हुए श्री मुहम्मद आरिफ फारेस्टर ने एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 13-8-1979 को तत्कालीन मुख्य मन्त्री को प्रेषित किया था तथा जिसकी पुष्टि में एक प्रार्थना-पत्र श्री देव कुमार यादव, भूतपूर्व विधायक, जनपद बांदा से भी माह सितम्बर, 1979 को प्रेषित किया था ? उक्त प्रार्थना-पत्रों पर क्या जांच सम्पूर्ण की गई तथा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी नहीं । श्री मोहम्मद आरिफ, फारेस्टर का कथित प्रार्थना-पत्र दिनांक 13-8-1979 तथा उसकी पुष्टि में श्री देव कुमार यादव, भूतपूर्व विधायक, जनपद बांदा का पत्र दिनांक सितम्बर, 1979 वन विभाग में प्राप्त नहीं हुए हैं । अतः जांच करने तथा उक्त पत्रों के आधार पर कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

अशासकीय इन्टर कालेजों तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का प्रान्तीयकरण तथा प्रधानाध्यपकों का लोक सेवा आयोग द्वारा चयन

74—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल तथा श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1975 और उसके पश्चात् शासन द्वारा जिन शासकीय माध्यमिक विद्यालयों का प्रान्तीयकरण किया गया है, उनके प्रधानाचार्यों एस० ई० एस० एवं एल० टी० वेतनमान के अध्यापकों की लोक सेवा

आयोग द्वारा चयन की प्रक्रिया 1-1-81 तक किन कारणों से पूर्ण नहीं हुई है ? जिन विद्यालयों का प्रान्तीयकरण 1-1-77 से पूर्व हो गया था उनके प्रधानाचार्यों और अध्यापकों का अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति नियमतीकरण कब हो जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

वर्ष 1975 से अब तक 63 अशासकीय इन्टर कालेजों एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का प्रान्तीयकरण हुआ है। दिनांक 31 जनवरी, 1981 तक 13 प्रधानाध्यापकों का, विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा वेतनक्रम के 36 अध्यापकों तथा एल0 टी0 वेतनक्रम के 138 अध्यापकों का चयन लोक सेवा आयोग के माध्यम से हो चुका है। शेष प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यकों, विशेष अधीनस्थ शिक्षा वेतनक्रम तथा एल0 टी0 वेतनक्रम के अध्यापकों के सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग के परामर्शानुसार प्रान्तीयकृत विद्यालयों के अध्यापकों के समायोजन की नियमावली के प्रख्यापित होने के पश्चात् ही आयोग द्वारा चयन करना सम्भव होगा। दिनांक 1 जनवरी, 1970 के पूर्व प्रान्तीयकृत किए गए विद्यालयों के प्रधानाचार्यों/अध्यापकों पर विनियमितीकरण नियमावली दिनांक 14 मई, 1979 लागू नहीं होती, क्योंकि यह नियमावली सीधी भर्ती द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्त किए गए व्यक्तियों पर ही लागू होती है।

75—श्रीमती गौरी देवी—

[2रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 24 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

तहसील कैसरगंज में बालिकाओं हेतु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने पर विचार

76—श्री सुन्दर सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि जनपद बहराइच के तहसील कैसरगंज में बालिकाओं के अध्ययन हेतु कोई उ0 मा0 विद्यालय नहीं है ? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा बालिकाओं की शिक्षा हेतु तहसील कैसरगंज में कोई उ0 मा0 विद्यालय खोला जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

सीमित वित्तीय संसाधनों एवं भौतिक लक्ष्यों के कारण कैसरगंज में बालिकाओं के लिए उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने के प्रश्न पर विचार किया जाना अभी संभव नहीं है।

बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन कार्यरत शिक्षकों की प्राविधायी निधि का लेखा जोखा

77—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि बेसिक शिक्षा परिषद्, आजमगढ़ में कार्यरत शिक्षकों के प्राविधायी निधि का हिस्सा केवल 1975 तक तैयार है—जिसके कारण अवकाश ग्रहण करने वाले शिक्षकों को प्राविडेन्ट फण्ड का भुगतान नहीं हो पा रहा है ? क्या यह भी सही है कि अध्यापकों से वर्ष 1979-80 में पास बुकें ली गयी थीं जो पूरी करके आज तक उन्हें वापस नहीं की गयीं हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन कार्यरत शिक्षकों की प्राविधायी निधि का हिसाब वर्ष 1975 तक लेजर में दर्ज किया जा चुका है। सेवा निवृत शिक्षकों के प्रावीडेंट फन्ड का लेखा पूर्ण कराकर उसका भुगतान किया जा रहा है ।

जी हां ।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सहसों का भवन तथा विज्ञान के अनुपलब्ध उपकरण

78—श्री धनीराम वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि इटावा जनपद के पार पट्टी क्षेत्र के सुदूर अंचल में स्थित ग्राम सहसों में एक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय साहित्यिक एवं विज्ञान वर्ग के विषयों को शिक्षा प्रदान करने हेतु खोला गया है ? यदि हां, तो 6 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी अभी तक विद्यालय का भवन न निर्माण कराये जाने और विज्ञान उपकरण न उपलब्ध कराये जाने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

विद्यालय भवन हेतु भूमि की हदबन्दी न होने तथा भूमि चयन समिति की आख्या प्राप्त न हो सकने के कारण भवन के निर्माण-कार्य की दिशा में कोई कार्यवाही किया जाना संभव नहीं हो सका है ।

विद्यालय में विज्ञान का कोई छात्र नहीं है । अतः विज्ञान उपकरण उपलब्ध कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बदायूं के पंडित जवाहर लाल नेहरू जिला परिषद् हायर सेकेण्डरी स्कूल में अध्यापक एवं प्रधानाचार्य में झगड़ा क्या अवशेष अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य

79—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि जनपद बदायूं के नगर क्षेत्र कुबरगांव के पंडित जवाहर लाल नेहरू जिला परिषद् हायर सेकेण्डरी स्कूल में लगभग दो साल से 4 अध्यापक और एक प्रधानाचार्य आपस में झगड़ा करने व मार-पीट करने के कारण निलम्बित चल रहे हैं ? यदि हां, तो छात्रों की पढ़ाई के लिए सरकार ने दो साल से क्या प्रबन्ध किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्रश्नगत विद्यालय के चार अध्यापक एवं प्रधानाचार्य आपस में झगड़ा व मारपीट करने के कारण निलम्बित थे जिन्हें अब सेवा में ले लिया गया है । निलम्बन काल में अवशेष अध्यापकों से अध्यापन कार्य कराया गया ।

झांसी तथा समथर के राजकीय इन्टर कालेजों में अध्यापक एवं कर्मचारियों की दक्षता पार रोक

80—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इन्टर कालेज समथर तथा राजकीय इन्टर कालेज, झांसी एवं राजकीय सूरज बालिका इन्टर कालेज, झांसी के अध्यापक एवं कर्मचारियों के गत तीन वर्षों से दक्षता रोक पार नहीं हुई है ? इसके क्या कारण हैं और ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है ? तथा कब तक इसे पार करा दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला मुरादाबाद, अलीगढ़, इलाहाबाद तथा अन्य जिलों में पुलिस फायरिंग से मृत व्यक्ति

81—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि माह अगस्त से 30 नवम्बर, सन् 1980 तक मुरादाबाद, अलीगढ़, इलाहाबाद और अन्य शहरों में कितने लोगों की जाने पुलिस फायरिंग में गयीं तथा कितने लोग गायब हैं ? क्या उनके नाम पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि में जिला मुरादाबाद, अलीगढ़, इलाहाबाद तथा अन्य जिलों में पुलिस फायरिंग में कुल 19 व्यक्ति मारे गये जिनमें से 7 व्यक्तियों के नाम ज्ञात नहीं हो सके तथा 39 व्यक्ति गायब हुए पाये गये ।

मारे गये तथा गायब व्यक्तियों के नाम संलग्न सूची में अंकित हैं ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 214 पर ।)

बागपत जिला मेरठ के माया त्यागी काण्ड की घटना के लिये उत्तरदायी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को पुरस्कृत करने का प्रस्ताव

82—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि 18 जून, सन् 1980 को बागपत, जिला मेरठ की माया त्यागी काण्ड की घटना के दोषी पुलिस कर्मचारियों को तुरन्त पुरस्कृत करने का प्रस्ताव पुलिस विभाग द्वारा किया गया था ? यदि हां, तो उस प्रस्ताव को किसने प्रारम्भ (इनवाइट) किया था और सरकार ने उस पर कब सहमति दी तथा नाम और ओहदा सहित किन-किन पुलिस कर्मचारियों को कितना-कितना इनाम देने का प्रस्ताव हुआ था ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

दिनांक 18 जून, 1980 को बागपत जिला मेरठ के माया त्यागी काण्ड की घटना के लिये उत्तरदायी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को पुरस्कृत करने का प्रस्ताव ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ ने दिनांक 19-6-80 को इस घटना का

विवरण देते हुये पुलिस उप महानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को भेजा था । प्रस्ताव में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को रुपया 1000 (एक हजार) का पुरस्कार स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया था किन्तु पुलिस उप महानिरीक्षक ने यह पुरस्कार स्वीकृत नहीं किया और न उन्होंने पुलिस महानिरीक्षक को अग्रसारित ही किया । पुलिस विभाग की ओर से शासन को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया था । अतएव शासन द्वारा सहमति प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

विधान सभा के माननीय सदस्यों के दोहरे वेतन के औचित्य पर विचार

83--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा के कितने सदस्य ऐसे हैं जो सदस्य के रूप में वेतन भत्तों के साथ-साथ मान्यता एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों से भी वेतन प्राप्त कर रहे हैं ? और इस दोहरे वेतन का औचित्य क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचनानुसार विधान सभा के ऐसे माननीय सदस्यों की संख्या 22 है । गोरखपुर जनपद के माननीय सदस्य, श्री फिरंगी प्रसाद विशारद के वेतन के आहरण से सम्बन्धित स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो सकी । इसे स्पष्ट कराया जा रहा है । दोहरे वेतन के औचित्य पर विचार किया जा रहा है ।

भारतीय शिशु मन्दिर सण्डीला हरदोई का अनुदान बन्द कर दिये जाने सम्बन्धित प्रत्यावेदन

84--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि भारतीय शिशु मन्दिर, सण्डीला, हरदोई का अनुदान बन्द कर दिये जाने के विरुद्ध फरवरी, 1978 में एक प्रत्यावेदन डा० राम आसरे तिवारी की ओर से निदेशक शिक्षा विभाग को भेजा गया ? यदि हां, तो अब तक निर्णय न किए जाने के क्या कारण हैं और निर्णय कब तक हो जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

थाना सिधौली, जिला शाहजहांपुर के दो पुलिस सब इंस्पेक्टरों के विरुद्ध कार्यवाही तथा घटना के विवरण की जांच

85--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि थाना सिधौली, जिला शाहजहांपुर के दो पुलिस सब-इंस्पेक्टरों द्वारा माह अक्तूबर, 1980 के मध्य के आस पास आठ हजार रुपये की मालियत का सामान एक सर्राफ से लूट लिया गया जिसके विरोध में स्थानीय सर्राफ कमेटी ने जुलूस निकालकर सम्बन्धित सब इंसपेक्टरों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की ? यदि हां, तो घटना के विवरण क्या है और सर्राफों की मांग पर क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां। दिनांक 9/10-10-80 की रात 11-00 बजे एक सर्राफ से जब वह अपने भतीजे के साथ 3.91 किलोग्राम चांदी कच्ची लेकर सिक्का ढलवाने के लिए दिल्ली जाने के लिए स्टेशन जा रहा था तब स्टेशन के निकट पहुंचते ही थाना सिधौली के दो सब इन्सपेक्टरों द्वारा धमकी देकर 3.91 किलोग्राम चांदी छीन ली गई। उक्त सर्राफ की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 971 अन्तर्गत धारा 392 आई0 पी0 सी0 दिनांक 10-10-80 को 10-15 पर उक्त दोनों सब इन्सपेक्टरों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया और उसके तुरन्त बाद ही दोनों उप निरीक्षकों को निलम्बित कर दिया गया था। विवेचनोपरांत आरोप सिद्ध होने पर दोनों उप निरीक्षकों के विरुद्ध-पत्र दिनांक 7-2-81 को न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया है। मामला अब न्यायालय में विचाराधीन है।

लखनऊ-रायबरेली मार्ग पर राज्य परिवहन निगम की बस लूटने की दुर्घटना

86--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि अगस्त, 1980 के तीसरे सप्ताह में लखनऊ-रायबरेली मार्ग पर लखनऊ से आती हुई उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की एक बस लूट ली गयी? यदि हां, तो घटना के विवरण क्या हैं और क्या मुसाफिरों से लूटे गये माल व मुलजिमान पुलिस की पकड़ में आए? भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कोई कार्यवाही की गयी?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां, दिनांक 14/15 अगस्त, 1980 को रात करीब 00·30 बजे लखनऊ से रायबरेली जा रही रोडवेज गाड़ी संख्या यू0 आर0 एल0 1602 को रायबरेली के करीब 13 किलो मीटर दूर पर कटवारा पुलिया के पास बस में सवार दो व्यक्तियों ने तमंचे की मदद से ड्राइवर को धमका कर बस को रुकवा लिया, व उनके साथियों ने तमंचा दिखाकर गाड़ी में यात्रा कर रहे यात्रियों का सामान घड़ी नकदी व कपड़े आदि की कीमत करीब 127,8,,40 रु0 लूट लिया। अपराध की विवेचना से 6 मुलजिम प्रकाश में आये जिनमें पांच अभियुक्त गिरफ्तार किये गये तथा एक की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। गिरफ्तार किये गये दो अभियुक्तों से लूटी हुई सम्पत्ति की एक-एक घड़ी बरामद हुई है। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए निरोधात्मक कार्यवाही की जा रही है।

जिला बांदा की थाना कोतवाली के समीप स्थित सेठ गुलाब चन्द्र के बाड़े की छत पर पायी गयी गर्भवती महिला की लाश तथा तथ्यों की जांच

87--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि अगस्त, 1980 के प्रथम सप्ताह में जिला बांदा के थाना कोतवाली के समीप रामलीला मैदान के पास स्थित सेठ गुलाब चन्द्र के बाड़े की छत पर से 35

वर्षीय एक ग्रामीण गर्भवती महिला की लाश मिली जिसके मृत्योपरान्त डाक्टरी परीक्षण में पाया गया कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था ? यदि हां, तो घटना के पूर्ण तथ्य क्या हैं और शासन ने क्या कार्यवाही अब तक की है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 31-7-80 को लगभग दोपहर 1 1/2 बजे श्री कमल किशोर पुत्र कन्हैया लाल माई बाजार, राम लीला मैदान, बांदा ने टेलीफोन द्वारा थाना कोतवाली पर इस आशय की सूचना दी कि एक अज्ञात औरत की लाश छत पर पड़ी है। इस सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर गई और नियमानुसार पंचायत नामा भर कर लाश को पोस्टमार्टम हेतु भेजा। ज्ञात हुआ कि मृतक महिला का नाम श्रीमती कल्ली पत्नी श्री विश्राम सिंह निवासिनी ग्राम असगांव थाना कल्यानपुर जिला फतेहपुर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु पेट तथा छाती की चोटों के कारण सदमा एवं रक्तस्त्राव के फलस्वरूप होना पायी गयी। डाक्टर के अनुसार मृतक कल्ली के साथ बलात्कार नहीं हुआ।

जांच से ज्ञात हुआ कि मृतका अपने मायके ग्राम सिन्धन, थाना पलानी, जिला बांदा में आई थी जो गर्भपात कराने अपनी मां के साथ बांदा गई और श्रीमती दर्शना देवी मिडवाइफ, प्रसवोत्तर केन्द्र के सम्पर्क कर उसके निवास स्थान पर गई गर्भपात के बाद उनको दिन भर अपने मकान पर रखा और शाम को श्रीमती कल्ली व उसकी मां को कन्हैया लाल के उक्त मकान जहां पर श्री शिवरतन निवासी ग्राम पिपरहरी थाना पैलानी जनपद बांदा रहते थे, के यहां भेज दिया जहां लगभग आधी रात श्रीमती कल्ली के पेट में असह्य दर्द हुआ। श्रीमती दर्शना देवी रात में ही उपचार हेतु गई किन्तु प्रातःकाल श्रीमती कल्ली का देहान्त हो गया।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली (बांदा) पर धारा 304 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ। दिनांक 7-8-80 को श्रीमती दर्शना देवी को बन्दी बनाया गया व जेल भेजा गया। दिनांक 12-8-80 को मुल्जिमा न्यायालय से जमानत पर रिहा हुई। विवेचना अभी जारी है।

88—श्री प्रदीप कुमार यादव—

[पुनर्विचार पर निरस्त किया गया।]

फैजाबाद बाई पास का निर्माण

89—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उसे पता है कि सन् 1979 में केन्द्रीय जहाजरानी व परिवहन मन्त्री ने फैजाबाद में बाई पास के निर्माण का उद्घाटन किया था और उद्घाटनोपरान्त उस पर काम बन्द करा दिया ? यदि हां, तो क्या सरकार केन्द्रीय सरकार से सम्पर्क स्थापित कर बाई-पास के तुरन्त निर्माण के लिए कार्यवाही करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

फैजाबाद बाई-पास पर मिट्टी के कार्य का शुभारम्भ केन्द्रीय परिवहन एवं जहाजरानी राज्य मन्त्री जी द्वारा दिनांक 24-11-79 को किया गया था। भारत सरकार द्वारा कार्य के आगणन को स्वीकृति के अभाव में कार्य आगे नहीं बढ़ सका। अब यह कार्य छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है।

90—श्री प्रदीप कुमार यादव—

[पुनर वृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

91—श्री बल्देव सिंह आर्य—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

जनपद आजमगढ़ के दोहरी घाट ब्लाक में सूरजपुर प्राइमरी पाठशाला का अधूरा भवन

92—श्री राजकुमार राय—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद में दोहरी घाट ब्लाक में सूरजपुर प्राइमरी पाठशाला का भवन क्या अधूरा पड़ा है और भवन पूरा करने में क्या कठिनाई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

आजमगढ़ जनपद के दोहरीघाट ब्लाक में सूरजपुर प्राइमरी पाठशाला का अधूरा भवन हो जिला परिषद् से बेसिक शिक्षा परिषद् को हस्तान्तरित हुआ था । वर्ष 1980–81 में स्वीकृत अनुदान से उक्त विद्यालय भवन का मरम्मत एवं पुनर्निर्माण का कार्य जिला परिषद् आजमगढ़ को सौंपा गया है जो शीघ्र प्रारम्भ कर दिया जायगा ।

जामिया, उर्दू अलीगढ़ में पाठ्यक्रमों को मान्यता, अध्यापकों की नियुक्ति में समकक्षता पर विचार

93—श्री मित्रसेन—

केन्द्रीय सरकार के अधीन भर्ती के प्रयोजनों के लिए जामिया उर्दू अलीगढ़ द्वारा चलाए गये पाठ्यक्रमों को मान्यता विषयक गृह मन्त्रालय के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या 1402/8/78 दिनांक 28 जून, 1978 के सन्दर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इसका परिपालन प्रदेशीय सरकार द्वारा किया जा रहा है और कोई आदेश इस सम्बन्ध में प्रसारित किए गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

शैक्षिक प्रयोजनों तथा अध्यापकों की नियुक्ति के प्रसंग में जामिया उर्दू, अलीगढ़ की अदीब व अदीब–ए–माहिर परीक्षा को, माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हाई स्कूल व इन्टरमीडियट परीक्षा से समकक्षता, जहां तक केवल उर्दू विषय का सम्बन्ध है, परिषद् के विचारधीन है । स्नातक व स्नातकोत्तर परीक्षाओं से समकक्षता विश्वविद्यालयों द्वारा स्वयं निर्धारित की जाती है । राजकीय पदों व सेवाओं में नियुक्ति के प्रयोजन हेतु उक्त परीक्षाओं की समकक्षता पर भी शासन द्वारा विचार किया जा रहा है ।

सतर्कता विभाग के कांस्टेबिलों तथा हेड कांस्टेबिलों को मानदेय की सुविधा पर विचार

94—श्री मित्रसेन—

क्या गृह मन्त्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस विभाग के समस्त कांस्टेबिलों तथा हेड कांस्टेबिलों को एक माह का अतिरिक्त वेतन दिया जाता है

और क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा जो सुविधाएं पुलिस कर्मचारियों को दी जाती हैं वही सुविधा सतर्कता विभाग के कांस्टेबिलों तथा हेड कांस्टेबिलों को नहीं दी जा रही हैं ? यदि हां, तो सतर्कता विभाग के समस्त कांस्टेबिलों एवं हेड कांस्टेबिलों को अब तक लाभ न मिलने का क्या कारण है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां, पुलिस विभाग के समस्त कान्स्टेबिल तथा हेड कांस्टेबिलों को वर्ष 1979-80 से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक माह के औसत वेतन तथा महंगाई भत्ते की औसत के बराबर मानदेय दिये जाने की सुविधा स्वीकृत की गई है ।

यह आवश्यक नहीं है कि पुलिस विभाग में कर्मचारियों को अनुमन्य सुविधायें सतर्कता अधिष्ठान के कर्मचारियों को भी स्वीकृत की जायं । फिर भी सतर्कता अधिष्ठान के कान्स्टेबिलों तथा हेड कान्सटेबिलों को भी उपर्युक्त मानदेय की सुविधा स्वीकृत करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

95--श्री मोती लाल देहलवी--

[आश्वासन समिति के अधीन होने के कारण निरस्त ।]

96--श्री मोती लाल देहलवी--

[2रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 154 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

ग्राम सुरचक के प्राइमरी विद्यालयों के भवन का निर्माण

97--श्री नन्द किशोर सिंह तथा श्री हरिवंश सहाय--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत ग्राम सुरचक में प्राइमरी पाठशाला के भवन हेतु उनको प्रश्नकर्ता का दिनांक 4 फरवरी, 1981 को कोई प्रार्थना-पत्र मिला है ? यदि हां, तो उस पर कौनसी कार्यवाही हो रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

जनपद देवरिया में कोई प्राइमरी पाठशाला ग्राम सुरचक में नहीं है । सुरचक ग्राम का प्राइमरी विद्यालय ग्रामीणों द्वारा चलाया जाता है प्राइवेट व अमान्य विद्यालय है, इस प्रकार के विद्यालयों का भवन निर्माण बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा कराने का कोई प्राविधान नहीं है । इस हेतु शासन से कोई अनुदान भी नहीं मिलता है । अतः भवन निर्माण का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

देवरिया जिलान्तर्गत पिच रोड का निर्माण तथा ककवन से सोहसा मार्ग पिच बनाने की स्वीकृति

98--श्री नन्दकिशोर सिंह तथा श्री हरिवंश सहाय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत वर्ष 1981-82 में कौन-कौन सड़कों को पिच करने की योजना शासन के विचाराधीन है और प्रत्येक सड़क अलग-अलग कितने कि० मी० की है ?

श्री अम्मार रिजवी--

फिलहाल कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

99--श्री नन्द किशोर सिंह तथा श्री हरिवंश सहाय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतायेंगे कि देवरिया जिला अन्तर्गत ककवन से सोहसा मार्ग पिच बनने की स्वीकृति 1979-80 में हुई है ? यदि हां, तो यह सड़क कब तक पिच हो जायगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां । संरेषण के विवाद का निर्णय हो जाने के पश्चात् ही निश्चित अवधि बताना सम्भव हो सकेगा ।

देवरिया जिलान्तर्गत हेतिमपुर से महुआ डीह मार्ग का आधुनिकीकरण

100--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत हेतिमपुर से महुआ डीह सड़क के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का प्रार्थना-पत्र मुख्य मन्त्री को 29 जनवरी, 1981 को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां । धन की उपलब्धता के अनुसार मार्ग की केवल 5 कि0 मी0 लम्बाई के आधुनीकरण करने की स्वीकृति दी जा सकी है ।

जनपद हरदोई के पुलिस कर्मचारी एवं अधिकारियों का स्थानान्तरण

101--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में कितने पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी ऐसे हैं जो बिगत जनवरी, 1980 से जनवरी, 1981 के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण किये जा चुके हैं उनमें से पुलिस कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने अपना पिछला क्वार्टर नहीं छोड़ा है ? इस सम्बन्ध में क्या पुलिस अधीक्षक ने कोई सामूहिक कार्यवाही उक्त सम्बन्ध में की है ? यदि हां, तो यह कार्यवाही क्या है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जनवरी 1980 से जनवरी 1981 के बीच जिन पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों के स्थानान्तरण हुये थे, उन सब ने अपने क्वार्टर छोड़ दिये हैं । प्रश्न नहीं उठता ।

102--हरिवंश सहाय--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

रेलवे कालोनी चारबाग, थाना आलमबाग के श्री राम नयन सिंह के घर में चोरी के विषय में जांच

103--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या गृह मन्त्री जी कृपा करेंगे कि श्री राम नयन सिंह 1128-ए मुनउवर बाग 30, रेलवे कालोनी चारबाग, थाना आलमबाग, लखनऊ-5 के यहां 5/6 नवम्बर, 1980 को रात्रि में चोरी के विषय में पुलिस की खामोशी के सम्बन्ध में रामनयन सिंह एवं प्रश्नकर्त्ता का प्रार्थना-पत्र दिनांक 31 दिसम्बर, 1980 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसमें कौन सी कार्यवाही हो रही है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां । इस सम्बन्ध में दिनांक 6 नवम्बर, 1980 को श्री पारसनाथ सिंह द्वारा थाना आलमबाग में दी गयी सूचना के आधार पर अभियोग अन्तर्गत धारा 457/380 भा0 द0 वि0 पंजीकृत करके विवेचना की गई । पुलिस द्वारा हर सम्भव प्रयास करने एवं गहरी छानबीन के उपरान्त भी कोई सफलता न मिल सकी । अतः मुकदमें की विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त कर दी गई ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अवर अभियन्ता की गिरफ्तारी तथा निलम्बन आदेश

104--श्री नन्दकिशोर सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के कैंट पुलिस द्वारा 11 फरवरी, 1981 को सार्वजनिक निर्माण विभाग का जूनियर इंजीनियर एवं एक ट्रक ड्राइवर 36 बोरी सीमेन्ट के साथ गिरफ्तार किए गए हैं ? यदि हां, तो इसमें कौन-सी कार्यवाही हो रही है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां । अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा संख्या 69 धारा 3/7 ई0 सी0 ऐक्ट थाना खोरबार गोरखपुर पर कायम करके विवेचनोपरान्त आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया गया है । सम्बन्धित अवर अभियन्ता के निलम्बन आदेश भी शासन द्वारा जारी कर दिए गए हैं ।

थाना व कस्बा लार, जिला देवरिया के श्री कौशल किशोर सर्राफ के घर चोरी

105--श्री हरिवंश सहाय--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया थाना लार, कस्बा लार में गत 13/14 दिसम्बर, 1980 को श्री कौशल किशोर सर्राफ के घर चोरी हुई जिसमें 50 हजार रुपया का जेवर तथा सामान चोरी हो गया ? क्या इसकी लिखित सूचना शासन को 23-1-1981 को मिली है ? उस पर कौन-सी कार्यवाही की जा रही है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी हां, शासन को श्री कौशल किशोर की लिखित सूचना दिनांक 23-1-81 को श्री रुद्र प्रताप सिंह, विधायक के पत्र के साथ मिली थी। इस सूचना के अनुसार थाना व कस्बा-लार, जिला देवरिया में 13/14 दिसम्बर, 1980 को श्री कौशल किशोर सर्राफ के घर चोरी हुई थी जिसमें 5 हजार रुपए नकद तथा जेवर चोरी होने का तथ्य अंकित है। इस मामले में एक अभियोग संख्या 209 धारा 457/380 भारतीय दन्ड विधान के अन्तर्गत थाना-लार पर पंजीकृत किया गया। माल व मुल्जिम का पता लगाने के लिए कड़े निर्देश स्थानीय पुलिस को दिए गए। विवेचना से कोई ठोस प्रमाण न मिलने के कारण माल व मुल्जिम का पता नहीं लग सका। अतः दिनांक 4-4-81 को अन्तिम आख्या प्रस्तुत कर दी गई।

मेसर्स उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की इकाई खड्डा (देवरिया) के सेवानिवृत्त एवं मृतक श्रमिकों के वारिसों की नियुक्ति का समझौता

106—श्री हरिवंश सहाय—

क्या श्रम मंत्री बतायेंगे कि खड्डा शुगर फैक्टरी, खड्डा, देवरिया में चीनी मजदूर संघ एवं प्रबन्धक के बीच यह समझौता हुआ था कि मरे या रिटायर मजदूरों के स्थान पर उनके आश्रितों से रिक्तता की पूर्ति की जायगी? यदि हां, तो 31-1-81 तक कितने मजदूरों के वारिसों को रखा गया और उनके नाम क्या है?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

जी हां। मेसर्स उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की इकाई खड्डा (देवरिया) तथा मंत्री चीनी मिल मजदूर संघ, खड्डा के मध्य से सेवानिवृत्त एवं मृतक श्रमिकों के वारिसों को उनकी योग्यता एवं उपयुक्तता के आधार पर रिक्त स्थानों पर नियुक्त किए जाने का समझौता हुआ था। प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त समझौते के परिपालन में सेवायोजकों ने दिनांक 28-8-76 से 31-1-81 तक मृतक अथवा सेवानिवृत्त श्रमिकों के जिन 103 वारिसों को प्रतिष्ठान में नियुक्त किया है, उनके नाम एवं नियुक्ति की तिथि संलग्न तालिका में अंकित हैं।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 216 पर।)

देवरिया जिलान्तर्गत खामपार थाने में दर्ज मुकदमें

107—श्री हरिवंश सहाय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत खामपार थाने में 1-1-76 से 30-12-77 तक कितने मुकदमें दर्ज हुए और उन पर कौन-सी कार्यवाही की गयी?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

प्रश्नगत अवधि में खामपार थाने में कुल 325 रिपोर्ट दर्ज हुई। 17 मामले अदमतफ्तीश रहे, 11 मामले खारिज किए गए। शेष 297 अभियोगों में से 187 अभियोगों में आरोप-पत्र न्यायालय भेजे गए जो विचाराधीन न्यायालय हैं। 110 मामलों में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई।

थानाध्यक्ष, गौरी बाजार के विरुद्ध शिकायतों की जांच

108—श्री हरिवंश सहाय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत थानाध्यक्ष, गौरी बाजार के विरुद्ध भ्रष्टाचार घूस लेने एवं चोरी, डकैती छिपाने सम्बन्धी शिकायती पत्र श्री जिउत यादव का दिनांक 2-8-80 एवं 19-10-80 को आई० जी० एवं डी० आई० जी० को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सन्दर्भित शिकायती-पत्रों में उल्लिखित शिकायतों का विवरण एवं जांच का परिणाम तथा की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 220 पर)

जिला गोंडा में श्री यशपाल सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक का पद भार ग्रहण करने के पश्चात् कांस्टेबिलों की भर्ती

109—श्री मसरूर जाफरी—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोंडा में श्री यशपाल सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक का पदभार ग्रहण करने के बाद कुल कितने कांस्टेबिलों की भर्ती की गई हैं ? उनमें कितने लोग जिला गोंडा के हैं और कितने अन्य जिलों के ? क्या उनकी पूरी सूची मुख्य मंत्री सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

श्री यशपाल सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक, गोंडा का कार्यभार ग्रहण करने के बाद जनपद में 175 कांस्टेबिलों की भर्ती की गई । उनमें जिसमें 37 अभ्यर्थी गोंडा के व शेष अन्य जिलों के हैं । जनपदवार भर्ती किए गए कांस्टेबिलों की संख्या की सूची नत्थी है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 222 पर)

श्री ए० डी० शर्मा, इंचार्ज कोतवाली, फतेहपुर को भ्रष्टाचार व लापरवाही के कारण उनकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि तथा कान्सटेबिल प्रदुम्न प्रसाद तिवारी, जुल्फिकार हुसैन व गोपाल जी के निलम्बन आदेश

110—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

प्रथम सत्र 1981 के दिनांक 24-3-81 के अता० प्र० संख्या 19 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सरकार बतायेगी कि श्री ए० डी० शर्मा, इंचार्ज कोतवाली, फतेहपुर को उनके भ्रष्टाचार, लापरवाही तथा घटना की रिपोर्ट न दर्ज करने के लिए रिवर्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि परगना अधिकारी ने धारा 144 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत अब तक क्या कार्यवाही की तथा दूसरे प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में श्री ए० डी० शर्मा के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

श्री ए0 डी0 शर्मा, इंचार्ज कोतवाली, फतेहपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार, लापरवाही तथा घटना की रिपोर्ट न दर्ज करने के सम्बन्ध में तीन प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे। प्रथम प्रार्थना-पत्र में लगाए गए आरोप असत्य पाए गए। दूसरे प्रार्थना-पत्र की जांच की गई तो श्री ए0 डी0 शर्मा पर उपरोक्त की लापरवाही साबित हुई और उन्हें उनकी चरित्र पंजिका में एक दुष्चरित्र लेख प्रदान किया गया। तीसरे प्रार्थना-पत्र में लगाए गए आरोप असत्य पाए गए। अस्तु, श्री ए0 डी0 शर्मा उपरोक्त को रिवर्ट करना उचित नहीं समझा गया और उन्हें दुष्चरित्र लेखा प्रदान करना ही न्यायोचित समझा गया। धारा 144 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत कार्यवाही किए जाने की संस्तुति परगना मजिस्ट्रेट, फतेहपुर को भेजी गई जिसके सम्बन्ध में परगना मजिस्ट्रेट, फतेहपुर के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिवीजन का निस्तारण होने तक कार्यवाही रोक दी गई है। दूसरे प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में श्री ए0 डी0 शर्मा की चरित्र पंजिका में एक दुष्चरित्र लेखा प्रदान किया गया।

111—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

प्रथम सत्र 1981 के दिनांक 24-3-81 के अतारांकित प्रश्न संख्या 19 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार को जानकारी है कि इस सम्पूर्ण घटना में इंचार्ज कोतवाली, फतेहपुर, श्री ए0 डी0 शर्मा की लापरवाही तथा सी0 ओ0 सिटी, फतेहपुर, श्री रुद्रदत्त तिवारी की साजिश के कारण तीन निर्दोष सिपाहियों, श्री प्रदुम्न प्रसाद तिवारी, जुल्फिकार हुसैन तथा गोपाल जी को अकारण निलम्बित किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार सिपाहियों का निलम्बन प्राप्त करके उनके विरुद्ध कायम मुकदमा वापस ले लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

कान्स्टेबिल प्रदुम्न प्रसाद तिवारी, कान्स्टेबिल जुल्फिकार हुसैन व कान्स्टेबिल गोपाल जी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर इन तीनों सिपाहियों के खिलाफ मु0 अ0 सं0 297/80 धारा, 323/342/457 भा0 द0 वि0 पंजीकृत किया गया। फलस्वरूप उन्हें निलम्बित किया गया। विवेचना के पश्चात् आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है।

ऐसी परिस्थिति में उक्त मामले में इंचार्ज कोतवाली, फतेहपुर, श्री ए0 डी0 शर्मा एवं क्षेत्राधिकारी नगर, श्री आर0 डी0 तिवारी की साजिश की बात नहीं कही जा सकती और न इनके विरुद्ध किसी कार्यवाही का किया जाना सम्भव है तथा साथ ही साथ कान्स्टेबिल प्रदुम्न प्रसाद तिवारी, जुल्फिकार हुसैन तथा गोपाल जी को निर्दोष नहीं कहा जा सकता और न इनका निलम्बन ही अकारण प्रतीत होता है। मुकदमें के फैसले के उपरान्त यदि परिस्थितयां उत्पन्न हुई तो तदनुसार कार्यवाही की जायेगी। सिपाहियों का निलम्बन समाप्त करके उनके विरुद्ध कायम मुकदमें को वापस लेना उचित न होगा।

श्री आर0 डी0 तिवारी, सी0 ओ0 सिटी, फतेहपुर के विरुद्ध गम्भीर आरोपों की जांच

112—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

प्रथम सत्र 1981 के दिनांक 24-3-81 के के अता0 प्र0 संख्या 19 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार बतायेगी कि श्री आर0 डी0 तिवारी, सी0 ओ0 सिटी, फतेहपुर के विरुद्ध गम्भीर आरोपों की जांच अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा

की जा रही है फिर भी श्री तिवारी का स्थानान्तरण अभी तक नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार निष्पक्ष जांच हेतु श्री तिवारी का स्थानान्तरण कानपुर रेन्ज के बाहर करेगी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

अभियोग संख्या 260/80, धारा 147/148/149/302/201 भारतीय दण्ड विधान, थाना मलवा के सम्बन्ध में श्री आर० डी० तिवारी, पुलिस उपाधीक्षक के विरुद्ध शिकायती-पत्र प्राप्त हुए थे । उक्त अभियोग की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है । श्री तिवारी का स्थानान्तरण जनपद इलाहाबाद कर दिया गया है ।

कान्स्टेबिल गोपाल जी द्वारा जुआ पकड़ते समय झगड़े में चोट आने की दर्ज रिपोर्ट

113--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

प्रथम सत्र 81 के पहले मंगलवार दिनांक 3 फरवरी, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 29 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सरकार बतायेगी कि कान्स्टेबिल गोपाल जी को घटना के तुरन्त बन्द ही सदर अस्पताल डाक्टरी हेतु बिना कान्स्टेबिल गोपाल जी द्वारा सूचना दिये हुए कैसे भेजा गया ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि कान्स्टेबिल गोपाल जी ने जुआ पकड़ते समय झगड़े में चोट आने की सूचना घटना के दिन कुछ ही समय बाद कोतवाली में दी, परन्तु कोतवाली इंचार्ज, फतेहपुर, श्री ए० डी० शर्मा तथा सी० ओ० सिटी श्री आर० डी० तिवारी ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सलीम, नि० मुहल्ला बहेलियन टोला, जनपद फतेहपुर की सूचना पर कान्स्टेबिल गोपाल जी आदि के विरुद्ध धारा 323/342/452 भा० दं० वि० का मुकदमा कायम किया गया । कान्स्टेबिल गोपाल जी के साथ वादी को डाक्टरी परीक्षण हेतु सदर अस्पताल भेजा गया । प्रतिवादी पक्ष की ओर से कोई अभियोग थाना कोतवाली में पंजीकृत नहीं कराया गया । अतः कोतवाली इंचार्ज, फतेहपुर तथा सी० ओ० सिटी द्वारा इस मामले में रिपोर्ट दर्ज न किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

बाराबंकी-बहराइच मार्ग का घाघरा घाट पैन्टून ब्रिज टूट जाने से अवरुद्ध आवागमन

114--श्री जटा शंकर सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नवमी एवं देवीपाटन के मेले के दिन दिनांक 12 अप्रैल, 1981 को बाराबंकी-बहराइच मार्ग का घाघरा घाट पैन्टून ब्रिज (पीपों का पुल) टूट जाने से आवागमन पूर्णतया अवरुद्ध हो गया था ? यदि हां, तो पुल टूटने का कारण क्या था ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं ।

पान्टून पुल टूटा नहीं था बल्कि एक ट्रक के द्वारा पुल का पहुंच मार्ग अवरुद्ध कर दिये जाने के कारण दिनांक 12 अप्रैल, 1981 को 8 बजे पूर्वाह्न से 2.30 बजे अपराह्न तक पुल से गाड़ियों का यातायात बन्द हो गया था। पैदल, साइकिल, मोटर-साइकिल वाले यात्रियों के लिए पुल खुला रहा।

प्रश्न नहीं उठता।

115—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

देवरिया से देसहो-देवरिया को जाने वाली सी० सी० रोड का निर्माण

116—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया से देसही-देवरिया को जाने वाली सी० सी० रोड पटरियों के जगह-जगह उखड़ जाने की वजह से आवागमन योग्य नहीं रह गयी है? यदि हां, तो उक्त सड़क को पिच करवाने और पुलों के निर्माण हेतु आदेश देने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं। मार्ग आवागमन के योग्य है। क्षतिग्रस्त पटरियों की मरम्मत करा दी गई है।

धन की उपलब्धता के अनुसार 4.5 कि० मी० कंकड़ मार्ग को पक्का करने की स्वीकृति दी गई है। मार्ग पर पुल निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं है।

देवरिया जिलान्तर्गत थाना खड्डा में पुलिस-डकैत मुठभेड़

117—श्री हरिवंश सहाय—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत थाना खड्डा में 28 फरवरी, 1980 को कथित पुलिस-डकैत मुठभेड़ में 5 व्यक्तियों को गोली से मारा गया? यदि हां, तो डाकुओं के नाम क्या हैं तथा उनके विरुद्ध कितने मुकदमें चले, कितने में जेल गए तथा कितने में सजायें हुईं?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

प्रश्नगत मुठभेड़ 28 फरवरी, 1981 को हुयी थी। प्राप्त सूचना के अनुसार मारे गए 5 व्यक्तियों में से चार ही की पहचान हो सकी, उनके नाम पते संलग्न हैं। जनपद देवरिया में इनका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। मोती पुत्र जगन्नाथ मुसहर के विरुद्ध थाना निचलौल, गोरखपुर पर एक डकैती का मामला दर्ज हुआ था। इनके विरुद्ध बिहार प्रान्त में अपराधों की सम्भावना है लेकिन कोई स्पष्ट सूचना नहीं है।

(देखिये नत्थी 'अ' आगे पृष्ठ 223 पर।)

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, देवरिया के अनुदेशकों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

118--श्री हरिवंश सहाय--

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आई० टी० आई०, देवरिया के अनुदेशकों के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25 सितम्बर, 1980 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायत मुख्य-मुख्य क्या है तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, देवरिया के अनुदेशकों के विरुद्ध प्रश्नकर्ता एवं एक अन्य विधायक के हस्ताक्षर से दिनांक 26 सितम्बर, 1980 का पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें मुख्यतः उक्त संस्थान के कुछ अनुदेशकों के विरुद्ध यह शिकायत की गई थी कि वे उक्त संस्थान में काफी अर्से से तैनात हैं, असामाजिक तत्वों तथा राजनीतिक लोगों से सम्बद्ध हैं, संस्थान में भी आंतक फैलाये रहते हैं तथा अपने कार्य के प्रति उदासीन रहते हैं । उक्त पत्र में उनके स्थानान्तरण किये जाने की मांग भी की गई थी ।

उपरोक्त शिकायतों की जांच कराई गई तथा तीन अनुदेशकों का स्थानान्तरण कर दिया गया ।

जिला मन्त्री, लोकदल, देवरिया, श्री मुक्तिनाथ यादव द्वारा जानमाल की सुरक्षा हेतु आवेदन-पत्र

119--श्री हरिवंश सहाय--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला मंत्री, लोकदल, देवरिया, श्री मुक्तिनाथ यादव ने अपनी जानमाल की सुरक्षा हेतु कोई आवेदन-पत्र पुलिस अधीक्षक, देवरिया को फरवरी, 1981 में दिया है ? यदि हां, तो उसमें मुख्य बात क्या है ? क्या कार्यवाही की जा रही है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिस अधीक्षक, देवरिया को श्री मुक्तिनाथ यादव द्वारा अपनी जानमाल की सुरक्षा हेतु फरवरी, 1981 में कोई आवेदन पत्र नहीं दिया गया ।

ग्राम लोकरिया, थाना नेबुआ नौरंगिया, जिला देवरिया के श्री उत्तम लाल की गोली लगने से मृत्यु तथा थाने में दर्ज रिपोर्ट

120--श्री हरिवंश सहाय--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम लोकरिया, थाना नेबुआ नौरंगिया, जिला देवरिया में दिनांक 21-9-79 को 4 बजे सायं उत्तम लाल को गोली मार दी गई और उसकी मृत्यु घटनास्थल पर हो गई जिसकी रपट उसी दिन थाने में लिखाई गई ? उसमें कौन-कौन मुलजिम बनाये गये ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार कथित घटना ग्राम पकड़ियार में लगने वाली बाजार में दिनांक 21-9-79 को लगभग 4.30 बजे शाम को घटी। श्री मकबूल अहमद निवासी ग्राम पकड़ियार ने थाना नेबुआ नौरंगिया में उसी दिन शासन को 8 बजकर 45 मिनट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी जिसमें श्री गुलबदन सिंह निवासी रामकेला, देवरिया, को प्रो० प्रकाश यादव तथा ज्ञानेश्वर गैस बिल्डिंग, पडरौना नौका टोला के भाई को नामांकित किया।

देवरिया जिलान्तर्गत पुलिस सब-इन्सपेक्टरों के विरुद्ध मुकदमें

121--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत 1 जुलाई, 1980 से 5 मार्च, 1981 के बीच कितने मुकदमें विभिन्न दफाओं में पुलिस सब-इन्सपेक्टरों के विरुद्ध कायम किया गया तथा उनके विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गई और इस संबंध में पुलिस सब-इन्सपेक्टरों के नाम क्या हैं ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

इस अवधि में जिला देवरिया अन्तर्गत विभिन्न धाराओं में 7 पुलिस सब-इन्सपेक्टरों के विरुद्ध कुल 9 मुकदमें कायम हुये तथा सभी मुकदमें विचाराधीन हैं। सब-इन्सपेक्टरों के नाम तथा मुकदमों का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ 224 पर)

देवरिया जिलान्तर्गत महिला पुलिस की भर्ती

122--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत वर्ष 1980 में कितनी महिला पुलिस की भरती की गई ? क्या कोई महिला ट्रेनिंग से हटा दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

वर्ष 1980 में जिला देवरिया अन्तर्गत 10 महिला कान्सटेबुल की भर्ती की गई थी। इनमें से एक श्रीमती निर्मला राव को अनुपयुक्त पाये जाने के कारण डिस्चार्ज कर दिया गया।

123--श्री हरिवंश सहाय--

[आश्वासन समिति के अधीन होने के कारण निरस्त।]

जिला पुलिस प्रशासन, देवरिया के विरुद्ध शिकायती-पत्र

124--श्री हरिवंश सहाय--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला पुलिस प्रशासन, देवरिया के विरुद्ध प्रश्नकर्त्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 25 अक्तूबर, 1980 मुख्य मन्त्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं तथा उस पर कौन-सी कार्यवाही की गई ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां।

शिकायती पत्र दिनांक 25-10-80 की प्रति संलग्न है। जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ 225 पर।)

देवरिया के पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध शिकायती-पत्र

125--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया के पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 29 जनवरी, 1981 आई0 जी0 पुलिस, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं तथा उस पर कौन-सी कार्यवाही की गई तथा किस अधिकारी से जांच कराई गई ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां।

शिकायती-पत्र में 19 आरोप अंकित हैं जो तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, देवरिया, श्री अजय सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों से सम्बन्धित हैं।

शिकायतों की जांच पुलिस उपमहानिरीक्षक, गोरखपुर से कराई गई, जांच से आरोप अप्रमाणित रहे।

श्रीमती कमला देवी, सहायक अध्यापिका, जूनियर बेसिक विद्यालय, सफेदाबाद का वेतन भुगतान तथा अध्यापक एवं अध्यापिकाओं में संघर्ष

126--श्री कुबेर भण्डारी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि क्या माह अगस्त, 1979 का वेतन श्रीमती कमला देवी, सहायक अध्यापिका, जू0 बे0 वि0, सफेदाबाद, बाराबंकी को न देकर किसी अन्य अध्यापिका को दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या उपरोक्त वेतन के भुगतान हेतु सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद ने माह मार्च, 1980 में बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी को कोई आदेश दिया था ? यदि हां, तो बी0 एस0 ए0 ने भुगतान कराया ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या भुगतान कराकर दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

श्रीमती कमला देवी, सहायक अध्यापिका, जूनियर बेसिक विद्यालय, सफेदाबाद ने माह अगस्त, 1979 का वेतन उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार स्वयं प्राप्त किया है।

प्रश्न नहीं उठता।

127--श्री कुबेर भण्डारी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या माह सितम्बर, 1980 में जू0 बे0 वि0, सफेदाबाद, बाराबंकी के अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के मध्य लड़ाई झगड़ा हुआ था ? क्या इसकी सूचना बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं थाना बाराबंकी को की गई था ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

माह सितम्बर, 1980 में अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के बीच किसी झगड़े की कोई सूचना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को नहीं प्राप्त हुई है। एक एफ0आई0आर0 अवश्य श्रीमती कमला देवी ने दिनांक 29 अगस्त, 1980 को कोतवाली बाराबंकी में दर्ज कराई जिस पर पुलिस विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी ? शिक्षा विभाग उससे सम्बन्धित नहीं है।

128--श्री कुबेर भण्डारी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती कमला देवी, सहायक अध्यापिका, जू0 बे0 वि0, सफेदाबाद, बाराबंकी ने माह अक्तूबर, 1979 में केवल 14 दिन अवकाश पर रहने के कारण पूरे माह का वेतन प्रधानाध्यापक द्वारा अवकाश स्वीकृत होने के बाद बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के बैंक में जमा कर दिया ? यदि हां, तो क्या प्रधानाध्यापक द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के वेतन न देकर जमा करने के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

श्रीमती कमला देवी, सहायक अध्यापिका, जूनियर बेसिक विद्यालय, सफेदाबाद, जिला बाराबंकी ने माह अक्तूबर, 1979 में दिनांक 6, 18 और 27 को विद्यालय में कार्य किया उन्होंने इस माह में दिनांक 3 से 5 तक, 10 से 17 तक और 24 से 26 तक चिकित्सा अवकाश लिया और इस माह दिनांक 1 से 2 तक 7 से 9 तक, 19 से 23 तक तथा 28 से 31 तक विद्यालय में छुट्टी रही। माह अक्तूबर, 1979 का वेतन दिनांक 6 नवम्बर, 1979 को वितरण हेतु प्रधान अध्यापक को इस निर्देश के साथ दिया गया कि एक सप्ताह में वेतन वितरित करके वेतनावली उप विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में भेज दें। श्रीमती कमला देवी के अवकाश पर निर्णय न होने के कारण प्रधान अध्यापक ने उन्हें केवल कार्य दिवसों का वेतन देने का प्रयास किया जिसे श्रीमती कमला देवी ने नहीं लिया। प्रधान अध्यापक ने प्रतीक्षा के उपरान्त 22 नवम्बर, 1979 को श्रीमती कमला देवी का वेतन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पी0 एल0 ए0 खाते में जमा कर दिया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि श्रीमती कमला देवी ने अपने वेतन प्राप्त करने के सम्बन्ध में कोई सूचना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय को नहीं दी।

गाजीपुर राजकीय बालिका इन्टर कालेज के नये भवन निर्माण एवं जीर्णोद्धार हेतु स्वीकृत धनराशि

129--श्री राम नरायन--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि गाजीपुर राजकीय बालिका इन्टर कालेज के नये भवन निर्माण एवं जीर्णोद्धार हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है और किन-किन कारणों से निर्माण कार्य अब तक आरम्भ नहीं हुआ है ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई ठोस कदम उठाने की कृपा करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

राजकीय बालिका इन्टर कालेज, गाजीपुर के भवन के जीर्णोद्धार हेतु वर्ष 1972-73 से 1981-82 तक की अवधि में कुल 93,847 रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई और जीर्णोद्धार का कार्य भी समय-समय पर पूरा हुआ।

जहां तक नये भवन के निर्माण का प्रश्न है, पांचवीं योजनावधि में निर्माण कार्यों पर लगे रोक के कारण परिव्यय के अभाव में तथा छठीं पंचवर्षीय योजनावधि में पूंजीगत योजनाओं के लिए निर्धारित परिव्यय में कटौती हो जाने के कारण उक्त निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान किया जाना सम्भव नहीं हो सका है।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय महिला महाविद्यालय, गाजीपुर में छात्रावास भवन का निर्माण

130—श्री राम नरायन—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि गाजीपुर राजकीय महिला महाविद्यालय के प्रस्तावित छात्रावास हेतु भूमि एवं भवन की कार्यवाही अब तक क्यों नहीं पूरा हुई और कब तक महिला छात्रावास पूर्ण रूप से तैयार कर दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

चूंकि राजकीय महिला महाविद्यालय, गाजीपुर के पास अभी आवश्यकता के अनुरूप अपना निजी शैक्षिक भवन ही नहीं है अतः छात्रावास भवन के निर्माण के प्रस्ताव पर विचार करने का प्रश्न नहीं होता है।

महावीर जूनियर हाई स्कूल, कहवाज कुली, जनपद गाजीपुर में बच्चे तथा स्थायी मान्यता पर विचार

132—श्री राम नरायन—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि महावीर जूनियर हाई स्कूल, कहवाज कुली, जनपद गाजीपुर में कितने बच्चे इस समय शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तथा उक्त विद्यालय को स्थायी मान्यता कब सरकार द्वारा दी गयी ? अब तक आर्थिक सहायता प्राप्त श्रेणी में इस विद्यालय को क्यों नहीं रखा गया ? क्या सरकार इस विद्यालय के आर्थिक सहायता प्राप्त श्रेणी में घोषणा करने की कार्यवाही अविलम्ब करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्रश्नगत स्कूल में वर्तमान समय में 297 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उक्त विद्यालय को स्थायी मान्यता शिक्षा सत्र 1976–77 में दी गई। निर्धारित शर्तें पूरी न करने से पात्रता क्षेत्र के अन्तर्गत न आने के कारण वह अनुरक्षण अनुदान प्राप्त विद्यालयों की सूची में नहीं लिया गया। यदि यह विद्यालय इस वर्ष अनुदान सूची में लिए जाने हेतु सम्यक् रूप से प्रार्थना-पत्र देगा तो उस पर नियमानुसार यथासमय विचार किया जायगा।

जनपद गाजीपुर में यू० नि० सेफ द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी को विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि

132—श्री राम नरायन—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि गाजीपुर जनपद अन्तर्गत यू० नि० सेफ, द्वारा कितनी धनराशि बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजीपुर को अब तक विद्यालय भवनों के निर्माण एवं मरम्मत हेतु प्राप्त हुई और कितने भवनों के निर्माण

मरम्मत किन-किन स्थानों पर हो चुकी है ? क्या सम्बन्धित विभाग द्वारा इनके पूर्ण हो जाने की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो चुकी है ? क्या यह सच है कि सम्बन्धित विभाग ने सम्बन्धित भवनों के अधूरे कार्य एवं भवन का मौके पर निर्माण नहीं किए हैं ? क्या सरकार इसकी जांच विजिलेन्स विभाग से कराने की कृपा करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

14,58,700 रु0 ।

299 प्राइमरी पाठशाला भवनों का पुनर्निर्माण/मरम्मत हुआ है । सूची संलग्न है ।

जी हां ।

इस सम्बन्ध में 4 शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं जिनकी जांच की जा रही है । उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसी स्थिति नहीं बताई गई है जिसमें अधूरे कार्य एवं भवन का मौके पर निर्माण न किया गया हो ।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ 228 पर) ।

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी श्री सूर्य बख्श सिंह द्वारा कोतवाली में दर्ज एफ0 आई0 आर0

133--श्री जटा शंकर सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना मल्हीपुर, जनपद बहराइच की पुलिस द्वारा ग्राम पटना मल्हीपुर निवासी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, सदस्य, जिला कांग्रेस कमेटी आई एवं ग्राम प्रधान श्री सूर्य बक्श सिंह को दिनांक 18 जनवरी, 1981 को बर्बरतापूर्वक पीटा गया जिससे उनका हाथ टूट गया तथा सिर फट गया ? सूर्य बक्श सिंह जिला चिकित्सालय, बहराइच से उक्त घटना सम्बन्धी एफ0 आई0 आर0 भी दिनांक 19 अथवा 20 जनवरी, 1981 को कोतवाली नगर में दर्ज करायी है ? यदि हां, तो उसके आधार पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सूर्य बख्श सिंह, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के प्रार्थना-पत्र दिनांकित 20-1-81 के आधार पर थाना कोतवाली, नगर बहराइच में धारा 143/342/325/323/504/506 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ, जो अपराध सं0 5-ए पर थाना मल्हीपुर में दिनांक 24-1-81 को पंजीबद्ध हुआ । श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा, सहायक अभियन्ता के द्वारा दिनांक 18-1-81 को थाना मल्हीपुर में उक्त घटना की प्रथम सूचना अ0 सं0 5 पर अन्तर्गत धारा 147/148/149/332/353/504/506/447 भा0 द0 वि0 विरुद्ध श्री सूर्य बख्श सिंह आदि अंकित करायी है । दोनों अभियोगों की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है ।

134--श्री गजेन्द्र सिंह तथा श्री प्रियदर्शी जेतली--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

अकबरपुर, जिला फैजाबाद स्थित राज्य कताई मिल में गोली काण्ड की घटना की जांच तथा विभिन्न पदों पर भर्ती

135—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट तथा श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर, जिला फैजाबाद स्थित राज्य कताई मिल में दिनांक 14 अप्रैल, 1979 को हुई गोली काण्ड घटना के सम्बन्ध में तत्कालीन जिलाधीश व तत्कालीन मुख्य अधिशासी स्पिनिंग मिल द्वारा घटना के सम्बन्ध में दी गयी रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ? उक्त घटना में कितने लोग मुलजिम थे ?

श्री नियाज हसन खां—

इस घटना के सम्बन्ध में सदन में वर्ष 1979 में वक्तव्य दिया जा चुका है, रिपोर्ट का सदन के पटल पर रखा जाना आवश्यक नहीं है। मुलजिमों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है।

अकबरपुर, जिला फैजाबाद स्थित राज्य कताई मिल में विभिन्न पदों पर की गयी भर्तियां

136—श्री गजेन्द्र सिंह तथा श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह सितम्बर, 1979 से 15-4-81 तक अकबरपुर, जिला फैजाबाद स्थित राज्य कताई मिल में किन-किन पदों पर भर्तियां की गयी हैं क्या उन पदों की भर्तियों के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर अथवा सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से भर्तियां की गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नियाज हसन खां—

राजकीय कताई मिल, अकबरपुर में माह सितम्बर, 1979 से 15-4-82 तक निम्न पदों पर भर्तियां की गई हैं :

1—एकाउन्ट असिस्टेंट	2
2—एकाउन्ट असिस्टट	1
3—टाइपिस्ट	2
4—ई० एस० आई० क्लर्क	1
5—एस० क्यू० सी० इन्वेस्टीगेटर	2
6—ई० एफ० एफ० क्लर्क	1
7—जनरेटर अटेन्डेंट	1
8—क्लीनर	3
9—कार्ड टेंटर	1
10—बाइंटर	18
11—बाइंडर	7
12—रीलर	14

13--ओवर हालिंग (फिटर) 1

14--स्वीपर 1

15--हेड फिटर ब्लोरम 1

16--मेटीनेंस इन्चार्ज 1

17--स्टोर इन्चार्ज 1

18--क्वालिटी कन्ट्रोल इन्चार्ज 1

19--मिल इन्जीनियर 1

उपरोक्त पदों पर नियुक्तियां समाचार-पत्र में विज्ञापन देकर सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से की गयी हैं ।

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में अतिरिक्त महाधिवक्ता का वर्तमान पद तथा वेतन भुगतान

137--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि अतिरिक्त महाधिवक्ता, एडीशनल एडवोकेट जनरल, उत्तर प्रदेश का पद कब सृजित हुआ और उस पर किसकी नियुक्ति हुई ? क्या यह सही है कि उक्त अतिरिक्त महाधिवक्ता को गत 4 महीनों में एक लाख रुपयों से भी अधिक का भुगतान शासन को करना पड़ा है ? यदि हां, तो इस पद पर खर्चे का औचित्य क्या है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में अतिरिक्त महाधिवक्ता का वर्तमान पद शासनादेश दिनांक 6 जुलाई, 1979 द्वारा सृजित किया गया । इस पद पर श्री देवेन्द्रपाल सिंह चौहान की नियुक्ति माह जुलाई, 1979 में की गई और वर्तमान अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री सुभाष चन्द्र महेश्वरी की नियुक्ति दिनांक 3 जुलाई, 1980 के आदेश द्वारा की गई । जुलाई, 79 के पूर्व भी अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर नियुक्तियां की जाती रही हैं ।

श्री महेश्वरी को गत चार माह अर्थात् जनवरी, 1981 से अप्रैल, 1981 तक कुल रु0 16,300.00 का भुगतान किया गया जिसे अनुचित नहीं कहा जा सकता ।

अधीनस्थ शिक्षा सेवा राजपत्रित वेतनमान में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति का कोटा

138--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधीनस्थ शिक्षा सेवा राजपत्रित वेतन-मान में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से आरक्षण कोटा को पूरा करने के सिलसिले में 15 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रतिवेदन श्री कुंवर सिंह नेगी

विधायक के माध्यम से दिसम्बर, 1981 के अन्तिम सप्ताह में दिया गया ? यदि हां, तो शासन ने उस पर क्या निर्णय लिया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां । शासन द्वारा लिया गया निर्णय इस प्रकार है :

(1) प्रोन्नति हेतु पात्रता की शर्तों को शिथिल न किया जाय ।

(2) निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को यह जिम्मेदारी सौंपी जाय कि वह विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा/एल0 टी0 वेतनमान के पदों (जिससे अधीनस्थ शिक्षा सेवा राजपत्रित वेतनमान के पदों पर प्रोन्नति की जाती है) पर कार्यरत कर्मचारियों के स्थायीकरण के मामलों को देखें, ताकि अस्थायी पदधारकों को शीघ्र स्थायी करके उनकी प्रोन्नति की जा सके ।

सचिवालय सुरक्षा दल के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की टंकक के पद पर प्रोन्नति

139-140—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय सुरक्षा दल में चतुर्थ श्रेणी के वेतन पाने वाले ऐसे भी कर्मचारी हैं जिनके द्वारा टंकक के पद पर प्रोन्नति आदि के संबन्ध में दिये गये प्रार्थना पत्र पर कार्यालय ज्ञापन संख्या 8073/20-ई0 5-80/312/80 सचिवालय प्रशासन अधिष्ठान अनुभाग-5, दिनांक 28-10-80 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या 8632/20-ई0-4-80-3 (प्रोन्नति)/80 टी0 सी0 सचिव प्र0 अ0 अनु0 4 द्वारा तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत बताकर समस्त सुविधाओं एवं प्रोन्नतियों से वंचित कर दिया गया ?

यदि हां, तो सचिवालय सुरक्षा दल के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनको टंकक के पद पर प्रोन्नति आदि से सम्बन्धित सुविधाओं से वंचित रखा गया है और क्यों ? क्या यह सत्य है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या 19/11/74-कार्मिक-1/76, दिनांक 4 सितम्बर, 1976 के अनुसार 200 से कम वेतनमान के कर्मचारी चतुर्थ वर्ग में आते हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

उत्तर प्रदेश सचिवालय (सुरक्षा और अग्नि शमन) सेवा नियमावली, 1980 के नियम-2 के अनुसार सचिवालय सुरक्षा सेवा में कोई भी कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी (जिससे अब समूह 'घ' कहते हैं) का कर्मचारी नहीं है । इसलिए प्रश्न में संदर्भित कार्यालय ज्ञापों द्वारा तीन विधान भवन रक्षकों को उस परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जा सकी जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को टंकक के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित की गई थी ।

यह सही है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या-19/11/74 कार्मिक-1/76, दिनांक 4 सितम्बर, 1976 के अधीन ऐसे अराजपत्रित पद, जिनके वेतनमान की न्यूनतम धनराशि रु0 200 से कम हैं, समूह 'घ' के अन्तर्गत आते हैं । परन्तु उसी आदेश में ही इससे अपवाद करने का अधिकार शासन को प्रदत्त है ।

हाई कोर्ट, इलाहाबाद, लखनऊ तथा सार्वजनिक सेवा अधिकरण में पैनल लायर्स के चयन का आधार

141—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वायत्त शासन विभाग मंत्री परिषद् तथा मंडी समितियों तथा उत्तर प्रदेश शासन संबंधी मुकदमों की पैरवी हेतु हाई कोर्ट, इलाहाबाद, लखनऊ तथा सार्वजनिक सेवा अधिकरण में पैनल लायर्स के चयन का क्या आधार है ? क्या एक ही वकील सभी विभागों के पैनल में रह सकता है ?

श्री जगदीश प्रसाद—

हाई कोर्ट इलाहाबाद तथा उसकी लखनऊ पीठ में शासन के मुकदमों की पैरवी के लिए शासन के न्याय विभाग द्वारा विधि अधिकारियों की नियुक्तियां की जाती हैं । तथा आवश्यक राज्य के महाधिवक्ता या उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या किन्हीं अन्य न्यायाधीशों के या इस कार्य हेतु संगठित किसी समिति के विचारों पर शासन द्वारा ध्यान दिये जाने का प्राविधान विधि परामर्शी निदेशिका तथा दन्ड प्रक्रिया संहिता में है और उन्हीं प्राविधानों के अनुसार चयन किया जाता है ।

लोक सेवा अधिकरण में पैनल लाइयर्स नियुक्त नहीं है । इन अधिकरणों में शासन का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुतकर्त्ता अधिकारी तथा सहायक प्रस्तुतकर्त्ता अधिकारी की नियुक्तियां की जाती हैं । प्रस्तुतकर्त्ता अधिकारी की नियुक्ति हेतु वकीलों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं और चयन समिति का गठन करके उपयुक्त अभ्यर्थी का चुनाव किया जाता है । सहायक प्रस्तुतकर्त्ता अधिकारी की नियुक्ति सचिवालय के प्रवर वर्ग सहायकों में से जो विधि स्नातक हो, चयन करके की जाती है ।

शासन ने नगर विकास विभाग में हाई कोर्ट तथा लोक सेवा अधिकरण में वर्तमान में वकीलों का कोई पनल नहीं है । मन्डी परिषद तथा मन्डी समितियों के पैनल लाइयर्स के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है ।

रतन सेन महाविद्यालय शिक्षक संघ, बांसी, जिला बस्ती में बी0 एड0 कक्षाओं में प्रवेश में बरती गयी अनियमिततायें

142—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि रतन सेन महाविद्यालय शिक्षक संघ, बांसी, जिला बस्ती की ओर से बी0 एड0 कक्षाओं के प्रवेश में बरती गई अनियमितताओं के सिलसिले में प्रश्नकर्त्ता ने अपने पत्रांक 6/80–81, दिनांक 7–9–80 द्वारा कुलपति गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं पत्रांक 7/80–81, दिनांक 19–9–80 द्वारा प्रबन्धक रतन सेन डिग्री कालेज, बांसी को शिकायतें की गई ? यदि हां, तो शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि कार्यवाही नहीं की गई, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

पत्र की प्राप्ति के बाद विश्वविद्यालय द्वारा जांच सम्पन्न कराई गई । जांच के दौरान यह अनुभव किया गया कि मामले की सम्यक् जांच कराना आवश्यक

है । अतएव विश्वविद्यालय के अनुरोध पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर को भी एक द्वि सदस्यीय जांच समिति का सदस्य नियुक्त कर दिया गया है और विश्वविद्यालय द्वारा अब उक्त द्विसदस्यीय जांच समिति द्वारा जांच करायी जा रही है ।

143—श्री राम आसरे वर्मा—

[दूसरे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 112 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

144—श्री राम आसरे वर्मा—

[दूसरे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 83 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

उपाचार्य (साहित्य) के पद पर नियुक्ति तथा शैक्षिक योग्यतायें

145—श्री राम आसरे वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के तृतीय मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 20 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आचार्य (साहित्य) पद हेतु डा0 श्री वायुभक्त पान्डेय की पूर्व शैक्षिक योग्यतायें व अनुभव क्या-क्या थे और चयन में डा0 सूर्य प्रसाद मिश्र की शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव को कौन-सा स्थान दिया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्रथम सत्र (1981) के कथित प्रश्न में आचार्य (साहित्य) के पद पर नियुक्ति हेतु नहीं वरन् उपाचार्य (साहित्य) के पद पर नियुक्ति का उल्लेख था । साक्षात्कार में बुलाये गये व्यक्ति का सही नाम डा0 वायुनन्दन पान्डेय है । इनकी शैक्षिक योग्यताओं व अनुभव का विवरण संलग्न है । चयन समिति ने डा0 सूर्य प्रसाद मिश्र को कोई स्थान नहीं दिया ।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ 239 पर ।)

हरदोई जनपद में इन्टर कालेजों व उच्चतर माध्यमिक कालेजों की संख्या तथा चपरासियों में अनुसूचित जाति व जन जाति की संख्या

146—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक 28-2-81 को हरदोई जनपद में इन्टर कालेजों व उच्चतर माध्यमिक कालेजों की संख्या क्या है ? उन कालेज/स्कूलों के कार्यरत चपरासियों की संख्या क्या है तथा उनमें सवर्ण, अनु0 जाति, पिछड़े वर्ग तथा अनु0 जन जाति व अल्प संख्यक वर्ग के कितने-कितने चपरासी हैं तथा कितने स्थान रिक्त हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

थाना बांगरमऊ, जिला उन्नाव में नामजद रिपोर्ट

147—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 7 मार्च, 1981 को श्री शिव कुमार की गोली मार कर जो हत्या की गयी तथा उसी दिन थाना बांगरमऊ, जिला उन्नाव में नामजद अपराधियों की रिपोर्ट श्री राज कुमार, ग्राम इब्राहिमपुर, पो0 बरौना, जनपद उन्नाव द्वारा लिखा दी गयी थी ? उस पर अभी तक शासन के द्वारा मुल्जिमानों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी तथा दोषी अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही विलम्ब से करने का क्या कारण है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 7 मार्च, 1981 को ग्राम इब्राहीमपुर पोस्ट बरौना जनपद उन्नाव के शिव कुमार नामक किसी व्यक्ति की हत्या नहीं की गयी । दिनांक 7 मार्च, 1981 को इस ग्राम के श्री राज कुमार द्वारा जो रिपोर्ट थाना बांगरमऊ, जनपद उन्नाव में लिखाई गयी उसमें उनके भतीजे श्री अनुगुल किशोर का उल्लेख था जो ग्राम मूंगखोड़ा के एक बाग में मृत पाये गये थे ।

इस सूचना पर दिनांक 7 मार्च, 1981 को मु0 अ0 संख्या 81, धारा 302 भा0 दं0 वि0 थाना बांगरमऊ में पंजीकृत किया गया । विवेचना से मृतक द्वारा आत्म हत्या करना पाया गया । अतः इस मामले में अन्तिम रिपोर्ट सं0 24, दिनांक 13-3-81 प्रेषित की गयी जो न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है ।

148—श्री राम आसरे वर्मा—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

पुलिस अधीक्षक, देवरिया के विरुद्ध शिकायती-पत्र

149—श्री हरिवंश सहाय—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उप पुलिस अधीक्षक देवरिया (सी0 पी0 जैन) ने आई0 जी0 पुलिस उत्तर प्रदेश तथा डी0 आई0 जी0, गोरखपुर को दिनांक 5-3-81 के अनुसार गम्भीर आरोप एवं दुर्व्यवहार से सम्बन्धित शिकायती-पत्र पुलिस अधीक्षक, देवरिया के विरुद्ध दिया है ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या है तथा उस पर कौन-सी कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी हां । प्रश्नगत शिकायती पत्र में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, देवरिया के विरुद्ध अवैधानिक कार्य कराने, पुलिस उपाधीक्षक के आवास गृह के आवंटन में पक्षपात करने, थानेदारों के पक्ष में रिपोर्ट दिये जाने तथा अन्य विभागीय अनियमितताएं बरतने आदि के आरोप लगाये गये हैं, जिनकी जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा की जा रही है ।

जनता आदर्श लघु माध्यमिक विद्यालय चुनकी, देवरिया को अस्थायी मान्यता का नवीनीकरण

150--श्री रुद्र प्रताप सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि महन्त राम नरेश दास आदर्श विद्यालय मठद मोदरा चनुकी घाट, देवरिया के आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद का पत्रांक 119441-43, दिनांक 24-8-79 उसी का स्मरण पत्रांक 1362-65, दिनांक 11-4-80 तथा पत्रांक 24394-97, दिनांक 1-10-80 बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया जिसकी प्रतिलिपि जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया एवं उप शिक्षा निदेशक सप्तम मण्डल, गोरखपुर को भी प्रेषित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं हुई, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां । प्रश्नगत पत्रों पर विचारोपरान्त जिला मान्यता समिति द्वारा जनता आदर्श लघु माध्यमिक विद्यालय, चनुका (देवरिया) को अस्थायी मान्यता का नवीनीकरण वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 के लिये करने का निर्णय लिया गया ।

पुलिस अधीक्षक, देवरिया के विरुद्ध आरोपों की जांच

151--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस अधीक्षक, देवरिया के विरुद्ध विधायकों का पत्र दिनांक 4-4-81 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं तथा उसकी किस एजेंसी से जांच कराई जा रही है तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां । शिकायती पत्र में 30 शिकायतों का उल्लेख है जिनमें मुख्यतया भ्रष्टाचार के आरोप अंकित हैं । शिकायतों की जांच पुलिस महानिरीक्षक के माध्यम से कराई जा रही है । जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

थानाध्यक्ष, गौरी बाजार, जिला देवरिया के विरुद्ध शिकायती-पत्र

152--श्री हरिवंश सहाय--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि थानाध्यक्ष, गौरी बाजार, जिला देवरिया के विरुद्ध शिकायती-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 10 नवम्बर, 1980 के साथ संलग्नक सहित प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां । संलग्नक में लगाये गए आरोपों पर जांच एवं आवश्यक कार्यवाही कराने के आदेश जिलाधिकारी को दिए गए हैं । उनसे अभी रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है ।

श्री राम देव, ग्राम मुकुन्दपुर, थाना गौरी बाजार, जिला देवरिया का अपहरण सम्बन्धी शिकायती-पत्र

153--श्री हरिबंश सहाय--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम देव ग्राम मुकुन्दपुर, थाना गौरी बाजार, जिला देवरिया के अपहरण सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्रांक 9 अक्तूबर, 1980 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

प्रश्नगत मामले के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 9-10-80 नहीं अपितु 1-10-80 श्रीमती बुधिया पत्नी श्री राम देव के प्रार्थना-पत्र के साथ प्राप्त हुआ है। इसकी जांच करायी गयी। जांच से प्रार्थिनी के पति के गायब होने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग की विवेचना में लापरवाही के लिए स० इ० श्री पी० एन० राय को दुष्चरित्र लेख प्रदान किया गया शस्त्रों के लाइसेंस निलम्बन आदेश के सम्बन्ध में भी उक्त स० इ० की लापरवाही पायी गयी और इस सम्बन्ध में भी उन्हें दुष्चरित्र प्रविष्टि दी गयी है। पुलिस के विरुद्ध अन्य आरोपों की पुष्टि में स्पष्ट प्रमाण नहीं मिल सके। अपहृत राम देव का पता अभी तक नहीं लगा है।

प्रशिक्षण महाविद्यालयों से सम्बद्ध विस्तार सेवा से सम्बन्धित स्टाफ का अन्यत्र समायोजन

154--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 3469-क/15(14)-48(1)/72, दिनांक 26 जून, 1979 द्वारा प्रशिक्षण महाविद्यालयों से सम्बद्ध विस्तार सेवा को 30 जून, 1979 को समाप्त कर उन केन्द्रों से सम्बद्ध स्टाफ को 30 जून, 1979 से पूर्व ही अन्यत्र समायोजन किए जाने के आदेश हुए थे ? यदि हां, तो आई० टी० कालेज, लखनऊ से सम्बद्ध कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का समायोजन अभी तक नहीं किया गया है ? इसके लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां।

आई० टी० कालेज, लखनऊ से सम्बद्ध विस्तार सेवा केन्द्र में केवल एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था जिसके समायोजन हेतु महाविद्यालय ने एक चतुर्थ वर्ग का पद सृजित करने का प्रस्ताव भेजा था। वह पद उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा सृजित करते हुए उक्त महाविद्यालय को आदेश दिए जा चुके हैं कि उस पद पर उक्त चतुर्थ वर्ग कर्मचारी का समायोजन किया जाय।

प्रश्न नहीं उठता।

155--श्री सरदार सिंह--

[3रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद जौनपुर में जमालपुर से बाबतपुर तक बसुही नदी पर पुल के निर्माण की योजना

156--श्री प्रभूनारायण सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि जनपद जौनपुर में जमालपुर से बाबतपुर तक जाने वाले राजमार्ग पर पड़ने वाली बसुही नदी पर पुल के निर्माण की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो यह कब पूरा हो जायेगा?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां।

आगणन तैयार किया जा रहा है।

शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना के अन्तर्गत प्रसार पर्यवेक्षक का कार्य

157--श्री प्रभूनारायण सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि शिक्षा पुनर्व्यवस्था के अन्तर्गत नियुक्त प्रसार पर्यवेक्षकों व जिला विद्यालय निरीक्षकों एवं बेसिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों में मात्र लिपिकीय कार्य लिया जाता है? यदि हां, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना के अन्तर्गत प्रसार पर्यवेक्षक नाम से कोई पदाधिकारी नियुक्त नहीं है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में शिक्षा विभाग के सभी कार्यालय के संकीर्ण भवन

158--श्री प्रभूनारायण सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री को मालूम है कि जनपद जौनपुर में शिक्षा विभाग के सभी कार्यालय किराये के भवनों में बहुत ही संकीर्ण स्थानों पर चलते हैं? क्या सरकार जौनपुर नगर में स्थित राजकीय बालिका दीक्षा विद्यालय के भवन में इन सभी कार्यालयों को चलाने की व्यवस्था करायेगी? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां।

राजकीय बालिका दीक्षा विद्यालय, जौनपुर के प्रांगण में जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जौनपुर के कार्यालय को स्थानान्तरित करने की सम्भावना पर विचार किया जा रहा है।

जनपद जौनपुर, विकास क्षेत्र मुफ्तीगंज के अन्तर्गत राजकीय कन्या विद्यालय, शिवपुर की शिक्षिकाओं के वेतन की विसंगति

159--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र मुफ्तीगंज के अन्तर्गत राजकीय कन्या विद्यालय, शिवपुर की शिक्षिकाओं को सम्पूर्ण धन मिलाकर मात्र एक सौ पैंसठ रुपए प्रति माह मिलता है क्या यह भी सत्य है कि

उन अध्यापिकाओं से अधिक वेतन वहां के चपरासी को प्राप्त होता है ? क्या इस विसंगति को दूर करके उन शिक्षिकाओं को पूर्ण और नियमित वेतन दिलाने की व्यवस्था की जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जौनपुर की आख्या के अनुसार इस जनपद के विकास क्षेत्र मुफ्तीगंज के अन्तर्गत राजकीय कन्या विद्यालय, शिवपुर में संचालित नहीं है, बल्कि परिषद् द्वारा कन्या सीनियर बेसिक विद्यालय, शिवपुर चल रहा है। उसमें कार्यरत अध्यापिकाओं को नियमित वेतनक्रम में, महंगाई-भत्ते सहित, वेतन का भुगतान किया जाता है। किसी भी अध्यापिका को रु0 165 कुल वेतन नहीं दिया जाता है। वर्णित स्थिति में विसंगति का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूल के जीर्ण-शीर्ण भवनों की संख्या

160--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के कितने प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूल बिना भवन के या जीर्ण-शीर्ण भवनों में चलते हैं ? क्या सरकार इन विद्यालयों के भवन शीघ्र बनवायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला जौनपुर का जलालपुर से मड़ियाहूं तक निर्माणाधीन सड़क

161--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि जौनपुर जिले की जलालपुर से मड़ियाहूं होते हुए मछली शहर तक जाने वाली सड़क कब से निर्माणाधीन है और उस राज मार्ग को कब तक पूर्ण कर लिया जायगा ? क्या उक्त सड़क पर केराकत के समीप गोमती नदी पर पुल बनवाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

प्रश्नगत मार्ग दो भागों में पृथक्-पृथक् योजनाओं के अन्तर्गत निर्माणाधीन है। प्रथम भाग अर्थात् जलालपुर से मड़ियाहूं मार्ग (लम्बाई 18.70 कि0 मी0) का निर्माण जून, 1977 में तथा द्वितीय भाग अर्थात् मड़ियाहूं से मछली शहर मार्ग (लम्बाई 21.55 कि0 मी0) का निर्माण दिसम्बर, 1976 में प्रारम्भ किया गया था। धन तथा बिटमिन आवश्यकतानुसार उपलब्ध न होने के कारण यह कहना सम्भव नहीं है कि यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेंगे।

गोमती नदी उक्त निर्माणाधीन मार्ग के रास्ते में नहीं पड़ती है। अतः उक्त मार्ग पर पुल बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के जूनियर हाई स्कूल बाकराबाद के भवन निर्माण में की गयी अनियमितता की जांच

162—श्री प्रभू नारायण सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद जौनपुर के जूनियर हाई स्कूल, बाकराबाद को जो भवन बयासी हजार रुपए के लागत से वर्ष 1979-80 में बना है वह बहुत ही कमजोर और जर्जर स्थिति में है ? क्या सरकार इस विद्यालय के भवन निर्माण में की गयी अनियमितता की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद जौनपुर में जूनियर हाई स्कूल, बाकराबाद के भवन निर्माण का कार्य ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा रु0 71,000 की लागत से मार्च, 1980 में पूरा किया गया। वर्ष 1980 में जनपद जौनपुर में बाढ़ के कारण प्रश्नगत भवन का प्रयोग बाढ़ शरणालय के रूप में किया गया और बहुत अधिक व्यक्ति रहे जिससे इस भवन के प्लास्टर व फर्श को नुकसान पहुंचा। भवन की छत भी टपकती बतायी गई है। मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा को निर्देश दिया जा रहा है कि भवन की निर्माण सम्बन्धी त्रुटियों का शीघ्रातिशीघ्र निराकरण करें।

जनपद देवरिया में सूखे से हुई क्षति तथा माध्यमिक विद्यालयों को क्षतिपूर्ति

163—श्री प्रभू नारायण सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि जनपद देवरिया में वर्ष 1979-80 में सूखे से हुई क्षति की क्षतिपूर्ति अभी तक माध्यमिक विद्यालयों को क्यों नहीं की गयी ? क्या सरकार उक्त जिले के विद्यालयों को शीघ्र क्षतिपूर्ति करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

चुर्क और डाला सीमेन्ट फैक्ट्री में सीमेन्ट की लागत की बढ़ोत्तरी

164—श्री जटाशंकर सिंह—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 1981 के समाप्त होने वाले गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष चुर्क और डाला सीमेन्ट फैक्ट्री में सीमेन्ट का उत्पादन कितना (मीट्रिक टन) प्रति वर्ष हुआ है तथा इन दोनों सीमेन्ट कारखानों में स्थापना से अब तक (3 मार्च, 1981) अधिकतम उत्पादन कब और कितनी मात्रा में हुआ ? उत्पादित सीमेंट की लागत प्रति टन कितनी रही है और बढ़ोत्तरी का कारण क्या है ?

श्री नियाज हसन खां—

गत तीन वर्षों में चुर्क एवं डाला का वर्षवार उत्पादन निम्नांकित है :—

वर्ष	चुर्क	डाला
	(मट्रिक टन में)	
1978-79	3,36,314	2,47,000
1979-80	2,67,462	1,76,682
1980-81	3,03,738	2,12,337

स्थापना से अब तक अधिकतम सीमेंट का उत्पादन चुर्क फैक्ट्री में वर्ष 1972–73 में 4,38,437 मैट्रिक टन तथा डाला फैक्टरी में वर्ष 1975–76 में 3,15,950 मैट्रिक टन रहा। प्रति टन लागत वर्ष 1980–81 में चुर्क फैक्टरी में 335.58 रु0 रही तथा डाला फैक्टरी में 327.91 रु0 रही। उत्पादित सीमेंट की लागत अधिक होने के मूल कारण निम्न रहे :

(1) विद्युत् की कमी एवं उसकी ऊंची दर,

(2) पिछले दो वर्षों से हर सामान एवं स्पेयर पार्ट्स का मूल्य इस्पात की दर में बढ़ोत्तरी के कारण बढ़ गया है ;

(3) कोयले की दर में पिछले दो वर्षों से बढ़ोत्तरी हुई है ;

(4) श्रमिकों को देय वेतन की वृद्धि हुई है ;

(5) कम उत्पादन होने के कारण प्रति टन लागत बढ़ गई है।

सीमेंट कारपोरेशन द्वारा एम्बेसडर, ट्रक, डम्प स्क्रेप बुलडोजर, क्रेन रोलर की खरीदारी पर व्यय

165—श्री जटाशंकर सिंह—

क्या उद्योग मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980–81 में सीमेंट कारपोरेशन द्वारा कुल कितनी संख्या में एम्बेसडर, ट्रक, डम्प स्क्रेपर, बुलडोजर, क्रेन, रोलर खरीदे गये तथा इस प्रकार के खरीदारी पर कुल कितना व्यय हुआ ? क्या यह सच है कि कुछ एम्बेसडर कारों में रेडियो तथा कैसेट प्लेयर लगाये गये हैं ? यदि हां, तो इस पर कितना व्यय हुआ ?

श्री नियाज हसन खां—

वर्ष 1980–81 में सीमेंट कारपोरेशन द्वारा केवल 6 एम्बेसडर गाड़ियां 6 निष्प्रयोज्य की गयी गाड़ियों के स्थान पर खरीदी गई हैं और प्रश्न में उल्लिखित अन्य कोई वस्तु नहीं खरीदी गयी है। इन गाड़ियों पर कुल व्यय 3,76,191.37 रु0 हुआ है। यह सच नहीं है कि एम्बेसडर कारों में रेडियों तथा केसेट प्लेयर लगाये गये हैं। इस प्रकार उन पर किसी व्यय का प्रश्न नहीं उठता है।

कजराहट चुनार सीमेंट परियोजना को पूरा किये जाने का लक्ष्य तथा उक्त परियोजना के पिछड़ जाने का कारण एवं उत्तरदायित्व

166—श्री जटाशंकर सिंह—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कजराहट चुनार सीमेंट परियोजना को कब तक पूरा कर दिया जाने का लक्ष्य था, तथा मार्च, 1981 के समाप्त होने वाले वर्ष तक परियोजना कितनी पिछड़ गयी है ? और कब तक पूरा किये जाने की योजना है ?

श्री नियाज हसन खां—

कजराहट चुनार सीमेंट परियोजना को दो चरणों में जनवरी, 1980 तक प्रथम चरण में तथा जून, 1980 तक द्वितीय चरण में पूरा होने का लक्ष्य था। मार्च, 1981 तक परियोजना लगभग एक वर्ष दो माह पिछड़ गयी है। परियोजना का प्रथम चरण मार्च, 1981 में पूरा हो गया है और इसी माह से उत्पादन भी प्रारम्भ हो गया।

167—श्री जटा शंकर सिंह—

क्या उद्योग मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उक्त परियोजना के पिछड़ जाने के परिणामस्वरूप प्रतिमाह कितन मैट्रिक टन सीमेन्ट उत्पादित नहीं हो सका है और प्रतिवर्ष कितने लाख रुपए का घाटा रहा है ? इस परियोजना के पिछड़ने का उत्तरदायित्व किस पर है ?

श्री नियाज हसन खां—

परियोजना पिछड़ जाने से अनुमानित रूप से लगभग 1,06,785·71 मैट्रिक टन प्रतिमाह सीमेन्ट उत्पादित नहीं हो सका है और सीमेन्ट उत्पादित न होने पर भारत सरकार द्वारा प्रतिनिर्धारण मूल्य (रिटेन्शन प्राइस) निर्धारित किए जाने का प्रश्न न होने से उसकी दर ज्ञात न होने के कारण घाटे का अनुमान लगाया जाना सम्भव नहीं है।

इस परियोजना के पिछड़ने का कारण समय से आवश्यक सामान का न मिलना, आपूर्तिकर्त्ताओं के यहां हड़ताल, विद्युत की कमी तथा उसके कारण आवश्यक सामानों का समय से उत्पादन न होना आदि अन्य अपरिहार्य अड़चनें हैं अतः इसका उत्तरदायित्व किसी पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

आई० ए० एस० और पी० सी० एस० अधिकारियों के यात्रा भत्ता एवं बंगलों के रख-रखाव तथा साज-सज्जा पर व्यय

168—श्री जटा शंकर सिंह—

क्या उद्योग मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सीमेन्ट निगम में कार्यरत आई० ए० एस० और पी० सी० एस० तथा अफसरों को तथा टेक्निकल अफसरों को अलग-अलग वित्तीय वर्ष 1981 तक कितना यात्रा और भत्ते के रूप में व्यय करना पड़ा है ? तथा उनके बंगले के रख-रखाव एवं साज-सज्जा पर प्रश्नगत कितना व्यय किया गया है ?

श्री नियाज हसन खां—

पिछले तीन वर्षों में सीमेन्ट निगम में आई० ए० एस० एवं पी० सी० एस० अधिकारियों का यात्रा भत्ता निम्न प्रकार रहा है :—

वर्ष	धनराशि
	रु०
1978-79	63,146·00
1979-80	71,680·04
1980-81	88,088·15

तकनीकी एवं अन्य अधिकारियों के यात्रा भत्ते का विवरण निम्न प्रकार है:—

वर्ष	धनराशि
	रु0
1978–79	2,87,897·36
1979–80	3,67,565·73
1980–81	3,73,927·66

अधिकारियों के बंगलों के रख–रखाव एवं साज–सज्जा का कारखाने के टाउनशिप जिसमें श्रमिक एवं अधिकारी दोनों सम्मिलित हैं के सभी बंगलों में समानरूप से होता है। इन पर कोई अन्य विशेष व्यय होने का प्रश्न नहीं है।

बस्ती जनपद के नौगढ़ तहसील में राजकीय प्राइमरी पाठशालाओं के भवन हेतु प्रस्तावित योजना का प्रारूप

169—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जनपद के नौगढ़ तहसील में इस समय कितनी राजकीय प्राइमरी पाठशालाएं पेड़ों के नीचे लग रही हैं ? क्या भविष्य में सरकार के पास ऐसे स्कूलों के भवन हेतु कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो योजना का प्रारूप क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

बस्ती जनपद की नौगढ़ तहसील में इस समय कोई राजकीय प्राइमरी पाठशाला नहीं है।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित भवनहीन प्राइमरी स्कूलों के भवन निर्माण हेतु छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत एक योजना आरम्भ की गयी है जिसके अधीन अनुदान दिया जाता है। वर्ष 1980–81 में जनपद बस्ती में 107 प्राइमरी स्कूलों के निर्माण हेतु 40,23,200 रु0 का अनुदान स्वीकृत किया गया है जिसमें से नौगढ़ तहसील में 15 प्राइमरी स्कूलों का निर्माण कराये जाने का निर्णय जिला बेसिक शिक्षा समिति बस्ती ने लिया है।

औद्योगिक बस्तियों में बिजली घर बनाने का प्रस्ताव

170—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य की समस्त औद्योगिक बस्तियों में बिजली घर बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो योजना की रूपरेखा क्या है ?

श्री मियाज हसन खां—

(क) जी नहीं।

(ख) केवल औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद में 30–30 मेगावाट के दो थर्मल पावर स्टेशन स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। योजना का संक्षिप्त विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ 240 पर।)

प्रदेश में विशेष अदालतों का गठन एवं उसकी रूपरेखा

171—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए विशेष अदालतों के गठन पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से तथा उसकी रूप रेखा क्या है ?

श्री जगदीश प्रसाद—

आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए 6 पर्वतीय जिलों टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, पौड़ी-गढ़वाल, चमोली, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ को छोड़कर प्रदेश के 50 जिलों में प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट का एक विशेष न्यायालय स्थापित करने की अधिसूचना संख्या 1854/सात-अ0 न्या0-206-81, दिनांक 28 मई, 1981 प्रसारित की जा चुकी है तथा जिला कानपुर नगर (मेट्रोपालिटन क्षेत्र) में एक प्रथम वर्ग के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को नामित करने के लिए लिखित अनुरोध उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से 5 जून, 1981 को किया जा चुका है।

ये विशेष न्यायालय अपनी अधिकारिता के अन्तर्गत पड़ने वाले स्थानीय क्षेत्र में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों के अधीन उदभुत मामलों का विचारण करेंगे ।

(देखिए नत्थी 'त' आगे पृष्ठ 242 पर ।)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम से सहायता पाने वाले मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी पाने वाले की अंशदान से मुक्ति तथा वर्तमान छूट

172—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम से सहायता पाने वाले मजदूरी में न्यूनतम कितने रुपया प्रति दिन मजदूरी पाने वालों को सम्प्रति अपने हिस्से के अंशदान से मुक्त रखा गया है ? क्या सरकार वर्तमान महंगाई को ध्यान में रखते हुए वर्तमान छूट की दैनिक मजदूरी की दर तीन गुना तक बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की अनुसूची प्रथम के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम से सहायता पाने वाले मजदूरों में निम्नतम औसतन दो रुपये से कम प्रतिदिन मजदूरी पाने वाले को निगम के अंशदान से मुक्त रखा गया है । इस छूट की दर तीन गुना बढ़ाने के लिये अधिनियम में संशोधन करना पड़ेगा जिसके लिये केन्द्र सरकार ही सक्षम है ।

लखनऊ में चीनी उद्योग के त्रिपक्षीय सम्मेलन में लिये गये निर्णय

173—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 24 अक्तूबर, 1980 को लखनऊ में हुए चीनी उद्योग के त्रिपक्षीय वार्ता सम्मेलन में क्या-क्या निर्णय लिए गये तथा उनमें से क्या किन्हीं निर्णयों को लागू कर दिया गया है ? यदि हां, तो जिन्हें लागू कर दिया गया है वह कौन-कौन हैं तथा शेष के बारे में शासन की नीति क्या है ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

चीनी उद्योग का त्रिपक्षीय सम्मेलन लखनऊ में दिनांक 24 दिसम्बर, 80 को हुआ था। उसमें लिये गये निर्णय तथा उन्हें लागू किये जाने आदि से सम्बन्धित सूचना संलग्न तालिका में दी जा रही है।

(देखिये नत्थी 'थ' अगले पृष्ठ 243 पर।)

उत्तर प्रदेश द्वारा विभिन्न उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण

174—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश न्यूनतम मजदूरी परामर्शदात्री मण्डल द्वारा विभिन्न उद्योगों में कार्यरत मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी क्या निर्धारित करने का सुझाव वर्ष 1979-80 में दिया है ? वर्तमान में विभिन्न उद्योगों के लिए न्यूनतम मजदूरी क्या है ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

जी नहीं।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में लागू वर्तमान न्यूनतम मजदूरी का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'द' आगे पृष्ठ 246 पर।)

उत्तर प्रदेश की सालवेन्ट इन्डस्ट्रीज में मजदूरों का वेतन-क्रम एवं वेजबोर्ड का गठन

175—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या श्रम एवं सेवायोजन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश की सालवेन्ट इण्डस्ट्रीज में कार्यरत मजदूरों के लिए वेतनक्रम तथा सेवा की शर्तों के निर्धारण हेतु वेजबोर्ड न गठित करने का क्या कारण है ? वेजबोर्ड कब तक गठित कर दिया जायगा ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

वेतन मण्डल का गठन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। इस प्रदेश में इस उद्योग में श्रमिकों की नियोजित संख्या बहुत थोड़ी है। अतः यह उद्योग श्रमिकों के नियोजन की दृष्टि से इतना बड़ा अथवा महत्वपूर्ण उद्योग नहीं है कि पूरे उद्योग के स्तर पर श्रमिकों के वेतन-क्रम तथा उनकी सेवा की शर्तों के निर्धारण के लिए किसी वेतन मण्डल के गठन की आवश्यकता हो।

उन्नाव जिला के थाना बांगरमऊ की पुलिस चौकी गंज मुरादाबाद में पुलिस सिपाही की हत्या एवं जांच

176—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गृह मन्त्री को जानकारी है कि 1 जनवरी, 1981 को अथवा उसके आस-पास किसी दिन उन्नाव जिला के थाना बांगर मऊ की पुलिस चौकी गंज मुरादाबाद में चौकी भवन के भीतर एक पुलिस सिपाही की हत्या कर दी गयी ?

यदि हां, तो घटना का विवरण क्या है ? तथा इस बारे में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 14/15-12-80 की रात्रि में श्री सुरेश पाल सिंह निवासी बल्लापुर थाना बांगरमऊ के गंज मुरादाबाद स्थित मेडिकल स्टोर में दवाओं की चोरी हो गई थी । वादी की सूचना पर थाना बांगरमऊ में अ0 सं0 495/80 अन्तर्गत धारा 457/380 भा0 दं0 वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया । विवेचना के द्वारा दिनांक 31-12-80 को अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ मुसई ग्राम बल्लापुर थाना बांगरमऊ जिला उन्नाव को पकड़ कर चौकी गंज मुरादाबाद लाया गया और अग्रिम पूछ ताछ के लिए उसे एक कान्स्टेबिल तथा एक चौकीदार की निगरानी में रखा गया । अभियुक्त ने मौका पाकर रात्रि लगभग 9 बजे थाने में रखा एक बांका उठाकर का0 दल बहादुर सिंह पर हमला कर उसकी हत्या कर दी और भागने में सफल हो गया । इस सम्बन्ध में दिनांक 1-1-81 को 15 बजे थाना बांगरमऊ में धारा 302 भा0 दं0 वि0 का मुकदमा अंकित किया गया और दिनांक 2-1-81 को अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया । अभियुक्त के विरुद्ध विवेचना में आरोप सिद्ध होने पर आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया जहां अभियुक्त को धारा 302/216 भा0 दं0 वि0 के अधीन आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है । अभियुक्त के विरुद्ध दवाओं की चोरी करने के सम्बन्ध में दर्ज मुकदमे में भी आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया जहां अभियुक्त को 6 माह के कठोर कारावास की सजा हुई है ।

फैजाबाद स्थित सिक्ख रेजीमेन्ट के शस्त्रागार से हथियारों की चोरी के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही

177—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायगे कि दिसम्बर, 1980 के प्रथम सप्ताह में कोतवाली फैजाबाद को इस आशय की कोई सूचना मिली कि फैजाबाद स्थित सिक्ख रेजीमेंट के शस्त्रागार से बड़े पैमाने पर हथियारों की चोरी हो गयी है ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है ? कितने हथियारों की चोरी की सूचना है ? इस बारे में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

दिनांक 30-11-80 को कमांडिंग आफिसर 2 सिक्ख रेजीमेन्ट ने थाना कैन्ट में सूचना दी कि उसी दिन शाम को 4 बजे यूनिट लाइन फैजाबाद से कुछ असलहा कारतूस तथा अन्य सामान चोरी चला गया । चोरी किये गये सामान में एक राइफल, एक मैगजीन, एक संगीन, एक तलवार 235 राइफल के भरे हुए कारतूस, 46 भरी हुई ट्रेसर गोलियां तथा 10 हथगोले थे ।

उपरोक्त सूचना पर थाना कैन्ट में अपराध सं0-346 धारा 380 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ । विवेचना से माल मुलजिम का कुछ पता नहीं चल सका । अतः इस केस में अंतिम आख्या लगा कर विवेचना समाप्त कर दी गई ।

थाना फजलगंज कानपुर में सिपाही द्वारा महिला के साथ बलात्कार की जांच

178—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गृह मन्त्री को इसकी जानकारी है कि कानपुर में 31 दिसम्बर, 1980 को अथवा उसके आस-पास किसी दिन नगर पुलिस अधीक्षक को यह सूचना मिली कि फजलगंज पुलिस चौकी के एक सिपाही द्वारा एक महिला के साथ बलात्कार किया गया है ? यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी हां ।

इस सम्बन्ध में दिनांक 1-1-81 को सूचना प्राप्त होने पर एक अपराध के अन्तर्गत धारा 376 भा0 दं0 वि0 थाना फजलगंज (कानपुर) में पंजीकृत किया गया । विवेचना से घटना असत्य पाये जाने के कारण अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई ।

जौनपुर जिले में बाढ़ के कारण शिक्षा शुल्क में दी गई राहत में प्रभावित छात्रों की संख्या

179—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जिले में आई इस वर्ष बाढ़ के कारण प्रभावित छात्रों को शिक्षा शुल्क में जो राहत मिलनी थी वह राहत तिलकधारी डिग्री कालेज तथा होम्योपैथिक कालेज के कितने-कितने छात्रों को दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला हरदोई में स्कूली कापी व रजिस्टर बनाने के लिये लाइसेन्स दिये गये व्यक्तियों की संख्या

180—श्री हरीशंकर—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हरदोई में 15 मार्च, 1980 से 15 मार्च, 1981 तक स्कूली कापी व रजिस्टर बनाने के लिए कितने व्यक्तियों को लाइसेन्स दिये गये ? लाइसेन्स देने के पूर्व क्या कापी बनाने की मशीनें लगाना अनिवार्य है ? लाइसेन्स दिये गये व्यक्तियों के नाम पता व उनकी आवंटित कागज की मात्रा क्या थी ? कितने लाइसेन्स प्राप्त कर्त्ताओं ने मशीनें नहीं लगायी और क्यों ?

श्री नियाज हसन खां—

जिला हरदोई में 15 मार्च, 1980 से 15 मार्च, 1981 तक स्कूली कापी व रजिस्टर बनाने के लिए 7 इकाईयों को पंजीकृत किया गया । स्थायी पंजीकरण करने के पूर्व मशीनें होना अनिवार्य है । पंजीकृत की गई इकाईयों के नाम व

पता, इकाई के स्वामी का नाम एवं आबंटित कागज की मात्रा संलग्न सूची में दी गई है । सभी पंजीकृत इकाइयों के पास मशीनें हैं ।

(देखिये, नत्थी 'ध' आगे पृष्ठ 250 पर।)

जनपद कानपुर देहात में थानों एवं अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग के थाना इन्चार्ज की संख्या

181—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर देहात जिले में कुल कितने थाने हैं और उनमें से कितने थानों में अनुसूचित एवं जनजाति के, कितनों में अल्पसंख्यक वर्ग के और कितनों में पिछड़े वर्ग के थाना इन्चार्ज 31 मार्च, 1981 को थे ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जनपद कानपुर देहात में वर्तमान समय मे कुल 14 थाने हैं । इस जनपद का सृजन 23 अप्रैल, 1981 को हुआ है, अतः 31 मार्च, 1981 को थाना इंचार्जों की स्थिति बताये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सर्वोदय इण्टर कालेज, अहावार, तहसील चुनार, मिर्जापुर के लिपिक की नियुक्ति एवं वेतन न देने का कारण

182—श्री राम चरण सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सर्वोदय इण्टर कालेज, अहावार, तहसील चुनार, मिर्जापुर में श्री रामकेश सिंह सहायक लिपिक की नियुक्ति 18 माह पूर्व की गयी थी और जिला विद्यालय निरीक्षक, मिर्जापुर के अनुमोदन से की गयी थी ? यदि हां, तो उनको वेतन अब तक न देने का कारण क्या है ? इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने एक पत्र 14-10-80 को माननीय शिक्षा मन्त्री जी को लिखा था उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

श्री रामकेश सिंह की नियुक्ति लिपिक कम पुस्तकालयाध्यक्ष पद पर हुई थी जिसका अनुमोदन जनवरी, 1980 में तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रदान किया गया था । इनके अवशेष वेतन का भुगतान 2-4-1981 को किया जा चुका है ।

प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 14-10-80 के अनुसार श्री रामकेश सिंह के वेतन का भुगतान नियमानुसार करने हेतु अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया गया, फलस्वरूप अब नियमानुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है ।

भीमराव अम्बेडकर जूनियर हाई स्कूल, बघाड़, गोरखपुर की मान्यता के सम्बन्ध में कार्यवाही

183—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि डा० भीमराव अम्बेडकर जूनियर हाई स्कूल, बघाड़, गोरखपुर को मान्यता न देने के सम्बन्ध में अगस्त, सन् 1980 में प्रश्नकर्त्ता द्वारा लिखित शिकायत के सम्बन्ध में उप शिक्षा निदेशक, सप्तम् मण्डल, गोरखपुर ने क्या कार्यवाही किया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सुचना के अनुसार संदर्भगत शिकायती-पत्र दिनांक 7-8-80 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर को दिया गया था। मान्यता की न्यूनतम शर्तों की पूर्ति न होने के कारण विद्यालय को मान्यता प्रदान किया जाना सम्भव न हो सका।

थाना ककवन, जिला कानपुर में पुलिसजनों एवं डकैतों द्वारा प्रयुक्त आग्नेयास्त्रों की जांच

184--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना ककवन, जिला कानपुर में अपराध अनुसन्धान विभाग ने प्रथम दृष्टया अपराध बनने पर अपराध अनुसन्धान विभाग में 1 अक्तूबर, 1979 को अपराध संख्या 129 पर जो रिपोर्ट पुलिस अपराधियों के विरुद्ध थाना ककवन, जनपद कानपुर में अंकित कराई थी उसमें उनके आग्नेयास्त्रों की जांच कब शुरू हुई थी और केवल आग्नेयास्त्रों की जांच रपट के कारण ही अभियुक्त पुलिसजनों के खिलाफ शेष कार्यवाही रोके रहने का क्या औचित्य है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत मामले में पुलिसजनों, साक्षियों एवं कथित डकैतों द्वारा प्रयुक्त शस्त्र तथा खाली कारतूस जो घटनास्थल पर प्राप्त हुए थे, परीक्षण हेतु दिनांक 23-3-79 को आग्नेयास्त्र विशेषज्ञ को प्रेषित किए गए। परीक्षण के उपरान्त अभियोजन चलाए जाने की स्वीकृति का मामला शासन के विचाराधीन है।

185--श्री मोती लाल देहलवी--

[दिनांक 17-3-81 के अतारांकित प्रश्न संख्या 150 द्वारा उत्तरित]

मेसर्स जे0 के0 मैन्यूफैक्चरर्स लि0, कानपुर में मिल बन्दी से ऊबकर आत्महत्या करने वाले श्रमिकों की संख्या

186--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या श्रम मन्त्री को यह जानकारी है कि जे0 के0 मैन्यूफैक्चरर्स लि0, कानपुर को मिल प्रबन्धकों द्वारा सन् 1976 से मिल बन्द करने के बाद से सन् 1980 तक उसके कितने श्रमिक मिल बन्दी की बेकारी से ऊबकर आत्म-हत्या कर चुके हैं ? यदि हां, तो क्या शासन इसकी रोकथाम के लिए कोई समुचित व्यवस्था करेगी ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

जी नहीं। ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि मेसर्स जे0 के0 मैन्यूफैक्चरर्स लि0, कानपुर की अक्तूबर, 1976 से चल रही बन्दी के कारण बेकारी से ऊबकर वहां के किन्हीं श्रमिकों ने आत्महत्या कर ली है।

प्रश्न नहीं उठता।

26 जनवरी गणतन्त्र दिवस के अवसर पर पुलिस परेड की सलामी के लिए अधिकृत अधिकारी

187—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 26 जनवरी गणतन्त्र दिवस के अवसर पर जिलों पर पुलिस परेड को सलामी लेने के लिए कौन-कौन से अधिकारी अधिकृत हैं ? 26 जनवरी, 1981 को बाराबंकी जिले में पुलिस परेड की सलामी किस व्यक्ति ने ली और उस व्यक्ति को सलामी लेने के लिए आमन्त्रण किसने दिया ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

पुलिस परेड को सलामी लेने के लिए शासन के सदस्य, मंडलायुक्त/जिला अधिकारी अधिकृत हैं ।

प्रश्नगत तिथि को परेड की सलामी उपाध्यक्ष, विधान सभा के द्वारा ली गई थी जिन्हें जिले के अधिकारियों ने सलामी के लिए आमंत्रित किया था ।

जे0 के0 मैन्यूफैक्चरर्स लि0, कानपुर को पुनः चालू कराये जाने सम्बन्धित श्रमिकों व प्रबन्धकों का समझौता

188—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि जे0 के0 मैन्यूफैक्चरर्स लि0, कानपुर को मार्च, 1977 में पुनः चालू कराने और उसके श्रमिकों को वेतन बांटने का कोई समझौता सरकार व उक्त मिल के प्रबन्धकों से हुआ था ? यदि हां, तो उक्त समझौता का कितना क्रियान्वयन हुआ और अब मिल बन्दी का क्या कारण है ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

मेसर्स जे0 के0 मैन्यूफैक्चरर्स लि0, कानपुर दिनांक 1-10-76 से बन्द है। इसे पुनः चालू कराये जाने हेतु दिनांक 28-2-77 को तात्कालीन मुख्य मंत्री जी के समक्ष श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के प्रतिनिधियों के मध्य वार्ता कराई गई थी, परन्तु कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ था । यह सहमति हुई थी कि अक्तूबर, 1976 से वेतन के 50 प्रतिशत के हिसाब से श्रमिकों को भुगतान 3 मार्च, 1977 से प्रारम्भ कर दिया जाय तथा केन्द्रीय सरकार तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से उचित सहायता लेकर प्रतिष्ठान को 15-20 दिन में चालू कर दिया जाय । उक्त सहमति के आधार पर प्रबन्धकों से अक्तूबर, 1976 के प्रथम पखवारे का आधा वेतन लगभग 1400 श्रमिकों को भुगतान किया था । इसके उपरान्त इस मद में श्रमिकों को और कोई भुगतान नहीं किया गया । वित्तीय सहायता हेतु प्रबन्धकों को समुचित गारन्टी देनी थी । प्रबन्धकों ने कोई गारन्टी प्रस्तुत नहीं की । इसलिए उन्हें किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जा सकी और प्रतिष्ठान चालू नहीं हुआ ।

सचिवालय के राज्य सम्पत्ति विभाग में अनुसूचित जाति के लिए ड्राइवरों के पद

189—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सचिवालय के राज्य सम्पत्ति विभाग में 8 अनुसूचित जाति के लोगों के लिए ड्राइवरों के इस समय स्थित स्थानों की पूर्ति हो गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

राज्य सम्पत्ति विभाग में इस समय ड्राइवरों के संवर्ग में कुल 115 पद हैं, जिनमें से 108 पद इस समय भरे हुए हैं। इन 108 पदों में से 7 पदों पर इस समय अनुसूचित जाति के व्यक्ति कार्यरत हैं।

उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त न होने के कारण अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित कोटा अभी पूरा नहीं हो सका है और इसे पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

कानपुर--बांदा रेलवे लाइन के स्टेशन में डाकुओं से आतंक

190---श्री मोती लाल देहलवी---

क्या गृह मन्त्री को जानकारी है कि कानपुर--बांदा रेलवे लाइन का इटारा स्टेशन के समस्त कर्मचारी प्रारम्भ फरवरी, 1981 से डाकुओं के आतंक से घबड़ा कर स्टेशन छोड़कर चले गये हैं और स्टेशन बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो मुसाफिरों की असुविधा को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या प्रबन्ध किया ?

चौधरी नौनिहाल सिंह---

कानपुर--बांदा लाइन पर इटारा नामक कोई रेलवे स्टेशन नहीं है अपितु सीडी इटारा नामक स्टेशन है परन्तु वह वर्ष 1981 में कभी बन्द नहीं हुआ है।

हरजेन्द्र नगर (कानपुर) की सड़क की एक पुरानी दुकान को गिराने का नोटिस

191---श्री मोती लाल देहलवी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उन्हें इसकी जानकारी है कि हरजेन्द्र नगर (लाल बंगला) कानपुर की सड़क की एक लाइन में और समान दूरी पर स्थित सैकड़ों दूकानों के मध्य केवल एक 30 वर्षीय पुरानी दुकान नं0 287--ए को ही गिराने का नोटिस दिया गया ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है क्या सरकार दी गयी नोटिस निरस्त करने का कष्ट करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी---

जी हां। हरजेन्द्र नगर, लाल बंगला, कानपुर मार्ग के बायें व दायें किनारे पर 551 व्यक्तियों ने अतिक्रमण किया है जिनमें से 59 व्यक्तियों के विरुद्ध मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, कलेक्टरगंज (कानपुर) के न्यायालय में मुकदमें दायर किए गए हैं। शेष के विरुद्ध मुकदमा दायर करने की कार्यवाही की जा रही है। विगत एक दूकान के दूकानदार श्री बोडे प्रसाद, हलवाई द्वारा अतिक्रमण किए जाने की शिकायत सार्वजनिक निर्माण विभाग को विशिष्ट रूप से प्राप्त हुई थी, इसलिए उनके अवैध निर्माण को हटाने की दिशा में कार्यवाही पहले की गई थी। जारी की गई नोटिस वापस लेना सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सम्भव नहीं है।

त्रिलोकनाथ महाविद्यालय टांडा, जनपद फैजाबाद के बी0 ए0 परीक्षा भाग 2 का रोका गया परीक्षाफल तथा प्रभावित छात्रों द्वारा हाईकोर्ट बेन्च में दर्ज मुकदमा

192—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि त्रिलोक नाथ महाविद्यालय टांडा, जनपद फैजाबाद के बी0 ए0 परीक्षा भाग 2, वर्ष 1979–80 का परीक्षाफल किन कारणों से रोका गया और उससे कितने छात्र प्रभावित हैं ? क्या उन छात्रों को वर्ष 1981 की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

त्रिलोकनाथ महाविद्यालय, टांडा, फैजाबाद की बी0 ए0 भाग–2, वर्ष 1979–80 का परीक्षाफल अवध विश्वविद्यालय द्वारा सामूहिक नकल के आरोप में रोक लिया गया था जिससे 232 छात्र प्रभावित थे ।

जो छात्र निर्दोष पाये गये और अनुत्तीर्ण हो गये थे उनको वर्ष 1981 की परीक्षा देने की अनुमति दे दी गई थी । शेष जो दोषी पाये गए, के विरुद्ध विश्वविद्यालय में नियमानुसार कार्यवाही की गई है ।

193—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि त्रिलोकनाथ महाविद्यालय, टांडा, जनपद फैजाबाद के बी0 ए0, भाग 2, वर्ष 1979–80 के जिन छात्रों का परीक्षाफल रोका गया है और उनमें से कुछ छात्रों ने लखनऊ हाई कोर्ट बेन्च में तत्सम्बन्धी कोई मुकदमा अवध विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर एवं कुल सचिव के विरुद्ध दायर किया है ? यदि हां, तो वह कौन छात्र हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

हाई कोर्ट में मुकदमा दायर करने वाले छात्रों की सूची संलग्न है ।

(देखिये, नत्थी 'न' आगे पृष्ठ 251 पर ।)

गोविन्द नगर कानपुर की दुर्गा देवी की हत्या की घटना की जांच

194—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विगत 6 फरवरी, 1981 को श्री सुमनराज, सदस्य, संयोजक मन्डल मतदाता मंच, कानपुर के अधीन आये प्रतिनिधि मन्डल ने एक 10 पृष्ठीय पत्र श्री राम चन्द्र के प्रार्थना–पत्र के साथ गृह सचिव, उत्तर प्रदेश को इस आशय का दिया था कि स्थानीय पुलिस 13/16 गोविन्द नगर, कानपुर की अपाहिज दुर्गा देवी की हत्या के मामले को अभियुक्त बाबा हरबंश लाल से मिलकर आत्महत्या में परिणत कर रही है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी हां । प्रश्न में उल्लिखित घटना के संबंध में पंजीकृत अभियोग की विवेचना की जा रही है ।

कानपुर के सरकारी वकील श्री पुत्ती लाल यादव का अपने पद से त्याग-पत्र

195--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि कानपुर के सरकारी वकील (श्री पुत्ती लाल यादव) ने अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया है ? यदि हां, तो उक्त सरकारी वकील ने अपने त्याग-पत्र देने के क्या-क्या कारण दिए हैं ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी हां ।

अपने त्याग-पत्र में पुलिस प्रशासन की आलोचना करते हुए श्री यादव ने कहा है कि अभियोजन पक्ष से सम्बन्धित रहना उनके लिए अनुचित अन्यायपूर्ण और अपमानजनक प्रतीत होता है ।

टी० बी० अस्पताल, रायपुरवा, कानपुर में गिरफ्तार डकैतों का गिरोह

196--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या जनवरी, 1981 में टी० बी० अस्पताल, रायपुरवा, कानपुर की बाउन्डरी में सशस्त्र डकैती का कोई गिरोह गिरफ्तार किया गया था ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन पकड़े गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां । गिरफ्तार डकैतों के नाम निम्नांकित हैं :

1--अब्दुल हाकिम उर्फ शाका ।

2--राम बिलास ।

3--रूप कुमार उर्फ राजू ।

4--ओम प्रकाश ।

5--भीम ।

6--इन्दल ।

7--पन्ना ।

गिरफ्तार डकैतों के विरुद्ध पंजीकृत अपराध अन्तर्गत धारा 399/402, भा० दं० वि० तथा धारा 25 आर्म्स ऐक्ट व धारा 25/4, आर्म्स एक्ट में विवेचनोपरान्त आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है । वर्तमान में मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।

प्राइमरी पाठशाला, गांव मिर्जापुर लकोठिया, ब्लाक ककवन, जनपद कानपुर का भवन निर्माण

197—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या शिक्षा मन्त्री विधान सभा की कार्य सूची दिनांकित 23 सितम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 69 में दिए गए उत्तर के संदर्भ में कृपया बतायेंगे कि जब गांव मिर्जापुर लकोठिया, ब्लाक ककवन, जनपद कानपुर के स्कूल भवन का बनाया जाना स्वीकृत हो चुका है तो अभी निर्माण कार्य प्रारम्भ न करने का क्या कारण है और उसका निर्माण-कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मार्च, 1980 में जनपद कानपुर के 10 प्राइमरी स्कूल भवन निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृत किया गया था और शिक्षा निदेशक के निवर्तन पर रखा गया। शिक्षा निदेशक ने अनुदान की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, लखनऊ को 31 मार्च, 1980 को दिया जिसे मुख्य अभियन्ता ने अपने लखनऊ प्रखन्ड के अधिशासी अभियन्ता को हस्तान्तरित किया। अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ से अधिशासी अभियन्ता, कानपुर को मई, 1981 में धनराशि प्राप्त हुई। इसके पश्चात प्राइमरी पाठशाला, मिर्जापुर लकोठिया के भवन निर्माण स्थल का सर्वेक्षण कराया गया, आगणन बनाया गया तथा माह जून व जुलाई, 1981 में निविदायें आमंत्रण की गई किन्तु कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हुई। तत्पश्चात वर्षा ऋतु के कारण अभियंत्रण विभाग द्वारा निर्माण सामग्री निर्माण स्थल तक पहुंचाना संभव नहीं हो सका। अब निर्माण कार्य अक्तूबर, 1981 से आरम्भ होने की सम्भावना है।

गोविन्दनगर, कानपुर में पायी गयी मृत दुर्गा देवी तथा हरबंश लाल की पुलिस द्वारा तलाश

198—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या सरकार को जानकारी है कि 25 नवम्बर, 1980 को 13/16 गोविन्द नगर, कानपुर के ऊपरी कमरे में जिसमें बाबा हरबंश लाल रहते थे, में आग की लपटों को देखने पर जब लोग वहां पहुंचे तो कमरे में बाहर से ताला लगा होने पर एक दरवाजा तोड़ कर देखा कि छत का पंखा फुल स्पीड से चल रहा था तथा दोनों पैर को अपाहिज दुर्गा देवी जीभ बाहर निकाले हुए मृत पड़ी थी ? यदि हां, तो स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना कब और किससे मिली तथा पुलिस घटना स्थल पर किस समय पहुंची और क्या उसने बाबा हरबंश लाल की तलाश की ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार मृतिका के पुत्र श्री हरीश कुमार से दिनांक 25 नवम्बर, 1980 को लगभग 14·30 बजे थाना गोविन्दनगर, कानपुर में प्रश्नगत घटना के सम्बन्ध में लिखित सूचना प्राप्त होने पर पुलिस उसी दिन लगभग 15·10 बजे घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने बाबा हरबंश लाल की तलाश की परन्तु वह उपलब्ध नहीं हो सके।

शाहजहांपुर के एक मकान में बम विस्फोट की पुलिस द्वारा जांच

199--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 14 सितम्बर, 1980 को अथवा उसके आस-पास किसी दिन शाहजहांपुर में एक मकान के भीतर बम विस्फोट हुआ जिससे कि दो बच्चे घायल हो गए ? यदि हां, तो घटना क्या है ? क्या मामले की जांच पुलिस से कराई गई ? यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आये ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

इस आशय की प्रथम सूचना दिनांक 14 सितम्बर, 1980 को थाना कोतवाली में समय 3 बजे श्री मोहम्मद अली पुत्र लुतुफ अली, निवासी मोहल्ला तिराही ने दी कि जब वह दिन में 2 बजे सो रहा था तो उसके घर में एक धमाका हुआ जिसमें उसके दो बच्चों के चोटें आयी । इस सूचना पर थाने में अपराध संख्या 600 धारा 307 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया । मामले में विवेचना-परांत विस्फोटक पदार्थ के बारे में पटाखा होने की बात मालूम हुई । दिनांक 27 अक्टूबर, 1980 को अंतिम रिपोर्ट लगाकर मामले को समाप्त कर दिया गया ।

अकबरपुर, जिला फैजाबाद स्थित राज्य कताई मिल के वेलफेयर फन्ड से विभिन्न कार्यों में किया गया व्यय

200--श्री प्रियदर्शी जैतली--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष वर्षों में अकबरपुर, जिला फैजाबाद स्थित राज्य कताई मिल के वेलफेयर फन्ड से कितना-कितना धन किन-किन कार्यों में कब-कब खर्च किया गया है ? क्या यह सही है कि नियमानुसार उक्त मिल के वेलफेयर फन्ड का पैसा प्रतिनिधियों की स्वीकृति के बगैर नहीं खर्च किया जा सकता है ?

श्री नियाज हसन खां--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

लखनऊ मान्टेसरी इन्टर कालेज, पुराना किला, लखनऊ की प्रधानाचार्या श्रीमती शान्ती तंखा के अवकाश ग्रहण में श्रीमती प्रमिला माथुर की अस्थाई पदोन्नति

201--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि लखनऊ मान्टेसरी इन्टर कालेज, पुराना किला, लखनऊ की प्रधानाचार्या श्रीमती शान्ती तंखा के 30 जून, 1981 को अवकाश ग्रहण के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के नियम संग्रह 1977-78 के अध्याय दो धारा 16 (ङ), 16 (च) और 16 (चय) 1 (क) की अवहेलना करके श्रीमती प्रमिला माथुर को प्रधानाचार्या नियुक्त किया गया है? क्या यह भी सही है कि जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ ने उक्त नियुक्ति को अस्वीकार कर श्री वी0 पी0 सिंह चौहान, ज्येष्ठतम अध्यापक को प्रधानाचार्य नियुक्त करने का निर्देश दिया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ति स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं ।

श्रीमती प्रमिला माथुर को, कठिनाई निवारण आदेश, 1981, अधिसूचना सं0 मा0-4993/15-7-1(79)-1981, दिनांक 31 जुलाई, 1981 के नियम 4 (1)(क) के अन्तर्गत 8 माह की अवधि हेतु दिनांक 1 अगस्त, 1981 से अस्थायी पदोन्नति प्रदान की गई है ।

जी हां ।

तत्समय संस्था से प्राप्त अभिलेखों के आधार पर श्री वी0 पी0 सिंह चौहान, प्रवक्ता को कार्यवाहक प्रधानाचार्य नियुक्त करने हेतु प्रबन्धक को, प्रबन्ध समिति का प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देश दिए गये थे ।

श्रीमती माथुर के प्रत्यावेदन दिनांक 29 जुलाई, 1981 तथा प्रबन्धक के पत्र दिनांक 6 अगस्त 1981 द्वारा प्रेषित सूचना एवं पत्र-जातों के जांचोपरान्त श्रीमती माथुर की कार्यवाहक प्रधानाचार्य हेतु अर्हता सुनिश्चित की गई ।

उद्योग विभाग द्वारा रजिस्टर्ड यूनियनों को वैक्स के कोटे का आवंटन

202--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या यह सही है कि उद्योग विभाग द्वारा 1979 में रजिस्टर्ड यूनिटों को "पैराफीन वैक्स" के कोटे का आवंटन नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों और इन यूनिटों को कब तक वैक्स का कोटा दिए जाने की सम्भावना है ?

श्री नियाज हसन खां--

जी नहीं ।

वर्ष 1979 में यूनिटों का रजिस्ट्रेशन केवल आयातित मोम आवंटित करने हेतु हुआ था । भारत सरकार से आयातित मोम का आवंटन प्रदेश सरकार को प्राप्त न होने के कारण इन यूनिटों को वैक्स आवंटित नहीं हो सका । अब इस वर्ष के तृतीय त्रैमास में भारत सरकार से 125 मी0 टन आयातित वैक्स प्राप्त हुआ है और इन इकाईयों को वैक्स का आवंटन शुरू कर दिया गया है ।

[12 बजकर 15 मिनट मध्याह्न]

विधान सभा के भतपूर्व सदस्य, श्री नवाब सिंह चौहान के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

माननीय अध्यक्ष जी, आज हम लोगों के बीच से जो चले गए हैं उनकी जो शोक सूची हम लोगों के सामने है, उससे कुछ ऐसा लगता है कि स्वतन्त्रता संग्राम में संघर्ष करने वालों की एक पीढ़ी हम लोगों से विदा ले रही है और जैसे हम लोग एक युग के छोर पर खड़े हुए हैं । उन्हीं हम लोगों से विदा लेने वालों में नवाब सिंह चौहान जी हैं, जिनका 4 अप्रैल, 1981 को देहावसान हो गया है । यह 81 वर्षीय हमारे बुजुर्ग आज से 61 साल पहले जब वह 21 वर्ष के

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--]
एक नौजवान थे, उस समय स्वतन्त्रता आन्दोलन की जो लहर चल रही थी, उससे उनका हृदय आन्दोलित हुआ और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने अपना विद्यालय छोड़ा और आन्दोलन में कूद पड़े ।

उस सिलसिले में उनकी गिरफ्तारी हुई, जेल भेजे गए। सन् 1940 में जब सत्याग्रह हुआ, उसमें भी उन्होंने भाग लिया । सन् 1942 के 'भारत छोड़ो' आन्दोलन में भी उन्होंने भाग लिया और जेल गए। इस तरह से लगभग 3 वर्ष तक उन्होंने जेल की यातनाएं सहीं और अन्त में स्वतन्त्रता जब आयी तो उन सबके साथ अपने राष्ट्रपिता के नेतृत्व में कार्य करके इस धरती की सेवा कर सके। उसके बाद जन जीवन में सन् 1948 से 51 तक इस सम्मानित सदन के सदस्य रहे । जनता का उनको विश्वास एक बार नहीं अनेकों बार प्राप्त हुआ । सन् 1952 से 1963 तक वे राज्य सभा में रहे और सन् 1977 से 1980 तक लोक सभा में जनता का प्रतिनिधित्व करते रहे । जहां तक संसदीय कार्यों में निपुणता की बात है शायद ही प्रश्न करने में आज तक उनसे कोई आगे बढ़ सका हो क्योंकि 665 दिनों में 6,762 प्रश्नों में से उनके 4,339 प्रश्न स्वीकृत हुए थे । तो यह उनके संसदीय कार्य का एक कीर्तिमान रहा है जो हम लोगों को मार्गदर्शन देता रहेगा ।

मजदूर और शोषित दल से लगाव के वे द्योतक थे । मजदूर संगठन और पी० एन० टी० के जो संगठन थे, उसमें उन्होंने सक्रिय भाग लिया । एक ओर मजदूरों के साथ जन जीवन में जन प्रतिनिधित्व का कीर्तिमान स्थापित करने और साथ ही साथ साहित्यिक पक्ष, एक कवि का पक्ष भी उनमें था लेकिन कवि के पक्ष में उन्होंने जन साधारण को कभी नहीं भुलाया था और जो गीत गाये वे भी जन साधारण के, किसानों के गाए। उनके निधन से एक कुशल राजनीतिक, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी और एक साहित्यकार को हमने खो दिया है ।

आपसे अनुरोध है कि उनके सन्तप्त परिवार को हम लोगों की संवेदना पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

अध्यक्ष जी, दिवंगत श्री नवाब सिंह चौहान जी के आकस्मिक निधन के सम्बन्ध में नेता सदन ने जो सम्वेदना के भाव व्यक्त किए हैं, मैं भी अपने को सम्बद्ध करता हूं । चूंकि वे अलीगढ़ जनपद से आते थे, मुझे भी कुछ समय तक चौहान साहब के निदेश में कार्य करने का अवसर और उन्हें काफी नजदीक से देखने का मौका मिला । जैसा कि नेता सदन ने कहा उनका एक कवि हृदय था और किसानों के बारे में उनकी बहुत अच्छी जानकारी थी । वे एक व्यवहारिक किसान थे । किसानों के बारे में, मजदूरों की प्रगति के बारे में या नये बीजों की खोज के बारे में अक्सर हमको उनके प्रसारण आकाशवाणी पर सुनने को मिलते थे । वे दो बार जिला परिषद् के अध्यक्ष रहे । वे जनपद के एक प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ थे और उनका सम्मान वहां के लोगों में थे । उनके निधन से न केवल अलीगढ़ जनपद में बल्कि इस प्रदेश ने एक महान स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी और एक अच्छा किसान मजदूर नेता खो दिया है । वे यहां पर बाई इलेक्शन में चुने गए, राज्य सभा में दो बार, जिला परिषद् में दो बार अध्यक्ष रहे और लोक सभा में भी एक बार चुने गए थे ।

मैं अपने दल की ओर से और अपनी ओर से सम्वेदना के भाव उनके निधन पर व्यक्त करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारी भावनाओं को उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करेंगे ।

श्री सूबेदार सिंह--

अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल ने जो विचार स्वर्गीय श्री चौहान जी के बारे में व्यक्त किए हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मुझे भी स्वर्गीय श्री चौहान जी के साथ रहने का मौका मिला। स्वतन्त्रता संग्राम में जो उन्होंने त्याग और सेवा अर्पित की वह निश्चय ही स्मरणीय रहेगी और जो प्रेरणा उनसे लोगों को मिली वह सदा भविष्य में मार्ग दर्शन करती रहेगी। जब मैं अन्तिम बार स्वर्गीय नवाब सिंह चौहान से मिला तो उन्होंने मुझ से कहा कि देश को आजादी तो मिल गई, लेकिन अभी आर्थिक गुलामी हमारे देश में मौजूद है और उसके लिए नई पीढ़ी को उसे दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए, लड़ाई लड़ना चाहिए। तो उनकी जो यह अन्तिम भावना थी, देश से आर्थिक गुलामी और आर्थिक विषमता को दूर करने की इसको अगर हम दूर कर पाते हैं तो यही हम लोगों की उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन शब्दों के साथ, इस सदन में माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल द्वारा जो विचार व्यक्त किए गए हैं, उनके साथ अपने को सम्बद्ध करते हुए निवेदन करूंगा कि हमारी भावनाएं श्रद्धांजलि के रूप में आप उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

एक साहित्यकारी, राजनीतिज्ञ, कवि और समाजसेवी स्वर्गीय श्री नवाब सिंह चौहान के बारे में, जो उदगार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा नेता कांग्रेस (अर्स) ने व्यक्त किए हैं, उनके साथ में अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। एक बार मुझे उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जब वे जनता पार्टी के टिकट पर संसद सदस्य चुने गए थे। मैंने उनमें समाज सेवा की जो भावना देखी उससे मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। जो भी उनसे मिलता था वह उनसे अवश्य प्रभावित होता था। ऐसा उनका व्यक्तित्व था। उन्होंने जो समाज सेवा की है वह आगे आने वाली पीढ़ी का सदा मार्ग दर्शन करती रहेगी। इन शब्दों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, अपनी ओर से और अपने दल की ओर से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारी भावनाएं उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री भीखा लाल--

स्वर्गीय नवाब सिंह चौहान के लिये माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य माननीय नेताओं ने जो भावनायें व्यक्त की हैं, उनके साथ में अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और उस दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपसे अनुरोध है कि आप हमारी और हमारे दल की भावनाएं शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, स्वर्गीय श्री नवाब सिंह चौहान के सम्बन्ध में माननीय नेता सदन माननीय नेता विरोधी दल, तथा अन्य विपक्ष के माननीय नेताओं ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं उनके साथ मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। अपने जीवन में देश की आजादी की लड़ाई में वे अनेकों बार जेल गए। साथ ही उन्होंने इन माननीय सदन की सदस्य के रूप में तथा लोक सभा की संसद सदस्य के रूप में भी सेवा की। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं, उनके निधन से हमारे

[श्री प्रदीप कुमार यादव--]

दल को बहुत दुःख है। मैं आपके माध्यम से स्वर्गीय चौहान जी के प्रति अपनी ओर से और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और निवेदन है कि आप हमारी भावनाएं उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राम आसरे वर्मा--

स्वर्गीय श्री नवाब सिंह चौहान के बारे में माननीय नेता सदन तथा अन्य माननीय विरोधी दल के माननीय नेताओं ने जो विचार व्यक्त किए हैं, उनके साथ मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध रखता हूं, श्रद्धांजलि के पुष्प अर्पित करते हुए आपसे प्रार्थना है कि हमारी भावनाएं आप उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य माननीय नेताओं के जो उद्गार हैं, उनसे अपने को मैं सम्बद्ध करता हूं। नवाब सिंह चौहान जी का एक पूर्ण विकसित व्यक्तित्व था। वह एक अच्छे पार्लियामेन्टेरियन थे, एक अच्छे किसान थे और इसके साथ-साथ साहित्य और कला से सुशोभित थे। स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने वाले लोक सभा से लेकर यहां तक उन्होंने अपनी जागरूकता का परिचय दिया। ऐसे व्यक्ति के निधन से निश्चित ही इस प्रान्त और देश का एक अच्छा व्यक्ति समाप्त हो गया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी समवेदना उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचा दी जायगी। मेरा निवेदन है कि उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दो मिनट तक आप सब मौन खड़े हो जांय।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री मुल्ला प्रसाद हंस के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

माननीय अध्यक्ष जी, श्री मुल्ला प्रसाद हंस जी एक जुझारू व्यक्ति थे। मान्यवर कभी-कभी मृत्यु भी करुणाजनक होती है और उनका संघर्ष का जो संकल्प रहा वह शोषित मानव से सम्बन्धित संवेदना से उत्पन्न हुआ था और उसी के आधार पर उन्होंने अपना जनजीवन चाहे बांगरमऊ का चुंगी आन्दोलन रहा हो या और आन्दोलन रहा हो, उन्होंने अपने को पूर्ण रूप से सम्मिलत किया। 1952 से 1962 तक इस विधान सभा के सदस्य रहे और उनके जाने से एक गरीब तबके के साथ संघर्ष करने वाले राजनैतिक व्यक्तित्व को हम लोगों ने खो दिया है। मान्यवर, आपके माध्यम से उनके शोक-सन्तप्त परिवार को हमारी सम्वेदनाएं पहुंचाने की मैं प्रार्थना करता हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री मुल्ला प्रसाद हंस के निधन पर माननीय नेता सदन ने जो सम्वेदना के भाव व्यक्त किये हैं मैं और मेरा दल अपने आपको उससे सम्बद्ध करता है। श्रीमन्, हंस साहब हरिजन समाज में पैदा हुये

थे । लेकिन श्रीमन् उन्होंने पूरे समाज की निष्ठा से सेवा की । वह सन् 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर इस आदरणीय सदन में चुनकर आये और 1962 तक वह इस आदरणीय सदन के सदस्य रहे । उनकी समाज के अन्दर और पिछड़े वर्ग के अन्दर, गरीब तबके के अन्दर जो सेवायें थीं, वह सदैव सराही जायेगी । मैं इन शब्दों के साथ अपनी तरफ से और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी संवेदनायें उनके शोक-सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, स्वर्गीय मुल्ला प्रसाद हंस के बारे में नेता सदन, नेता विरोधी दल ने जो उद्गार व्यक्त किए हैं, मैं अपने को और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं । श्री हंस छोटे परिवार के व्यक्ति थे और स्वयं अपने प्रयासों और कार्यों के द्वारा वह उठे और उन्होंने जिन्दगी में सम्मान पाया । वह इस सदन के सदस्य रहे । मैं अपने दल और अपनी ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी श्रद्धांजलि उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

स्वर्गीय श्री मुल्ला प्रसाद हंस के निधन पर, जो उद्गार माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल और अन्य दलों के नेताओं ने व्यक्त किए हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । स्वर्गीय हंस इस बात के प्रतीक थे कि छोटे और गरीब वर्ग की अधिक से अधिक सेवा कैसे की जा सकती है । वह हमेशा समाज की सेवा में लगे रहे और वह अपने क्षेत्र में अत्यन्त लोक प्रिय थे । मैं अपने दल और अपनी ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी श्रद्धांजलि उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री भीखालाल--

स्वर्गीय श्री मुल्ला प्रसाद हंस के प्रति जो उद्गार नेता सदन, नेता विरोधी दल और अन्य दलों के नेताओं ने व्यक्त किए हैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, श्री हंस हमारे उम्राव से सम्बद्ध थे । सबसे पहली बार सन् 57 में हम और हंस साथ-साथ इस सदन में चुनकर आये । वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य रहे । उसके उपरान्त हम और वह कई वर्षों तक साथ-साथ काम किए । वह एक गरीब और निर्धन परिवार से आए थे, लिहाजा गरीब और निर्धन के दुःख-दर्द को महसूस करते थे । गरीबों के लिये वह जिन्दगी भर लड़ते रहे । उन्होंने निर्धन वर्ग की जीवन भर सेवा की । उनके निधन से जिले और प्रान्त को क्षति हुई है । इन शब्दों के साथ मैं उनके शोक सन्तप्त परिवार के प्रति अपनी ओर से और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी श्रद्धांजलि उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, स्वर्गीय मुल्ला प्रसाद हंस के निधन के सम्बन्ध में नेता सदन, नेता विरोधी दल और अन्य दलों के नेताओं ने जो उद्गार व्यक्त किए हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, जहां तक हंस का सवाल है वह पिछड़े तबके के रहने वाले थे और उन्होंने पिछड़े वर्ग की सेवा किया ।

[श्री प्रदीप कुमार यादव—]

इसलिए वह विधान सभा के सदस्य रहे। मैं अपने दल की ओर से स्वर्गीय हंस के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करूंगा कि हमारी श्रद्धांजलि उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राम आसरे वर्मा—

स्वर्गीय मुल्ला प्रसाद हंस के बारे में जो भाव नेता सदन, नेता विरोधी दल व अन्य दलों के नेताओं ने व्यक्त किए हैं मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे श्रद्धांजलि के पुष्प शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य माननीय नेताओं द्वारा व्यक्त उद्गारों से मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं माननीय हंस जी एक अत्यन्त लोकप्रिय और कर्मठ कार्यकर्ता थे। उन्होंने अपने जीवन काल में सदा गरीबों की सेवा करना अपना उद्देश्य बनाया था। आज मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपको आश्वासन देता हूं कि आपने जो विचार व्यक्त किए हैं वे उनके परिवार तक पहुंचाये जायगे। अब हम दो मिनट मौन खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए)

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री केशव देव मालवीय के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

माननीय अध्यक्ष जी, जन जीवन के मामले में हर पक्ष को सुशोभित करने को यदि किसी का गौरव प्राप्त हुआ है तो मैं समझता हूं कि उनमें स्वर्गीय केशव देव मालवीय जी हैं। चाहे स्वतंत्रता संग्राम का संघर्ष रहा हो, उसमें उत्सर्ग करने की बात रही हो, चाहे एक क्रांतिकारी, समाजवादी विचारधारा को लेकर समाज को एक नयी दिशा देने की बात रही हो, चाहे जनता का विश्वास लेकर जन प्रतिनिधित्व करने की बात रही हो, चाहे शासन की बागडोर संभाल करके समाज की सेवा करने की बात रही हो, हर पक्ष में मालवीय जी का जीवन कीर्तिमान है। आज उनके न रहने से हम लोग एक ऐसा खालीपन महसूस करते हैं जो शायद ही निकट भविष्य में भरा जा सके। उनका तमाम पदों और सेवाओं में योगदान रहा है जो हम लोगों को याद रहेगा कि उन्होंने इस धरती के नीचे दबे हुये तेल की खोज की। हमारे भविष्य और हमारे भाग्य के लिये उन्होंने अपने हाथों से धरती को चीर करके तेल को उपलब्ध कराया जिसके लिये यह राष्ट्र हमेशा आभारी रहेगा। इन शब्दों के साथ में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुये आपसे निवेदन करता हूं कि उनके शोक सन्तप्त परिवार को हम लोगों की सम्वेदनाएं पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राजेन्द्र सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, स्वर्गीय केशव देव मालवीय के निधन पर सम्वेदना के जो भाव नेता सदन ने व्यक्त किये हैं मैं अपने को और अपने दल को उनसे सम्बद्ध

करते हुये कहना चाहता हूं कि जैसा कि नेता सदन ने कहा कि मालवीय जी ने जनता में एक अपार विश्वास प्राप्त किया था तो यही कारण था कि 1937 और 1946 में वह इस माननीय सदन के सदस्य चुनकर आये और 1952, 1957, 1962 और 1971 में लोक सभा के लिये चुने गये। इस प्रदेश में वह मंत्रिमंडल में रहें और केन्द्र के अन्दर भी उन्होंने पेट्रोलियम और खान मन्त्री के रूप में काम किया और निश्चित तौर पर आज जो यह खोज पेट्रोलियम के बारे में हमें प्राप्त हुई उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। यह भी सत्य है कि जिस आजाद स्वतंत्र भारत में हम आज आजादी से सांस ले रहे हैं उसकी प्राप्ति में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उन्होंने सहयोग दिया और स्वतंत्रता को दिलाने में उनका जो योगदान था, श्रीमन्, ऐसे महान राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के निधन से निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी विपत्ति इस देश में आई है मैं और मेरा दल उनके प्रति समवेदना के भाव व्यक्त करता है तथा आपसे निवेदन है कि हमारे भावों को उनके शोक-सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राज मंगल पान्डेय--

अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन व नेता विरोधी दल की भावनाओं से मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, ऐसे व्यक्ति के बारे में जो किसी जाति, किसी पार्टी या दल से बहुत ऊपर उठकर इस देश के लोगों में उन्होंने अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया था, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मान्यवर, इस देश में जब हमने पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी एडाप्ट किया तो उसमें हजारों मन्त्री आये और गये। बहुत बड़े-बड़े लोगों के नाम इस सम्बन्ध में लिये भी जा सकते हैं लेकिन प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ जिन लोगों का नाम लिया जा सकता है उसमें कुछ लोगों को छोड़कर केशव देव मालवीय जी का नाम सर्वप्रथम होगा। एक तो आजादी की लड़ाई में उनका महान योगदान था वह तो था ही, उसको हासिल करने के बाद जिस आर्थिक आजादी के लिये, हम संघर्ष कर रहे थे उस संघर्ष में भी उनका स्थान किसी से पीछे नहीं था और उन्होंने महसूस किया कि जब तक हम तेल के मामले में आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक देश की प्रगति नहीं होगी। तेल के महत्व को उन्होंने हम लोगों के मुकाबले में ज्यादा खूबी से सोचा और आज उसी का फल है कि हम तेल के मामले में बहुत से देशों से आगे हैं। उस वक्त उनका विरोध हुआ और उनकी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया लेकिन तेल के सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता को लेकर उन्होंने जो संघर्ष किया कैबिनट में और कैबिनट के बाहर आज उसी का फल है कि बहुत से देश जब आज तेल की समस्या से घिरे हैं, चिंतित हैं कि उनका भविष्य आगे क्या होगा वहीं हम अपने भविष्य को अच्छा और बेहतर मानकर इस दिशा में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी-अभी कुएं मिले हैं उनसे स्पष्ट हो जाता है कि हम 2, 4, 5 सालों में तेल के मामलों में आत्मनिर्भर हो जायेंगे और जो हजारों करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा हमें खर्च करनी पड़ती है वह नहीं करनी पड़ेगी। मान्यवर, ऐसे व्यक्ति के लिए जिस व्यक्ति ने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया और आजादी हासिल करने के बाद आर्थिक लड़ाई में सबसे ज्यादा हिस्सा लिया हो और इस देश को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान किया हो आज उस व्यक्ति के निधन से हमें गहरा दुख है। देश के 70-71 करोड़ देशवासियों, जनमानस की भावनाओं से हम अपने को सम्बद्ध करते हैं। हम चाहते हैं कि हम लोगों की भावनाओं को उनके संतप्त परिवार तक पहुंचा दें और हम सभी कोशिश करें कि आगे आने वाली पीढ़ी उनसे सबक ले कि देश को आत्मनिर्भर

[श्री राजमंगल पान्डेय—]

बनाने में जितना महान योगदान किसी व्यक्ति का होगा वह उसी प्रतिष्ठा से इस देश में पूजा जायेगा। इन शब्दों के साथ में अपनी भावनाओं को नेता सदन और नेता विरोधी दल की भावनाओं से सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना है कि हमारी भावनाओं को उनके शोक-सन्तप्त परिवार तक पहुंचा दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, स्वर्गीय केशवदेव जी मालवीय के सम्बन्ध में जो उद्गार नेता सदन और नेता विरोधी दल ने व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। माननीय स्वर्गीय मालवीय जी हमारे देश के वरिष्ठ राजनीतिज्ञों में से थे। देश के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, एक मन्त्री की हैसियत से, एक विधायक की हैसियत से और संसद सदस्य की हैसियत से। उनके दिवंगत आत्मा होने से जो रिक्तता राजनीतिक जीवन में आयी है भगवान से मैं उसके पूर्ति के लिये प्रार्थना करता हूं। इन शब्दों के साथ में अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी भावनाओं को उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री भीखा लाल—

माननीय केशव देव मालवीय जी के निधन के सम्बन्ध में नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं और माननीय मालवीय जी समाज में ऐसी हैसियत रखते थे, जिसकी पूर्ति निकट भविष्य में होनी मुश्किल है। वे वामपंथी विचारों के व्यक्ति थे और साम्प्रदायिकता के कट्टर विरोधी थे तथा आत्म-निर्भरता में विश्वास रखते थे। देश को आत्मनिर्भर बनाने में सदैव प्रयत्नशील रहे और तेल की खोज उसी की एक कड़ी है। देश का एक ऐसा महान सेनानी और महान देशभक्त हमारे बीच से उठ गया, इससे जो देश को व देशवासियों को जो क्षति हुयी है, वह कदापि पूरी नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी ओर से और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी यह श्रद्धांजलि शोक-सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

माननीय मालवीय जी के निधन के सम्बन्ध में जो उद्गार माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के माननीय नेतागण ने व्यक्त किये हैं, मैं भी अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, मालवीय जी जहां एक ओर समाजवादी व उच्च कोटि के नेता रहे वहीं दूसरी ओर देश को आगे बढ़ाने में भी आपने बड़ा योगदान दिया है और मन्त्री के रूप में देश की अनेक समस्याओं का समाधान किया। वे आज हमारे बीच में नहीं रहे, जिनकी कमी आगे हम सब लोगों को महसूस होती रहेगी। उनके प्रति मैं अपनी ओर से व अपने दल की ओर से आपसे निवेदन करता हूं कि उनके शोक-सन्तप्त परिवार तक श्रद्धांजलि पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय मालवीय जी की राष्ट्रव्यापी सेवाएं चाहे देश की आजादी के पहले की हों या बाद की, इतिहास की एक अंग बन गयी हैं, जिनको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। देश में समाजवादी विचारों तथा साम्प्रदायिकता के प्रान्त कट्टर विरोधी के रूप में व देश को हर प्रकार से आगे बढ़ाने की दृष्टि में इनको देखा जा सकता था। ऐसी प्रतिभा के प्रति मैं अपनी ओर से व अपने दल की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अनुरोध करता हूं कि इनके शोक संतप्त परिवार व इनके जो भी हमदर्द हों, उन तक हमारे श्रद्धांजलि के भाव पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य सभी दलों के माननीय नेताओं के विचारों से मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। मुझे स्वर्गीय मालवीय जी के साथ, उनके मार्गदर्शन में काम करने का अवसर मिला है। वे एक विचारवान व्यक्ति थे और अपने विचारों के प्रति समर्पित थे जैसा सोचते थे उसी तरह करते थे। आज उनके प्रति आदर्श के रूप में जो बातें सामने आयी हैं। धर्म निरपेक्षता, समता तथा प्रजातांत्रिकता आदि इन सब चीजों के प्रति वे समर्पित व्यक्ति थे और बड़े साहस के साथ अपनी बात को समाज में कहते थे। ऐसे भी कभी-कभी अवसर आते थे कि जब उनकी बातों से लोगों में कटुता पैदा होती थी। लोगों को लगता था कि कुछ ऐसी बात कह रहे हैं जो उनको नहीं कहनी चाहिए, लेकिन जब वे आश्वस्त होते थे और जब उनको यह लगता था कि आप जो कह रहे थे, वही उचित था। एक ऐसे कर्मठ, एक ऐसे साहसी, एक ऐसे विचार के धनी व्यक्ति के जाने से निश्चय ही इस देश की हानि हुई है और उसकी पूर्ति साधारण रूप में होनी सम्भव नहीं है। मैं आपकी भावनाओं को उनके सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने का आश्वासन देता हूं और उनको पहुंचाऊंगा। आप कृपया उनकी दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये दो मिनट मौन धारण करें।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर 2 मिनट के लिए मौन खड़े हुए।)

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम कुमार शास्त्री के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

माननीय अध्यक्ष जी, स्वर्गीय राम कुमार शास्त्री जी का निधन 79 वर्ष की अवस्था में 25 जुलाई, 1981 को हो गया। आपका जन्म बस्ती जिले में 1902 में एक कृषक परिवार में हुआ था। साधारण विद्यालय में शिक्षा-दीक्षा हुई थी, किन्तु जो हमारी समाजवादी विचारधारा का तथा स्वतंत्रता संग्राम की विचारधारा का एक केन्द्र बन गया था, काशी विद्यापीठ, वहां से आपने शास्त्री की उपाधि प्राप्त की और इस सम्माननीय सदन के वह सन् 1937 से तथा उसके बाद अनेक बार सदस्य रहे। सन् 1941-42 के आन्दोलनों में उन्हें कारावास हुआ, नजरबन्द किये गये। स्वर्गीय पं० जवाहर लाल नेहरू के वे बहुत निकट थे। वे उनके निजी सचिव भी थे। आज उनके चले जाने से एक स्वतंत्रता

[श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह---]

संग्राम सेनानी, एक समाज सेवी हम लोगों के बीच से चला गया। आपसे अनुरोध है कि उनके शोक सन्तप्त परिवार को हम लोगों की सम्वेदनायें पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राजेन्द्र सिंह---

स्वर्गीय राम कुमार शास्त्री के निधन पर सम्वेदना के जो भाव नेता सदन ने व्यक्त किये हैं, मैं व मेरा दल उनसे अपने आपको सम्बद्ध करता है। शास्त्री जी का जन्म बस्ती जनपद के एक कृषक परिवार में हुआ था। उन्होंने, चाहे वह "सविनय अवज्ञा आन्दोलन" हो या 1942 का "भारत छोड़ो" आन्दोलन हो, दोनों में ही हिस्सा लिया और जेल की यातनाएं भी सही। वे पहली बार 1937 में इस सदन के सदस्य चुनकर आये थे। इसके बाद में भी वे कई बार सदस्य चुने गये। इस अवधि में वे राजनीति में, समाजसेवा में, और देश को आजाद कराने में लगे रहे। मैं व मेरा दल उस महान आत्मा के प्रति सम्वेदना व्यक्त करता है तथा आपसे निवेदन करता है कि इन भावनाओं को उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राज मंगल पान्डेय---

मान्यवर, नेता सदन और नेता विरोधी दल की भावनाएं, जो स्वर्गीय राम कुमार शास्त्री जी के बारे में इस सदन के सामने रखी गयीं, उनसे अपने आपको सम्बद्ध करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि शास्त्री जी उन लोगों में रहे हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के जोर-जुल्म को जिस बहादुरी के साथ बरदाश्त किया है और संघर्ष करते-करते उन्होंने बस्ती जिले में अपनी एक अलग से छांप छोड़ रखी है, इसके बाद भी उनकी संघर्ष करने की शक्ति, सोचने की शक्ति और इस देश की समस्याओं के समाधान के प्रति एक निश्चित विचारधारा रही है।

देश की समस्याओं के समाधान के प्रति उनकी एक निश्चित विचारधारा रही है, जब वे बातें नहीं होती थीं, मान्यवर, तो कभी-कभी वे बहुत दुखी हो जाते थे। संघर्ष जो उन्होंने किया, वे आजीवन आर्थिक संघर्ष करते रहे वो शायद व्यर्थ नहीं जायेगा। लेकिन मान्यवर, कभी-कभी उन्हें आश्चर्य भी होता था जब देश में जो गरीबी के स्तर पर रहने वाले को उसके स्तर से कुछ ऊपर का बताते थे। जो हमारी योजनायें बनाई गईं तो उनसे उन्हें लाभान्वित होता देख कर वो कुछ खुश भी होते थे। लेकिन जब वह गांव देखते थे कि जितना लोगों को इस योजना से लाभ मिलना चाहिए, वह उन्हें नहीं मिल रहा है, जो हमारा लक्ष्य था वह नहीं प्राप्त हो रहा है तो वह कभी-कभी आंसू भी बहाते थे।

मान्यवर, ऐसे व्यक्ति के निधन पर कोई भी व्यक्ति, जो उन्हें अच्छी तरह से जानता है, दुखी हुए बिना नहीं रहेगा। वह बस्ती के रहने वाले थे, यहां की जनता को इनके निधन से गहरा दुख पहुंचा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने को और अपने दल को नेता सदन, नेता विरोधी दल की भावनाओं से सम्बद्ध करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह उनके परिवार को शक्ति दे, उनके कार्यों से वे मिलकर प्रेरणा लें। अन्याय के विरुद्ध जो उन्होंने सेवा की, देश की जनता के लाभ के लिए वे संघर्षरत रहे उन सबसे प्रेरणा लेकर हम इस देश को और आगे बढ़ाएं और सारे संसार में इस देश को महान देश बनाने की क्षमता हममें रहे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, प्रखर स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, स्वर्गीय श्री राम कुमार शास्त्री के निधन पर मैं नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा नेता कांग्रेस (अर्स) की भावनाओं से अपने को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि स्वर्गीय शास्त्री जी आजीवन निर्बल समाज के लिए कार्य करते रहे, समाज के उत्थान के कार्य में सदैव वे रत रहे। उनके सम्पर्क में जो गया उनके प्रखर विचारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। उन्होंने स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़ी और हमेशा समाज को जागरूक करने में कार्यरत रहे। इसलिए केवल उन्हें उनके जनपद में ही नहीं, सम्पूर्ण प्रदेश के अन्दर उनके कार्यों की सराहना की। मान्यवर, उनके निधन से प्रदेश को गहरी क्षति पहुंची है। मान्यवर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे दल की भावनाओं को उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री भीखा लाल--

माननीय अध्यक्ष जी, स्वर्गीय राम कुमार शास्त्री के बारे में जो विचार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने व्यक्त किए हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और माननीय स्वर्गीय राम कुमार शास्त्री के निधन पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे और मेरे दल के विचार उनके सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, जो उद्गार स्वर्गीय राम कुमार शास्त्री के निधन पर यहां माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेताओं ने प्रकट किए हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मेरे तथा मेरे दल की तरफ से उनके शोक सन्तप्त परिवार को हमारी सम्वेदना के फूल पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य माननीय नेताओं, ने जो उद्गार माननीय स्वर्गीय राम कुमार शास्त्री के लिए व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। शास्त्री जी अत्यन्त कर्मठ व्यक्ति थे और साथ ही अपने काम के ऊपर जागरूक रहते थे। ऐसे व्यक्ति से बहुत कुछ सीखा जा सकता है और कर्मठ व्यक्ति के लिए शोक होना स्वाभाविक है। मैं अपने को आपके विचारों से सम्बद्ध करता हूं। आपकी भावनाओं को उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचा दूंगा।

अब आप लोग कृपया दो मिनट मौन रह कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट के लिए मौन खड़े हुए।)

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री शिवगोपाल तिवारी के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

माननीय अध्यक्ष जी, स्वर्गीय शिव गोपाल तिवारी जी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर इस जीवन से अपने को स्वतंत्र कर लिए, लेकिन उनकी कहानी, उनकी गाथा हम लोगों के बीच में है। वे उन लोगो में से हैं जिन्होंने दो शताब्दियों की शायद जोड़ने का काम किया है। 1885 में उन्नाव में जन्म हुआ यद्यपि औपचारिक शिक्षा उनकी नहीं हुई थी फिर भी उन्होंने सिद्ध कर दिया कि औपचारिक शिक्षा ही माध्यम नहीं है ज्ञान का और संस्कृत तथा अंग्रेजी के वे प्रकाण्ड विद्वान अपने परिश्रम और लगन से हुए थे। 1957 और 1967 में इस सम्मानित सदन के सदस्य चुने गये और जिला परिषद् के अध्यक्ष रहे। इस तरह से जन-जीवन के कई पक्षों में उनका योगदान रहा। कई इन्टर कालेज से उनका सम्बन्ध रहा। उनके जाने से एक सच्चे समाजसेवी को हमने खो दिया है। आपके माध्यम से हम लोगों का अनुरोध है कि उनके शोक सन्तप्त परिवार को हमारी संवेदनायें और श्रद्धांजलि पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री राजेन्द्र सिंह—

स्वर्गीय श्री शिव गोपाल तिवारी के निधन पर संवेदना के जो भाव नेता, सदन ने व्यक्त किए हैं मैं और मेरा दल अपने को उससे सम्बद्ध करता है। श्रीमन्, श्री तिवारी दो बार इस आदरणीय सदन के सदस्य चुन कर आये और सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक या शिक्षा क्षेत्र हो उन्होंने एक अच्छी ख्याति प्राप्त की और उनका सम्पूर्ण जीवन समाज सेवा में ही व्यतीत हुआ। मैं उस महान व्यक्तित्व के लिए अपने व अपने दल की तरफ से संवेदना के फूल अर्पित करते हुए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृपया उन्हें उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, नेता सदन, नेता विरोधी दल की भावनाएं जो उन्होंने इस सदन में आपके समक्ष रखी है, मैं अपने तथा अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि उनके शोक सन्तप्त परिवार तक हम लोगों की भावनाएं पहुंचा दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

स्वर्गीय श्री शिव गोपाल तिवारी के सम्बन्ध में जो भाव नेता सदन, नेता विरोधी दल, नेता कांग्रेस अर्स दल ने प्रकट किए, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। स्वर्गीय श्री तिवारी को हमने नजदीक से देखा था और वे भारतीय जनसंघ दल से चुन कर आये थे। निर्भीक समाज सेवी का उनका व्यक्तित्व था। यह बात सही है कि उन्होंने किसी स्कूल का अनुभव प्राप्त नहीं किया था लेकिन बात-चीत और व्यवहार से क्रियाशील जीवन से अनुभव प्राप्त किया था। उसी के आधार पर उन्होंने सामाजिक जीवन में सफलता प्राप्त की थी। मैं और मेरा दल उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन है कि कृपया मेरी भावनाएं उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री भीखा लाल--

माननीय शिव गोपाल तिवारी जी का सम्बन्ध उन्नाव जिले से था और पहली बार 1957 में चुनाव जीतकर माननीय सदन में एक स्वतंत्र निर्दलीय सदस्य के रूप में आये थे। हमारा उनका बहुत ही निकट का सम्बन्ध था। स्वर्गीय तिवारी जी एक निर्भीक और स्पष्ट विचारों के व्यक्ति थे और कभी भी कोई उनके अन्दर और बाहर कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता था। जाहिर है कि उनके न रहने से हमारे उन्नाव जिले में काफी क्षति हुई है। मैं नेता सदन, नेता विरोधी दल और अन्य दल के नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनके विचारों के साथ अपने को सम्बद्ध करते हुए स्वर्गीय तिवारी जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध है कि हमारे दल की संवेदना का सन्देश उनके सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

स्वर्गीय तिवारी जी के सम्बन्ध में जो विचार माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने रखे हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और मान्यवर, आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी भावनाओं को शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें और मैं उस दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा--

स्वर्गीय तिवारी जी के बारे में जो संवेदना के भाव माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल व अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं, हम अपने को उनसे सम्बद्ध करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारी ओर से भी श्रद्धा के पुष्प उनके सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य माननीय नेताओं के विचारों से अपने को सम्बद्ध करते हुए माननीय स्वर्गीय तिवारी जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं आप सब के विचारों को, आप सबके उद्गारों को उनके परिवार तक पहुंचाने के लिए आश्वासन देता हूं। मेरा निवेदन है कि आप 2 मिनट का मौन रखें।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट के लिए मौन खड़े हुए)

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री जे० पी० मिश्र के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

माननीय अध्यक्ष जी, स्वर्गीय जगदीश प्रसाद मिश्र जी एक सामाजिक, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी थे। सन् 1930 से 1938 तक के आन्दोलन में उन्होंने सक्रिय भाग लिया, एक वर्ष की सजा हुई और फिर उसके बाद भारत छोड़ो आन्दोलन में भी उनको नजरबन्दी की सजा मिली। वह सम्मानित सदन में जनता का विश्वास लेकर सन् 1962 में यहां आये और जन संघर्षों में खासकर मजदूरों के संघर्षों में उनका योगदान रहा है। हरदोई में गन्ना मिल मजदूरों का संघर्ष

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—]

हुआ 1950 में, उसमें उन्होंने सक्रिय भाग लिया। यहां पर हम बड़े-बड़े कृत्यों को स्तुत्य करते हैं, उनको याद करते हैं लेकिन जब जीवन में छोटी भी सेवायें हमेशा याद रहती हैं और हरदोई जनपद में उन्होंने सण्डीला मेंहदी घाट सड़क निर्माण कराने में हथौड़ा ड्रेन की व्यवस्था में जो उनके द्वारा कार्य सम्पन्न हो सका वह बड़ी-बड़ी कीर्तियों में भले न गिनी जायं लेकिन वहां की जनता के लिए, वहां के निवासियों के लिए वे सदैव-सदैव के लिए अमर बन चुके हैं और वहां के लिए सही माने में एक दीप थे। दीप चाहे जिस कोने में भी होता है वहां प्रकाश देता है और एक दिशा देता रहता है, उसी तरह से उन्होंने भी वहां के जीवन में एक दिशा दी है। इन शब्दों के साथ में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि हम लोगों की संवेदना उनके शोक सन्तप्त परिवार की सेवा में पहुंचा दें।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, स्वर्गीय मिश्र जी के निधन पर जो संवेदना के भाव माननीय नेता सदन ने व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मिश्र जी हरदोई जनपद के निवासी थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आवाहन पर वे समय-समय पर देश की आजादी के लिए जो भी आन्दोलन हुए चाहे वह सन् 30 का आन्दोलन रहा हो या 32 का आन्दोलन रहा हो, या 41 या 42 का संघर्ष रहा हो, सभी संघर्षों में भाग लिया और जेल गये। यही नहीं, उन्होंने मजदूरों के लिए भी काम किया। हरदोई गन्ना मिल मजदूरों के लिए हड़ताल की, संघर्ष किया और उस सिलसिले में उनको जेल जाना पड़ा। वे यू0 पी0 इंडस्ट्रियल बोर्ड के चेयरमैन भी रहे, जिला सहकारी समिति के डाइरेक्टर भी रहे। इसके बाद सन् 62 में वे इस माननीय सदन के सदस्य चुन कर आये। श्रीमन्, स्वर्गीय मिश्रा जी निश्चित तौर पर एक कर्मठ स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी थे, देश भक्त थे और एक सच्चे राजनीतिज्ञ थे। वे सही माने में एक निष्पक्ष और कर्मठ समाज-सेवी थे। उनके लिए हमारे दिल में बड़ा आदर है। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी व हमारे दल की संवेदना उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री सूबेदार सिंह—

मान्यवर, स्वर्गीय मिश्र जी के निधन पर जो संवेदना का भाव माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल ने व्यक्त किया है, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, श्री मिश्र एक सच्चे समाजसेवी थे और राजनीतिक क्षेत्र में उनके विचारों का बहुत ही आदर था। उन्होंने जो प्रदेश की सेवा की है वह बड़ी ही महत्वपूर्ण है। मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी संवेदना उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, स्वर्गीय मिश्र जी, जे0 पी0 के नाम से हरदोई जनपद में जाने जाते रहे हैं। उनके सम्बन्ध में हमारे माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल व अन्य दल के नेताओं ने जो संवेदना के भाव प्रकट किए हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, मिश्र जी से मेरा बहुत ही

निकट का परिचय था । वे एक प्रखर समाजसेवी और जुझारू प्रवृत्ति के व्यक्ति थे । वे जनता की सही सेवा में बराबर लगे रहते थे । खास कर वे कमजोर व गरीब वर्ग के लोगों के हित के लिए संघर्ष करने के व प्रेरणा स्रोत रहे । इन शब्दों के साथ में उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी व मेरे दल की भावना उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचा देने की कृपा करें ।

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, श्री जे0 पी0 मिश्र के सम्बन्ध में जो विचार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल व अन्य नेताओं ने व्यक्त किए हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी व हमारे दल की संवेदना उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

मान्यवर, स्वर्गीय जे0 पी0 मिश्र के सम्बन्ध में जो संवेदना माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल व अन्य नेताओं ने प्रकट की है, उनसे मैं अपने को व अपने दल को सम्बद्ध करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी व हमारे दल की संवेदना उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, स्वर्गीय जे0 पी0 मिश्र जी हमारे ही क्षेत्र से 1962 से 1967 तक विधायक रहे । उस समय क्षेत्र के विकास कार्यों के प्रति उन्होंने ध्यान दिया और विकास कार्यों को सम्पन्न कराया उनके साथ माननीय मिश्र जी का नाम जुड़ गया है । मान्यवर, क्षेत्र में ही नहीं जिले में उनके मुकाबले का कोई भी प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला आदमी देखने को नहीं मिल सकता ।

दूसरे उनकी विशेषता यह रही कि यद्यपि वह राजनीति में कांग्रेस के साथ जीवन पर्यन्त रहे उनके दिल में सदैव दूसरे विचार वालों के लिए भी जगह बनी रही, दूसरों के साथ जन-जीवन के मसलों पर बात करना, उनका हल सुझाना, यह उनकी आदत रही है । बहुत ही स्पष्ट वक्ता थे और उनकी वाणी में जो ओज था, तेज था उसको देखते हुए हरदोई जिले के लोग यह महसूस कर रहे हैं कि उस ओज के उठ जाने के बाद जो क्षति रिक्तता पैदा हुई है उसकी पूर्ति सम्भव नहीं है ।

माननीय मिश्र जी के निधन से जो क्षति हमारे क्षेत्र को पहुंची है मैं समझता हूं वह पूरी नहीं की जा सकती । माननीय मिश्र जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और माननीय नेता सदन, माननीय नेता, विरोधी दल तथा अन्य नेताओं के भावों से अपने को सम्बद्ध करते हुए आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारी ओर से भी श्रद्धांजलि मिश्र जी के शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य सभी माननीय नेताओं की अभिव्यक्ति से अपने को सम्बद्ध करते हुए मैं स्वर्गीय जे0 पी0 मिश्र को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

[श्री अध्यक्ष—]

स्वर्गीय जे0 पी0 मिश्र 1962 से 1967 तक मेरे साथ इस सदन के सदस्य रहे । मैं उनको व्यक्तिगत रूप से अच्छी तरह से जानता हूं । वह एक अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे और बहुत हंसमुख और सदा अपने कार्य के प्रति सतर्क रहने वाले थे । कभी भी निराशा उन्हें छू नहीं जाती थी और आज जब हम यह देखते हैं कि कोई कार्य हमारा पूरा हो रहा है और कोई अधूरा है तब हमको घबराहट होती है, हम तो हताश होते हैं, इस प्रकार की कोई भावना उनके मन में नहीं आती थी, वह हमेशा कार्य के प्रति निरन्तर सतर्क रहते थे ।

मैं अपने को आपकी भावनाओं से सम्बद्ध करता हूं और उनके परिवार तक आपकी सम्वेदना पहुंचाऊंगा ।

अब आप सब कृपया दो मिनट के लिये मौन खड़े होकर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें ।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए ।)

कार्य स्थगन प्रस्ताओं को पहले लिये जाने की मांग तथा व्यवस्था का प्रश्न

[1 बजकर 23 मिनट]

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा एक औचित्य का प्रश्न था. . . ।

श्री अध्यक्ष—

आने दीजिए. . . ।

*श्री मुख्तार अनीस—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । सुन लीजिये । यहां पर प्रश्नों के बाद, यह जो कार्य संचालन नियमावली है इसमें दिया है, कार्य स्थगन प्रस्ताव आता है । यह जो आपकी कार्य सूची छपी है इसके अन्दर प्रश्नों के बाद लम्बी चौड़ी लिस्ट द्वारा आर्डिनेन्स जनता पर लादे गये हैं और उन्सठवें स्थान पर कार्य स्थगन प्रस्ताव है । आप जानते हैं कि इस राज्य सरकार ने और केन्द्र सरकार ने गढ़वाल के चुनाव बूथों पर पुलिस और पी0 ए0 सी0 के जरिये कब्जा कराया । वहां पर चुनाव आयुक्त ने साफ-साफ उत्तर प्रदेश की सरकार को दोषी. .

(व्यवधान)

आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार . . . ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप बैठ जायं । कार्य सूची के हिसाब से कार्य चलने दें । आप बैठ जायं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आप कृपया बैठ जायं ।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, मेरा एक नम्र निवेदन है, उसे आप सुन लें . .

श्री अध्यक्ष--

आप मुझे व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर देने दें । नियमावली के नियम 315 में जिस तरह से दिया हुआ है उसी क्रम में यह कार्य सूची दी हुई है । 59 नम्बर पर कार्यस्थगन का प्रस्ताव है । उसके अनुसार जब प्रस्ताव आयेगा, उस समय उस पर विचार कर लिया जायेगा । इसलिये अब हम नियम 301 लेते हैं ।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आपको इस बात का पूरा अधिकार है कि आप जो नियम चाहें उसे निलम्बित कर दें । मेरा निवेदन यह है कि कार्यस्थगन के प्रस्ताव के लिये नियमावली में दिया हुआ है और उसके लिये एक अध्याय है और उसके अन्तर्गत ही आपसे उसके बारे में निवेदन किया जा सकता है । कार्यस्थगन का तात्पर्य है कार्य को स्थगित करके आपको सुना जाय । अगर वह सूचनायें सारे एजेन्डे को समाप्त होने के बाद यहां पर रखी जायेंगी तो ऐसे कार्य स्थगन की क्या उपयोगिता रह जायेगी ? सम्पूर्ण कार्य को स्थगित करके ऐसे प्रस्तावों को यहां पर लाया जाय वही उसका महत्व है । तो मान्यवर, प्रश्नों के बाद अगर कोई निधन के निदेश हैं, गिरफ्तारियां हैं तो उनके बाद कृपया कार्य-स्थगन के प्रस्ताव को ग्राह्यता आप सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया सुन लें। जो भी कार्य है वह औपचारिक कार्य है । उनमें समय नहीं लगता है । केवल सदन के पटल पर उनको रखा जाना है । यह सदन की परम्परा है । मैं चाहूंगा कि मैं अपने अधिकार का प्रयोग कम से कम करूं । मेरा ख्याल है आप भी इससे सहमत होंगे और आप भी अपने अधिकारों का प्रयोग कम से कम करेंगे ।

आज की कार्य सूची सदस्यों को वितरित न किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री बलबीर सिंह--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आज माननीय सदस्यों के घरों पर ऐजेन्डा नहीं पहुंचा है । संसदीय कार्य मंत्री कृपया इसका उत्तर दें . . . ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य ने जो बात उठाई है वह सही है । रात में बिजली की व्यवस्था में गड़बड़ी होने के कारण एजेन्डा देर से छपा और उसके कारण आज साढ़े 9 बजे हमारे पास आया . . . ।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

[श्री अध्यक्ष---]

आप कृपया बैठ जायं । आप कृपया मान्यता तो बनाये रखें । मैं खड़ा हूं आप बोल रहे हैं । आपने एक बात कही और मैंने सुनी । जो बात सही है वह मैंने आपको बतायी । एजेन्डा साढ़े 9 बजे आया । कोशिश की गई कि वह आप तक पहुंच जाय । घरों में कहीं पहुंचा कहीं नहीं पहुंच सका ।

(व्यवधान)

विद्युत् परिषद् द्वारा बिछाये गये विद्युत् तारों के छू जाने से प्रदेश में कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

[1 बजकर 28 मिनट]

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

महोदय, आपकी अनुज्ञा से आदरणीय सदन एवं शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा बिजली आपूर्ति के लिये बिछाये गये तारों का रख रखाव इतना खराब है कि आये दिन मौतें हुआ करती हैं । तार निर्धारित सीमा से नीचे लटकते हैं । टूट कर गिर जाने से तुरन्त न हटाये जाते हैं और न मरम्मत होती है ।

मान्यवर, दिनांक 18 मई, 1981 को मेरठ के पास विडाला नाम के ग्राम में भारी वोल्टेज का तार एक निजी बस के ऊपर रखी साइकिल से छू गया, बस में सवार 18 व्यक्ति तत्काल मर गये । 45 व्यक्ति घायल हुये । मृतकों में नवविवाहिता बधू, अनेक महिलायें तथा शिशु शामिल हैं । सर्वाधिक चिन्तन की बात यह है कि इस भयंकर नर संहार के बाद भी बोर्ड के कान में जूं नहीं रेंगी अभी 10 सितम्बर, 1980 को लखनऊ स्थित घसियारी मंडी में टूटे हुये तार से चिपक कर मोहम्मद यूनुस नामक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया । तार दो दिन पूर्व टूटा था । शिकायत दर्ज थी परन्तु मरम्मत न हुई । इसी प्रकार की घटना सुल्तानपुर में चार बच्चों की मौत से हुई ।

इन घटनाओं से जनता में भय, चिन्ता तथा आक्रोश व्याप्त है । गांवों में तार की देख रेख के लिये कर्मचारी की व्यवस्था है पर यथा समय मरम्मत नहीं होती ।

अतएव लोक महत्व के इस सुनिश्चित एवं अविलम्बनीय प्रश्न पर आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कर मांग करता हूं कि तारों की देखभाल तथा रख रखाव हेतु प्रभावी एवं उचित व्यवस्था की जाय ।

लोक दल के नेतृत्व में हो रहे सत्याग्रह आन्दोलन में गिरफ्तार राजनैतिक बन्दियों के साथ दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । कल 14 सितम्बर से लोक दल के नेतृत्व में सत्याग्रह आन्दोलन शुरू हो गया है । आज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लोक दल के पहले दिन पूरे प्रदेश भर में लगभग 10 हजार कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी है। इन गिरफ्तार होने वालों में प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री राम नरेश यादव भी हैं। लेकिन अफसोस है कि उ0 प्र0 की जेलों में राजनीतिक बन्दियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। राजनैतिक बन्दियों को मिलने वाली सामान्य सुविधायें नहीं दी जा रही हैं जिसके कारण राज्य सभा के सदस्य श्री सुरेन्द्र मोहन और उनके साथियों ने जिला जेल सीतापुर में कई दिनों तक अनशन किया। बाराबंकी जिला जेल में 12 सितम्बर को निर्मम लाठीचार्ज हुआ। जिसमें कई राजनीतिक कार्यकर्त्ता घायल हुये।

इस आदरणीय विधान सभा के सदस्य श्री रियासत हुसैन, श्री राम गोविंद चौधरी, श्री गौरी भैया, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, को भी साधारण श्रेणी के बन्दियों की कोटि में रखा गया है। श्री राम नरेश यादव को कल 14 सितम्बर को गिरफ्तार कर उनके साथियों सहित लखनऊ से वाराणसी सेन्ट्रल जेल ले जाया गया। रास्ते में इन लोगों को कुछ भी खाने को नहीं दिया गया और जेलों में रात को 2 बजे प्रवेश तो करा दिया। सेन्ट्रल जेल वाराणसी के अधिकारियों से जब इन लोगों ने खाना मांगा तो खाने वालों ने इन लोगों को भद्दी भद्दी गालियां दीं। इस सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आग्रह करना चाहता हूं कि जेलों में समस्त राजनैतिक बन्दियों को उच्च श्रेणी की सुविधा प्रदान कर दी जाय। बाराबंकी जेल के अन्दर हुए लाठीचार्ज की न्यायिक जांच करायी जाय और श्री राम नरेश यादव भूतपूर्व मुख्य मंत्री के साथ दुर्व्यवहार करने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय।

मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

मान्यवर, जेल के बजाय होटल में व्यवस्था चाहते हैं तो गोमती में प्रबन्ध कर सकते हैं।

आयुर्वेदिक कालेज, झांसी के छात्रों द्वारा आन्दोलन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, आयुर्वेदिक कालेज, झांसी के छात्रावास में रहने वाले छात्रों ने अपने प्राचार्य महोदय से दैनिक समाचार पत्र छात्रावास में आना चाहिये इस मांग को लेकर गये। प्रधानाचार्य महोदय, ने उन छात्रों को गाली दी तथा छात्रावास से निकलने की नोटिस दी।

10 अगस्त, 81 से गाली एवं प्रधानाचार्य के अव्यावहारिकता के सम्बन्ध में जांच करवाने की मांग को लेकर तथा प्रिंसिपल का स्थानान्तरण तथा अध्यापकों की रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए आंदोलन कर रहे छात्रों के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश शासन, निदेशक आयुर्वेदिक निदेशालय को भी अपनी मांगों की पूर्ति हेतु निवेदन कर दिया गया है। दुख की बात यह है कि प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। इस कारण झांसी नगर के सम्पूर्ण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--]

छात्रों ने आयुर्वेदिक कालेज के समर्थन में आंदोलन करने की घोषणा कर दी है। झांसी नगर में छात्र जगत की सम्पूर्ण स्थिति विस्फोटक एवं अशांतमय बनती चली जा रही है।

अतः मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि तुरन्त सम्पूर्ण घटना की जांच करायें, और प्रधानाचार्य जी का स्थानान्तरण तुरन्त किया जाय जांच के उपरांत सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय।

टिहरी गढ़वाल जनपद के देव प्रयाग-गज मोटर मार्ग के निर्माण में धांधली तथा गूलों की व्यवस्था न कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

[1 बजकर 35 मिनट]

*श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, मैं टिहरी-गढ़वाल जनपद की पालकोट पट्टी के अन्तर्गत देव प्रयाग-गज मोटर मार्ग के निर्माण में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा की गयी धांधली के प्रति आकर्षित करना चाहता हूं। मार्ग के निर्माण करते समय विभाग के अधिकारियों ने जनता को आश्वासन दिये कि उनकी गूलों को होने वाली क्षति को निर्माण कार्य के पूरा होते ही ठीक कर दिया जायेगा। ग्राम लसेर की दोनों गूलें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयीं और जनता अपने खेतों में धान के बजाय विगत तीन वर्षों से मोटा अनाज झंगोरा लगाने के लिए विवश हो गयी है। मार्च, 80 में मैंने स्थानीय सहायक अभियन्ता को मौके पर ले जाकर उन्हें किसानों की स्थिति से अवगत कराया। उस समय मुझे यह आश्वासन दिया गया कि अगली फसल के लिए बीज तैयार करने से पूर्व दोनों गूलों को ठीककर किसानों को पानी दे दिया जायेगा। ऐसा नहीं किया गया। जनता इस अत्याचार का विरोध करने के लिए संघर्ष करने पर विवश हो गई है। आज से देव प्रयाग नगर में सैकड़ों पालकोट पट्टी के निवासी धरना दे रहे हैं तथा एक प्रधान ने अनशन भी शुरू कर दिया है। मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए आग्रह करना चाहता हूं कि पालकोट पट्टी के किसानों की भूमि तथा गूलों की अविलम्ब क्षति पूर्ति की जाए तथा किसानों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

आइटम नं0 4, जनस्वास्थ्य मंत्री।

श्री मोहन सिंह--

मेरा इस पर एक व्यवस्था का प्रश्न है। सदन के पटल पर जो चीज रखी जा रही है, रखने से पूर्व उसकी कापी हमें मिलनी चाहिए। अभी तक इसकी प्रतियां हम लोगों को नहीं मिली हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने औचित्य का प्रश्न दिया था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

वह बाद में आएगा ।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रबन्ध ग्रहण) (संशोधन) अध्यादेश, 1981†

[1 बजकर 37 मिनट पर]

जनस्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रबन्ध ग्रहण) (संशोधन) अध्यादेश, 1981 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) अध्यादेश, 1981†

परिवहन मंत्री (श्री वीरबहादुर सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) अध्यादेश, 1981 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1981†

राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1981 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1981†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1981 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1981†

कृषि मंत्री (श्री भानुप्रताप सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1981 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1981†

शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1981 को सदन के पटल पर रखती हूं ।

†छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1981†

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1981 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड, अध्यादेश, 1981†

शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अध्यादेश, 1981 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 1981†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 1981 को सदन के पटल पर रखता हूं।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसिएटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) अध्यादेश, 1981†

जनस्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)—

अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) अध्यादेश, 1981 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 1981†

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 1981 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1981†

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) और (वैधीकरण) अध्यादेश, 1981 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) अध्यादेश, 1981†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) अध्यादेश, 1981 को सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, कानपुर का 17वां वार्षिक प्रतिवेदन 1977–78

उद्योग मंत्री (श्री नियाज हसन खां)—

अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, कानपुर का 17वां वार्षिक प्रतिवेदन 1977–78 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619–ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, कानपुर का 18वां वार्षिक प्रतिवेदन, 1978–79†

उद्योग मंत्री (श्री नियाज हसन खां)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, कानपुर का 18वां वार्षिक प्रतिवेदन 1978–79 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619–ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (केन्द्रीय संकाम्य संवर्ग) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1979 सम्बन्धित शुद्धि–पत्र†

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से पंचायती राज अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या 128–बी/33–2—5–आर/62–यू0 पी0 ऐक्ट, 33/61–रूल–66 अमेन्डमेंट (3)–79, दिनांक 11 जनवरी, 1980 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (केन्द्रीय संकाम्य संवर्ग) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1979, जो सदन के पटल पर दिनांक 16 जुलाई, 1980 को रखी गयी थी, से सम्बन्धित शुद्धि–पत्र संख्या 128–बी/33–2–5–आर/62, दिनांक 27 अगस्त, 1980 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

स्थानीय विकास योजना के अधीन, जिला परिषद् द्वारा ऋण देना नियमावली, 1978 से सम्बन्धित शुद्धि–पत्र†

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पंचायती राज अनुभाग—2 की अधिसूचना संख्या 2866–बी/यू0 पी0 ए0 33–1961–रूल–1978, दिनांक 29 जुलाई, 1978 द्वारा प्रख्यापित स्थानीय विकास योजना के अधीन, जिला परिषद् द्वारा ऋण देना नियमावली, 1978, जो सदन के पटल पर दिनांक 8 मार्च, 1979 को रखी गयी थी, से सम्बन्धित शुद्धि–पत्र संख्या 353–डी/33–2–ग्रा0 वि0–4–520–78, दिनांक 5 जुलाई, 1979 को विलम्ब के कारण सहित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापा नहीं गया ।

जिला परिषद् कर्मचारी सेवा निवृत्त लाभ (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1980†

पंचायती राज मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से पंचायती राज अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 1867-बी/33—2-2/74-यू0 पी0 ए0-33-61-नियम-72-संशोधन (4)-1980, दिनांक 31 जुलाई, 1980 द्वारा प्रख्यापित जिला परिषद् कर्मचारी सेवा निवृत्ति लाभ (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1980 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन 1976-77††

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड का पंच वार्षिक प्रतिवेदन 1976-77 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे †††

गन्ना विकास राज्य मन्त्री (श्री शिव नाथ सिंह कुशवाहा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे 30 सितम्बर, 1979 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (बाइसवां संशोधन) नियमावली, 1981

राजस्व मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्व अनुभाग-8 की अधिसूचना संख्या 65/24/80 (357) रा0-8, दिनांक 28 अप्रैल, 1981 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (बाइसवां संशोधन) नियमावली, 1981 को उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 54 की उपधारा (5) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

† छापी नहीं गई ।

†† छापा नहीं गया ।

††† छापे नहीं गए ।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (इकतीसवां संशोधन) नियमावली, 1981 †

परिवहन मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या 2248 -टी- तीन-4-16-पी0 - 80-के0 अधि0-4, 1939-नियम-1940-संशोधन (31)-1981, दिनांक 1 मई, 1981 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (इकतीसवां संशोधन) नियमावली, 1981 को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

कुमाऊं मण्डल विकास निगम लिमिटेड, नैनीताल की वार्षिक रिपोर्ट 1977-78†

पर्वतीय विकास राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)--

श्रीमन्, आपकी अनुमति से मैं कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड, नैनीताल की वार्षिक रिपोर्ट, 1977-78 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

कुमाऊं मण्डल विकास निगम लिमिटेड, नैनीताल की अष्टम वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण, 1978-79‡

पर्वतीय विकास राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी--)

श्रीमन्, आपकी अनुमति से मैं कुमाऊं मण्डल विकास निगम लिमिटेड, नैनीताल की अष्टम वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण, 1978-79 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण, 1976-77, 1977-78 एवं 1978-79‡

ग्राम्य विकास मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव)--

श्रीमन्, आपकी अनुमति से मैं वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण, 1976-77, 1977-78, 1978-79 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापी नहीं गई।
‡छापा नहीं गया

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेन्शन) नियमावली, 1981†

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं संसदीय अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 2752 संख्या सत्रह-81-170-सं0-80, दिनांक 26 जून, 1981 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेन्शन) नियमावली, 1981 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

मुजफ्फरनगर जांच आयोग का प्रतिवेदन†

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

श्रीमन्, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त मुजफ्फरनगर जांच आयोग का प्रतिवेदन ज्ञापन सहित कमीशन आफ इन्क्वायरीज ऐक्ट, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उपलोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1953 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1981 में किए गए शाब्दिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(शाब्दिक संशोधनों के लिए देखिए नत्थी 'प' आगे पृष्ठ 252 पर)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर पारित धन्यवाद प्रस्ताव पर श्री राज्यपाल द्वारा धन्यवाद का संदेश

श्री अध्यक्ष --

दिनांक 27 जनवरी, 1981 को विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष राज्यपाल महोदय द्वारा किए गए अभिभाषण के प्रति धन्यवाद प्रकट करते हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय का जो उत्तर मुझे प्राप्त हुआ है उसे मैं सुनाता हूं--

"आपके पत्र संख्या 11/वि0 स0 संसदीय-14 (सं0)-81, दिनांक 6 फरवरी, 1981 के लिए धन्यवाद। आपके द्वारा विधान सभा के माननीय सदस्यों को भी मैं अपना धन्यवाद देना चाहूंगा।"

यह श्री राज्यपाल महोदय का पत्र था जो मैंने पढ़ कर सुनाया है।

---

† छापी नहीं गई।

†† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1981, जो विधान सभा द्वारा 3 अप्रैल, 1981 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 7 अप्रैल, 1981 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981, जो विधान सभा द्वारा 2 अप्रैल, 1981 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 7 अप्रैल, 1981 को वापस प्राप्त हो गया।

इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचना देता हूं कि इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1981, जो विधान सभा द्वारा 1 अप्रैल, 1981 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 8 अप्रैल, 1981 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेन्शन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचना देता हूं कि-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेन्शन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1981, जो विधान सभा द्वारा 4 अप्रैल, 1981 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 8 अप्रैल, 1981 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1981 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 3 अप्रैल, 1981 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 6 अप्रैल, 1981 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 13 अप्रैल, 1981 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1981 का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 2 अप्रैल, 1981 के उपवेशन में पारित किया तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपने दिनांक 6 अप्रैल 1981 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 13 अप्रैल, 1981 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1981 का उत्तर प्रदेश का आठवां अधिनियम बन गया ।

इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1981 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 1 अप्रैल, 1981 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 7 अप्रैल, 1981 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 13 अप्रैल, 1981 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1981 का उत्तर प्रदेश का नवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेन्शन) (द्वितीय संशोधन), विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेन्शन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1981 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 4 अप्रैल, 1981 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 7 अप्रैल, 1981 को बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 13 अप्रैल, 1981 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1981 का उत्तर प्रदेश का बसवां अधिनियम बन गया ।

सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1981 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 24 मार्च, 1981 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 4 अप्रैल, 1981 के उपवेशन में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 12 मई, 1981 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1981 का उत्तर प्रदेश का ग्यारहवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) विधयक, 1981 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 24 मार्च, 1981 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 4 अप्रैल, 1981 के उपवेशन में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 12 मई, 1981 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1981 का उत्तर प्रदेश का बारहवां अधिनियम बन गया ।

कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी/दोषसिद्ध कारावासित किये जाने/रिहाई की सूचना सम्बन्धित अधिकारियों से प्राप्त हुई--

(1) श्री लटूरी सिंह (एटा)
(2) श्री राम गोविन्द चौधरी (बलिया)
(3) श्री रियासत हुसैन (मुरादाबाद)
(4) श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (गोरखपु
(5) श्री गौरी शंकर भैय्या (बलिया)

उपर्युक्त माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी कारावासित किये जाने तथा रिहाई की सूचनायें इस सचिवालय द्वारा जारी किये गये बुलेटिन संख्या 27, 28, 29 तथा 30 द्वारा प्रसारित की जा चुकी है ।

इसके अतिरिक्त श्री प्रदीप कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा(बाराबंकी) को दिनांक 12 अगस्त, 1981 को गिरफ्तार किये जाने, दन्डित किये जाने एवं रिहा कर दिये जाने की सूचनाएं एस0 डी0 एम0, राम सनेही घाट से दिनांक 12 अगस्त, 1981 को प्राप्त हुई थी किन्तु माननीय सदस्य की गिरफ्तारी एवं दोषसिद्धि की सूचनाओं में उल्लिखित धाराओं में विरोधाभास होने के कारण एस0 डी0 एम0, रामसनेही घाट से स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 14 सितम्बर, 1981 की बैठक में विधान सभा के 15 सितम्बर, 1981 से 22 सितम्बर, 1981 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :--

सितम्बर, 1981

15-मंगलवार (अपराह्न 5 बजे तक)

निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण

(1) उत्तर प्रदेश स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1981--दो घन्टा।

(2) उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) (संशोधन) विधेयक, 1981--एक घंटा।

16-बुधवार

वित्तीय वर्ष 1981-82 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा, मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

17-गुरुवार

(क) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण--

(1) उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1981--डेढ़ घंटा।

(2) उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रबन्ध ग्रहण) (संशोधन) विधेयक, 1981--आधा घन्टा।

(3) उत्तर प्रदेश विज्ञापन-कर विधेयक, 1981--एक घंटा।

(ख) समय उपलब्ध होने की दशा में मुख्य मन्त्री के निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार (दो घंटे) :--

"उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (संशोधन) विधेयक, 1980, जो इस सदन द्वारा दिनांक 18 सितम्बर, 1980 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ भेजा गया था और जिस पर विचार करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 4 अक्तूबर, 1980 की बैठक में अस्वीकृत हो गया था, को, जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया जाय।

18--शुक्रवार (अपराह्न 2 बजे तक)

(क) मुख्य मन्त्री के उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (संशोधन) विधेयक, 1980 सम्बन्धी उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचार (दिनांक 17 सितम्बर, 1981 को विचार पूरा न होने की दशा में) ।

(ख) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण (समय उपलब्ध होने की दशा में) :--

(1) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यत्रीकर) (संशोधन) विधेयक, 1981--1/2 घन्टा ।

(2) उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1981--1/2 घन्टा ।

(अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक)

असरकारी सदस्यों के संकल्प

दिनांक 19 एवं 20 सितम्बर, शनिवार एवं रविवार को बैठक नहीं होगी।

21 सितम्बर, सोमवार--निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उसका पारण--

(1) किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एन्ड एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) विधेयक 1981--2 घंटा ।

(2) उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1981--एक घंटा ।

22--मंगलवार

(1) श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी निम्नलिखित विषय की सूचना पर 2 घंटे की चर्चा :--

"उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में निरन्तर हो रही वृद्धि और उस पर नियन्त्रण कर पाने में शासन की विफलता से उत्पन्न परिस्थिति ।"

(2) श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी निम्नलिखित विषय की सूचना पर एक घंटे की चर्चा :--

"गैर सरकारी मान्यताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के समायोजन तथा उनकी छटनी और नियुक्ति में हो रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति ।"

(3) श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी निम्नलिखित विषय की सूचना पर डेढ़ घन्टे की चर्चा :--

"प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति का सामना करने हेतु किए जा रहे राहत कार्यों में शिथिलता ।"

(4) श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी निम्नलिखित विषय की सूचना पर डेढ़ घन्टे की चर्चा :--

"प्रदेश के अधिकांश भाग में अभूतपूर्व सूखे की स्थिति और उसका सामना करने में शासन द्वारा कोई कारगर कदम न उठाया जाना ।"

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्यमंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिश से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष ने आज सदन को दी है, सहमत है ।

श्री जयदीप सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं नियम 226 के अन्तर्गत संशोधन देना चाहता हूं। मेरा संशोधन यह है कि सूखे और बाढ़ पर चर्चा इसमें 22 तारीख को रखा है । आज किसानों की स्थिति ऐसी होती जा रही है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बाढ़ के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सूखा पड़ा है वह 1979 के सूखे से भयंकर है । साढ़े 5 महीने बाद सदन की बैठक हो रही है इसमें भी सदन की बैठक के आखिरी दिन सूखे और बाढ़ पर चर्चा करना, मैं समझता हूं, औचित्य पूर्ण नहीं है । माननीय मुख्य मन्त्री जी नें कुछ घोषणायें की हैं मैं उनका स्वागत करता हूं । लेकिन शायद वह जैसी वहां की स्थिति है उससे अवगत नहीं है । मैं सभी पक्षों से आग्रह करूंगा कि इस पर पहले चर्चा होनी चाहिये क्योंकि किसान एक-एक दिन नहीं एक-एक घंटे में तबाह हो रहा है । शासन जो भी नीति बनना चाहे जब सदन सत्र में है तो माननीय सदस्यों की राय से बनाये ।

श्री अध्यक्ष—

इस पर भाषण कैसे दे सकते हैं । आप बठ जायं ।

श्री जयदीप सिंह—

आप 5 मिनट दे सकते हैं । मैं आशा करता हूं कि मेरे विचार से माननीय मुख्य मन्त्री जी भी सहमत होंगे । इस पर जल्दी चर्चा हो जाय तो किसानों का भला हो सकता है जैसे किसी डैम में पानी है लेकिन वह नहरों में नहीं छोड़ा जा रहा है । माननीय अध्यक्ष जी इस पर पहले चर्चा करवा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

आप देखें नियम 226 में है समय का बंटवारा—(1) सदन को सूचित किये जाने के बाद यथासंभव शीघ्र अध्यक्ष द्वारा, नामनिर्दिष्ट समिति के किसी भी सदस्य द्वारा यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा :—

"कि यह सदन समिति द्वारा प्रस्थापित समय के बंटवारे को स्वीकार करता है ।"

(2) जब ऐसा प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकृत हो जाय तो वह उसी प्रकार प्रभावी होगा जैसे कि वह सदन का आदेश हो :

परन्तु यह संशोधन प्रस्तुत किया सकेगा कि प्रतिवेदन या तो बिना परिसीमा के या किसी विशेष विषय के सम्बन्ध में समिति को पुनर्निर्दिष्ट कर दिया जाय, सिर्फ इतना किया जा सकता है अतएव यह पूर्ण विचार विनिमय के बाद कार्यमन्त्रणा समिति ने यह कार्य व्यवस्था जो और इस तरह का निर्णय लिया है । इसलिये इस संशोधन की आवश्यकता रखी नहीं होती है ।

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्यमन्त्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से, जिसकी सूचना अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

राज्य भूमि तथा जल संरक्षण बोर्ड में कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

कृषि मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह)—

मान्यवर, आप की आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड में कार्य करने के लिये भूतपूर्व विधान सभा के विघटन के कारण उक्त विधान सभा द्वारा निर्वाचित चार सदस्यों के रिक्त स्थान पर, उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल-संरक्षण, अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के अनुसार, विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करे ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, राज्य भूमि एवं जल-संरक्षण बोर्ड में कार्य करने के लिये भूतपूर्व विधान सभा के विघटन के कारण उक्त विधान सभा द्वारा निर्वाचित चार सदस्यों के रिक्त स्थान पर, उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के अनुसार, विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर, जिला नैनीताल के प्रबन्धक बोर्ड में कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

कृषि मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर, जिला नैनीताल के प्रबन्धक बोर्ड पर कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अनुसार, विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करे ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर, जिला नैनीताल के प्रबन्धक बोर्ड पर कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अनुसार, विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

विधान मंडल के सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं अन्य उपलब्धियों सम्बन्धी समिति के कार्यकाल में वृद्धि का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि चूंकि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 1980 को पारित प्रस्ताव, जिस पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा दिनांक 4 अक्तूबर, 1980 को कतिपय संशोधन के साथ सहमति प्रदान की गयी थी और जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 13 अक्तूबर, 1980 को स्वीकार किया था, के अनुसार विधान मंडल के सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं अन्य उपलब्धियों पर विचार करने हेतु उत्तर प्रदेश विधान मंडल को विधान मंडल के सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं अन्य उपलब्धियों सम्बन्धी समिति का गठन इस निदेश के साथ किया गया था कि वह गठन के छः माह के अन्दर उत्तर प्रदेश विधान मंडल के दोनों सदनों को अपनी संस्तुतियां प्रतिवेदित करे। और चूंकि उक्त समिति जिसका गठन दिनांक 10 नवम्बर, 1980 को किया गया था, निर्धारित कालावधि अर्थात् 9 मई, 1981 तक अपना प्रतिवेदन देने की स्थिति में नहीं थी।

और चूंकि उस समय विधान मंडल का अधिवेशन नहीं हो रहा था, जिसके फलस्वरूप श्री अध्यक्ष विधान सभा ने सदन की स्वीकृति की प्रत्याशा में उक्त समिति के आगामी सत्र के प्रथम दिन तक कार्य करने की अनुमति प्रदान की थी।

और चूंकि उक्त समिति अभी इस स्थिति में नहीं है कि अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सके :

अतएव, "यह सदन यह निश्चय करता है कि उक्त समिति द्वारा अपनी संस्तुतियां प्रतिवेदन करने का समय 30 नवम्बर, 1981 तक के लिये बढ़ा दिया जाय और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से अनुरोध करता है कि वह कृपया इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान करे।"

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि चूंकि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 1980 को पारित प्रस्ताव, जिस पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा दिनांक 4 अक्तूबर, 1980 को कतिपय संशोधन के साथ सहमति प्रदान की गयी थी और जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 13 अक्तूबर, 1980 को स्वीकार किया था, के अनुसार विधान मंडल के सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं अन्य उपलब्धियों पर विचार करने हेतु उत्तर प्रदेश विधान मंडल का "विधान मंडल के सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं अन्य उपलब्धियों सम्बन्धी समिति" का गठन इस निदेश के साथ किया गया था कि वह गठन के छः माह के अन्दर उत्तर प्रदेश विधान मंडल के दोनों सदनों को अपनी संस्तुतियां प्रतिवेदित करे,

और चूंकि उक्त समिति जिसका गठन दिनांक 10 नवम्बर, 1980 को किया गया था, निर्धारित कालावधि अर्थात् 9 मई, 1981 तक अपना प्रतिवेदन देने की स्थिति में नहीं थी,

और चूंकि उस समय विधान मंडल का अधिवेशन नहीं हो रहा था, जिसके फलस्वरूप श्री अध्यक्ष विधान सभा ने सदन की स्वीकृति की प्रत्याशा में उक्त समिति के आगामी सत्र के प्रथम दिन तक कार्य करने की अनुमति प्रदान की थी।

और चूंकि उक्त समिति अभी इस स्थिति में नहीं है कि अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सके,

अतएव, यह सदन यह निश्चय करता है कि उक्त समिति द्वारा अपनी संस्तुतियां प्रतिवेदन करने का समय 30 नवम्बर, 1981 तक के लिये बढ़ा दिया जाय और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से अनुरोध करता है कि वह कृपया इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान करे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1980 पर नियुक्त प्रवर समिति के कार्यकाल में वृद्धि का प्रस्ताव

राजस्व मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं :

"चूंकि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1980 सदन के 17 सितम्बर, 1980 के निश्चयानुसार इस निदेश के साथ प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया था कि वह अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम दिन प्रस्तुत करे और समिति द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत न कर सकने के कारण विधान सभा के दिनांक 28 जनवरी, 1981 के निश्चयानुसार उक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय विधान सभा के आगामी वर्षाकालीन सत्र के प्रथम दिन तक के लिये बढ़ा दिया गया था, ...

और चूंकि समिति उक्त बढ़ाई गयी अवधि में भी अपना प्रतिवेदन तैयार नहीं कर सकी,

और चूंकि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 258 के उपनियम (1) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार सदन को यह अधिकार है कि वह किसी भी समय प्रस्ताव किये जाने पर निदेश दे सकेगा कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय प्रस्ताव में उल्लिखित तिथि तक बढ़ा दिया जाय,

अतएव, यह सदन निदेश देता है कि उक्त प्रवर समिति को उसके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय विधान सभा के वर्ष 1982 के आयव्ययक सत्र के प्रथम दिन तक के लिये बढ़ाया जाय।"

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि चूंकि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1980 सदन के 17 सितम्बर, 1980 के निश्चयानुसार इस निदेश के साथ प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया था कि वह अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम दिन प्रस्तुत करे

[श्री अध्यक्ष—]

और समिति द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत न कर सकने के कारण विधान सभा के दिनांक 28 जनवरी, 1981 के निश्चयानुसार उक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय विधान सभा के आगामी वर्षाकालीन सत्र के प्रथम दिन तक के लिये बढ़ा दिया गया था,

और चूंकि समिति उक्त बढ़ाई गयी अवधि में भी अपना प्रतिवेदन तैयार नहीं कर सकी,

और चूंकि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 258 के उपनियम (1) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार सदन को यह अधिकार है कि वह किसी भी समय प्रस्ताव किये जाने पर निदेश दे सकेगा कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन के उपस्थान के लिए समय प्रस्ताव में उल्लिखित तिथि तक बढ़ा दिया जाय,

अतएव, यह सदन निदेश देता है कि उक्त प्रवर समिति को उसके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय विधान सभा के वर्ष 1982 के आय-व्ययक सत्र के प्रथम दिन तक के लिये बढ़ाया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश मन्त्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1981†

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश मन्त्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मन्त्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश मन्त्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1981†

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

---

†दिनांक 16 सितम्बर, 1981 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रबन्ध ग्रहण) (संशोधन) विधेयक, 1981†

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोक पति)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रबन्ध ग्रहण) (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रबन्ध-ग्रहण) (संशोधन) विधयक, 1981 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन को अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री लोक पति—

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रबन्ध-ग्रहण) (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड विधेयक, 1981†

शिक्षा राज्य मन्त्री (श्रीमती प्रेमवती तिवारी)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करती हूं ।

---

†दिनांक 16 सितम्बर, 1981 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एवं एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) विधेयक, 1981†

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसिएटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसिएटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री लोकपति—

मान्यवर, मैं किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसिएटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) (संशोधन) विधेयक, 1981†

परिवहन मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1981†

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

---

†दिनांक 16 सितम्बर, 1981 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री अध्यक्ष

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लोकपति--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1981†

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करता हूं।

वित्त मंत्री द्वारा बजट की गोपनीयता भंग किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, एक औचित्य का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

पहले कार्य स्थगन को ले लें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा भी एक औचित्य का प्रश्न है।

(आज्ञा मिलने पर)

---

†दिनांक 16 सितम्बर, 1981 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, 13 सितम्बर, 1981 को प्रदेश के वित्त मंत्री श्री ब्रह्म दत्त ने संवाददाताओं के सामने और 'आज' के प्रतिनिधि के सामने यह एलान किया कि विधान सभा के वर्षाकालीन सत्र में पूरक बजट पेश करते समय बिजली तथा सिंचाई की दरों एवं राजकीय परिवहन की बसों के किराये में वृद्धि की जायगी ।

यह समाचार जब मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा तो निम्नलिखित चार बिन्दुओं से मैं अपनी बात कहना चाहता हूं :—

पहला यह जो हमारा बजट मैनुअल है, इसमें इस प्रकार का प्राविधान हमने कहीं नहीं पढ़ा कि यह जो अनुपूरक बजट पेश होता है, इसमें अनुदानों के समय आमदनी पर भी कोई चर्चा होती है । इसमें केवल अपरिहार्य कारणों से जो खर्चे होते हैं, उन्हीं की स्वीकृति ली जाती है ।

दूसरी बात यह कि जो भी बजट पेश होता है वह गोपनीय डाक्यूमेन्ट होता है । समय से पहले उसे खोल देना असंसदीय है । यह विशेषाधिकार हनन का मामला भी है और संसदीय शिष्टाचार के खिलाफ भी है ।

तीसरी बात, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी 30 अगस्त को एक वक्तव्य दिया संवाददाताओं के सामने, उसमें उन्होंने घोषणा की थी कि जो थोड़े दिनों का सत्र आने वाला है इसमें न कोई बजट होगा और न कोई टैक्स ही लगाये जायेंगे । इस प्रकार, माननीय वित्त मंत्री का यह कहना कि टैक्स लगायें जायेंगे और माननीय मुख्य मंत्री का यह एलान कि इसमें कोई टैक्स नहीं लगाये जायेंगे, परस्पर विरोधी है । इसके बावजूद, इन टैक्सों का लगाया जाना उचित नहीं है ।

चौथी बात यह है कि सत्र प्रारम्भ हो रहा है, उसको आपके द्वारा आहूत किया जा चुका है और नीति सम्बन्धी घोषणायें करने का मौका मिलेगा, परन्तु उसके पहले सदन के बाहर घोषणा किया जाना संसदीय शिष्टाचार के खिलाफ है ।

मान्यवर, इन 4 बातों के आधार पर माननीय वित्त मंत्री द्वारा जो ऐलान किया गया सम्पूर्ण प्रदेश की जनता को उसकी जानकारी हो गयी, यह इनको नहीं करना चाहिए था । इन बिन्दुओं को आपके सामने रखकर मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी को शासित करने की कृपा करें ।

वित्तमंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान माननीय सदस्य की नोटिस की ओर दिलाना चाहता हूं । उन्होंने पहले पैराग्राफ में कहा है कि दिनांक 13 सितम्बर, 1981 को प्रदेश के वित्त मंत्री ने "आज" दैनिक के प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए यह घोषणा की कि विधान सभा के वर्षा कालीन सत्र में पूरक बजट पेश करते समय बिजली तथा सिंचाई की दरों एवं राजकीय परिवहन की बसों के किराये में वृद्धि की जायेगी । जैसा कि आज के सत्र से प्रकट होता है कि मैंने इस बात का विरोध करने का संकेत दिया है ।

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रेस सम्मेलन में छठी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में, नियोजन के विकेन्द्रीकरण के बारे में मैंने बात की थी। उसकी प्रतिलिपि भी मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा। इस पत्र में कोई विशेषाधिकार के हनन की बात नहीं हुयी। यही बात दूसरे पत्र में इस रूप में आयी है "नो फ्रेश टेक्सेशन शुड बी रेज्ड"।

श्री मोहन सिंह—

समाचार पत्र का नाम तो बताइये ?

श्री ब्रह्म दत्त—

दूसरा पत्र है "नेशनल हेराल्ड"। मान्यवर, एक बिन्दु उठाया गया है घोषणा करने का। तो घोषणा और संकेत में बहुत अन्तर है। घोषणा किसी आधार पर होती है और संकेत के आधार काल्पनिक होता है। यदि समाचार पत्र कल्पना कर ले तो इसमें दोष किसका है।

तीसरी बात मान्यवर, यह है कि अनुपूरक बजट में खर्च ही खर्च होता है टैक्स की बात मेरे से पूछना बिलकुल व्यर्थ है। अनुपूरक अनुदान एक गोपनीय चीज है और वह गोपनीय है, उसका अन्दाज आप मुझे करा नहीं सकते हैं। माननीय सदस्यों ने कहा कि कुछ दिन पूर्व माननीय मुख्य मंत्री ने घोषणा की, कि अन्तरिम बजट पेश होगा और नये कर लगेंगे और माननीय सदस्यों ने स्वयं कहा कि नये खर्चों का समावेश किया जायेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि उनको स्वयं ही 5 बजे ज्ञात हो जायेगा इसके बारे में। इसमें कोई औचित्य का उल्लंघन मैंने नहीं किया। मुझे सदन के विशेषाधिकार का पूरा ज्ञान है और इसलिए भविष्य में कभी भी ऐसा होने की संभावना नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

इस औचित्य के प्रश्न को जो, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने उठाया उन्होंने अपनी बात कही और माननीय वित्त मंत्री ने अपना जो स्पष्टीकरण दे दिया, उसको देखते हुए मैं समझता हूं कि यह औचित्य का प्रश्न नहीं है।

प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा प्रदेश का दौरा तथा प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न है भारतीय संवैधानिक एवं प्रक्रिया संचालन नियमावली के तहत है। भारतीय संविधान की धारा 164 में है कि मंत्रि परिषद् राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इस तरह से इस सदन के समय का दुरुपयोग हुआ है। प्रदेश के प्रशासनिक मामलों की समीक्षा करने से पता चलता है, हम लोग प्रदेश के अहम प्रश्नों पर विचार करते हैं और उसकी सूचना सदन को देते हैं कि कैसे प्रशासन में व्यवस्था लायी जाय। सरकार को और प्रशासन को समय-समय पर परीक्षा करते रहते हैं। अभी 27 तारीख को भारत की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी पधारी थीं, उनके आगमन पर इस संदर्भ में प्रदेश के मुख्य मंत्री ने विचार व्यक्त किए कि प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी कल प्रदेश के प्रमुख अधिकारियों की बैठक में भाग लेंगी। उस बैठक में पर्वतीय विकास, उद्योग, ग्रामीण विकास तथा खाद्य तथा आपूर्ति विभाग का स्वयं आकलन करेंगी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मोहन सिंह जी, जो आप पढ़ रहे हैं इसकी कोई कापी आप दीजिये ।

श्री मोहन सिंह--

प्रक्रिया के अनुसार कोई सूचना देने की आवश्यकता नहीं है । मैं कोई दस्तावेज नहीं पढ़ रहा हूं । यह तो मेरा तर्क है । तर्क की कोई कापी नहीं हुआ करती हैं ।

श्री अध्यक्ष--

जो कुछ आप उद्धरित कर रहे हैं, उसकी कापी आप दे दीजिये । यदि उद्धरित नहीं कर रहे हैं तो कोई कापी हम नहीं मांग रहे हैं ।

श्री मोहन सिंह--

प्रधान मंत्री लगभग 2 घंटे इन विभागों के सम्बन्धित अधिकारियों से, बनायी गयी विभिन्न योजनाओं की पूंछ-तांछ करेंगी, रेलगाड़ियों में बढ़ते अपराधों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगी । मैंने संविधान पढ़ा, संसदीय प्रक्रिया में प्रतिष्ठित लेखकों की लिखी हुई पुस्तकें हैं....

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

कौन सा अखबार है ?

श्री मोहन सिंह--

"आज" अखबार में यह आपका वक्तव्य छपा है । सभी में छपा है । समीक्षा के बाद प्रधान मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने अच्छा काम किया है, विद्युत की प्रगति अत्यन्त संतोषप्रद तो नहीं रही है, इस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण ने अच्छा काम किया है । न उन्होंने समीक्षा की बल्कि प्रमाण-पत्र भी दिया कि अमेठी के चुनाव में जिस मंत्री ने जिताया था उसका काम अच्छा था और जो बहुगुणा के क्षेत्र में जिसने अच्छा काम नहीं किया उसका विभाग भी छीन लिया गया । भारत के संविधान के लेखक, जो भारत का संविधान के फाउंडिंग फादर्स थे, उनके उदाहरण रखना चाहता हूं । बाबा भीमराव अम्बेदकर ने भारत के एकात्मकता और संघात्मकता की विवेचना की है । जहां कहीं भी संविधान मौन है उस संबन्ध में केन्द्र और राज्य प्रशासन के अधिकार अलग-अलग हैं, परिभाषित हैं । केन्द्र की सरकार को राज्य के प्रशासन में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है । यह हमारी सरकार, श्रीमती इन्दिरा गांधी के [× × ×] उनकी समीक्षा का....

(शोर)

एक सदस्य--

आप अपना यह शब्द वापस लें ।

(शोर)

नोट :--[× × ×]यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष--

आप सब लोग बैठ जायें ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मेरी पूरी बात तो सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

मैं अगर आपको सुना नहीं होता तो....

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

[× × ×] तो गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट होता है ।

श्री फखरे आलम--

चपरास [× × ×] बड़ी अच्छी चीज है ।

श्री अध्यक्ष--

चपरासगिरी बहुत अच्छी चीज है तो सब स्वीकार कर लें लेकिन पहले बात तो सुन लें । मोहन सिंह जी, आपने जो शब्द प्रयोग किया है....

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मेरी पूरी बात तो सुन लें ।

(व्यवधान)

(श्री त्रिवेनी राय द्वारा बार-बार व्यवधान उत्पन्न करने पर)

श्री अध्यक्ष--

त्रिवेनी जी, आप उस पर कुछ बहतर कहना चाहें शायद, तो आप ही कहें ।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष--

माननीय मोहन सिंह जी, मैं आपसे बहुत नम्र निवेदन....

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, आप पहले मुझको सुन लें । मैंने तो प्रवाह में यह कहा कि इनका उत्तरदायित्व हमारे प्रति है न कि इन्दिरा गांधी के प्रति और इसलिए मैंने इस शब्द का प्रयोग किया था । अब इसकी सफाई इन्होंने दे दिया तो अच्छी बात है ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायें । मैं चाहता हूं कि जब मैं खड़ा हूं तो आप सब बैठ जायें ।

नोट:--[× × ×]यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[श्री अध्यक्ष—]

माननीय मोहन सिंह जी, आपने जो भी शब्द का प्रयोग किया है, मैं यह नहीं कहता हूं कि वह असंसदीय है लेकिन यह कहता हूं कि वह अशोभनीय अवश्य है इसलिए ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

श्री मोहन सिंह—

आपकी आज्ञा श्रीमन् शिरोधार्य है।

कई सदस्य—

इनको क्षमा मांगना चाहिए, अपने शब्द वापस लेने चाहिए तथा इनके वक्तव्य को कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अशोभनीय शब्द जो होगा, वह तो आपके नियम में है, कृपया देखिए। जो अशोभनीय होगा वह अपने आप कायवाही से निकाल दिया जायेगा। कृपया नियम देखें कि उसमें क्या है ?

श्री मोहन सिंह—

केन्द्र सरकार को केवल आपातकालीन स्थिति में ही हमारे अधिकारों को छीनकर हमें निर्देश देने का अधिकार है और इसीलिए मैंने डाक्टर अम्बेदकर के विचारों का जिक्र किया। उनका कहना है कि जब कभी यदि केन्द्र सरकार राज्य सरकार के अधिकारों का अपहरण करे या राज्य सरकार केन्द्र सरकार

[2 बजकर 37 अपराह्न]

के अधिकारों का अपहरण करे, तो निश्चित तौर से एक संवैधानिक संकट पैदा करने की स्थित होती है। आज वही स्थिति हमारे सामने है, हमारे सामने उत्पन्न की गई है। राज्य सरकार हमारे प्रति उत्तरदायी है यदि इसमें कोई हस्तक्षप करे, तो यह विशेषाधिकार का भी प्रश्न बनता है। हमारी जो कार्य प्रणाली है, काम करन का जो तौर तरीका है कोई उसे अपनी शक्ति से प्रभावित करता है तो वह हमारे विशेषाधिकार का भी मामला बनता है। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। इस माननीय सदन की एक कमेटी है पब्लिक अन्डरटेकिंग कमेटी, अभी जब वह नैनीताल गई थी तो समिति के सामने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का साक्ष्य हो रहा था तो उन अधिकारियों ने यह कहकर साक्ष्य देना बन्द कर दिया कि लखनऊ से यह निर्देश मिला है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रही हैं और उनके समक्ष कार्यों की समीक्षा को पेश किया जाय। अतः उस समीक्षा में मैं जाना चाहता हूं।

इस तरह से उन्होंने हमारी कमेटी के सामने अपना साक्ष्य नहीं दिया, तो अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री ने यहां आकर अप्रत्यक्ष रीति से हमारी कमेटी के कार्य संचालन को प्रभावित किया इसलिए यह विशेषाधिकार का भी प्रश्न बनता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो बिन्दुओं पर आपकी व्यवस्था चाहूंगा—एक तो यह कि इस तरह से प्रदेश प्रशासन में हस्तक्षेप करना, उसकी समीक्षा करना क्या उचित था और यदि यह व्यवस्था चली तो क्या उससे सदन का अपमान नहीं हुआ है तथा

दूसरा यह कि वह लोक सभा की सदस्या हैं क्या उनको संविधान के तहत दंडित नहीं किया जाना चाहिए कि उन्होंने इस सरकार को जो कि हमारे प्रति उत्तरदायी है उसके कार्यों में हस्तक्षेप करने के लिए वह अपराधी हैं, क्या इसकी निन्दा नहीं की जानी चाहिए ? इन दो बिन्दुओं पर मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, माननीय मोहन सिंह जी की जैसी पुरानी आदत है कि वे कुछ पढ़ते हैं और कुछ नहीं पढ़ते हैं । धारा 164 तो उन्होंने पढ़ा और सुनाया । लेकिन 164 के साथ ही ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन्स जेनरल के अन्दर कांस्टीट्यूशन की धारा 256 की और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें राज्य और केन्द्र के पारस्परिक सम्बन्धों पर पूरी तरह से प्रकाश डाला गया है । श्री मोहन सिंह जी को आपत्ति उठानी थी जिसके लिए उन्होंने पहले सोच रखा था । इससे वे अपने को रोक नहीं सके । राज्य और केन्द्र में कुछ ऐसी दीवारें हैं, जहां राज्य और केन्द्र के बीच आपस में बातचीत नहीं हो सकती । किसी बिन्दु पर आपस में एक दूसरे से बदला ख्याल नहीं हो सकता । इसके लिए इसमें लिखा है । !

"दि इक्जीक्यूटिव पावर आफ एवरी स्टेट शैल बी सो इक्सरसाइज्ड ऐज टू इन्स्योर कम्प्लायंस विद दि लाज मेड बाइ पार्लियामेन्ट एन्ड एनी एक्सीडिंग लाज हिवच सप्लाई इन दैट स्टेट ऐन्ड दि इक्जीक्यूटिव पावर आफ दि यूनियन शैल इक्सटेंड टू दि गिविंग आफ सच डाइरेक्शन्स टू ए स्टेट ऐज मे ऐपियर टू दि गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया टू बी नेसेसरी फार दैट परपज ।"

अगर एक्जीक्यूटिव पावर को कार्यान्वित नहीं किया जा सके तो इस सिलसिले में पार्लियामेन्ट का कानून बना हुआ है कि उनको किस तरह से इनफोर्स किया जा सकता है । जो कानून स्टेट एक्जीक्यूट कर सके, किसी पावर को कार्यान्वित न कर सके तो केन्द्र सरकार को अधिकार होगा कि वह उस दिशा में किसी बात पर राज्य सरकार को निदेश कर सके, डायरेक्ट कर सके । उसमें आगे चल कर बतलाया गया है धारा 257 (2) में—

" दि इक्जीक्यूटिव पावर आफ दि यूनियन शैल आल्सो इक्सटेन्ड टू दि गिविंग आफ डाइरेक्शन्स टू दि कान्स्ट्रक्शन ऐन्ड मेन्टीनेन्स फोर मीन्स आफ कम्यूनिकेशन डिक्लेयर्ड इन दि डाइरेक्शन टू बी आफ नेशनल आर मिलिटरी इम्पारटेन्स ।"

यानी केन्द्र सरकार को निश्चय करना होगा, कि वह किसी चीज के ऊपर जिसे वह जरूरी समझे, राज्य सरकार से वार्तालाप करे और उनको कोई डाइरेक्शन दे । इसी तरह से आगे चलकर श्री मोहन सिंह ने रेलवे की बात कही :

"दि इक्जीक्यूटिव पावर आफ दि यूनियन शैल आलसो इक्सटेन्ड टू दि गिविंग आफ डाइरेक्शन्स टू ए स्टेट ऐंज टू दि मेजर्स टू बी टेकेन फार दि प्रोटेक्शन आफ दि रेलवेज विदिन दि स्टेट ।"

यानी केन्द्र सरकार को इस बात का अधिकार होगा कि वह रेलवे को इस बात के लिए निर्देश करे और देखें कि किस काम के लिए उसे पैसे दिए गए हैं उसका सही संचालन विदिन दि स्टेट किस प्रकार से हो रहा है और उस पैसे का यूटिलाइजेशन सही ढंग से हो रहा है और यह काम भी कौन सा है, कोयला जो हमारे यहां पावर जेनरेशन के लिए आता है जिसके लिए केन्द्र सरकार करोड़ों रुपए देती है । इसी तरह से इरीगेशन के सम्बन्ध में भी केन्द्र सरकार काफी धनराशि व ग्रांट देती है तो सरकार जिस एजेंसी को पैसा देती है, उसे इस बात का अधिकार है कि उस पैसे का सही यूटीलाइजेशन हो रहा है या नहीं सबको वह

देखें। इसी तरह से केन्द्र सरकार का इंटेग्रेटेड रूरल प्रोग्राम यह भी केन्द्र सरकार का ही प्रोग्राम है। इसी तरह से सोशन फारेस्टेशन का भी प्रोग्राम है। स्टेट रिसोर्सेज हैं, केन्द्र से उनके लिए पैसा मिलता है। इन तमाम बातों की यहां पर समीक्षा हुई और मैं समझता था कि माननीय मोहन सिंह और अन्य विरोधी दल के लोग माननीय प्रधान मन्त्री को इस बात के लिए मुबारकबाद, धन्यवाद, देंगे कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को इतना ज्यादा महत्व दिया और हमारी प्राबलम्स, समस्याओं को समझने और दूर करने के लिए यहां आई। लेकिन खेद की बात है कि बजाय बधाई देने के आप उस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं।

एक सदस्य--

इतना महत्व था कि जब वह आई तो आप इंगलैण्ड में पड़े थे।

श्री अम्मार रिजवी--

यह गलत है। जब वह तशरीफ लाई तो मैं स्वयं मौजूद था।

श्री हुकम सिंह--

बधाई देने की बात कही गई है...

श्री अध्यक्ष--

इस पर विवाद नहीं होगा।

मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

आपकी आज्ञा से इस पर दो शब्द कहना चाहता हूं।

मान्यवर, अखबार की चर्चा की, उस पर मैं अधिक नहीं कहूंगा...

श्री शंकर सिंह--

एयर कन्डीशन बंद हो गया।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

पहले अपने मेन्टल कन्डीशन को ठीक करा लीजिए।

श्री शंकर सिंह--

वह तो ठीक है।

*श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मान्यवर, जिस दृष्टि से माननीय प्रधान मन्त्री के यहां आगमन को रखा गया है उससे उसकी पूरी अहमियत को समझने में माननीय सदस्य चूक गये। आप जानते हैं प्रान्त अपनी समस्याओं को ले करके, एन० डी० सी० के अंदर, इनफारमल ढंग से नहीं फारमल ढंग से, केन्द्र के पास जाते हैं, अपनी पंचवर्षीय योजनाओं को लेकर जाते हैं, संसाधनों के वितरण के लिए जाते हैं, मैटिरियल, या जो आपके आवश्यक खाद्यान्न हैं, आवश्यक वस्तुयें हैं, उनके आवंटन के लिए जाते हैं, चाहे कोयला हो, चाहे चीनी हो, चाहे आप के गेहूं हो इन सारी समस्याओं को लेकर केवल कांग्रेस शासित प्रान्त ही नहीं, वहां के मुख्य मन्त्री ही नहीं बल्कि मैंने स्वयं देखा है अन्य प्रान्तों के मुख्य मन्त्री भी जहां कांग्रेस शासन नहीं है प्रधान मन्त्री के पास जाते हैं। वाजिब भी है जब प्रान्त की समस्याओं की जिम्मेदारी मिली है और केन्द्र से हमारा कोई सम्पर्क है तो हम केन्द्र के पास समस्याओं को लेकर जाते हैं। तब कोई संवैधानिक गड़बड़ी नहीं आई लेकिन उन्हीं की समस्याओं को हल करने के लिए यदि स्वयं प्रधान मन्त्री यहां आईं तो बड़ी बाधा है।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुख्तार अनीस--

आपत्ति इस बात पर है कि प्रधान मन्त्री ने मंत्रियों को विश्वास में नहीं लिया, प्रधान मन्त्री ने मंत्रियों की बैठक नहीं की, प्रधान मन्त्री ने मंत्रियों के निकम्मेपन के कारण उनको दूर रख कर सचिवों की बैठक बुलाई, इस बात पर आपत्ति है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य अखबारों के बहकावे में आ जाते हैं। माननीय मन्त्रीगण मौजूद थे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी समस्यायों के निदान के लिए प्रधान मन्त्री जो स्वयं यहां आयीं तो वह बाधक है, वह आपके विशेषाधिकार का हनन है लेकिन प्रान्त को पिछड़े रखने का जो विशेषाधिकार है उसको हम लोग स्वीकार करने को नहीं तैयार हैं। यही इस प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है कि जब भी एक सूत्र में केन्द्र और प्रान्त के बंधने की प्रक्रिया चली तभी उसका मार्ग अवरुद्ध हुआ और केन्द्र से नाता टूटा है। आज वह सुदृढ़ है। हम उनसे मार्गदर्शन लेंगे और समस्याओं को उनके सामने रखेंगे। उन्होंने समस्याओं को हल भी किया है। प्रधान मन्त्री की यहां की विजिट का ही नतीजा है कि वहां पर एक को आर्डिनेशन कमेटी बनी, आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में। यह उनके यहां आने का परिणाम ही है कि आज हम बिहार से कोयला प्राप्त कर रहे हैं। समस्याओं को हल करने की दृष्टि से प्रधान मन्त्री यहां पधारी थीं। इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए था। माननीय फखरे आलम ने [× × ×] शब्दों का इस्तेमाल किया···

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। जिस शब्द के ऊपर आपकी व्यवस्था हो गई उस पर टीका टिप्पणी नहीं हो सकती।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मैं किसी को [× ×] नहीं कह रहा हूं लेकिन अगर दाढ़ी में तिनका हो तो उसे दूर कर रहा हूं। कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने अपने चपरास पिछले वर्षों में कई बार बदला है।

श्री मोहन सिंह--

ब्रह्म दत्त जी को देखकर इनको याद आता है।

श्री फखरे आलम--

एक व्यवस्था का प्रश्न है। चपरास मैंने कहा है···

श्री अध्यक्ष--

यह सदन है, स्कूल नहीं है।

नोट--[× × ×] वह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री फखरे आलम--

मुख्य मन्त्री जी चपरास शब्द के ऊपर क्यों बिगड़ रहे हैं। हमारे मुख्य मन्त्री जी घोड़े के आगे गाड़ी लगा रहे हैं जब कि घोड़े को आगे होना चाहिए। यू आर पुटिंग दि होर्स बिफोर दि कार्ट।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मान्यवर, इतनी सफाई देनी पड़ गई। एक चीज माननीय मोहन सिंह जी ने उठाई। हम लोग कितने ही बदलते रहें लेकिन आप वहीं के वहीं रहेंगे। यह चुनाव ने बता दिया है।...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय मोहन सिंह जी, आपने स्वतः जब यह विषय उठाया होगा तो आप उस समय खुद भी उम्मीद न करते होंगे कि इस पर इतनी बात हो जायेगी। इतना समय लग जायेगा।

माननीय मोहन सिंह जी ने औचित्य का प्रश्न उठाने की सूचना दी है कि विगत 27 जून को भारत की प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उत्तर प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों की एक बैठक करके उन समस्त विभागों के कार्यों की समीक्षा की। शासन के ऊपर इस आदरणीय सदन का प्रभुत्व है। ऐसी ही शक्ति समीक्षा की अधिकारी है जो प्रदेश की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी हो। ऐसा करके प्रधान मन्त्री ने विधान सभा की शक्ति और अधिकारों में हस्तक्षेप किया है। इस प्रश्न पर उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति चाही है। लेकिन उसमें एक बात और कह दी जो कि आपकी सूचना में नहीं है इसलिए मैं उसको इस औचित्य के प्रश्न के साथ सम्बद्ध करता हूं।

इस पर जहां माननीय संसदीय कार्यमन्त्री ने आर्टिकिल 256 और आर्टिकिल 257 को पढ़ा है उसको देखने से स्पष्ट है कि प्रधान मन्त्री को सदा अधिकार है कि प्रदेश के शासन के सम्बन्ध में जानकारी हासिल वह कर सकती हैं। और जब उनको अधिकार जानकारी हासिल करने का है तो जब तक आप कोई ऐसी स्पष्ट बात नहीं बतायेंगे कि जानकारी हासिल करके प्रधान मन्त्री ने इस प्रदेश के कार्य संचालन में अवरोध उत्पन्न किया है तब तक इसे औचित्य का प्रश्न मानना उचित नहीं है। इसलिए मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

गढ़वाल संसदीय उप चुनाव में हुई गड़बड़ियों के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, हमने गढ़वाल में हुए चुनाव के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है...

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये, सब के प्रस्ताव आये हैं।

श्री मुख्तार अनीस--

मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

आप की बात सुन रहे हैं पहले प्रस्ताव सुन लें।

माननीय मोहन सिंह, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त, माननीय भीखालाल और माननीय राम आसरे वर्मा ने जो दिया है उसमें हर जगह जहां-जहां चुनाव हुए हैं उसमें सभी के बारे में जिक्र है।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, ग्राह्यता के बारे में सुन लीजिये, हमारा गढ़वाल में हुए चुनाव के बारे में है।

श्री अध्यक्ष--

मुझे सुन लीजिए। दूसरा श्री शिवानन्द नौटियाल श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी ने भी दिया है वह भी प्रदेश में संसदीय चुनाव के सम्बन्ध में और गढ़वन्ल के सम्बन्ध में है।

इसी तरह श्री हरीकिशन श्रीवास्तव, श्री मुख्तार अनीस, श्री फखरे आलम श्री शिवानन्द नौटियाल, श्री प्रदीप कुमार यादव आदि ने भी दिया है जो इसी चुनाव से सम्बन्धित है।

चौथा कार्य-स्थगन श्री सूबेदार सिंह जी ने दिया है जो उत्तर प्रदेश में बाढ़ और सूखे के सम्बन्ध में है। इसके सम्बन्ध में मैं अभी इसी समय बता दूं कि सूखे और बाढ़ पर अलग से चर्चा स्वीकार हो चुकी है। इसलिए सूखे और बाढ़ के सम्बन्ध में अभी विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री शंकर सिंह जी की एक सूचना गत माह एटा में छविराम दस्यु द्वारा 3 ग्रामीणों और 9 पुलिस कर्मियों की हत्या के बारे में है।

श्री कुवेर भंडारी का बिजली की कटौती किये जाने से सिंचाई तथा उद्योगों के कार्यों में बाधा होने से असंतोष के सम्बन्ध में है। इनमें से तीनों प्रस्तावों को मैं अस्वीकार करता हूं और गढ़वाल के सम्बन्ध में आप ग्राह्यता पर कहना चाहते हैं।

श्री मुख्तार अनीस--

इस पर बोलने की अनुमति देंगे...

श्री अध्यक्ष--

पहले मुझे बोलने का अवसर दें। कई लोगों के हस्ताक्षर हैं। सब के बोलने में बड़ा समय लगेगा।

श्री फखरे आलम--

थोड़ा-थोड़ा बोलने दें।

श्री अध्यक्ष—

एक नोटिस में श्री मोहन सिंह, दूसरे में श्री शिवानन्द नोटियाल और तीसरे में श्री हरी किशन श्रीवास्तव के साथ कई लोग हैं, तो एक-एक में दो-दो आदमी ले लेते हैं और आप अपनी बात कह दें ।

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, आप नियमों को देख लें...।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

ग्राह्यता पर किसको बुला रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह—

किसको आज्ञा दी, किसको आप बुला रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

जो नोटिस है नम्बर 3 पर श्री हरी किशन श्रीवास्तव, श्री मुख्तार अनीस...

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

गढ़वाल के सम्बन्ध में जो नोटिस है इसके अलावा मेरा भी है जिसमें सम्पूर्ण चुनाव में सत्ता के दुरुपयोग के बारे में है ।

(व्यवधान)।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, बता दें कौन बोले..।

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस—

नियम 58 की धारा 2 में दिया हुआ है कि एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं होगी, तो हमारे वाले में यह चीज है । हमने गढ़वाल के विषय पर आपको दिया है...

(व्यवधान)

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

यह ऐसा विषय है जिस पर अधिक सदस्यों ने हस्ताक्षर किये हैं, इसलिए हमको अवसर दीजिए ।

*श्री मोहन सिंह—

इसमें शर्त यह है कि यह हाल ही में घटित कोई घटना हो । यह विधान सभा तो बुलाने से रहे अब जब विधान सभा बुलाई गई है, उस हिसाब से यह अविलम्ब है । दूसरी बात है सुनिश्चित प्रश्न हो, तो पिछले विधान सभा और लोक सभा के जो चुनाव हुए, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने धन और शक्ति का खुला दुरुपयोग किया । गढ़वाल के चुनाव में, जो भारी भ्रष्टाचार हुआ,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उस चीज को तो चुनाव आयुक्त के फैसले ने सत्य सिद्ध कर दिया है कि इस सरकार ने सरकारी साधनों का दुरुपयोग किया और बिना चुनाव आयोग से पूछ बाहरी प्रदेश की पुलिस शक्ति को लगाकर लोगों को आतंकित किया और बूथों को लूटा है ।

(व्यवधान)

मेरा खुला आरोप है कि अमेठी के चुनाव में परिवहन मन्त्री, जो उसके इन्चार्ज थे, उन्होंने अपने परिवहन और सिंचाई विभाग से दो करोड़ रुपया अवैध ढंग से जमा करके उक्त चुनाव पर अन्धाधुन्ध खर्च किये हैं । प्रधान मन्त्री के लड़के के चुनाव के लिए..

(व्यवधान)

(घोर व्यवधान)

श्री त्रिवेनी--

यह बिलकुल सत्य से परे बात है...

(व्यवधान)

चौधरी चरणसिंह ने जो किया है उसका ठीक उलटा यह बता रहे हैं । उसी का प्रकरण यह दोहरा रहे हैं...

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह—

पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को आश्वासन देने के बावजूद प्रदेश के मुख्य मंत्री ने अपने दो सहयोगी मंत्रियों को तिदवारी के चुनाव में नियुक्ति की, जिन्होंने खुले ढंग से सरकारी धन और साधनों का भारी दुरुपयोग किया । 500 मोटर साइकिल चुनाव में उनके लगाई गई बूथों पर कब्जा किया गया और मत पत्रों पर फर्जी मोहरें लगाई गई, जो लोकदल के प्रत्याशी थे उनको बूथ के अन्दर घुसने तक नहीं दिया गया...

(व्यवधान)

500 इन्टेलीजेन्स के आदमियों की हर गांव में ड्यूटी लगाई गई । यह मुख्य मन्त्री की हैसियत से चुनाव लड़े । चूंकि एक बिजली मन्त्री गढ़वाल के चुनाव के इन्चार्ज थे, उन्होंने अपनी ओर से कुछ अकर्मण्यता दिखाई, अतः जिस परिवहन मन्त्री ने अमेठी में चुनाव जीतकर दिखाया था, उन्हीं को गढ़वाल में इन्चार्ज बनाकर नियुक्त कर दिया गया है, जिससे गढ़वाल के अन्दर सरकारी साधनों का दुरुपयोग करके और बेतहाशा गलत ढंग से रुपया जमा करके उसका दुरुपयोग किया जा सके और जनता की भावनाओं को दूषित किया जा सके...

(व्यवधान)

(घोर व्यवधान)

एक सदस्य---

आप सदन को कन्ट्रोल कीजिए ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैंने मोहन सिंह जी को बुलाया था और वे बोल रहे थे ।

श्री धनीराम वर्मा--

मान्यवर, आप इनको बोलने से रोकिए ?

श्री अध्यक्ष--

सदन की गरिमा की व रक्षा की बात है । अगर आप इसकी रक्षा करना चाहते हैं तो मैं उनको भी रोक सकता हूं और आपको भी रोक सकता हूं । अगर नहीं करना चाहते हैं तो किसी को भी रोक नहीं सकता हूं ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, चुनाव के अन्तर्गत सरकारी शक्ति का प्रयोग किया गया, मन्त्रियों की शक्ति का प्रयोग किया गया । ये सब भ्रष्टाचार में आते हैं । मान्यवर, अपने चुनाव के मौके पर माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बांदा जिले के लिए असत्य घोषणायें की, सरकारी साधनों का इस्तेमाल किया गया । यही नहीं चुनाव में मंत्रिमन्डल के 2 मन्त्री खड़े थे और एक मुख्य मन्त्री जी और बाकी जगहों पर मन्त्रिमन्डल के सहयोगियों को इन्चार्ज बनाकर भेजा गया था । उन्होंने रिटर्निंग आफिसर और चुनाव अधिकारी के बिना पूछे सी० आई० डी० और पुलिस को बदल दिया और न केवल इस प्रदेश के लोगों को बल्कि बाहर की पुलिस को वहां पर पोस्ट कर दिया गया । इसके अलावा बिरोधी दल के लोग जो चुनाव प्रचार करने गये, उनको रोका भी गया ।

(व्यवधान)

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें । जब मैं बोल रहा हूं तो आप कृपया बैठ जांय । आप किसी कायदे कानून के अन्तर्गत हो बोलें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मुझे आप सुन लें ?

श्री अध्यक्ष--

मैं चारों को नहीं सुन सकता हूं । एक को सुन लिया है ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, हाउस में जिसको आपने इजाजत दे दी है वह बोलेगा । मैं माननीय नेता सदन से निवेदन करूंगा कि वे बहुमत के बल पर विपक्ष की आवाज को दबाने की चेष्टा न करें । मैं अपने पक्ष की ओर के लोगों को शांत रखने का प्रयास करूंगा । सदन में हर चीज बोली जा सकती है । माननीय अध्यक्ष इसका निर्णय करेंगे कि कौन सी चीज बोलने लायक है । आपको उत्तर देने का अवसर मिलेगा और आप जिस भाषा में हम बोलते हैं वैसी ही भाषा में बोल सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं ।

श्री त्रिवेणी—

गलत बात तो नहीं सुनी जायेगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

अगर आप पहलवानी करना चाहते हैं तो कर लीजिए ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 56 में जब कोई प्रस्ताव आयेगा तो उसके बारे में नियम में 58 (3) में यह लिखा है कि—प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी निर्दिष्ट विषय तक निबद्ध रहेगा । इस प्रस्ताव की ग्राह्यता का प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि यह नियमों के अन्तर्गत नहीं आता है, जो विषय माननीय सदस्य उठा रहे हैं यह घटना 4 माह पूर्व की है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप इसकी ग्राह्यता पर प्रश्न उठा रहे हैं और आपका कहना यह है कि मैंने जो माननीय सदस्य को सुनने का निर्णय लिया है, वह गलत है । यही तो आपका कहना है और यह गलत है । आप कृपया ऐसा न कहें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं मान्यवर, दो बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । हम चुनाव आयोग पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं । इसमें दो प्वाइन्ट हैं—एक तो ला एन्ड आर्डर का और दूसरा चुनाव व्यवस्था का । यह दोनों इन्तजाम करना राज्य सरकार का काम है । पूरे उत्तर प्रदेश में जहां-जहां चुनाव हुए हैं वहां हर जगह ज्यादती हुई है और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए जिस तरह का खुला और घिनौना काम इस सरकार ने किया है वैसा आज तक किसी ने नहीं किया ।

(व्यवधान)

गढ़वाल में चुनाव के बारे में वहां के जिलाधीश कहते हैं कि बिना मुझसे पूछे हुये बाहर प्रदेशों से पुलिस बुला ली गयी । बाहर से जो पुलिस आयी उसने लाठी चार्ज किया और गांव की महिलाओं के साथ बलात्कार किया ।

(शेम-शेम)

मैं एक बात और कहना चाहता हूं । इन लोगों ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए लोगों से यह कहा कि अगर हमारी पार्टी के उम्मीदवार को नहीं जिताओगे तो इस क्षेत्र का विकास रुक जायेगा । यह एक अनुचित ढंग से भ्रष्टाचार के जरिये, दबाव डाल कर, एक भ्रष्ट साजिश है रूलिंग पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए ।

मान्यवर, चुनाव को सुपरवाइज करने का पूरा अधिकार संविधान में चुनाव आयोग को है । उसने गढ़वाल का चुनाव रद्द घोषित करके यह प्रमाण-पत्र जारी कर दिया कि उत्तर प्रदेश में चुनाव में भ्रष्ट आचरण किया और सत्ता का दुरुपयोग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

हुआ । इसलिए यह हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है । चुनाव आयोग के फैसले के बाद इस सरकार को तुरन्त त्याग-पत्र दे देना चाहिये था। इसलिए इस प्रस्ताव को आप ग्राह्य करें ।

श्री भीखा लाल--

मैं मान्यवर, 3 मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

चुनाव आयोग ने गढ़वाल के चुनाव को रद्द करने का जो आदेश दिया है उससे यह स्पष्ट हो गया है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं होने दिए गये हैं और यह निर्विवाद सिद्ध हो गया है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब 425 विधान सभा के सदस्यों का चुनाव होता है तो बाहर की पुलिस नहीं बुलायी जाती है, हमारे प्रदेश की पुलिस ही सारा इन्तजाम कर लेती है, पर इन 8 विधान सभा तथा 5 संसदीय क्षेत्रों के चुनाव के लिए इस सरकार को हिमांचल प्रदेश और हरियाणा की पुलिस को बुलाना पड़ा । इसके पीछे एक ही लक्ष्य इनका था कि चुनाव निष्पक्ष न होने दिये जायं ।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि राजनैतिक भ्रष्टाचार पनपाया गया है और सत्ता का खुलकर दुरुपयोग हुआ है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने करोड़ों रुपयों की योजनायें इसी वक्त चुनाव के अवसर पर तिदवारी के लिए स्वीकृत की । एक मिल की स्थापना की घोषणा की गयी, एक पुल के निर्माण की घोषणा की गयी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कई ट्यूबवेल लगवाये अमेठी में एच० ए० एल० के कारखाने खोलने की घोषणा की ।

यह पोलिटिकल भ्रष्टाचार है । इसलिए इस कामरोको प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, पहली बात में इसकी ग्राह्यता के बारे में यह रखना चाहूंगा कि...

श्री अध्यक्ष--

केवल पहली बात ही रखिये ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, पिछले चुनाव में जो हुआ वह किसी से छिपा हुआ नहीं है । मान्यवर, उसमें सत्ता का दुरुपयोग हुआ । दूसरे स्टेट की पुलिस को लेकर महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ । हमारे डा० शिवानन्द नौटियाल उसमें चोट भी खाये । यह लोकतंत्र के इतिहास का काला धब्बा बनकर रह गया । इस पर चुनाव आयोग ने भी आलोचना की । संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में यह काला कारनामा एक काला धब्बा बन गया है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, इस तरह से नैतिकता के साथ जो खिलवाड़ किया गया यह बिलकुल स्पष्ट है। मान्यवर, इन तथ्यों के आधार पर कामरोको प्रस्ताव स्वीकार किया जाना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री- -ššžअ ž}-

मान्यवर, हम गढ़वाल से होकर आ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

बैठ जाइये आप।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, वहां पर नैतिकता के साथ बलात्कार हुआ है।

(व्यवधान)

श्री हरीकिशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन यह है कि मैं धृष्टता करता हूं कि आप कभी तो अपने अधिकार का प्रयोग कर लें। इसमें कोई विवाद नहीं है। आज ही विधान सभा उस घटना के बाद बैठ रही है। हमारे पूर्व कई साथियों ने इस ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है। मैं दो-तीन पैरा जो एलेक्शन कमीशन का जजमेंट है, जो सर्वमान्य है, जैसे सुप्रीम कोर्ट की कोई रूलिंग हो जाय, वह मान्य होती है, इसी तरह से जो उन्होंने लिखा है, वह मान्य होती है।

(व्यवधान)

यह भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जजमेन्ट, आदेश है, जिसके केवल कुछ भाग को पढ़कर मैं सुनाना चाहता हूं।

(व्यवधान)

मान्यवर, मतदान समाप्त होने के पश्चात् तत्काल उसी दिन श्री बहुगुणा और उनके प्रतिनिधियों ने रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग आफिसरों, पर्यवेक्षकों, सैक्टर मजिस्ट्रेटों और आयोग को अनेक शिकायतें कीं जिनमें उन्होंने यह अभिकथित किया कि कांग्रेस (आई0) के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस दल की मौनानुमति से मतदान केन्द्रों पर कब्जा किया। आयोग के सचिव ने जांच के पश्चात् आयोग को एक विस्तृत रिपोर्ट दी। इस विस्तृत रिपोर्ट में मतदान केन्द्रों पर कब्जा किए जाने की घटनाएं, पीठासीन आफिसर की डायरियों, उनकी अपनी रिपोर्टों, सेक्टर मजिस्ट्रेटों की रिपोर्टों और पर्यवेक्षकों, रिटर्निंग आफिसरों और सहायक रिटर्निंग आफिसरों की रिपोर्टों जैसे समकालीन दस्तावेजों के साक्ष्य के आधार पर साबित हुई मानी गई हैं। इसमें लिखा है कि जब श्री बहुगुणा ने 16 तारीख को मुझसे भेंट की, तब तत्काल मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया कि वह दल के लिए एक हेलीकापटर की व्यवस्था करें, जिससे कि जांच शीघ्र की जा सके। दुर्भाग्यवश उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोग के लिए हेलीकापटर की व्यवस्था नहीं की। तीसरा मतदान केन्द्रों पर कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में ब ऽ

[श्री हरी किशन श्रीवास्तव--]

के निष्कर्षों के अतिरिक्त दल की रिपोर्ट से भी पता चलता है कि मतदान की तारीख से ठीक पूर्व और मतदान के दिन बड़ी संख्या में हरियाणा पुलिस की उपस्थिति से निर्वाचन क्षेत्र का वातावरण आतंकपूर्ण था ।

निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर ने जो पौड़ी गढ़वाल जिले के जिलाधीश भी हैं, आयोग को अपनी रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने गढ़वाल जिले में निर्वाचन के दौरान हरियाणा और पंजाब पुलिस तैनात किए जाने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया था और उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि पौड़ी गढ़वाल जिले में पुलिस उनके द्वारा तैनात नहीं की गई थी ।

गृह मंत्री ने कहा है केन्द्रीय पुलिस की 3, सीमा सुरक्षा बल की पांच, हरियाणा की 10, पंजाब पुलिस की 4, हिमांचल पुलिस की 4, पी0 ए0 सी0 की 19 कम्पनियां वहां लगाई गई थी ।

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

माननीय अध्यक्ष जी, यह तो ग्राह्यता की बात है इसलिए इसके उत्तरोत्तर में नहीं पढ़ूंगा । इतना कहना चाहता हूं कि यह तथ्यहीन चीजें ला रहे हैं । इसमें केवल एक चीज इनको ग्राह्य नहीं हो रही है वह है इनकी हार । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जब लड़का फेल हो जाता है तो कहता है पर्चा सिलेबश के बाहर से आया था ।

श्री हरीकिशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, ऐसी गम्भीर बात पर मैं लच्छेदार भाषण नहीं कर सकता । मैं तो यह कहना चाहता हूं कि अगर यह गलत था तो उत्तर प्रदेश शासन सुप्रीम कोर्ट जा सकता था । उत्तर प्रदेश शासन सुप्रीम कोर्ट जाता और इलेक्शन कमीशन की टिप्पणी को डीलिट कराते । मान्यवर, आप तो नियमों के अच्छे जानकार हैं । इन्होंने ऐसा नहीं कराया इसलिए यह बात सही साबित होती है ।

(शोर)

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी--

जब श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ने हरियाणा की पुलिस लगाया था ।

(व्यवधान)

जब वह गढ़वाल गये तो वहां की स्त्रियों ने उनको घेर लिया गढ़वाल में शादी करके छोड़ दिया है ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

यह जो बोल रहे हैं यह लेखा नहीं जायेगा ।

(शोर)

नोट :--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यक्ष जी, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय मन्त्री जी की व्यवस्था के प्रश्न पर मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय राम आसरे वर्मा जी व्यवस्था पर व्यवस्था नहीं होती।

(श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर)

कृपया वर्मा जी, आप बैठ जांय।

*नियोजन राज्य मंत्री (श्री काशीनाथ मिश्र)—

मैं आपकी आज्ञा से इस आदरणीय सदन के सामने यह प्रश्न रखना चाहता हूं कि आदरणीय विधान सभा उत्तर प्रदेश के जनसाधारण की आंकाक्षाओं का आईना है। इसलिए उत्तर प्रदेश की विधान सभा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के प्रश्नों को उजागर करना हमारा कर्तव्य है। अभी गढ़वाल में इलेक्शन होना बाकी है। इसलिए क्या दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष इस आदरणीय विधान सभा को उस इलेक्शन को प्रभावित करने का माध्यम बना सकते हैं। क्या इस तरह की यहां चर्चा करना कि वहां 3-4 महीनों में क्या हुआ, चूंकि इलेक्शन होना है, ठीक है। मेरी समझ से इस आदरणीय विधान सभा को, सत्ता पक्ष या विरोध पक्ष को, इलेक्शन को प्रभावित करने का माध्यम नहीं बनाना चाहिये। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

इस विषय पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया है। कार्य-स्थगन प्रस्ताव के संबंध में ग्राह्यता पर माननीय सदस्यों के विचार सुनने के लिए मैंने कहा है और बार-बार मैंने यह अनुरोध किया था कि ग्राह्यता तक सीमित रहें। लेकिन अभी-अभी ग्राह्यता तक सीमित न रहकर तथ्यों के संबंध में भी माननीय सदस्यों ने कहा जिसको रोकने का मैंने प्रयास किया किन्तु विवाद जो है उसमें इलेक्शन की चर्चा नहीं हो रही है बल्कि चर्चा उसकी ग्राह्यता पर केवल हो रही है अगर इसमें से कोई बात तथ्यों के संबंध में आयी है तो वह नहीं आनी चाहिये।

फिर भी इन्सान की ताकत तो मशीन या कंप्यूटर की तरह नहीं है कि जहां चाहे वहां रोक दें कि यहां से तथ्य हैं और यहां से ग्राह्यता। इसलिए यदि ऐसी बात आती है तो उसको स्वीकार करके कार्य को संपादित करना पड़ेगा।

श्री हरीकिशन श्रीवास्तव—

मान्यवर, मैं कह रहा था कि यह लोक महत्व का प्रश्न है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

मान्यवर, तथ्यहीन बात है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरीकिशन श्रीवास्तव--

इसका तो मैंने आपको उत्तर दे दिया कि तथ्य तथ्यहीन थे तो आप हाई कोर्ट में क्यों नहीं गये थे ।

मान्यवर, यहां मुख्य मन्त्री और आप सभी लोग बैठे हैं तो इसलिए बैठे हैं कि एक प्रक्रिया है । निष्पक्ष चुनाव होते हैं और हम लोग यहां चुनकर आते हैं । लेकिन यदि चुनाव ही निष्पक्ष नहीं हुए तो यह सदन और हम एवं आप कैसे रहेंगे ? इसलिए यह लोक महत्व का प्रश्न है और आपसे निवेदन है कि आप आज की कार्यवाही को रोक कर हमको आज्ञा दें ।

*श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, मैंने जो नियम 56 के अन्तर्गत अविलंबनीय लोक महत्व का प्रश्न रखा है उस पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं । मान्यवर, 14 तारीख को गढ़वाल के अन्दर चुनाव होने थे और उस दौरान एक हफ्ते के अन्दर सम्पूर्ण गढ़वाल क्षेत्र में पूरे उस इलाके को केन्द्रीय सरकार ने अपने अधीन ले लिया और उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री को छोड़ दीजिए 5-5 राज्यों के मुख्य मंत्री वहां पर उपस्थित थे । हरियाणा के आई० जी० आदेश देने का कार्य कर रहे थे । मान्यवर, जब बहुगुणा जी ने 56 मतदान केन्द्रों के बारे में चुनाव आयोग से शिकायत की और चुनाव आयोग ने फैसला दे दिया । वह चुनाव अवैध घोषित हो गया और वहां पर दोबारा चुनाव होना है । आज वहां पर क्या स्थिति है ? वहां पर आज भी धारा 144 लगी है । वहां पर कोई भी सार्वजनिक सभा किसी को करने नहीं दिया जा रहा है । वहां चुनाव के दौरान तरह तरह की घोषणायें की गयीं थीं कि हरिजनों के सारे कर्ज माफ हो जायेंगे लेकिन किसी हरिजन के कर्ज माफ नहीं हुये हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आप ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री मुख्तार अनीस--

लोगों को आतंकित करने का प्रयास किया जा रहा है । वहां पर जो पुराने सिपाही हैं, सैनिक हैं उनको अपमानित किया जा रहा है ।

श्री मुईद अहमद--

अध्यक्ष महोदय, यह ग्राह्यता पर नहीं बोल रहे हैं ।

श्री मुख्तार अनीस--

मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने अपना निर्णय दे दिया है शकधर साहब ने अपना निर्णय दिया उसके अन्दर उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बाहरी पुलिस को बुलाया । मान्यवर, वहां पर बाहरी पुलिस और पी० ए० सी० को बुलाकर बूथों पर कब्जा करने का काम हुआ । उत्तर प्रदेश सरकार के 26-28 मन्त्री बूथों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे । माननीय वित्त मन्त्री जी मौजूद हैं (शोर) बूथों पर कब्जा करने का काम किया है । तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस लोक महत्व के प्रश्न पर विचार करें और चर्चा करने की अनुमति दें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, वहां पर 40 हजार बाहरी पुलिस बुलायी गयी। हरियाणा, पंजाब, बी0 एस0 एफ0 की फोर्स बुलायी गयी और उत्तर प्रदेश की पुलिस नीचे रखी गयी। जिला प्रशासन को जानकारी नहीं दी गयी। 6 मुख्य मन्त्री और 64 राज्य मन्त्री वहां थे और 11 हेलीकाप्टर वहां पर चलते रहे। मुख्य मन्त्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने सारे प्रदेश को अनाथ बना दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार की वहां पर नहीं चल रही थी।

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, क्या यह ग्राह्यता पर बोल रहे हैं ? यह ग्राह्यता पर न बोलकर दूसरी बातों को कह रहे हैं।

(शोर)

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मुख्य मन्त्री जी को वोटर की पर्ची काटनी पड़ी। उन्होंने सारे चुनाव को प्रभावित किया। गढ़वाल संसदीय चुनाव क्षेत्र में सरकार ने वोटों की चोरी की थी, वह रंगे हाथों पकड़े गये और जनता के कटघरे में चोर के रूप में खड़े कर दिये गये हैं।

(शोर)

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, यह ग्राह्यता पर नहीं बोल रहे हैं। मुझको एक मिनट का मौका दें।

*डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

अध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय की ग्राह्यता तो एक तरह से यहीं पर ध्वस्त हो जाती है, जिसके कारण इस आदरणीय सदन में आज हम सब यहां विराजमान हैं, अगर उसके मूल में होने वाले चुनाव ही भ्रष्ट होते हैं तो सवाल अब यह उठता है कि हम सब यहां पर कैसे रहेंगे ? लोकतंत्र की परम्परा हमारी जड़ रूप में चुनाव में ही निहित है। इस बात को तो मान्यवर, चाहे इस ओर के बैठने वाले हों या उस ओर, सभी को मानना पड़ेगा। यदि चुनाव ही सही नहीं होगा तो वह चाहे किसी भी दल का आदमी हो, वह सही तरीके से चुनकर सही आदमी यहां नहीं आ सकता है। अब यह तर्क का विषय नहीं रहा क्योंकि चुनाव आयोग ने इसको सिद्ध कर दिया है कि चुनाव में चोरी हुयी है और वर्तमान सरकार ने ही चोरी की है। यह बात एक सत्यरूप में सामने आ चुकी है।

(शोर)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

चूंकि अब तो तथ्य और अतथ्य में कोई भेद नहीं रह गया है। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं चुनाव आयोग ने किसी के बारे में गड़बड़ी के लिए नहीं कहा है। दोनों ओर से आरोप और प्रत्यारोप हैं। अगर इस तरह से आप लोग तथ्यों की गहराई में जायेंगे तो मैं कहता हूं कि फिर पूरी तरह से बहस इस पर हो जायेगी, तब पता चल जायगा कि क्या सत्य है और क्या असत्य है ? हम तो आपके सम्मान में चुप बैठे हैं और आप लोग....

(शोर)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी तैयार हैं बहस के लिए, इसलिए इस पर चर्चा करवा दें, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट कर दी है।

श्री खैरुल बशर--

मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, मैं इस बात को उठाना नहीं चाहता था।

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, नियम 56 के अन्तर्गत कामरोको प्रस्ताव आया और आपने उसकी ग्राह्यता पर काफी सुना। मैं ज्यादा गहराई में न जाकर केवल इतना कहना चाहूंगा कि जब चुनाव आयोग का यह निर्णय आया

[3 बजकर 37 मिनट अपरान्ह]

तभी माननीय मुख्य मंत्री जी का एक बयान छपा कि मैं इसका परीक्षण करा रहा हूं और उसके बाद उस पर कानूनी कार्यवाही करूंगा। लेकिन वह पता नहीं किन कारणों से आगे नहीं गए, इलेक्शन कमीशन तक। मैं इस समय इसमें नहीं पड़ूंगा क्योंकि समय ज्यादा लग जायेगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मैंने उसमें यह भी कहा था कि अगर कोई बात होगी तो मैं इलेक्शन कमीशन तक जाऊंगा।

श्री राजेन्द्र सिंह--

हां, पर आप वहां तक गए नहीं। मैं इस पर नहीं जाना चाहता। मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं कि जब इलेक्शन कमीशन ने हमारी इस सरकार पर चुनाव प्रणाली पर कुछ कमेन्ट कर दिए तो इससे उत्तर प्रदेश सरकार की छवि पर प्रदेश के अन्दर ही नहीं अपितु देश और देश के बाहर भी असर पड़ेगा कि इनके यहां चुनाव के अन्दर गड़बड़ी हुयी है। श्रीमन्, अब इससे ज्यादा किसी सरकार पर और क्या कमेन्ट्स या आरोप हो सकते हैं? तो मेरा निवेदन यह है कि सदन के अन्दर इसका पर्यवेक्षण हो जाय और सत्ता पक्ष इस पर निर्णय दे। आपने इस चीज को मान भी लिया कि हमको भी अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए, इस पर चर्चा निश्चित तौर से स्वीकार की जानी चाहिए।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, अभी माननीय मोहन सिंह जी....

(व्यवधान)

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, हमारी आवाज को आप दबायें नहीं। हमें भी ग्राह्यता पर बोलने का मौका मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जायं । मैंने ग्राह्यता पर सुन लिया है ।

(घोर व्यवधान)

(कई सदस्यों के खड़े रहने एवं व्यवधान के मध्य)

परिवहन मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)---

अभी माननीय मोहन सिंह जी ने यह सदन पर जो आरोप लगाए अमेठी के बारे में । इसको स्पष्ट इसलिए करना चाहता हूं कि जब माननीय सदस्यों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है बिना तथ्य जाने ही, तो यह हमारे लिए और जनतांत्रिक व्यवस्था में शोभा नहीं देता । अभी मोहन सिंह जी ने कहा कि 2 करोड़ रुपया सिंचाई के खर्चा हुए । आप जानते हैं कि शारदा सहायक परियोजना बहुत दिनों से चल रही है । जो विरोधी दल के नेता यहां बैठे हुए हैं वे इसी विभाग के मंत्री रहे हैं. . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

मैं माननीय सदस्यों से पुनः निवेदन करूंगा कि कृपया सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलने दें ।

श्री विद्या सागर नौटियाल---

आप मौका दे दें ।

श्री अध्यक्ष---

मैंने ग्राह्यता पर इतने लोगों को मौका दिया । केवल आपही इसकी कसौटी नहीं है कि अगर आपको मौका नहीं दिया गया तो ग्राह्यता पर मैंने सुना ही नहीं ।

श्री विद्या सागर नौटियाल---

मान्यवर, मुझे कुछ कहने की अनुमति दे दें ।

श्री अध्यक्ष---

(शासन पक्ष की ओर सम्बोधित करते हुए) ग्राह्यता के प्रश्न पर इस तरफ से कोई बोलना चाहता है ?

श्री विद्या सागर नौटियाल---

मान्यवर, मैं बोलना चाहता हूं, आप मुझे समय दें ।

श्री मुईद अहमद---

मैं गढ़वाल क्षेत्र में मौजूद था जब चुनाव हुए । अभी गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून से लेकर कर्णप्रयाग, रुद्र प्रयाग, जोशी मठ, केदारनाथ और बद्रीनाथ के पहाड़ियों से, उनकी औरतों से, देहात के लोगों से बात की. . . .

(विरोधी दल के कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप सब लोग बैठ जायं । सदन की कार्यवाही को आगे चलने दीजिए, बहुत हो चुका इस पर । कृपया शान्त हो जायं ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

हम तो पांच साल के लिए बैठ ही गए हैं [× ×] तुम बैठे-बैठे खींचते रहो।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठे हुए हों तो भी हम देख लेते हैं, हम यह कैसे समझें कि हम खड़े हों तब भी आपको दिखाई न दे । आप बैठ जाइए।

इस पर ग्राह्यता के सम्बन्ध में मुख्यतः ग्राह्यता पर सुनने के लिए कहा था। ऐसा नहीं था कि यह इतना टेढ़ा प्रश्न था जिस पर ग्राह्यता पर बिना सुने इसको समझा नहीं जा सकता है । यह भावनाओं से भरा प्रश्न था, इसलिए इसको सुनना मैं अपना कर्त्तव्य समझता था कि इस सम्बन्ध में आप लोगों की बातों को सुनूं । जो आपने ग्राह्यता पर कहा और ग्राह्यता पर कहने के अलावा आपने जो कुछ कहा उसको मैंने सुना । मैंने फिर उधर शासन पक्ष से चाहा था कि ग्राह्यता पर कुछ बोलें परन्तु फिर वही परिपाटी शुरू हो गयी कि ग्राह्यता पर न कह कर उसके अलावा बोलने लगे । इस सम्बन्ध में सारी वार्ता चुनाव की है । इलेक्शन के सम्बन्ध में कुछ घटनाएं घटीं सत्य या असत्य । कौन सही कह रहा है, कोई गलत कह रहा है, क्या सही है और क्या नहीं, यहां उसका निर्णय नहीं होना है । कुछ घटनायें घटी हैं इलेक्शन के सम्बन्ध में । इलेक्शन के सम्बन्ध में जो भी घटनाएं घटीं उसके बारे में निर्णय किसी एलेक्शन पिटीशन से होगा, एलेक्शन कमीशन से होगा, वह हमारे अधिकार व सीमा के अन्दर नहीं है ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, है क्यों नहीं ?

(शोर)

(श्री अध्यक्ष के उक्त निर्णय पर विरोध पक्ष की ओर से घोर शोर होने लगा तथा शासन पक्ष की ओर से मेजें थपथपाई जाने लगीं ।)

(विरोधी दल के कुछ सदस्य जैसे श्री खैरुल बशर, श्री मुख्तार अनीस, श्री विद्या सागर नौटियाल तथा श्री प्रदीप कुमार यादव शोर करते हुये सदन के बीच खाली स्थान पर खड़े हो कर जोर-जोर से नारे लगाने लगे तथा खून से सना हुआ कुरता श्री अध्यक्ष के डायस के सामने दिखाते हुये निरन्तर नारे लगाते रहे ।)

(शोर)

नोट--[× ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

शोर

(सभा मंडल के बीच में खाली स्थान पर विरोध पक्ष के कई माननीय सदस्य खड़े होकर नारे लगाने लगे :

गुन्डा गर्दी की सरकार—नहीं चलेगी, नहीं चलेगी,

लाठी गोली की सरकार—नहीं चलेगी, नहीं चलेगी,

तानाशाही की सरकार—नहीं चलेगी, नहीं चलेगी,

इन्कलाब—जिन्दाबाद

श्री अध्यक्ष—

मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग अपने-अपने स्थान पर चले जायें। मुख्तार अनीस साहब, अपने स्थान पर जायें।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

इस पर एक इंसान का खून लगा हुआ है।

(श्री विद्या सागर नौटियाल खून लगा हुआ एक कुर्ता हाथ उठा कर दिखाने लगे।)

श्री अध्यक्ष—

मैं अन्तिम बार आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग अपने-अपने स्थान पर चले जायें। (सदस्यों के अपने स्थान पर वापस न जाने पर और नारे लगाते रहने पर)

मैं सदन को 15 मिनट के लिये स्थगित करता हूं।

(इस समय 3 बजकर 47 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित हुई। 4 बजकर 2 मिनट पर सदन की कार्यवाही पुनः 15 मिनट स्थगित रहने की सूचना मार्शल द्वारा दी गई। 4 बजकर 17 मिनट पर पुनः 15 मिनट सदन स्थगित रहने की सूचना डिप्टी मार्शल द्वारा दी गई।

तदुपरान्त 4 बजकर 32 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

आपने जो कुछ भी व्यवस्था दी है वह शिरोधार्य है। मान्यवर, मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि इसी विषय को लोक सभा में स्वीकार किया गया था परन्तु आप ने उसे अस्वीकार किया है। हम लोगों के मन में यह बात जरूर आ गई है कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है, इसलिये इस के विरोध में हम लोग सदन का त्याग करते हैं।

(श्री हरी किशन श्रीवास्तव अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, एक मिनट सुन लीजिये। आपने जो व्यवस्था दी है हम नम्रतापूर्वक आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि उस पर आप पुनर्विचार कर लें। हमारी प्रार्थना है कि आप सभी सदस्यों को सुनने के बाद सहमत होंगे। यह बात प्राग्दर्शन में साफ आ गयी। वहां चुनाव की शिकायतें हैं। सत्ता का दुरुपयोग किया गया है, शांति और व्यवस्था बिगड़ी है।

(व्यवधान)

मेरी प्रार्थना है कि अगर आप नियमों को देखते हुये चुनाव पर चर्चा करने की जरूरत नहीं समझ रहे हैं प्रतिपक्ष के इस आग्रह को स्वीकार करते हुये नियमों का निलम्बन कर हमें एक अवसर प्रदान करें जिससे कि प्रजातन्त्र की रक्षार्थ हम ऐसे सुझाव दे सकें कि भविष्य में सरकारी तन्त्र का दुरुपयोग चुनाव में न किया जा सके।

श्री ख्वाजा हलीम--

आपने जो व्यवस्था दी है उसको मानते हुये आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राज्य सभा में वह टेक अप किया गया है, इसमें डिसकशन हुआ है। आपने जो व्यवस्था दी है....

(व्यवधान)

काम रोको प्रस्ताव पर दी है....

श्री राम आसरे वर्मा--

जो व्यवस्था आपने दी है उससे इस शासन के काले कारनामों पर पर्दा पड़ता है। इसके विरोध में हम आज के लिये वाक आउट करते हैं।

(श्री राम आसरे वर्मा सदन त्याग कर चले गये)

श्री अध्यक्ष--

कृपया बैठें। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि मैंने कार्य स्थगन के प्रस्ताव पर सब को पूर्ण रूप से यहां पर समय देकर और उनको सुनने के पश्चात् तथा अपनी विवेक बुद्धि से जो कुछ मेरे समझ में आया उसके हिसाब से सही निर्णय लेने का प्रयास किया और निर्णय लिया। मेरा निर्णय निश्चित ही सही होगा इसको मैं दावा नहीं करता। मैं यह नहीं कहता कि मेरा निर्णय सही ही होगा किन्तु मेरा निर्णय पूर्ण रूप से निष्पक्ष हो यह मेरा प्रयास रहता है। कानून, विधि--विधान, ये ऐसे विषय हैं जिन पर कोई अपनी पारंगतता नहीं बता सकता। इन पर कोई निर्णय सही भी हो सकता है और गलत भी। मैंने केवल निष्पक्षता से निर्णय दिया। मैं इस पर इस नतीजे पर पहुंचा कि चुनाव के सम्बन्ध में यहां चर्चा नहीं हो सकती इसलिये मैंने इसे अस्वीकार किया।

एक बात राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कही। स्पष्ट रूप से यह सामने आई। आपने ग्राह्यता पर कहते हुये कुछ बातें कहीं। ग्राह्यता के अलावा कुछ तथ्य उसमें थे। कभी--कभी लोक महत्व को उजागर करने के लिये कुछ तथ्य भी आ जाते हैं जिससे लोक महत्व सामने आता है। उसको देखते हुये यहां

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर जो कुछ तथ्य आपने कहे और दूसरी तरफ नेता सदन ने भी कहा कि हमको अवसर नहीं मिल सका है, हम उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। इस सब को देखते हुये जहां तक चुनाव का प्रश्न है उस पर कोई चर्चा कराना मैंने अस्वीकार कर दिया लेकिन शान्ति व्यवस्था के सम्बन्ध में हमारा जो अधिकार है....

[4 बजकर 32 मिनट सायं]

प्रादेशिक शासन का अधिकार है उसके लिये आप उपयुक्त प्रस्ताव लावें। शांति और व्यवस्था के सम्बन्ध में जो भी इस तरह का उपयुक्त प्रस्ताव आयेगा तो उस पर में चर्चा कराने के लिये तैयार हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, अभी आपके कक्ष में प्रतिपक्ष के नेता उपस्थित थे उसमें यह बात उठी थी कि आप नियम 103 के अन्तर्गत सदन में चर्चा करायेंगे इस सम्बन्ध में जो निर्णय आप दें, वह हमें शिरोधार्य है लेकिन हमारे मन में यह भावना है कि आपने हमको अपनी बात जनतंत्र के सामने रखने का मौका नहीं दिया है और जो सत्ता का दुरुपयोग किया गया है उसके बारे में हमने लोकतंत्र के सामने अपनी बात नहीं रखी है। इस सम्बन्ध में भी आप निर्णय देने की कृपा करें ताकि नियमों के तहत रहते हुये हम अपनी बात रख सकें।

श्री शंकर सिंह--

इस सम्बन्ध में हमने कार्य-स्थगन का प्रस्ताव दिया है।

एक सदस्य--

नियम 103 में हमनें प्रस्ताव दिया है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

सभी प्रस्ताव अस्वीकृत हो चुके हैं। शांति व्यवस्था के सम्बन्ध में अगर आपका कोई प्रस्ताव आता है तो हम उस पर चर्चा करा देंगे। जिसके लिये तिथि तथा समय कार्य-मंत्रणा समिति में निर्धारित किया जायेगा।

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, आपने जो व्यवस्था दी, उसे हम स्वीकार करते हैं। आपने चर्चा के लिये आश्वासन दिया उसका भी हम स्वागत करते हैं लेकिन इसका अर्थ यह है कि जहां तक चुनाव का सम्बन्ध है, उसकी प्रणाली का सम्बन्ध है उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते हैं। शांति और व्यवस्था पर चर्चा करते समय चुनाव के लिये जो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया है उसके सम्बन्ध में हम कुछ नहीं कह पायेंगे। आपके निर्णय से यह बात स्पष्ट नहीं है हम उसमें उसके बारे में कुछ कह सकेंगे। इसलिये हम आपके निर्णय का सम्मान करते हुये और चूंकि हम आपकी इस व्यवस्था से सन्तुष्ट नहीं हैं, सदन का त्याग करते हैं।

(श्री भीखा लाल अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग कर चले गये।)

श्री ख्वाजा हलीम--

मैं भी सदन का त्याग करता हूं।

(श्री ख्वाजा हलीम भी सदन त्याग कर चले गये।)

उत्तर प्रदेश स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) विधेयक, 1981†

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) विधेयक, 1981 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, यह एक साधारण सा संशोधन विधेयक है। सन् 80 में बैनामा और बांड तथा रजिस्ट्रेशन की दरों में परिवर्तन किया गया था। उनमें एकरूपता लाने के लिये यह विधेयक लाया जा रहा है। इसके अलावा इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि जो रजिस्ट्रेशन के अभिलेख रखे जाते थे उनमें एक व्यवस्था यह की गई है कि अब एक अभिलेख के स्थान पर दो प्रस्तुत किये जायेंगे। उसमें यदि संशोधन की आवश्यकता पड़ती तो दूसरी प्रतिलिपि मौजूद रहे। इसलिये इस संशोधन विधेयक को लाया जा रहा है। इसके अलावा इसमें राजस्व अधिकारियों को और मुख्तारों को कुछ ज्यादा अख्तियार दिया जा रहा है। इस उद्देश्य से इस संशोधन विधेयक को यहां पर प्रस्तुत किया गया है। मुझे आशा है कि माननीय सदन इस पर अपनी सहमति देंगे।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) विधेयक, 1981....

श्री अध्यक्ष--

प्रस्ताव तो आपका आया नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने भेज दिया था। हमको यह मालूम नहीं था कि यह आज आने वाला है ऐजेन्डे में, इसलिये जब इसको ऐजेन्डे में देखा तो आपको भिजवा दिया था। इसलिये मान्यवर, आप समझ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह तो पुराना बिल है। प्रस्ताव तो आ ही सकता है, लेकिन आपने समय से नहीं दिया वैसे हम आपको बोलने का अवसर देंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, वित्त मंत्री जी ने इस बिल को पेश करते हुये यह कह दिया कि एक साधारण सा विधेयक है लेकिन इसमें बड़ी गम्भीर बातें हैं जिनपर इस आदरणीय सदन को विचार करना आवश्यक है। जब मैंने इस विधेयक को देखा

---

†दिनांक 5 फरवरी, 1981 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो मेरी समझ में नहीं आया कि माननीय वित्त मंत्री जो जैसा संसदीय पद्धति का ज्ञाता और उनके हाथ से यह बिल सामने आ रहा है जिसको मैं समझा शायद इसमें एक आध पन्ने मिसिंग होंगे । यह जो विधेयक है यह मूल रूप में अध्यादेश के रूप में प्रख्यापित हुआ था । लेकिन उस अध्यादेश का, वह निरस्त हो जायेगा या क्या होगा इसका कोई प्रावधान इसमें नहीं है ?

(व्यवधान)

सूबोमोटो कैसे होगा यह कब तक प्रभावी रहेगा । इसमें लिखा हुआ है "यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे" । यानी उसे आगे तिथि तय करनी है । तो इतने दिनों तक जो काम हो गया होगा और जिनसे टैक्स वसूल हो गया है उसका विधिकरण कैसे होगा ? इसलिए इन मुद्दों पर भी देखने की जरूरत है ।

तीसरी बात जो इसमें रखी गयी है धारा 5 अध्याय 3 में कि राज्य सरकार रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक को उप रजिस्ट्रार नियुक्त करने की शक्ति ऐसे निर्बन्धों और शर्तों के अधीन, जिन्हें वह उचित समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगी । कभी-कभी ऐसा भी होता है कि उसे मैजिस्ट्रेट की पावर भी दे दी जाती हैं । तो डिपार्टमेन्टल नियुक्ति करने में कितना भ्रष्टाचार होगा, यह सब जानते हैं । पब्लिक सर्विस कमीशन से इस बात को ले लेना कहां तक उचित है यह मेरी समझ में नहीं आया । जब सरकार भी कहती है कि डिपार्टमेन्टल नियुक्ति बन्द होनी चाहिये, तो यह कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें डिपार्टमेन्टल नियुक्ति का अधिकार दिया गया है । इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा इसलिए इस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है ।

(इस समय 4 बज कर 44 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

तीसरी बात इसमें कही गयी है कि स्टाम्प ड्यूटी बराबर कर दी गयी है लेकिन आप देखेंगे तो इसमें एक नया टैक्स जनता पर लगा दिया गया । अनुबन्ध कौन लोग करते हैं जैसे कोई लड़का एम0 बी0 बी0 एस0 में पढ़ता है और वह बांड भरता है कि वह तीन साल तक सरकारी नौकरी करेगा तो जहां धारा 4(क) के अनुसार पुराने दर से उसे 37·50 पैसे पड़ता था उसकी जगह अब उसे 42·50 पैसे देना पड़ेगा । फिर आगे "ख" में जहां 37.50 पैसे पड़ते हैं उसकी जगह 42·50 पैसे देने पड़ेंगे । इसी तरह आगे जहां आज 150 रु0 पड़ते हैं वहां 170 रु0 देने पड़ेंगे, 75 रु0 की जगह 85 रु0 हो जायेंगे । तो मैंने कैलकुलेट किया कि इस तरह से करीब-करीब सवा गुना और देना पड़ेगा । जहां तक संसाधन जुटाने की बात है मैं उसको अनुचित नहीं कहता हूं लेकिन उस टैक्स का असर किस पर पड़ रहा है यह देखना जरूरी है इसको बिना देखे ही सब पर टैक्स बढ़ा दिया यह उचित नहीं है ।

तीसरी बात जो बहुत जरूरी है जिसे माननीय मंत्री जी ने सरलीकरण का रूप बताया । जब कोई रजिस्ट्री की डीड लिखी जाती थी तो उसकी दो प्रतियां देते थे । उसका परिणाम यह हुआ कि रजिस्ट्रार कार्यालय में भ्रष्टाचार हुआ जिसकी जानकारी किसी से छिपी नहीं है उसमें कटिंग हो जाती थी । अब व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जैसे पहले था रजिस्टर में अंकित करना होता था । तो

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

क्या गारंटी है कि रजिस्टर में कोई फेरबदल नहीं होगी ? वहां पर भी कोई आदमी ही हैं और जहां पर आदमी है इस चीज की संभावना बनी हुई है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आज विज्ञान और तकनीक का विकास हो गया है, तो यदि आप फोटो-स्टेट की व्यवस्था कर लें, तो यह रखा जा सकता है यह ठीक रहेगा। इसलिए जहां आदमी आता है, जिसके अन्दर भ्रष्टाचार भरा हुआ है, उसमें ऐसी व्यवस्था कर लें कि फोटो-स्टेट कापी ले लें।

एक बात यह है, अब जो रिकार्ड नष्ट हो गया—यह बात होती है और यहीं से भ्रष्टाचार शुरू होता है। नये ढंग से जब रिकार्ड बनता है तो प्रशासन को भ्रष्टाचार का मौका मिल जाता है। अब जो आप नया रिकार्ड बनवायेंगे, उसका तरीका क्या होगा, इसका हवाला इसमें कुछ नहीं दिया गया है कल फिर आग लग सकती है—आग लगती भी है और कृत्रिम रूप से लगाई भी जाती है। भ्रष्टाचारी लोग जानबूझकर रिकर्ड्स जला या जलवा कर उसे अपने हित में बनवाने की चेष्टा करते हैं। इसलिए इन रिकर्ड्स को एक जगह के स्थान पर दो या तीन जगह रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। जिससे एक जगह अगर आग लग जाए तो दूसरी जगह तो वैसा ही रिकर्ड सुरक्षित रहे। मैं यही दो चार सुझाव अपने संशोधन के माध्यम से मंत्री जी को देना चाहता हूं। वैसे संख्या बल पर यह पास तो हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको 15 दिन के लिए प्रवर समिति में भेज दिया जाए, ताकि इसको इम्प्रूव करने के लिए हमारे सामने सुझाव आ जाएं।

*श्री रामस्वरूप वर्मा—

यह विधेयक जो मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, इसे उन्होंने बड़ा मासूम कहा है, लेकिन इसकी व्याप्ति इतनी हानिकारक और विनाशकारी है कि इसे सदन जानने के बाद निश्चित रूप से इसे अस्वीकृत कर देगा। मैं जब सन् 67 में वित्त मंत्री था, तो मेरे सामने इस सम्बन्ध में सवाल आया था। एक विधवा मेरे पास आई थी, जिसने बताया था कि हमने जमीन तो आधी लिखी थी, लेकिन जिसने लिखवाया था उसने अपना रिकार्ड तो जलवा दिया और कह दिया कि जल गया और जो रिकार्ड सब रजिस्ट्रार के यहां था, उसमें सब जमीन लिखा दी। तो इस मसले पर कानून का जानकार होते हुए भी मुझे कहना पड़ा कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन भविष्य में हम ऐसा नहीं होने देंगे। अतः हमने यह विधि अपनाई कि डुप्लीकेट में दे और बेचनेवाला दोनों पर हस्ताक्षर करेगा। दोनों ओरिजनल डाकूमेंट्स हैं। दो फायदे इससे हैं, एक तो जो डाकूमेन्ट एक्जीक्यूट करता है वह गलत नहीं बना सकता है। जब आदमी डाकूमेंट लिखता है, जब भी लिखेगा तो उसको लिखेगा और दोनों में वह दस्तखत करेगा। इसका मतलब कि दो ओरिजनल हैं। एक घर में जला दिया तो यहां भी उसका दूसरा मौजूद है। दूसरा फायदा यह है जो यहां पर लिखते हैं उसे महीनों डाले रहते हैं, तो डुप्लीकेट में होने से तुरन्त उसे रजिस्टर में चिपका कर, तुरन्त उसको मिल जाएगा।

तो उस समय सदन नहीं चल रहा था, कानून के रूप में तब तक इसे कर दिया गया। अब मन्त्री जी उसका उलटा करने वाले हैं और रजिस्ट्रार से मिलकर होने वाला जो भ्रष्टाचार है वह और अधिक बढ़ने जा रहा है। अब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो तरीका अपनाने वह जा रहे हैं उसमें तनिक राहत नहीं है। जब लिखा जाता है वह दो का लिखवाएगा। मैंने एक सर्वे कराया था--सब लोग जानते होंगे कि इस रजिस्ट्रार के डिपार्टमेंट में कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। उसको दूर करने के लिए हमने एक तरीका निकाला था। हमने सर्वे कराया था। उसमें देखा था कि एक साल में 6 लाख रजिस्ट्रेशन होते थे जिनमें से 4 1/2 लाख जमीन की बिक्री और स्थानान्तरण के बारे में होते थे। 50 हजार सरकार के और 1 लाख हिबेनामा होते थे। तो हमने एक प्रोफार्मा तैयार कराया था जिसकी कीमत केवल 10 पैसे होती थी। इस प्रकार से 2 प्रोफार्मा की कीमत केवल 20 पैसे होती थी। उसमें केवल जगह भरनी होती थी। उसकी एक कापी को चिपका दिया जाता है और रजिस्टर करने के उपरान्त एक प्रति दे दी जाती थी। अब तो लिखिया मुन्शी बैठे हुए हैं। जब हमने यह कराया था तो लिखिया मुन्शियों की आवश्यकता नहीं थी और उससे भ्रष्टाचार भी दूर हुआ था। दोनों पर दस्तखत हो जाते थे। तो उसमें कूटनीतिक रचने का प्रश्न ही कहां उठता था। इससे यह भी फायदा था कि लिखिया मुन्शियों की आवश्यकता नहीं थी जिनके जरिए से रिश्वत चलती थी।

जब मैं इस कार्य को करने जा रहा था तो एक अधिकारी ने कहा था कि आप यह बाल प्रयास कर रहे हैं। इस काम को तो नवाब छतारी भी बन्द नहीं करा सके। छतारी साहब जब गवर्नर हो गए थे तो उनके एक जिलेदार जब रजिस्ट्रार के पास गए तो उन्होंने कहा कि उनका हक दे दो। तो उन्होंने कहा कि हमारे मालिक गवर्नर साहब हैं। तो उन्होंने कहा कि होंगे, हमारा हक तो हमें मिलना ही चाहिए। जब यह मामला गवर्नर साहब के सामने पेश हुआ तो उन्होंने कहा कि हमारे बाप जान भी जो रहे हैं, इसमें एतराज नहीं करते थे। तो मैंने उस अधिकारी से कहा कि ये तो कहानियां चलती हैं।

अगर प्रदेश से भ्रष्टाचार को मिटाना है तो हमको डुप्लीकेट प्रोफार्मा को जारी कराना होगा। क्योंकि इस सिस्टम से रजिस्ट्रेशन तुरन्त हो जाता है। अगर किसी रजिस्ट्रार के यहां पर 70 प्रतिशत केसेज होते हैं तो उसको बैडएन्ट्री की जाय और अगर 90 प्रतिशत होते हैं तो उसको एक्सीलेन्ट एन्ट्रीज दी जाय अगर ऐसा कर दिया जाता तो जो भ्रष्टाचार इस विभाग में है और जो सबको मालूम है तो वह बन्द हो जाएगा। इससे न तो भ्रष्टाचार मिटेगा और न किसानों को सुविधा ही मिलेगी। आप भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आगे कदम न बढ़ाकर पीछे ढकेल रहे हैं। आप इस प्रयास को बन्द कर दें। आप इससे विरत हो जांय और इसको वापस ले लें।

आई0 ए0 एस0 अधिकारी पहले आई0 जी0 होता था। अब सब रजिस्ट्रार से हो जाते हैं। अगर वह ही सब रजिस्ट्रार की एप्वाइंटिंग अथरिटी हो जाता है तो रिश्वत को मिटाने वाला कोई नहीं होगा। अगर उसकी नियुक्ति सरकार करेगी तो अनुशासन रहेगा। अगर आपको विभाग में भ्रष्टाचार को बन्द करना है तो उनकी एप्वाइंटिंग अथारिटी राज्यपाल के हाथ में होनी चाहिए। अतः मेरी प्रार्थना है कि विधेयक को वापस ले लें।

माननीय गुप्ता जी ने जो बातें कही हैं, मैं उनसे भी सहमत हूं आप स्टैम्प ड्यूटी भी इतनी बढ़ा रहे हैं कि इतनी अधिक किसी और प्रदेश में नहीं है। सन् 1967 में केन्द्रीय वित्त मन्त्री ने इस पर प्रश्न किया था कि इन्सीडेन्स आफ टैक्सेशन सबसे कम है इसलिए उत्तर प्रदेश को हम जो विशेष सहायता

[श्री राम स्वरूप वर्मा—]

देते हैं वह 80 प्रतिशत के बाद कम देते हैं। इसमें पश्चिमी बंगाल तथा तामिल नाडु का हिस्सा ज्यादा है, उनको ज्यादा प्रान्त मिलती है। मैंने कहा कि हमारे यहां हम जो स्टैम्प ड्यूटी, मोटर वेहिकिल्स टैक्स तथा जमीन पर जो रेवेन्यू लगाते हैं वह हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा है। मैंने यह भी कहा था कि इस प्रदेश की स्थिति अब एसी नहीं है कि हम ज्यादा टैक्स लगा सकें और बढ़ा सकें। अगर ऐसा होगा तो इस सरकार का रहना मुश्किल हो जायेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि कोई सरकार जन समर्थन या जन भावनाओं का आदर किये बिना कोई कार्य करती है तो वह चल नहीं सकती है'। मैं, माननीय वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस विधेयक को कृपया वापस ले लें, जनहित में यही है।

(वित्त मन्त्री को पुकारे जाने पर)

श्री मोहन सिंह—

इस पर मान्यवर, आधा घंटा की चर्चा होनी थी, 15 मिनट हो गये हैं, 15 मिनट इस पर कल चर्चा करा दें। कार्य मंत्रणा में भी यही स्वीकार हुआ था।

श्री उपाध्यक्ष—

कार्य मंत्रणा समिति ने इसको स्वीकार कर लिया है। इस काम को समाप्त करना है। अब मैंने माननीय वित्त मन्त्री को बुलाया है।

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, 5 बजे हैं, अब अनुपूरक अनुदान मुझे पेश करने हैं।

श्री उपाध्यक्ष —

आप उसे पेश करें।

1981-82 के प्रथम अनुपूरक अनुदान

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 1981-82 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं।

(अनुपूरक अनुदानों की प्रतियां वितरित की गईं।)

उत्तर प्रदेश स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) विधेयक, 1981 (क्रमागत)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

माननीय सदस्यों ने 3-4 बातें कही हैं ...।

श्री मोहन सिंह—

श्रीमन्, 5 बजे के बाद कोई आइटम नहीं लिया जायेगा।

मान्यवर, आज तो 15 मिनट चर्चा कर लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष ---

आपने तो कहा था कि चर्चा जारी रखी जाय । इसीलिए मैंने कहा कि चर्चा जारी रहेगी । मैं माननीय मोहन सिंह की बात टाल नहीं सकता । इसीलिए मैंने कह दिया कि चर्चा जारी रहेगी ।

(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह---

मान्यवर, माननीय मोहन सिंह ने यह कहा था कि अब हम उठते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष ---

यह उन्होंने अपने उठने के बारे में कहा था, हमारे उठने के बारे में थोड़े कह सकते हैं ।

श्री ब्रह्मदत्त---

मान्यवर, यह आफिशियल संशोधन है ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, आफिशियल संशोधन क्या होता है ?

श्री ब्रह्मदत्त---

मान्यवर, आफिशियल अमेंडमेन्ट । मान्यवर, 1,000 का संशोधन हमने 5 साल में जुड़ाने का वादा किया है, तो इसमें माननीय सदस्यों को कोई एतराज नहीं होना चाहिए । माननीय वर्मा जी ने एक डुप्लीकेट कापी की बात कही थी कि यह डुप्लीकेट कापी बदल दी जाती थी । मान्यवर, कापी का बदल देना तो आसान हो सकता है, लेकिन सारे रजिस्टर वगैरह का बदलना आसान नहीं है । इस सम्बन्ध में जो कठिनाइयां आई हैं, वह भी सर्वेक्षण के आधार पर आई हैं । इसलिए मेरा अनुरोध है कि माननीय सदन इस पर विचार कर ले ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) विधेयक, 1981 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 से 7 तक

अध्याय 2

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का संशोधन

अधिनियम संख्या 2 सन् 1899 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (10) के अन्त में निम्न-लिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"स्पष्टीकरण—कोई लिखत, जिसके द्वारा किसी सम्पत्ति का ऐसा सह-स्वामी जिसका उसमें परिनिश्चित अंश हो, ऐसे अंश या उसके भाग का उस सम्पत्ति के किसी दूसरे सहस्वामी को अन्तरण करता है, इस खंड के प्रयोजनों के लिए ऐसी लिखत है जिसके द्वारा सम्पत्ति अन्तरित की जाती है।"

धारा 11 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 11 में खंड (सी) में शब्द "भर्ती का प्रमाण-पत्र" के पश्चात् शब्द "और राजस्व अभिकर्ताओं या मुख्तारों को जारी किया गया भर्ती का प्रमाण-पत्र" रख दिये जायेंगे।

4—मूल अधिनियम की अनुसूची 1-बी में,—

अनुसूची 1-बी का संशोधन

(क) अनुच्छेद 8 में, खण्ड (बी) में, दूसरे स्तम्भ में शब्द "सैंतीस रुपये पचास पैसे" के स्थान पर शब्द और अंक "वही शुल्क जो 1,000 रु0 के बन्धपत्र (सं0 15) पर लगता है" रख दिये जायेंगे,

(ख) अनुच्छेद 12 में, खंड (सी) में, दूसरे स्तम्भ में, शब्द "सैंतीस रुपये पचास पैसे" के स्थान पर शब्द और अंक "वही शुल्क जो 1,000 रु0 के बन्धपत्र (सं0 15) पर लगता है" रख दिये जायेंगे,

(ग) अनुच्छेद 18 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद यथा इंगित स्तम्भवार रख दिया जायेगा :—

लिखत के विवरण से सम्बन्धित स्तम्भ में	उचित स्टाम्प शुल्क से सम्बन्धित स्तम्भ में
"18 विक्रय प्रमाण-पत्र (अलग लाट में रखी और बेची गयी प्रत्येक सम्पत्ति के बारे में) जो लोक नीलाम द्वारा बेची गयी किसी सम्पत्ति के क्रेता को किसी न्यायालय द्वारा, या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन लोक नीलाम द्वारा ऐसी सम्पत्ति को बेचने और ऐसा प्रमाण-पत्र देने के लिये सशक्त किसी अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय द्वारा, दिया गया हो।"	"वही शुल्क जो केवल क्रय धन की रकम के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र (सं0 23) पर लगता है।"

(घ) अनुच्छेद 46 में—

(एक) भाग (ए) में खंड (बी) में, दूसरे स्तम्भ में, शब्द "एक सौ पचास रुपए" के स्थान पर शब्द और अंक "वही शुल्क जो 4,000 रु0 के बन्धपत्र (सं0 15) पर लगता है" रख दिये जायेंगे ,

(दो) भाग (बी) में, दूसरे स्तम्भ में, शब्द "सैंतीस रुपये पचास पैसे" के स्थान पर शब्द और अंक "वही शुल्क जो 1,000 रु0 के बन्दपत्र (सं0 15) पर लगता है" रख दिये जायेंगे ,

(ङ) अनुच्छेद 54 में, खंड (बी) में, दूसरे स्तम्भ में, शब्द "पचहत्तर रुपये" के स्थान पर शब्द और अंक "वही शुल्क जो 1,000 रु0 के हस्तान्तरण पत्र (सं0 23) पर लगता है" रख दिये जायेंगे ,

(च) अनुच्छेद 55 में, खंड (बी) में, दूसरे स्तम्भ में, शब्द "एक सौ रुपये" के स्थान पर शब्द और अंक "वही शुल्क जो 3,000 रु0 के बन्धपत्र (सं0 15) पर लगता है" रख दिये जायेंगे ,

(छ) अनुच्छेद 57 में, खंड (बी) में, दूसरे स्तम्भ में, शब्द "सैंतीस रुपये पचहत्तर पैसे" के स्थान पर शब्द और अंक "वही शुल्क जो 1,000 रु0 के बन्धपत्र (सं0 15) पर लगता है" रख दिये जायेंगे ,

(ज) अनुच्छेद 61 में—

(एक) खंड (क) में, पहले स्तम्भ में, शब्द "सैंतीस रुपये पचहत्तर पैसे से" के स्थान पर शब्द और अंक "500 रु0 के प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र पर प्रभार शुल्क से" रख दिये जायेंगे,

(दो) खंड (बी) में, दूसरे स्तम्भ में, शब्द "सैंतीस रुपये पचहत्तर पैसे" के स्थान पर शब्द और अंक "वही शुल्क जो 500 रु0 के प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र (सं0 23) पर लगता है" रख दिये जायेंगे ,

(झ) अनुच्छेद 64 में, मद बी में दूसरे स्तम्भ में, शब्द "पचहत्तर रुपये से" के स्थान पर शब्द और अंक 2,000 रु0 के बन्धपत्र (सं0 15) पर देय शुल्क से" रख दिये जायेंगे ।

अध्याय तीन

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 का संशोधन

अधिनियम संख्या 16 सन् 1908 की धारा 6 का संशोधन

5—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 6 में, अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्—

"परन्तु राज्य सरकार रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक को उप रजिस्ट्रार नियुक्त करने की शक्ति ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों के अधीन, जिन्हें वह उचित समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगी।"

धारा 18 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 18 में, खंड (ग) में, शब्द और अंक "और धारा 17 के अधीन छूट प्राप्त पट्टे" निकाल दिये जायेंगे ।

धारा 18-क का निकाला जाना

7—मूल अधिनियम की धारा 18-क निकाल दी जायगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड-2 से खंड 7 तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 8 से 14 तक

धारा 28 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 28 में,—

(क) शब्द, अंक और अक्षर, "की उपधारा (1) के खंड (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) में तथा धारा 17 की उपधारा (2)" निकाल दिये जायेंगे,

(ख) शब्द, अंक और अक्षर "धारा 18 के खंड (क), (ख), (ग), और (ग ग)" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "धारा 18 के खंड (ग)" रख दिये जायेंगे ।

धारा 50 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 50 में—

(क) उपधारा (1) में शब्द, अंक और अक्षर "धारा 18 के खंड (क) और (ख)" के पश्चात् शब्द और अंक "जैसे कि वे खंड उत्तर प्रदेश सिविल विधि (सुधार और संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा निकाल दिये जाने के पूर्व थे," रख दिये जायेंगे ,

(ख) उपधारा (2) में शब्द और अंक "धारा 17 की उपधारा (1) के परन्तुक" के पश्चात् शब्द और अंक "जैसा कि वह परन्तुक उत्तर प्रदेश सिविल विधि (सुधार और संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा निकाल दिये जाने के पूर्व था," रख दिये जायेंगे ।

धारा 51 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 51 में, उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

"(5) जहां अग्नि, झंझा, बाढ़, अतिवृष्टि, सेना या भीड़ या अन्य अप्रतिरोध्य बल कृत हिंसा के कारण उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कोई या सभी पुस्तकें नष्ट हो जायं या पूर्णतः या अंशतः अपठनीय हो जायं और राज्य सरकार की यह

राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा, निदेश दे सकेगी कि ऐसी पुस्तक या उसके ऐसे प्रभाग को, जिसे वह उचित समझे, ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाय, उसे अधिप्रमाणित या पुनः सन्निर्मित किया जाय, और इस प्रकार तैयार की गई, अधिप्रमाणित या पुनः सन्निर्मित प्रतिलिपि को इस अधिनियम और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के प्रयोजनों के लिए मूल पुस्तक या प्रभाग का स्थानापन्न और स्वयं ऐसी मूल पुस्तक या प्रभाग समझा जायगा।"

11--मूल अधिनियम की धारा 52 में, उपधारा (1) में, खंड (ग) के पश्चात् आया हुआ स्पष्टीकरण निकाल दिया जायगा। धारा 52 का संशोधन

12--मूल अधिनियम की धारा 62 में, उपधारा (1) के पश्चात् आया हुआ स्पष्टीकरण निकाल दिया जायगा। धारा 62 क संशोधन

13--मूल अधिनियम की धारा 69 में, उपधारा (1) में, खंड (जज) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा, अर्थात्-- धारा 69 का संशोधन

"(जज) धारा 19 के अधीन परिदत्त किये जाने वाले अनुवाद को तैयार करने और उन्हें विश्वस्त अनुवाद घोषित करने की रीति का विनियमन करने वाले,"

14--मूल अधिनियम की धारा 82 में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा, अर्थात्-- धारा 82 का संशोधन

"(ख) रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर को, धारा 19 या धारा 21 के अधीन किसी कार्यवाही में दस्तावेज की मिथ्या प्रति या मिथ्या अनुवाद या मानचित्र या रेखांक की मिथ्या प्रति साशय परिदत्त करेगा" अथवा।

डाक्टर विनोद कुमार तिवारी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 8 में, वर्तमान उपखंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रख दिया जाय :--

"(क) शब्द, अंक और अक्षर," की उपधारा (1) के खंड (क),(ख) (ग), (घ) और (ङ) में वर्णित हर दस्तावेज, धारा 17 की उपधारा (2) "निकाल दिये जायेंगे,"।

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, इस संशोधन को मैं स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 8 में, वर्तमान उपखंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रख दिया जाय :--

"(क) शब्द, अंक और अक्षर," की उपधारा (1) के खंड (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) में वर्णित हर दस्तावेज, धारा 17 की उपधारा

(2) "निकाल दिये जायेंगे,"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 8 तथा खंड 9 से 14 तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खंड 15

डाक्टर विनोद कुमार तिवारी—

वर्तमान खंड 14 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय और खंड रख दिये जायं :

"अध्याय चार

प्रकीर्ण

निरसन तथा अपवाद	15(1) उत्तर प्रदेश स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1981 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।	उत्तर प्रदेश अध्यादेश, संख्या 7, 1981

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित अध्याय दो और अध्याय तीन में उल्लिखित किसी अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उपर्युक्त अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।"

श्री ब्रह्मदत्त—

मैं इसे स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि वर्तमान खंड 14 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय और खंड रख दिये जायं :—

"अध्याय चार

प्रकीर्ण

निरसन तथा अपवाद	15(1) उत्तर प्रदेश स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1981 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।	उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7, 1981

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित अध्याय दो और अध्याय तीन में उल्लिखित किसी अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उपर्युक्त अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि नया खण्ड 15 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश स्टाम्प और रजिस्ट्रीयकरण विधि (संशोधन) विधेयक, 1981

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 का उत्तर प्रदेश में उनकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) अधिनियम, 1981 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे।

डाक्टर विनोद कुमार तिवारी—

खण्ड 1 में, वर्तमान उपखण्ड (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जाय—

"(3) यह, दिनांक 1 अगस्त, 1981 से प्रवृत्त समझा जायेगा।"

श्री ब्रह्म दत्त—

मुझे स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 में, वर्तमान उपखण्ड (3) के स्थान पर निम्न-लिखित उपखण्ड रख दिया जाय--

"(3) यह, दिनांक 1 अगस्त, 1981 से प्रवृत्त समझा जायेगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री ब्रह्म दत्त--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) विधेयक, 1981 जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) विधेयक, 1981, जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) (संशोधन) विधेयक, 1981†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) (संशोधन) विधेयक, 1981 पर विचार किया जाय ।

सदन की बैठक 5 बजे के उपरान्त होने पर आपत्ति

श्री भीखाला--

मान्यवर, इस पर एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, कार्य मंत्रणा समिति में यह तय हो गया था कि 5 बजे के बाद सदन नहीं बैठेगा और कोई काम नहीं लिया जायगा । एक विधेयक चूंकि आधा हो गया था इसलिये कहा गया कि उसको ले लिया जाय तो दूसरे विधेयक को लेने का कोई औचित्य नहीं है, चूंकि कार्य मंत्रणा समिति का निर्णय है कि 5 बजे के बाद सदन नहीं बैठेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या नियम 51 को भी छोड़ दिया जाय ।

---

†दिनांक 27 फरवरी, 1981 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री भीखालाल--

नियम 51 को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि आइटम नं0 64-65 को आपने छोड़कर आइटम 66 को ले लिया लेकिन उस पर मैं आपत्ति नहीं कर सकता हूं किन्तु 5 बजे से पहले उसको बन्द करके नियम 51 को लेना चाहिए था परन्तु सप्लीमेन्टरी बजट लेना था तो आपने नियम को तो पहले ही तोड़ दिया है। फिर हम पर आप लाञ्छन लगाते हैं। लेकिन कार्य मंत्रणा समिति का निर्णय है कि 5 बजे के बाद सदन नहीं बैठेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं, माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो रोज का कार्य है उसको समाप्त करने के दृष्टिकोण से जो एजेन्डे पर विषय हैं उनको समाप्त कर लें चूंकि 10-20 मिनट की बात है।

श्री मोहन सिंह--

कार्य मंत्रणा समिति का निर्णय है जिसको आप तोड़ रहे हैं। यह आपका निर्णय है। आप अपने नियम को तोड़ते हैं तो कैसे काम होगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

मुनासिब था कि आप मेरी बात मानते तो काम समाप्त हो जाता, लेकिन आप लोगों की यही इच्छा है कि छोड़ दिया जाय तो ठीक है, छोड़ देता हूं। लेकिन नियम 51 तो होगा ही।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, निवेदन है...।

श्री उपाध्यक्ष--

फैसला हो गया है इसलिए अब इस पर नहीं सुना जा सकता है।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत आज 4 सूचनायें प्राप्त हुई थीं। माननीय अध्यक्ष ने उसमें से एक सूचना स्वीकार किया है। यह सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की है--जो 7 अगस्त, 1981 को अन्नूखेड़ा जिला एटा में कुख्यात डाकुओं द्वारा एक थानेदार सहित ग्यारह पुलिस कर्मियों तथा अनेक ग्रामीणों की दर्दनाक हत्या के सम्बन्ध में है। माननीय गृह मंत्री आप इस पर अपना वक्तव्य कब देंगे ?

गृह राज्य मन्त्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

मान्यवर, सूचना एकत्रित करने के लिये एक हफ्ते का समय दे दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। कितनी लज्जाजनक बात है कि 11 आदमियों को मार दिया गया है और मन्त्री जी कहते हैं कि सूचना एकत्रित की जायगी।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय गुप्ता जी जब मैं खड़ा हूं और आपकी बात सुन रहा हूं तो इतना उत्तेजित होने का कोई प्रश्न नहीं है ।

माननीय गृह मन्त्री जी यह सत्र जो है बहुत लम्बा नहीं चलने जा रहा है इसलिये आपको एक हफ्ते का समय देना मेरे लिये असंभव है ।

गृह मंत्री (चौधरी नौनिहाल सिंह)--

मेरा निवेदन है कि जब तक सदन रहेगा उसके पहले ही सूचना दे दूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह बहुत अहम मामला है, कल ही इस पर बयान दिलवा द

श्री उपाध्यक्ष--

मैं, सरकार से अपेक्षा करूंगा कि 17 तारीख तक अपना बयान दे द ।

चौधरी नौनिहाल सिंह--

मेरा निवेदन है कि जब तक सदन चलेगा उसके पहले ही... ।

श्री उपाध्यक्ष--

इतनी बड़ी मशीनरी सरकार के पास है । 17 को बयान दे दीजिये ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, इसी सम्बन्ध में हम लोगों की सूचना है । उसी में हम सबका नाम जोड़ दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

उसी में आपका नाम जोड़ दिया जायगा ।

एक मालगाड़ी जो उत्तर प्रदेश के टूंडला क्षेत्र से होती हुई तुगलकाबाद दिल्ली पहुंची, की डिवीजनल सिक्योरिटी आफिसर (आर0पी0 एफ0) द्वारा चेकिंग करने पर 103 हैन्ड ग्रेनेड्स के गायब पाये जाने की घटना के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

[5 बजकर 23 मिनट]

गृह राज्य मन्त्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

प्राप्त सूचना के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि पश्चिम रेलवे स्टेशन कोटा से चलने वाली मालगाड़ी के बैगन नं0 एन0 आर0 18921 में हैण्ड ग्रेनेड्स के पैकेट लादे गये थे । मालगाड़ी को रेलवे स्टेशन टूण्डला जंक्शन पहुंचने पर जब रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों द्वारा दिनांक 5-3-81 को चेक किया गया तो एक पैकेट टूटा पाया गया व 103 हैण्ड ग्रेनेड्स कम मिले । इस घटना की सूचना रेलवे सुरक्षा दल के द्वारा रेलवे पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली पर दी गई

वहां इस बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 142, अन्तर्गत धारा 379 भा0 दं0 वि0 का अभियोग दिनांक 26-3-1981 को पंजीकृत किया गया। इस घटना की विवेचना रेलवे पुलिस, दिल्ली के द्वारा की जा रही है।

इस मामले के महत्व को ध्यान में रखते हुये प्रदेश शासन ने गृह मन्त्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया है कि प्रश्नगत अभियोग की विवेचना केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा कराई जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जो बयान है उसको सुनकर यह बात साबित हो जाती है कि सरकार का दस्यु उन्मूलन अभियान कितना खोखला है।

आज से साढ़े 5 महीने पहले यह घटना होती है और उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आयी है। यदि कोई जांच रिपोर्ट आयी है तो उसके तथ्य क्या हैं? सी0 बी0 आई0 से जांच कराने का निर्णय लिया गया है। तो यह सी0बी0 आई0 से जांच कराने का अनुरोध कब किया गया है?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

इस घटना की जांच दिल्ली की जी0 आर0 पी0 के द्वारा जांच की जा रही है। उन्होंने एक पत्र लिखा था कि टूंडला के पास उत्तर प्रदेश की सीमा में यह घटना घटित हुयी प्रतीत होती है उसी के सम्बन्ध में यहां से निवेदन किया गया था।

मान्यवर, निश्चित तारीख इस वक्त उपलब्ध नहीं है, वह तारीख बता दूंगा आपको दिखवाकर और जहां तक सी0 बी0 आई0 द्वारा जांच कराने का प्रश्न है, उसे प्रदेश शासन ने इस मामले के महत्व को देखकर आदेश दिये थे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, हमारा प्रश्न तो यह है कि इस सरकार के निकम्मेपन की वजह से यह मामला केन्द्रीय सरकार के सुपुर्द किया गया है। दूसरे सबसे बड़ी बात यह है कि जब मामला टूंडला का है तो उत्तर प्रदेश सरकार को ही देखना चाहिए, इसके नियन्त्रण में ही सारी कार्यवाही होनी चाहिए। ऐसा किन कारणों से नहीं किया गया इस पर कृपया खुलासा रूप में प्रकाश डालने की कृपा करें।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

इस प्रकार की घटनाएं बहुत सी प्रदेश में इस समय हो रही है। इसलिए इस सम्बन्ध में जब वहां पहली मीटिंग हुयी तो उसमें यही तय हुआ कि इस प्रकार की जितनी घटनाएं हो रही है सब की जांच सी0 बी0 आई0 द्वारा ही कराई जाए और फिर जब यह घटना दिल्ली में हो रही है, वहीं इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गयी तो जांच कहां पर होगी वैसे इस सम्बन्ध में जहां तक सम्भव हो रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस से भी सहायता ली जा रही है।

श्री अकबाल हुसेन--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से केवल एक बात जानना चाहता हूं कि यह घटना 5-3-81 को होती है टूंडला में और टूंडला में भी रेलवे सुरक्षा दल का स्टेशन है, तो वहां पर मामला दर्ज क्यों नहीं कराया गया और इसकी प्रारम्भ की जो सूचना दर्ज कराई गयी है, वह 26-3-81 को कराई गयी है । तो कृपया यह बताएं कि यह रिपोर्ट दर्ज कराने में इतने विलम्ब के क्या कारण हैं और टूंडला में क्यों नहीं रिपोर्ट दर्ज कराई गयी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

इसकी प्रारम्भिक जांच रेलवे वालों ने ही की कि यह घटना यहां घटी है और जब पूरी जानकारी हुई और एक निश्चित मत पर पहुंचे तब मामला उन्होंने पंजीकृत कराया ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, साढ़े 5 महीने पहले इन बमों का विस्फोट हुआ है फिर आगे यह पाया गया कि 103 हैण्ड ग्रेनेड्स गायब हुए हैं, तो जो हैण्ड ग्रेनेड्स गायब हुए हैं, उनके नमूनों की जांच आपने करवाई क्योंकि अभी कुछ दिन पूर्व हमारे बुन्देलखन्ड में एक घटना घटी है, अगर उनके नमूनों की जांच आपने कराई हो तो उससे उस घटना का भी पता चल सकता है कि वहां पर जो हैण्ड ग्रेनेड्स पाये गये हैं, वही तो नहीं हैं ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

जी नहीं उनके नमूनों की जांच नहीं कराई गयी है और यह मामला सी0 बी0 आई0 को इसलिए भी सुपुर्द किया गया है क्योंकि विरोध पक्ष वाले ज्यादातर इसी बात को रखते हैं कि फलां मामले की जांच सी0 बी0 आई0 से ही कराई जाये ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका प्रश्न एक तो समझ में नहीं आया कि आपके बुन्देलखन्ड से इसका क्या ताल्लुक है दूसरी बात यह कि आपका प्रश्न बड़ा व्यापक है, कृपया सूक्ष्म रूप से फिर बतायें ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, हमारे यहां भी एक घटना घटी है अभी कुछ दिन पूर्व, तो जिस क्षेत्र में बम विस्फोट हुआ है, वहां पर कुछ बम पाये गये हैं तो मैं यह जानना चाहता था कि यदि आपने उन बमों के नमूनों की जांच कराई हो तो हमारे यहां जो मिले हैं बम, उनसे उनकी पुष्टि हो सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष--

इस मामले का ताल्लुक बुन्देलखण्ड की घटना से तो है नहीं ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, यह माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित है । अपने उत्तर में माननीय मन्त्री जी ने कहा कि दूसरे प्रदेशों में ऐसी घटनायें घटी, इसलिये हमने सौंप दिया । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि किन प्रदेशों में ऐसी घटनायें

घटों और उन्होंने भी यह मसला सी0 बी0 आई0 को सौंपा है या आपने अपनी अक्षमता के कारण सौंप दिया है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

इसमें अक्षमता और क्षमता का प्रश्न नहीं था । इससे कई चीजें जुड़ी हुई हैं । चूंकि दिल्ली परिक्षेत्र में घटना घटी थी, इसलिये सौंप दिया । दूसरे प्रदेशों में जहां इस प्रकार की घटनाय घटी हैं, तो केन्द्र सरकार का सबने ध्यान आकर्षित किया था, जहां-जहां भी ऐसी घटनायें सामने आयी । इसके बारे में अपना मन्तव्य प्रगट कर दिया है कि सी0 बी0 आई0 से जांच करा लें । इसमें आपत्ति नहीं है बल्कि हमारी सलाह ही है ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो 103 हैंड ग्रेनेड गायब हुए हैं और दफा 379 में रिपोर्ट दर्ज हुई है, उससे जो विस्फोट की घटनायें हुई हैं, क्या ऐसा जानकारी में आया है कि जो गायब हुए हैं ये वही हैं । मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि क्या माननीय मन्त्री जी को जानकारी है कि जो ग्रेनेड गायब हुए हैं, उनका प्रदेश में किसी भी स्तर पर विस्फोट क्या हुआ है ! पुलिस की जांच में ऐसा कुछ आया है ?

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न को सुनिश्चित कीजिये ।

श्री मित्रसेन--

जो ग्रेनेड गायब हुए हैं कोई चीज ऐसी प्रकाश में आयी है या नहीं कि जो ग्रेनेड गायब हुए हैं तो कहां विस्फोट हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष--

इस विषय से तो आपका प्रश्न मिल नहीं रहा है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं दो बातें जानना चाहता हूं एक तो यह कि जो हैण्ड ग्रेनेड चोरी गये वह किस एजेन्सी के थे और इस एजेन्सी ने कब और कहां पहुंचाने के लिये इनको लोड करवाया था दूसरी बात में यह जानना चाहता हूं कि जो हैण्ड ग्रेनेड गायब होने की सूचना मिली है, उसके विषय में क्या आपने सी0 बी0 आई0 से जांच करने के लिये लिख दिया है ? मान्यवर, मेरी यह सुनिश्चित जानकारी है कि अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है और केन्द्र सरकार को लिखा भी नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्रश्न करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, प्रश्न यह है कि सरकार द्वारा सी० बी० आई० से जांच करने के लिये केन्द्र सरकार को लिखा गया इस आशय का आदेश कब निर्गत किया गया और चिट्ठी कब गयी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

तिथि की जानकारी करके बताया जा सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 30 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

15-9-1981

सत्य प्रिय सिंह,

सचिव,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 22 का उत्तर पीछे पृष्ठ 45 पर)

जनपद चमोली तथा पौड़ी-गढ़वाल के प्रवक्ता वेतनक्रम (400-750) के रिक्त पदों की सूचना (1-2-81 की स्थिति के अनुसार)

क्रमांक	विद्यालय का नाम	विषय	रिक्ति की तिथि	रिक्ति का कारण
1	2	3	4	5
1	रा0 इ0 का0 नागनाथ पोखरी (चमोली)	रसायन शास्त्र	4-1-81	श्री चन्द्र मोहन सिंह के स्थानान्तरण से।
2	रा0 इं0 का0, गड्डोरा (चमोली)	भौतिक शास्त्र	6-1-81	नव सृजित पद।
3	रा0 इं0 का0, गड्डोरा (चमोली)	गणित	6-1-81	तदेव
4	रा0 इं0 का0, नयकोटी (चमोली)	भौतिक शास्त्र	6-1-81	तदेव
5	रा0 इं0 का0, भयकोटी (चमोली)	गणित	6-1-81	तदेव
6	रा0 इं0 का0, भयकोटी (चमोली)	रसायन शास्त्र	6-1-81	तदेव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
7	रा0 इं0 का0, पाटा (चमोली)	भौतिक शास्त्र	6-1-81	नव सृजित पद।
8	रा0 इं0 का0, पाटा (चमोली)	रसायन शास्त्र	6-1-81	तदेव
9	रा0 इं0 का0, पाटा (चमोली)	गणित	6-1-81	तदेव
10	रा0 इं0 का0, नैना गैंणा (चमोली) (कुल रिक्त पद 10 हैं।)	हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी और अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, गणित	1-2-81	तदेव
11	रा0 इं0 का0, चन्द्रनगर (चमोली) (कुल रिक्त पद 10 हैं)	हिन्दी, संकृत, अंग्रेजी, अर्थ शास्त्र, नागरिक-शास्त्र, भूगोल, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, गणित	1-2-81	तदेव
12	रा0 इं0 का0, बैरागना (चमोली) (कुल रिक्त पद 10 हैं)	तदेव	1-2-81	तदेव
13	रा0 इं0 का0, बैंजरों (पौड़ी-गढ़वाल)	भौतिक शास्त्र	6-1-81	तदेव

(प्रवक्ता वेतनक्रम में कुल रिक्त पदों की संख्या 40 है)

विधान सभा

जनपद पौड़ी तथा चमोली के स्नातक वेतन क्रम (300-550) के रिक्त पदों की सूचना (1-2-1981 की स्थिति के अनुसार)

क्रमांक	विद्यालय का नाम	विषय	रिक्ति की तिथि	रिक्ति का कारण
1	2	3	4	5
1	रा0 उ0 मा0 विद्यालय, लम्ब गोण्डी (चमोली)	सामान्य	1-11-1980	श्री इन्द्र सिंह राना के स्थानान्तरण से।
2	रा0 इ0 का0, नागनाथ पोखरी (चमोली)	विज्ञान, गणित	28-1-1981	श्री कुंवर सिंह चौधरी के प्रोन्नति से।
3	रा0 उ0 मा0 विद्यालय, मनसूना (चमोली)	विज्ञान, गणित	11-1-1981	श्री श्याम लाल त्रिपाठी की प्रोन्नति से।
4	रा0 उ0 मा0 वि0, गेरड़ (चमोली) (चार पद रिक्त हैं)	हिन्दी, अंग्रेजी सामान्य, सामान्य	1-2-1981	नव सृजित पद।
5	रा0 उ0 मा0 विद्यालय, मणिपुर (चमोली) (चार पद रिक्त हैं)	अंग्रेजी, गणित-सामान्य, सामान्य	1-2-1981	नव सृजित पद।
6	रा0 उ0 मा0 वि0, रोहिड़ा (चमोली)	विज्ञान, गणित	24-12-1980	श्री दया शंकर के त्याग-पत्र से।
7	रा0 उ0 मा0 वि0, कालौं (पौड़ी-गढ़वाल)	सामान्य	1-10-1980	श्री नन्द राम भट्ट के स्थानान्तरण से।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
8	रा0 उ0 मा0 वि0, हिवालोधार (चमोली)	विज्ञान, गणित	10-10-1980	श्री भरत सिंह विष्ट के स्थानान्तरण से।
9	रा0 उ0 मा0 वि0, हिवालोधार (चमोली)	हिन्दी	12-1-1981	श्री आदित्य राम पोखरियाल के त्याग-पत्र से।
10	रा0 उ0 मा0 वि0, तरपाललीसैंण (चमोली)	कला	24-10-1980	श्री मनवर सिंह रावत के स्थानान्तरण से।
11	रा0 इ0 का0, भृगुखाल (चमोली)	कला	2-1-1981	श्री जगदीश सिंह के स्थानान्तरण से।
12	रा0 उ0 मा0 वि0, बल्ली (चमोली)	अंग्रेजी	27-10-1980	नव सृजित पद।
13	रा0 उ0 मा0 वि0, द्वारीखाल (चमोली)	सामान्य	27-10-1979	तदेव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सी0 टी0 वेतन–क्रम के रिक्त पदों का विवरण

क्रमांक	विद्यालय का नाम	विषय	रिक्ति की तिथि	रिक्ति का कारण
1	2	3	4	5
	पौड़ी गढ़वाल—			
1	रा0 उ0 मा0 विद्यालय, श्रीकोटखाल (ग0)	कला	21–1–1981	नव सृजित पद ।
2	रा0 उ0 मा0 विद्यालय, देवीखेत	कला	21–1–1981	तदेव
3	रा0 उ0 मा0 विद्यालय, हिंवालोधार	कला	..	श्री सतेन्द्र कुमार अस्थाना के स्थानान्तरण से ।
4	रा0 उ0 मा0 विद्यालय, चरथार	व्यायाम	21–1–1981	नव सृजित पद
5	रा0 उ0 मा0 विद्यालय, श्रीकोटखाल	व्यायाम	21–1–1981	तदेव
6	रा0 उ0 मा0 विद्यालय, मासौं	व्यायाम	21–1–1981	तदेव
7	रा0 उ0 मा0 विद्यालय, देवीखेत	व्यायाम	21–1–1981	तदेव
	चमोली—			
8	रा0 इं0 का0, रडुवा चांदनीखाल (चमोली)	सामान्य	21–1–1981	नव सृजित पद ।
9	रा0 इं0 का0, रडुवा, चांदनीखाल	सामान्य	21–1–1981	तदेव
10	रा0 इं0 का0, रैंसचोपता (चमोली)	भाषा	..	श्री भूपाल सिंह राणा के स्थानान्तरण से ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
11	रा0 इं0 का0, मनसूना (चमोली)	कला	..	श्री हर्ष मणि भट्ट के स्थानान्तरण से।
12	रा0 इं0 का0, गैरुड़ (चमोली)	कला	21-1-1981	नव सृजित पद।
13	रा0 इं0 का0, गैरुड़ (चमोली)	व्यायाम	21-1-1981	तदेव
14	रा0 इं0 का0, बैरागना (चमोली)	सामान्य	..	श्री कीर्तिदत्त अमोला के स्थानान्तरण से।
15	रा0 उ0 मा0 विद्यालय, मणिपुर	व्यायाम	21-1-1981	नव सृजित पद।
16	राजकीय इन्टर कालेज, कांसखेत (चमोली)	विज्ञान, गणित	1-1-1981	श्री भक्त दर्शन सिंह के त्याग-पत्र से।
17	रा0 उ0 मा0 वि0, कुण्डा (चमोली)	सामान्य	1-2-1981	श्री राजेन्द्र प्रसाद बहुगुणा के समायोजन से।
18	रा0 उ0 मा0 वि0, देवीखेत (चमोली)	अंग्रेजी	1-2-1981	नव सृजित पद।
19	रा0 उ0 मा0 वि0, देवीखेत (चमोली) (कुल रिक्त पद चार हैं)	सामान्य, सामान्य विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान	1-2-1981	तदेव
20	रा0 उ0 मा0 वि0, चरधार (पौड़ी-गढ़वाल) (कुल रिक्त पद 7 हैं)	हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, सामान्य, सामान्य	1-2-1981	सभी पद नव सृजित हैं।
21	रा0 उ0 मा0 वि0, मासौ (चमोली) (कुल रिक्त पद 7 हैं)	तदेव	1-2-1981	तदेव
22	रा0 उ0 मा0 वि0, श्रीकोटखाल, (पौड़ी-गढ़वाल) (कुल रिक्त पद 7 हैं)	तदेव	1-2-1981	तदेव
23	रा0 उ0 मा0 वि0 खौरासैंण (पौड़ी-गढ़वाल) (कुल रिक्त पद 2 हैं) (स्नातक वेतन क्रम में कुल रिक्त पदों की संख्या 49 हैं)	सामान्य, सामान्य	अक्तूबर, 1980	अध्यापकों के त्याग-पत्र से।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 24 का उत्तर पीछे पृष्ठ 46 पर ।)

अगस्त, 1980 से 11 फरवरी, 1981 तक थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव के विरुद्ध क्षेत्रीय जनता से निम्नलिखित शिकायतें गृह (पुलिस) अनुभाग–4 में प्राप्त हुई :—

क्रम–सं0	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत का दिनांक	विष
1	श्री जटा शंकर	15–8–1980	पुलिस द्वारा गलत ढंग से फंसाये जाने एवं जान माल की सुरक्षा तथा सी0 आई0 डी0 जांच की मांग ।
2	श्री जटा शंकर	2–7–1980	यथा उपरोक्त।
3	श्री जटा शंकर	8–12–1980	यथा उपरोक्त।
4	श्री हसन वासिफ तथा अन्य कांग्रेस (ई) कार्यकर्तागण	26–11–1980	थानेदार श्री रवीन्द्र प्रताप पनराशरी के हरिजन विरोधी रवैये ।
5	श्री चौधरी रसुलबाबा एवं अन्य कांग्रेस (ई) कार्य–कर्त्तागण	दिनांक रहित	थानेदार श्री रवीन्द्र प्रताप पाराशरी के विरुद्ध शिकायतें (यह शिकायती पत्र पुलिस महानिरीक्षक को मूलरूप में आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है ।)
6	श्री नन्हें लाल पासी	28–1–1980	थानेदार श्री आर0 एस0 मिश्र व अन्य द्वारा परेशान किया जाना ।
7	श्री कुबेर भंडारी, विधायक	8–1–1981	थानेदार रवीन्द्र प्रताप पाराशरी का भ्रष्टाचार एवं घूसखोरी तथा उनके स्थानान्तरण की मांग ।
8	डा0 सूर्य नारायण यादव तथा अन्य	14–10–1980	श्री रवीन्द्र प्रताप पाराशरी थानेदार की कांग्रेस (ई) संगठन विरोधी गतिविधियां ।
9	श्री नन्हू पासी	10–10–1980	प्रार्थी के यहां पड़ी डकैती में पुलिस द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही न किया जाना इत्यादि ।
10	श्री जटा शंकर	अज्ञात	प्रार्थी को झूठे मुकदमें में फंसाये जाने के सम्बन्ध में ।

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 29 का उत्तर पीछे पृष्ठ 48 पर ।)

शारीरिक शिक्षा अध्यापक महापरिषद्, उत्तर प्रदेश

पत्रांक दिनांक 5-12-1980

1—श्रीमान् शिक्षा सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

2—श्रीमान् शिक्षा निदेशक,

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

महोदय,

मण्डलीय उप समारोह में बस्ती आगमन पर गोरखपुर मण्डल के शारीरिक शिक्षा अध्यापक आपका स्वागत एवं अभिनन्दन करते हैं तथा गत दिनों माध्यमिक शिक्षा परिषद् में शारीरिक शिक्षा समिति गठित करने, माध्यमिक विद्यालयों शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति करने, रामपुर में स्पोर्ट्स कोचिंग कैम्प आयोजित करने और फैजाबाद में स्पोर्ट्स कम्पलेक्स स्थापित करने के निर्णय के लिये हम सब आपके आभारी हैं ।

उत्तर प्रदेश में 200 वर्ष पुरानी पाश्चात्य शारीरिक शिक्षा के स्वरूप पर चिन्ता व्यक्त करते हुये सम्मेलन मांग करता है कि दोषी ट्रेनिंग एवं शारीरिक शिक्षा के नाम पर चल रही अनेकों अनुपयुक्त योजनायें समाप्ति पर स्वाभाविक वैज्ञानिक एवं भारतीय मूल की शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम तत्काल लागू किया जाये ।

वे मांगें जिनमें धन की आवश्यकता नहीं : वे निम्न हैं :—

1—प्रदेश में स्थायी शारीरिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन किया जाये जिसमें विश्वविद्यालय स्तर से बेसिक स्तर के शारीरिक शिक्षकों को प्रतिनिधित्व दिया जाये ।

2—अन्य प्रान्तों की भांति उत्तर प्रदेश में भी एम0 पी0 एड0, डी0 पी0 एड0, बी0 पी0 एड0, सी0 पी0 एड0 और प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों को माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में प्रधानाचार्य पदों के लिए ग्राह्य माना जाये ।

3—इलाहाबाद माध्यमिक शिक्षा परिषद् की शारीरिक शिक्षा समिति में माध्यमिक स्तर के शारीरिक शिक्षकों को प्रतिनिधित्व दिया जाये ।

4—सन् 1947 में निर्गत शिक्षा परिषद् को शारीरिक शिक्षकों को विद्यालय में क्रीड़ा अधीक्षक बनाने का आदेश पुनः निर्गत कर उसका पालन अनिवार्य रूप से कराया जाये ।

5—व्यायाम शिक्षक के स्थान पर शारीरिक शिक्षा अध्यापक शब्द प्रयोग किया जाये ।

वे मांगें जो अर्थ व्यवस्था से सम्बन्धित हैं, निम्न हैं :—

1—शारीरिक शिक्षा के नाम पर अनावश्यक योजनायें लागू करने के बजाय शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षा निदेशक शारीरिक

शिक्षा तथा संस्कृत, उर्दू आदि विषयों की भांति मण्डलीय अध्यापिका स्तर पर शारीरिक शिक्षा निरीक्षक नियुक्त किये जाय। क्षेत्रीय स्तर (ब्लाक स्तर) पर सहायक शारीरिक शिक्षा निरीक्षक नियुक्त किये जाय और उन मदों पर शारीरिक शिक्षा में कार्यरत 10 वर्ष के अनुभव के उपरान्त शारीरिक शिक्षकों को भी एवं शारीरिक शिक्षा अनुदेशों को ही अवसर दिया जाय।

2—शारीरिक शिक्षा अध्यापकों को समवर्ग में माना जाने के उपरान्त तभी विभागीय प्रोन्नतियां दी जाय एवं इण्टर टक्निकल कक्षा की भांति इण्टर डी0 पी0 सी0 एड0 को हाई स्कूल कक्षाओं, शारीरिक शिक्षा हेतु स्नातक वेतनमान तथा डी0 पी0 एड0 एवं एन0 पी0 एड0 को प्रवक्ता वेतनमान दिया जाय।

3—शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की अतिरिक्त प्रशिक्षण कराकर सी0 पी0 एड0 तथा डी0 पी0 एड0 के समान मान कर स्नातक वेतन तथा प्रवक्ता वेतनमान दिया जाय।

4—शारीरिक शिक्षा को हाई स्कूल में अनिवार्य तथा इण्टर स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तरों पर वैकल्पिक विषय मानकर परीक्षा करायी जाय।

5—क्रीड़ा सामग्री की मूल्य वृद्धि को देखते हुये क्रीड़ा शुल्क में वृद्धि की जाय तथा खेलकूद की प्रगति के लिये विद्यालय में क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा सामग्री छात्र के अनुसार एवं क्रीड़ा चपरासी आदि की अनिवार्य व्यवस्था की जाय।

6—प्रत्यक 500 छात्र एवं छात्राओं की संख्या पर अतिरिक्त शारीरिक शिक्षा अध्यापक नियुक्त किये जायं तथा अविलम्ब सीनियर, बेसिक, विद्यालय माध्यमिक महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में इन शिक्षकों की नियुक्ति की जाय।

7—सामान्य विद्यालयों के प्रतियोगी छात्र और स्पोर्ट्स स्कूल तथा स्पोर्ट्स छात्रावास के छात्रों को खेलकूद प्रतियोगिताओं में पृथक्-पृथक् आयोजित की जाय। ताकि दोनों में व्ययाधिक्ता को प्रोत्साहन न मिले और सामान्य सुविधाहीन निर्धन छात्रों में ईर्ष्या एवं द्वन्द्व उत्पन्न न हो।

8—यू0 पी0 बोर्ड, इलाहाबाद की परीक्षाओं में शारीरिक शिक्षकों को परीक्षक, उप परीक्षक, प्रधान परीक्षक आदि नियुक्त किये जायं।

9—राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय रामपुर, इलाहाबाद, लखनऊ तथा फैजाबाद में एन0 पी0 एड0 पढ़ाई की व्यवस्था की जाय तथा प्रदेश में कार्यरत शारीरिक शिक्षकों को सवैतनिक अवकाश एन0 पी0 एड0 करने हेतु प्रदान किया जाय।

10—शारीरिक शिक्षा अध्यापकों से सम्बन्धित 1972 के वेतन आयोग की समस्त विसंगतियों के वर्तमान वेतन आयोग की रिपोर्ट के पूर्व ही दूर की जाय ।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रदेश में शारीरिक शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के उन्नयन हेतु उपरोक्त मांगें अविलम्ब स्वीकार करने की कृपा करें ।

भवदीय,

(ह0) ललता प्रसाद चतुर्वेदी,
प्रदेशीय महामंत्री,
बामगंगा रोड, शोहरतगढ़ ।

बलराम, अध्यक्ष, बस्ती,
रामनाथ सिंह, अध्यक्ष, आजमगढ़,
राजवती द्विवेदी, अध्यक्ष, देवरिया,
सुरेन्द्र सिंह, गोरखपुर ।

यथा प्रतिलिपि
(ह0) अस्पष्ट,
उपविद्यालय निरीक्षक,
सप्तम मण्डल, गोरखपुर ।

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 65 का उत्तर पीछे पृष्ठ 62 पर ।)

प्रवक्ता वेतनक्रम

क्रमांक	जिले का नाम	नियुक्ति पत्र
1	नैनीताल	2
2	अल्मोड़ा	2
3	पिथौरागढ़	16
4	पौड़ीगढ़वाल	3
5	टेहरीगढ़वाल	16
6	देहरादून	..
7	चमोली	8
8	उत्तर काशी	2
	योग ..	49

स्नातक वेतनक्रम

क्रमांक	जिले का नाम	नियुक्ति पत्र
1	नैनीताल	3
2	अल्मोड़ा	34
3	पिथौरागढ़	22
4	पौड़ी	52
5	टेहरी	36
6	देहरादून	2
7	चमोली	31
8	उत्तरकाशी	7
	योग ..	187

प्रवक्ता वेतन	---	49
स्नातक वेतनक्र	---	187
ो	..	236

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 66 का उत्तर पीछे पृष्ठ 63 पर।)

सूची 'क'

क्रमांक	अधिकारी का नाम	स्वीकृत धनराशि
1	2	3
	सर्व श्री—	
1	डा0 ज0 पी0 सिंह, सचिव, नगर विकास	70,000
2	बाबूलाल सिंह, संयुक्त सचिव, नियुक्ति विभाग	25,000
3	राम चन्द्र टकरु, गृह सचिव	70,000
4	बी0 बी0 झिल्डियाल, जिलाधिकारी, सीतापुर	67,000
5	रा0 वेंकटनारायणन, सचिव, संस्थागत वित्त विभाग	70,000
6	हर गोबिन्द डबराल, संयुक्त सचिव, श्रम विभाग	70,000
7	त्रिलोकी नाथ धर, अध्यक्ष, लोक सेवा अधिकरण	40,000
8	राममणि पाण्डे, संयुक्त सचिव, गोपन विभाग	70,000
9	पी0 आर0 भोमन, अध्यक्ष, लोक सेवा अधिकरण	60,000
10	आ0 एन0 वैद, रीजनल डाइरेक्टर, इम्पलाईजस्टेट इन्श्योरेन्स कारपोरेशन, कानपुर	63,000
11	प्रकाश चन्द्र जैन, सचिव, पर्वतीय विकास विभाग	70,000
12	महेश प्रसाद, मिनिस्टर, एकानोमिक, लन्दन	37,200
13	सुभाष चन्द्र वरसेरियो, जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद	70,000
14	डी0 पी0 वरुण, आयुक्त, हरिजन एवं जनजाति निगम	28,080
15	हरिशंकर मथुर, अतिरिक्त निदेशक, उद्योग विभाग	66,000
16	विशम्भरदयाल गुप्ता, संयुक्त निदेशक, मेरठ	70,000
17	करनैल सिंह, क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक, लखनऊ	56,700
18	आर0 के0 भार्गव, संयुक्त सचिव, पेट्रोलियम मंत्रालय, भारत सरकार।	70,000
19	विशन नारायण टण्डन, निदेशक ए0 टी0 आई0, नैनीताल	70,000
20	राम कृष्ण, सचिव, हरिजन एवं समाज कल्याण	70,000

1	2	3
	सर्व श्री—	
21	एस0 के0 विश्वास, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल	70,000
22	सुरेन्द्र मोहन, सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग	57,540
23	बांके लाल, जिलाधिकारी ललितपुर	30,000
24	आर0 चन्द्रा, निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश	60,900
25	हरिमोहन सिंह, संयुक्त सचिव, गृह विभाग	48,000
26	दीनानाथ श्रीवास्तव, जिलाधिकारी, प्रतापगढ़	67,500
27	रवि मोहन सेठी, उप निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी मंसूरी	70,000
28	एस0 एन0 शुक्ल, श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश	70,000
29	डा0 सूर्य प्रसाद, ग्राम्य विकास विभाग	60,000
30	के0 एम0 श्रीवास्तव, विशेष सचिव, पर्वतीय विभाग	70,000
31	हरिकृष्ण मेहरोत्रा, अध्यक्ष, प्रशासनाधिकरण, एवं सतर्कता आयोग	40,000
32	श्रीमती माधुरी श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव एवं निदेशक, बांट एवं माप, उत्तर प्रदेश	70,000
33	दिनश कुमार मित्तल, विशेष सचिव, नियोजन	70,000
34	चन्द्रपाल, आयुक्त, मनोरंजन कर	63,000
35	अजय प्रकाश वर्मा, जिलाधिकारी, वाराणसी	70,000
36	प्रभात कुमार, अध्यक्ष, टेक्सटाइल कारपोरेशन, कानपुर	70,000
37	मदन मोहन गुप्ता, उप भूमि व्यवस्था आयुक्त, राजस्व परिषद्	70,000
38	आर0 के कौल, अतिरिक्त सचिव, वित्त मंत्रालय	23,680
39	अख्तर आलम, बिक्रीकर आयुक्त, उत्तर प्रदेश	41,28
40	जगदीश चन्द्र पन्त, सचिव, वन विभाग	70,000
41	नरेन्द्र कुमार सब्बरवाल, निदेशक, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार	70,000
42	एल0 आर0 सिंह, सचिव, लोक सेवा आयोग इलाहाबाद	33,600
43	गुलाम हुसैन, कुलपति, फैजाबाद कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय	70,000
44	मानिक वाधवानी, लेक्चरर, डेवलेपमेन्ट एडमिनी कामन वेल्थ एण्ड ट0 कारपोरेशन, फीजी	70,000

1	2	3
	सर्वश्री—	
45	बी0 एन0 स्वरूप, अध्यक्ष, र0 स0 प0, निगम	70,000
46	आर0 के0 गुप्ता, अतिरिक्त कृषि उत्पादन आयुक्त	40,000
47	बी0 डी0 महेश्वरी, दुग्ध आयुक्त, उत्तर प्रदेश	51,000
48	भवानी शंकर शर्मा, न्यायिक सदस्य, राजस्व परिषद्	70,000
49	महेन्द्र वीर सिंह डेसी महानिरीक्षक, कारागार, उत्तर प्रदेश	70,000
50	इन्दु प्रकाश ऐरन (अवकाश पर)	70,000
51	मोहन चन्द्र जोशी, सचिव, कार्मिक प्र0 सु0 विभाग	60,000
52	पी0 डी0 चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव, उद्योग	33,600
53	जगदीश खट्टर, डाइरेक्टर आफ टी-परमोशन द्वारा ऐम्बैसी आफ इन्डिया, लन्दन	70,000
54	एस0 डी0 बांगला, आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल	70,000
55	गजेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक, उद्योग	70,000
56	बृजेन्द्र, विशेष सचिव, कृषि विभाग	65,100
57	सन्त कुमार त्रिपाठी, सचिव, परिवहन एवं श्रम	70,000
58	देशराज सिंह, रेजीडेन्ट कमिश्नर यू0 पी0	70,000
59	शिरोमणि शर्मा, डेवलेपमेन्ट कमिश्नर, हैण्डलूम नई दिल्ली	70,000
60	आर0 बी0 सक्सेना, अध्यक्ष पिकअप	69,972
61	आर0 एस0 जौहरी, (सेवा निवृत्त)	42,000
62	जी0 पी0 मित्तल (सेवा निवृत्त)	48,000
63	एस0 एस0 सिद्दीकी (सेवा निवृत्त)	50,400
64	पी0 एन0 कौल (सेवा निवृत्त)	45,600
65	बी0 आर0 बोहरा (सेवा निवृत्त)	69,960
66	जे0 डी0 शाह (सेवा निवृत्त)	30,000
67	गंगा राम (सेवा निवृत्त)	64,650
68	श्याम बिहारी लाल (सेवा निवृत्त)	29,960
69	स्व0 श्री फायक अली खां	60,840
70	एन0 पी0 भटनागर (सेवा निवृत्त)	25,000
71	के0 एन0 श्रीवास्तव (सेवा निवृत्त)	70,000

1	2	3
	सर्वश्री--	
72	के0 डी0 अग्रवाल (सेवा निवृत्त)	30,00
73	सोम नाथ पण्डित, संयुक्त सचिव शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय	70,000
74	भगवान दीन (सेवा निवृत्त)	14,000
75	जे0 एन0 प्रधान (सेवा निवृत्त)	25,000
76	बी0 एस0 कटारा (सेवा निवृत्त)	20,000
77	महमूद बट्ट (सेवा निवृत्त)	70,000
78	एस0 के0 सरकार (सेवा निवृत्त)	25,000
79	स्व0 देवकी नन्दन श्रीवास्तव	70,000
80	सै0 मेहदी हसन रिजवी (सेवा निवृत्त)	70,000
81	रोशन लाल, सदस्य, राजस्व परिषद्	70,000
82	आर0 रमणी, सचिव, लोकायुक्त कार्यालय	63, 00
83	एस0 के0 भटनागर, अतिरिक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय	70,00

सूची 'ख'

क्रमांक	अधिकारी का नाम व पता
1	2
	सर्वश्री--
1	डा0 जे0 पी0 सिंह, सचिव नगर विकास ।
2	राम चन्द्र टकरु, गृह सचिव ।
3	बी0 बी0 झिल्डियाल, जिलाधिकारी, सीतापुर ।
4	आर0 वेंकटनारायन, सचिव संस्थागत वित्त विभाग ।
5	राम मणि पाण्डेय, संयुक्त सचिव, गोपन ।
6	पी0 आर0 व्यास भीमन, अध्यक्ष, प्रशासनाधिकरण ।
7	डी0 पी0 वरुण, आयुक्त हरिजन एवं जनजाति ।
8	हरिशंकर माथुर, अतिरिक्त निदेशक उद्योग ।
9	विशम्भर दयाल गुप्ता, संयुक्त निदेशक, मेरठ मण्डल ।
10	आर0 के0 भार्गव, संयुक्त सचिव, भारत सरकार ।
11	विशन नारायन टण्डन, निदेशक प्रशासकीय प्रशिक्षण, संस्थान नैनीताल ।

1	2
12	एस0 के0 विश्वास, आयुक्त ग ढ़ ल मण्डल ।
13	सुरेन्द्र मोहन, सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग ।
14	रोशन लाल, सदस्य, राजस्व परिषद् ।
15	डा0 सूर्य प्रसाद, विशेष सचिव, ग्राम्य विकास ।
16	के0 एम0 श्रीवास्तव, विशेष सचिव, पर्वतीय विभाग ।
17	हर कृष्ण मेहरोत्रा, अध्यक्ष, प्रशासनाधिकरण एवं सतर्कता आयोग ।
18	दिनेश कुमार मित्तल, विशेष सचिव, नियोजन ।
19	मदन मोहन गुप्ता, उप भूमि व्यवस्था आयुक्त, लखनऊ ।
20	अख्तर आलम, बिक्रीकर आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।
21	जगदीश चन्द्र पन्त, सचिव, वन ।
22	नरेन्द्र कुमार सब्बरवाल, निदेशक, वाणिज्य मंत्रालय ।
23	सन्त कुमार त्रिपाठी, सचिव श्रम एवं परिवहन ।
24	आर0 रमणी, सचिव, लोकायुक्त कार्यालय ।

सूची "ग"

उन अधिकारियों का नाम व पता जिनके मकान निर्माणाधीन हैं/ भूमि क्रय कर ली है

क्रमांक	अधिकारी का नाम व पता
1	2
	सर्वश्री—
1	बाबूलाल सिंह, संयुक्त सचिव, नियुक्ति विभाग ।
2	हर गोविन्द डबराल, संयुक्त सचिव, श्रम विभाग ।
3	प्रकाश चन्द्र जैन, सचिव, पर्वतीय विकास ।
4	कर्नल सिंह, क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक, लखनऊ ।
5	सुभाष चन्द्र बरसेरियो, जिलाधिकारी, फ खाबाद ।
6	राम कृष्ण, सचिव, हरिजन समाज कल्याण ।
7	बांके लाल, जिलाधिकारी, ललितपुर ।

8 त्रिलोकी नाथ धर, अध्यक्ष, लोक सेवा अधिकरण।

9 हरिमोहन सिंह, संयुक्त सचिव, गृह विभाग ।

10 दीनानाथ श्रीवास्तव, जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ ।

11 रबिमोहन सेठी, उप निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी, मंसूरी ।

12 एस0 एन0 शुक्ला, श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश (अभी तक केवल भूमि क्रय की है)

13 चन्द्रपाल, मनोरंजन कर आयुक्त ।

14 अजय प्रकाश वर्मा, जिलाधिकारी, वाराणसी ।

15 प्रभात कुमार, अध्यक्ष, टेक्सटाइल कारपोरेशन, कानपुर ।

16 आर0 चन्द्रा, निदेशक, हरिजन ।

17 आर0 के0 कौल, अतिरिक्त सचिव, वित्त मंत्रालय ।

18 ओ0 एन0 बंद, निदेशक, स्टेट इन्श्योरेन्स कारपोरेशन, कानपुर ।

19 श्रीमती माधुरी श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (अभी तक केवल भूमि क्रय की है)

20 एल0 आर0 सिंह, सचिव, लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद ।

21 देश राज सिंह, रेजीडेन्ट आयुक्त, दिल्ली ।

सूची "घ"

उन अधिकारियों के नाम जो स्वयं या उनके कुटुम्ब अपने मकानों में रहते हैं :

1—एस0 के0 विश्वास, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल ।

2—सन्त कुमार त्रिपाठी, सचिव, श्रम एवं परिवहन ।

नत्थी "ख"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 81 का उत्तर पीछे पृष्ठ 68 पर ।)

अगस्त 1980 से 30 नवम्बर, 1980 तक की अवधि में पुलिस फायरिंग के कारण मारे गये व्यक्तियों के नाम :--

1--मोहम्मद फारूक ।

2--मोहम्मद अख्तर ।

3--सरदार अली ।

4--मुख्तार ।

5--सहाबुद्दीन ।

6--छुन्ने ।

7--मीना ।

8--जुबेर अली अंसारी ।

9--नूरुल्ला ।

10--जुबेर ।

11--हफीजुल रहमान ।

12--राम लाल ।

माह अगस्त से 30 नवम्बर, 1980 तक की अवधि में पुलिस फायरिंग के कारण लापता व्यक्तियों के नाम :--

1--अशोक कुमार

2--मकसूद हुसेन

3--सुखराम

4--सोहन सिंह

5--रतन कुमार अग्रवाल

6--खगेन्द्र

7--जावेद

8--सहामत उल्ला

9--भूप-सा कुम्हार

10--मोहम्मद रउफ

11--रईस अहमद

12--गेंदन लाल

13—योगेश

14—राम बिलास

15—प्रेम शंकर

16—अमरीक

17—प्रदीप कुमार

18—मुखराम

19—शिवचरन

20—मंगली

21—इश्तियाक

22—लतीफ

23—ब्रह्मस्वरूप

24—होरी सिंह

25—प्रताप सिंह

26—मुन्ना

27—गेंदा

28—फकीर चन्द्र

29—महेश चन्द्र

30—कैलाश

31—विष्णु कीर्ति

32—गिरधारी

33—इकराम

34—मोहम्मद अतीक

35—श्रीमती हुसैनी बेगम

36—अमरीश कुमार

37—प्यारे

38—महेश नरायन

39—विजय कुमार उर्फ लल्लू

नत्थी 'छ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 106 का उत्तर पीछे पृष्ठ 76 पर)।

तालिका

क्रम-संख्या	कर्मचारी का नाम	नियुक्ति की तिथि
1	2	3
1	श्री गनेश यादव	20-4-77
2	श्री ठाकुर प्रसाद	20-5-77
3	श्री मुक्तेश्वर सिंह	23-11-77
4	श्री सुदामा धरिकार	23-11-77
5	श्री ओम प्रकाश सिंह	24-11-77
6	श्री नरायन भर	-11-77
7	श्री खदेरू कमकर	24-11-77
8	श्री रामजी पाठक	24-11-77
9	श्री हरवंश यादव	24-11-77
10	श्री हरिहर तेली	25 11-77
11	श्री महाबल पासी	25-11-77
12	श्री बचनी मियां	25-11-77
13	श्री विजय बहादुर सिंह	26-11-77
14	श्री बुद्धिराज कोइरी	26-11-77
15	श्री दुखी पाण्डेय	24-11-77
16	श्री सत्यदेव कमकर	26-11-77
17	श्री जीतन गोड़	26-11-77
18	श्री बृजराज यादव	26-11-77
19	श्री गरीब दुसाध	26-11-77
20	श्री जगलाल	26-11-77
21	श्री इन्द्र यादव	26-11-77

1	2	3
22	श्री जयकरन सिंह	25-11-77
23	श्री विश्वनाथ कोइरी	25-11-77
4	श्री गुलाब गोड़	25-11-77
25	श्री राधा प्रसाद	26-11-77
26	भृगुनाथ	25-11-77
27	श्री शम्भू नाथ पाण्डेय	24-11-7
28	श्री उदित नरायन	24-11-77
29	श्री श्रीराम अवध तेली	23-11-77
30	श्री बोध हरिजन	25-11-77
31	श्री माफी भर	25-11-77
32	श्री बंश बहादुर सिंह	25-11-77
33	श्री श्रीकृष्ण	25-11-77
34	श्री सुदामा कानू	24-11-77
35	श्री पारस कुर्मी	26-11-77
36	श्री कृष्ण प्रसाद	1-9-78
37	श्री मुहर्रम	28-11-8
38	श्री रामधारी कुर्मी	28-11-78
39	श्री दूध नाथ	28-11-78
40	श्री विभूति यादव	28-11-78
41	श्री लोरिक यादव	28-11-78
42	श्री जय प्रकाश	28-11-78
43	श्री सुरेश कोइरी	28-11-78
44	श्री महि प्रताप मल	28-11-78
45	श्री राम भरथ सिंह	28-11-77
46	श्री नर सिंह कुर्मी	28-11-78
47	श्री सूर्य देव दूबे	29-11-78
48	श्री राम अधारी	15-4-80

1	2	3
49	श्री छेदी	15-4-80
50	श्री हसरजिया	15-4-80
51	श्री अकली	15-4-80
52	श्री श्रीराज किशोर यादव	15-4-80
53	श्री महाबीर मिश्र	15-4-80
54	श्री गनेश यादव	15-4-80
55	श्री साभर वर्मा	15
56	श्री राम प्रवेश	15-4-80
57	श्री लौटू यादव	15-4-80
58	श्री नगीना हरिजन	15-4-80
59	श्री रामजीत नोनिया	15-4-80
60	श्री रामा नन्द सिंह	15-4-80
61	श्री राज कुमार	15-4-80
62	श्री हाकिम अली	15-4-80
63	श्री आदित्य प्रसाद	15-4-80
64	श्री रामदास पासी	15-4-80
65	श्री बेचई कुर्मी	15-4-80
66	श्री सत्यदेव	15-4-80
67	श्री आस मुहम्मद	15-4-80
68	श्री रामचन्द्र सिंह	15-4-80
69	श्री लालजी सिंह	15-4-80
70	श्री जमुना हरिजन	15-4-80
71	श्री विष्णु प्रसाद मल्ल	15-4-80
72	श्री अनिरुद्ध हजाम	15-4-80
73	श्री चन्द्रिका गौड़	15-4-80
74	श्री हरि शंकर प्रसाद	15-4-80
75	श्री दीनदयाल	15-4-80

1	2	3
76	श्री हीरा केवट	15-4-80
77	श्री इन्द्रजीत सिंह	15-4-80
78	श्री नामू धरिकार	15-4-80
79	श्री नवल किशोर	1-1-81
80	श्री विन्धायल दुसाध	1-1-81
81	श्री राम प्रताप हरिजन	1-1-81
82	श्री चन्द्रिका गोड़	1-1-81
83	श्री राम जतन सिंह	1-1-81
84	श्री बिकाऊ यादव	1-1-81
85	श्री राजेन्द्र	1-1-81
86	श्री नन्द किशोर	1-1-81
87	श्री सूरज मन बरई	1-1-81
88	श्री आयोध्या	1-1-81
89	श्री फैजुल्लाह	1-1-81
90	श्री प्रदीप कुमार	1-1-81
91	श्री भुलई	1-1-81
92	श्री राम प्रसाद	1-1-81
93	श्री राधश्याम	1-1-81
94	श्री बाबूराम यादव	1-1-81
95	श्री सीताराम गोड़	1-1-81
96	श्री चन्द्रिका प्रसाद	1-1-81
97	श्री गोपी चन्द्र	1-1-81
98	श्री मोती लाल	1-1-81
99	श्री बन्नी लाल	1-1-81
100	श्री जगदीश	1-1-81
101	श्री बनवारी	1-1-81
102	श्री इलताफ	1-1-81
103	श्री जोखू हरिजन	1-1-81

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 108 का उत्तर पीछे पृष्ठ 77 पर)

प्रार्थना-पत्र, दिनांक 2-8-80

प्रमुख शिकायतें एवं जांच का परिणाम निम्नवत् है--

शिकायतें	जांच व कुल कार्यवाही का विवरण
(अ) ग्राम भटौली बुजुर्ग व खैरटिया के बीच कुंआ में एक व्यक्ति को जान से मार कर डाल दिया गया था जिसको जानबूझ कर लावारिश घोषित कर दिये है। गांव वालों का कहना है कि वह व्यक्ति ग्राम जोगम का ठगई केवट था पुलिस वालों का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति साबित करेगा तो उसे फंसवा देंगे। लेकिन उस गांव के सीता केवट सेवालाल को पकड़े और ज्यादा रकम वसूल किया फिर छोड़ दिया।	(अ) मामला हत्या का पाया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र सं0 91, दिनांक 7-10-80 न्यायालय भेजा गया।
(ब) ग्राम कलौर में भीषण डकैती पड़ी परन्तु उसे छिपा दिया गया।	(ब) मु0 अ0 सं0-123/80 धारा 302 भा0 द0 वि0 को अन्तर्गत धारा 395/397 भा0 द0 वि0 में परिवर्तित किया गया। जांच में श्री भारद्वाज पाण्डे थानाध्यक्ष एवं श्री रामसिंहासन यादव ए0 एस0 आई0 को क्रमशः अपराध के अल्पीकरण व विवेचना में त्रुटियों के लिए दोषी पाया गया एवं इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की। श्री भारद्वाज पाण्डे का स्पष्टीकरण लिया गया जो संतोषजनक पाया गया। अतः इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।
(स) ग्राम खैरटिया में 12/13 की रात्रि में रघुनन्दन सिंह के यहां दो नकब काट कर 3,000 रुपया माल चोर उठा ले गए लेकिन न तो उसकी रपट दर्ज किए और न उसकी जांच किए।	(स) जांच के आधार पर चोरी छिपाने एवं नक्शा नजरी बनाने में लापरवाही बरतने के सम्बन्ध में थानाध्यक्ष एवं ए0 एस0 आई0 से स्पष्टीकरण मांगा गया है। आरोप सिद्ध होने पर कार्यवाही की जायेगी।
(द) परसिया के भीषण डकैती में पुलिस निष्क्रिय रही जिसमें तीन डकैतों को गांव वालों ने मारा।	(द) जांच से पुलिस के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं हुआ।

1	2
(य) ग्राम बरियांव, देवतहा, नवगांवां, इन्दुपुर, उधौपुर, बेतालपुर, में डकैती चोरी हुई है अमानवीय कृत हुए हैं ।	(य) चरियांव आदि गांवों में कुछ घटनायें हुई परन्तु यह कहना कि उस क्षेत्र में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई है सही नहीं है ।
(र) ग्राम असनहर में सस्ते गल्ले के दूकान पर नरेन्द्र बहादुर सिंह को उधौपुर घनुरा एक फर्जी केस में कट्टा दिखाकर चालान करने में गवाह बनये थे । इन्कार करने पर उनको 25 जुलाई को जनता के वितरण करने की चीनी 13 कुन्तल ले जाते समय गिरफ्तार कर जेल भेज दिये । अपने कागज में 8 कुन्तल चीनी दिखाया, 5 कुन्तल चीनी गायब कर दिया ।	(र) सम्बन्धित मामले में मु0 अ0 सं0 136/80 धारा 3/7 ई0 सी0 ऐक्ट थाना गौरी बाजार में अंकित कर विवेचना की गई । आरोप पत्र न्यायलय भेजा जा चुका है ।
(ल) थानाध्यक्ष के अन्यायपूर्ण रवैये से काफी असंतोष है और जनता को सही न्याय मिलने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । थाने पर दलाल किस्म के लोगों को प्रश्रय देकर मुकदमें में रिश्वत के आधार पर फेर बदल करता है ।	(ल) पुलिस उप अधीक्षक की जांच में थानाध्यक्ष श्री भारद्वाज पांडे का कार्य व व्यवहार उचित नहीं पाया गया । उन्होंने थानाध्यक्ष के स्थानान्तरण की संस्तुति की ।

प्रार्थना पत्र दिनांक 19-10-80

आरोप	जांच का परिणाम
थानाध्यक्ष श्री भारद्वाज पांडे, दीवान एवं कान्स0 गिरजा सिंह, दि0 18-10-1980 को रात्रि 9 बजे प्रार्थी को पकड़कर घसीटते हुए थाना ले गए थाने पर बुरी तरह से पीटे पाकिट में से 295.00 रु0 तथा एक घड़ी छीन लिए एवं फर्जी मुकदमें में चालान कर दिए।	तत्कालीन थानाध्यक्ष ने श्री जिउत यादव के विरुद्ध मु0 अ0 सं0 200/80- धारा 294 भा0 द0 वि0 दिनांक 18-10-80 को थाना गौरी बाजार में कायम कराया मुकदमे में आरोप पत्र पेशी में विवेचनोपरान्त भेजा गया । संस्तुति पर मुकदमें की विवेचना कोतवाली देवरिया द्वारा पुनः की जा रही है । विवेचना का परिणाम प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायगी । प्रार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र रोक लिया गया है । इंसपेक्टर कोतवाली द्वारा विवेचना का परिणाम मिलने पर यदि कोई पुलिस कर्मी दोषी पाया गया तो कार्यवाही की जायगी ।

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 109 का उत्तर पीछे पृष्ठ 77 पर।)

दिनांक 1-8-1980 के पश्चात् जिला गोन्डा में भर्ती किये गये कान्सटेबुलों की जनपदवार सूची

1—गोन्डा	37
2—बलिया	5
3—बस्ती	34
4—आजमगढ़	10
5—देवरिया	29
6—जौनपुर	1
7—गोरखपुर	18
8—फतेहपुर	1
9—मिर्जापुर	1
10—प्रतापगढ़	2
11—इटावा	2
12—बाराबंकी	9
13—बहराइच	9
14—गाजीपुर	3
15—फैजाबाद	4
16—गोपालगंज (बिहार)	2
17—उन्नाव	2
18—कानपुर	3
19—सुल्तानपुर	2
20—लखीमपुर	1
योग ..	175

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ञ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 117 का उत्तर पीछे पृष्ठ 80 पर ।)

मारे गये व्यक्तियों के नाम व पते

1—मोती पुत्र जगन्नाथ मुसहर, सा0 कतकी थाना धनहा, जिला पश्चिमी चम्पारन (बिहार) ।

2—हरिकिसुन पुत्र चम्डी मुसहर, सा0 कतकी, थाना धनहा, जिला पश्चिमी चम्पारन (बिहार) ।

3—राजाराम पुत्र नेमा यादव, सा0 कतकी, थाना धनहा, जिला पश्चिमी चम्पारन (बिहार) ।

4—मंगल पुत्र सुखदेव मुनहर, साकिन बुढवा जंगल, थाना लहुरा, जिला देवरिया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 121 का उत्तर पीछे पृष्ठ 82 पर ।)

नाम सब इन्सपेक्टर	मुकदमा अपराध संख्या	धारा
1	2	3
1—मु0 जकरिया थाना कछवा जिला मिर्जापुर	1—147/81	307 भा0 द0 वि0
2—श्री स्वतंत्र सिंह, थाना खुखुन्द, जिला देवरिया	2—26/81	342/323/218 भा0 द0 वि0
3—श्री कमलाकान्त राय, थाना कप्तानगंज, जिला देवरिया	3—159/81	392/504/506/120बी भा0 द0 वि0
,, ,, ,,	4—161/81	161 भा0 द0 वि0 व 5 (2) करेप्सन ऐक्ट
4—श्री तेज बहादुर सिंह, थाना बरहज, जिला देवरिया	5—178/80	147/323/325/218/384 भा0 द0 वि0
5—श्री राजेश्वर प्रसाद वर्मा, थाना बरहज, जिला देवरिया	178/80	147/323/325/218/384 भा0 द0 वि0
6—श्री गुप्तनाथ शर्मा, थाना बरहज, जिला देवरिया	178/80	147/323/325/218/384 भा0 द0 वि0
7—श्री अखन्ड प्रताप सिंह, थाना बनकटा, जिला देवरिया	6—13/81	392/406/409 भा0 द0 वि0
,, ,, ,,	7—25/80	161/220/409/392/414 भा0 द0 वि0
,, ,, ,,	8—26/80	221 भा0 द0 वि0
,, ,, ,,	9—27/80	392 भा0 द0 वि0

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

नत्थी 'ठ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या--124 का उत्तर पीछे पृष्ठ 83 पर।)

प्रतिलिपि

लखनऊ।

दिनांक 25, अक्तूबर, 1980

हरिवंश सहाय,

विधायक, देवरिया।

सेवा में,

माननीय गृह सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

महोदय,

देवरिया जनपद में पिछले जून, 1980 से अब तक लगभग 40 पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति एवं मुसलमानों को पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया है जिससे इन जातियों में भय एवं आतंक का वातावरण उपस्थित हो गया है। इन बातों को मैंने विधान सभा में शून्य प्रहर के अन्तर्गत दिनांक 9 व 13 अक्तूबर, 1980 को उठाया था। समझता था कि शासन उचित कार्यवाही करेगी बल्कि उल्टे मेरे जान का खतरा बढ़ गया है। पूरे जनपद में इनकाउन्टर के नाम पर व्यापक पैमाने पर धन अर्जित करन का धंधा पुलिस चला रही है। उदाहरण के रूप में मैं केवल खामपार थाने की कुछ घटनाओं को लिख रहा हूं। केवल पिछड़ी जातियों से ही धन अर्जन किया जा रहा है।

1--श्री गुलाब चन्द्र सोनार भाट पार रानी, थाना खामपार को पुलिस थाने में बन्द कर दिया तथा उसे इन्काउन्टर की धमकी दी गई तथा बचने के लिए उससे 25 हजार रुपया मांगा गया न देने पर उसे बीसों डन्डा मारा तथा उसकी चोटी उखाड़ ली गयी। उसे इस शर्त पर छोड़ा गया कि वह कहीं नहीं कहेगा और कहने पर उसे 411 में बन्द कर दिया जायेगा। उखाड़ी गयी चोटी के स्थान को मैंने तथा सैकड़ों लोगों ने देखा है।

2--श्री राम कृष्ण सिंह वाराणसी में यूनियन साइंटिफिक कार्पोरेशन के प्रोप्राइटर हैं। काफी मालदार आदमी हैं। इनका घर खामपार थाने के ग्राम भवानी छापर में है। दिनांक 15-10-1980 को ये घर आये थ। पुलिस को जानकारी होने पर लगभग 8 बजे रात दिनांक 15-10-1980 खामपार को थाने के पुलिसगण ने इनके घर छापा मारा। इन्हें पकड़ कर गालियों की बौछार लगा दी गई इन काउन्टर हेतु कुछ दूर ले भी गये। इनसे मोटी रकम पुलिस चाहती थी।

3--प्रतापपुर शुगर फैक्ट्री के केन यनियन के डायरेक्टर श्री रामशरण यादव ग्राम सिरसियावार ने उस उक्त घटना की निन्दा किया तब खामपार की पुलिस इन्काउन्टर हेतु पुलिस इन्हें तलासने लगी।

तथा इनके बयान पर दो बार छापा मारा तथा इन्हें दौड़ाया गया। पुलिस को इनसे खार इसलिए है कि इन्होंने राम कृष्ण सिंह को रुपया देने से मना कर दिया श्रीरामायण यादव अपना इलाका छोड़कर पटना भाग गये हैं। इलाके में आम चर्चा है कि पुलिस इन्सपेक्टर के जाति के लोग भी रामायण यादव को मरवाने हेतु पुलिस पर दबाव डाल रहे हैं। जिससे पुलिस और सक्रिय हो गयी है।

4—श्री सुभाष लाल श्रीवास्तव, ग्राम बलिवन के ऊपर एक बार प्राण घातक हमला हुआ था पुलिस निस्क्रिय हो गयी है। तो उन्होंने मुल्जिमानों के खिलाफ 395 आई0 पी0 सी0 का मुकदमा किया तथा रामायण यादव से इनकी दोस्ती भी है। इस लिए पुलिस इनको भी इनकाउन्टर करने हेतु धमकी दिलवा रही है। बचने हेतु रुपये की मांग की जा रही है।

5—भाटपार रानी में ज्वाला प्रसाद सेठ हैं करोड़ पति हैं, पुलिस चौकी के ठीक सामने तीन मंजिल का मकान है इनके घर के बिजली से पिछले 10 सालों से पुलिस चौकी में बिजली जलती है। उसका पैसा अभी तक नहीं मिला है। पुलिस अधिकारी तक उनके यहां आते जाते हैं। उसकी हैसियत को देख कर खामपार के पुलिस सब इन्सपेक्टर को लालच लग गई तो एक दिन किसी बात को लेकर उनसे कहा गया कि तुमको मिनी मीसा में बन्द कर दूंगा तथा तुम्हारी तीन मंजिल को मकान को ढहवा दिया जायेगा। वह रुपया देने से इनकार कर दिया है। पुलिस उन्हें तंग कर रही है।

6—उक्त बातों के अतिरिक्त दर्जनों मामलों में खामपार की पुलिस रुपया लिया जिससे जांच के वक्त नाम बताया जायेगा। वरना उन पर दबाव पड़ने लगेगा।

7—ग्राम भैंसही थाना बनकटा के महना शिवपूजन गिरि को पकड़ कर इनकाउन्टर हेतु कई बार तलाश किया गया। इनके विरोधियों से रुपया मिल चुका है। यह बताना जरुरी है कि उनके पास बुलेट मोटर सायकिल थी उसे पुलिस चाहती थी न देने पर उसे तंग किया जा रहा है।

8—उक्त संदर्भों में यह बताना जरुरी है कि देवरिया, गोरखपुर एवं बिहार को तथा कथित कुख्यात सरगना श्री रवीन्द्र सिंह को थानाध्यक्ष बनकटा में पकड़ा साथ में हीरा सिंह सब इन्सपेक्टर भी थे। पकड़ते समय रवीन्द्र सिंह के पास एक नली बन्दूक, रिवाल्वर, सौ कारतूस, 25 एल0 जी0 मकदिइगारासब, एवं दो अंगूठियां थीं जिसे हीरा सिंह ने अपने कब्जे में कर लिया तथा जाति दबाव के कारण उन्हें जेल भेज दिया गया। तथा अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने हेतु हीरा सिंह ने तीन सिपाहियों के साथ पुलिस अधीक्षक एवं सी0 ओ0 के समक्ष अपने जान माल के खतरा होने का नौटंकी किया जिसे थानाध्यक्ष ने उन्हे तत्काल कोतवाली देवरिया में पोस्ट कर दिया। पता नहीं क्यों किसके सिफारिश इस उद्देश्य से थाना बनकटा से सटे थाना खामपार में हीरा सिंह की पुनः पोस्टिंग की गयी है। यह बताना उचित होगा कि किस समय जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के झगड़े में हीरा

सिंह ने पार्ट अदा किया था। उस बात की पुष्टि तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री यू० के० बंसल से की जा सकती है।

मेरा स्पष्ट मत है कि खामपार की पुलिस से उस इलाके के पिछड़ी एवं अनुसूचित जातियों को काफी क्षति पहुंच रही है तथा पुलिस जन जाति भावना पर प्रेरित होकर काम कर रहे हैं।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त मामलों की जांच करा कर उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह० हरिवंश सहाय,
विधायक, देवरिया।

प्रतिलिपि प्रेषित आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1—श्री महेन्द्र सिंह, आई० जी० पुलिस उ० प्र०, लखनऊ।

2—डी० आई० जी० पुलिस, गोरखपुर।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ड'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 132 का उत्तर पीछे पृष्ठ 86 पर)

यूनीसेफ की सहायता से निर्मित/मरम्मत होने वाले भवनों की सूची जनपद गाजीपुर ।

ब्लाक भदौरा—

1—बेसिक प्राइमरी पाठशाला, आरंगी ।
2— ,, ,, देवल ।
3— ,, ,, देवकली ।
4— ,, ,, दिलदारनगर बाजार ।
5— ,, ,, दिलदारनगर खास ।
6— ,, ,, गदाईपुर ।
7— ,, ,, गहमर उत्तरी ।
8— ,, ,, गहमर दक्षिणी ।
9— ,, ,, गहमर पूर्वी ।
10— ,, ,, गोडसरा ।
11— ,, ,, करहिया उत्तरी ।
12— ,, ,, करहिया दक्षिणी ।
13— ,, ,, मनिया ।
14— ,, ,, पचौरी ।
15— ,, ,, सायर ।
16— ,, ,, सुरहा ।

ब्लाक वाराचवर—

17— ,, ,, असावर ।
18— ,, ,, बरेजी ।
19— ,, ,, बाराचवर ।
20— ,, ,, भैरौली अला ।
21— ,, ,, भैरौली कला ।
22— ,, ,, डेहमा ।
23— ,, ,, गोसलपुर ।
24— ,, ,, करीमुद्दीनगर ।
25— ,, ,, पिहुली ।
26— ,, ,, सागापाली ।
27— ,, ,, ताजपुर ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

ब्लाक भांवरकोल—

28— ,, ,, अजयपुर ।
29— ,, ,, गोडउर ।
30— ,, ,, जयदेवपुर ।
31— ,, ,, जोगा मुसाहिब ।
32— ,, ,, कनुआन ।
33— ,, ,, कठार ।
34— ,, ,, खैरावारी ।
35— ,, ,, रेवसरा
36— ,, ,, लोचाहन ।
37— ,, ,, माचा ।
38— ,, ,, मलिकपुरा ।
39— ,, ,, मसौली ।
40— ,, ,, मिश्रोलिया ।
41— ,, ,, मुडेरा ।
42— ,, ,, महेन्द्र ।
43— ,, ,, मुरतजीपुर ।
44— ,, ,, नकटीकोल ।
45— ,, ,, पलिया बुजुर्ग ।
46— ,, ,, सोनाडी ।
47— ,, ,, सोनवानी ।
48— ,, ,, सुखडहरा ।
49— ,, ,, तरांव ।

ब्लाक बिरनो—

50— ,, ,, बधदूपुर ।
51— ,, ,, बगही ।
52— ,, ,, बिठौरा ।
53— ,, ,, बरपुर ।
54— ,, ,, भडसर ।
55— ,, ,, भिखनापुर ।

उत्तर प्रदेश पुरातत्व सभा

56— ,, ,, भोजापुर ।

57— ,, ,, बिरनो ।

58— ,, ,, चक कपिल ।

59— ,, ,, देवकठिया ।

60— ,, ,, धनेशपुर ।

61— ,, ,, जगदीशपुर विद्यापति ।

62— ,, ,, जंगीपुर ।

63— ,, ,, कोड ।

64— ,, ,, महमूदपुर ।

65— ,, ,, मलेठी ।

66— ,, ,, मालपुर ।

67— ,, ,, नखतपुर ।

68— ,, ,, पधोल ।

69— ,, ,, पिपनार ।

70— ,, ,, रायपुर ।

71— ,, ,, सआदतपुर ।

72— ,, ,, शेखपुर ।

ब्लाक देवकली—

73— ,, ,, बाघी ।

74— ,, ,, बरहपुर ।

75— ,, ,, बासूचक ।

76— ,, ,, बासूपुर ।

77— ,, ,, बेलासी ।

78— ,, ,, भितरी ।

79— ,, ,, बुरहानपुर ।

80— ,, ,, चिलार ।

81— ,, ,, दुबेथा ।

82— ,, ,, देवचन्दपुर ।

83— ,, ,, देवकली ।

84— ,, ,, धुर्वाजन ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

85—बेसिक प्रा० पाठशाला जेवल ।
86— ,, खेजनपुर ।
87— ,, कुरवानसराय ।
88— ,, महीचा ।
89— ,, महमूदपुर ।
90— ,, मनकरिया ।
91— ,, मटखाना ।
92— ,, नैसारा ।
93— ,, पचारा ।
94— ,, पचरासी ।
95— ,, पहाड़पुर कला ।
96— ,, पौठा ।
97— ,, पियरी ।
98— ,, राजापुर ।
99— ,, रामपुर माझा ।
100— ,, सम्मनपुर ।
101— ,, सरोली ।
102— ,, शेखपुर ।
103— ,, सिहोरी ।
104— ,, तुरना ।
105— ,, उसहरा गांव ।

ब्लाक गाजीपुर—

106— ,, अन्धऊ ।
107— ,, भंवरी ।
108— ,, बीकापुर ।
109— ,, फदनपुर ।
110— ,, इनरवा ।
111— ,, लावा ।
112— ,, बनजारीपुर ।
113— ,, महराजगंज ।

उत्तर प्रदेश संग्रहालय संघ

114—बेसिक प्रा० पाठशाला चौकिया ।

115— ,, नगवा उर्फ कटैला ।

116— ,, बैयपुर देवकली ।

117— ,, पारा ।

118— ,, पीथापुर ।

119— ,, सकरताली ।

120— ,, सकरा ।

ब्लाक जखनिया—

121— ,, बेलहरा ।

122— ,, भुड़कुड़ा ।

123— ,, बुढ़नपुर ।

124— ,, जाही ।

125— ,, मुड़ियारी ।

ब्लाक जमानिया—

126— ,, अभाईपुर ।

127— ,, बहादुरपुर ।

128— ,, बरुहनपुर बाजार ।

129— ,, भैरोलिया ।

130— ,, चकिया ।

131— ,, ड्योढ़ी ।

132— ,, देवरिया ।

133— ,, डूहिया ।

134— ,, फहीपुर ।

135— ,, गरुआ ।

136— ,, जमानिया ।

137— ,, जीवपुर ।

138— ,, खजुहा ।

139— ,, लहुआर ।

140— ,, मनझरिया ।

141— ,, नरियांव ।

अमर पदुम सभा

142—बेसिक प्रा० पाठशाला पचोखर ।
143— ,, रघुनाथपुर ।
144— ,, सब्बलपुर ।
145— ,, टिसारा ।
146— ,, मोहम्मदपुर ।

ब्लाक करन्डा—

147— ,, अलीपुर बनगांवा ।
148— ,, आरी पहाड़पुर ।
149— ,, बड़सरा ।
150— ,, ब्रह्मण्डपुरी ।
151— ,, बोचकपुर ।
152— ,, धरवा ।
153— ,, धरम्मपुर ।
154— ,, डेलवा ।
155— ,, गोशन्देपुर ।
156— ,, जमुआंव ।
157— ,, कटैरिया ।
158— ,, लीलापुर ।
159— ,, मदनही ।
160— ,, महाबलपुर ।
161— ,, माहेपुर ।
162— ,, मैनपुर ।
163— ,, मानिकपुर कोटे ।
164— ,, पुरैना ।
165— ,, राजनाथपुर ।
166— ,, रेवसां ।
167— ,, सवुआ ।
168— ,, सोरम ।
169— ,, सिकन्दरपुर ।
170— ,, सिसोड़ा ।

सर्व पुरुषा विद्या संस्था

171—बेसिक प्रा० पाठशाला सोकनी ।

172— ,, सोनहरिया ।

ब्लाक कासिमाबाद—

173— ,, कासिमाबाद ।

174— ,, महरोड ।

175— ,, महेशपुर ।

176— ,, रसूलपुर ।

177— ,, शेखनुपुर ।

178— ,, सनेहुआ ।

179— ,, सिधउत ।

180— ,, सुरवत ।

ब्लाक मनिहारी—

181— ,, अलावलपुर ।

182— ,, अडिला ।

183— ,, सुजनीपुर ।

184— ,, मनिहारी ।

185— ,, पहेलिया ।

186— ,, सराय गोकुल ।

187— ,, सराय गोविन्द ।

188— ,, सिखड़ी ।

189— ,, पहाड़पुर ।

ब्लाक मरवह—

190— ,, बरही ।

191— ,, बीरबलपुर ।

192— ,, बेलसड़ी ।

193— ,, धरिहा ।

194— ,, कैथवली ।

195— ,, मरवह ।

196— ,, पलिया ।

197— ,, तेजपुर ।

विधान सभा सदस्य

ब्लाक मुहम्मदाबाद—

198—बेसिक प्रा० पाठशाला अहरौली ।

199— ,, बालापुर ।

200— ,, विशनपुरा ।

201— ,, चकफरीद ।

202— ,, फिरोजपुर ।

203— ,, हाटा ।

204— ,, कुन्डेसर ।

205— ,, महरुपुर ।

206— ,, मठिया ।

207— ,, मोहम्मदाबाद ।

208— ,, मुरकी कलां ।

209— ,, नोनहरा ।

210— ,, सोना ।

211— ,, सेमरा ।

212— ,, शेरपुर पूर्वी ।

213— ,, शेरपुर कलां ।

214— ,, शेरपुर खुर्द ।

215— ,, शेरपुर पश्चिमी ।

216— ,, सुरतापुर ।

217— ,, तमलपुरा ।

218— ,, उत्तमपुर ।

219— ,, युसुफपुर ।

ब्लाक रेवतीपुर—

220— ,, अटहवा ।

221— ,, कडोरा ।

222— ,, बेमुआ ।

223— ,, डेढगांवा ।

224— ,, गगरन ।

225— ,, गौरा ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

226—बेसिक प्रा० पाटशाला गोहदा ।
227— ,, महुना ।
228— ,, नगसर ।
229— ,, बसुका ।
230— ,, पकड़ी ।
231— ,, पटकनिया ।
232— ,, रमवल ।
233— ,, रेवतीपुर प० ।
234— ,, रेवतीपुर पूर्वी ।
235— ,, साधेपुर ।
236— ,, सोनवल ।
237— ,, सुहवल पश्चिमी ।
238— ,, सुहवल पूर्वी ।
239— ,, टांगा ।
240— ,, उदारनपुर ।
241— ,, उत्तरौली ।
242— ,, युवराजपुर ।

ब्लाक सादात—

243— ,, अकबरपुर ।
244— ,, बधाव ।
245— ,, बहरियाबाद ।
246— ,, बरहपार ।
247— ,, धरवाकलां ।
248— ,, भाला ।
249— ,, भवानीपुर ।
250— ,, भीमापुर ।
251— ,, बिजहरी ।
252— ,, बृन्दाबन ।
253— ,, गढ़वल बालिका ।
254— ,, जगदीशपुर ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

255—बेसिक प्रा० पाठशाला कनेरी ।
256— ,, खुटही ।
257— ,, मिरजापुर वा० ।
258— ,, मजुई ।
259— ,, गहनी ।
260— ,, सादात बालिका ।
261— ,, सरसौली ।
262— ,, टांडा ।

ब्लाक सैदपुर—

263— ,, अमेहता ।
264— ,, असुआरा ।
265— ,, बहेरी ।
266— ,, तेतारपुर ।
267— ,, खानपुर ।
268— ,, भुजहुआ ।
269— ,, भुवरपुर ।
270— ,, दौलतपुर ।
271— ,, दौलतपुर बालिका ।
272— ,, डहन ।
273— ,, गजाधरपुर ।
274— ,, हसनपुर ।
275— ,, ककरही ।
276— ,, करमपुर ।
277— ,, खरोना ।
278— ,, मढ़िया ।
279— ,, नायकडीह ।
280— ,, सिंगारपुर ।
281— ,, उचौरी ।
282— ,, मौधा ।

विद्यान सभा सचिवालय

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, गाजीपुर द्वारा निर्मित भवनों की सूची

284--बे0 प्रा0 पाठशाला		हथोड़ी	ब्लाक देवकली
285--	,,	किशोहरी	
286--	,,	नेसारा	
287--	,,	मलौरा	सादात
288--	,,	भरतपुर	
289--	,,	डढवल	
290--	,,	खजुरा	
291--	,,	महुरसा	
292--	,,	गिरजापुर	
293--	,,	साहपुर	
294--	,,	हुरमुजपुर	
295--	,,	सादात	
296--	,,	शिकारपुर	
297--	,,	धर्मपुर	ब्लाक सैदपुर
298--	,,	नकली	ब्लाक रेवतीपुर
299--	,,	तारीघाट	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ढ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 145 का उत्तर पीछे पृष्ठ 91 पर।)

डा0 वायुनन्दन पाण्डेय	पता—प्राध्यापक, सं0 सं0 वि0 वि0, वाराणसी	जन्मतिथि 15-10-1927 ई0

अर्हताएं—

1—मध्यमा	गवर्नमेन्ट सं0 कालेज, बनारस	1944 द्वि0 श्रे0 45.5% (चतुर्थ खन्ड)
2—शास्त्री	,, ,,	1949 द्वि0 श्रे0 52.5%
3—आचार्य (साहित्य)	वा0 सं0 वि0 वि0, वाराणसी	1958 द्वि0 श्रे0 51.7%
4—विद्यावारिधि	सं0 सं0 वि0 वि0, वाराणसी	1978

विषय—श्रीमम्मटभट्टपण्डितराजजगन्नाथयोर्मतभेदविमर्श :

5—आचार्य नव्य व्याकरण, 1953 ई0 में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण करने का उल्लेख है। गवर्नमेन्ट सं0 का0, बनारस।

कार्यानुभव—

1—सहायक अध्यापक, दयालु सं0 महा वि0, वाराणसी,

जु0 53 से 22-9-58 तक

वेतन—75 रु0

2—प्रधानाचार्य, दयालु सं0 महा वि0, वाराणसी,

23-9-58 से 20-11-64 तक

वेतनमान—120-200

3—विभागाध्यक्ष साहित्य, विश्वनाथ गुरुकुल कर्ण घण्टा, वाराणसी,

21-11-64 से 7-11-75 तक

वेतनमान—400-575

4—प्राध्यापक, सं0 सं0 वि0 वि0, वाराणसी,

8-11-75 से अद्यावधि

विशेष—

1—अनुसंधान मार्ग निर्देशन कार्य के अनुभव होने का उल्लेख है।

2—मौलिक ग्रंथ, सम्पादन, टीका तथा अनेक शोध निबन्ध प्रकाशित होने का उल्लेख है।

नत्थी 'ण'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 170 का उत्तर पीछे पृष्ठ 100 पर।)

सिकन्दराबाद औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित "कैप्टिव पावर प्लान्ट"

(तापीय बिजली घर परियोजना)

संक्षिप्त विवरण (एक नजर में)

(1) स्थिति ..	सिकन्दराबाद दनकौर मार्ग पर सिकन्दराबाद कस्बे से 6·5 कि0 मी0 की दूरी पर।
(2) प्रस्तावित क्षमता ..	2 × 30 मेगावाट।
(3) उर्जा विभव ..	390 × 10 यूनिट प्रति वर्ष।
(4) भूमि ..	25 हेक्टेयर (संयन्त्र हेतु)। 15 हेक्टेयर (कालोनी हेतु)। 60 हेक्टेयर (राख निस्तारण हेतु)।
(5) जल आपूर्ति व्यवस्था तथा श्रोत	नलकूपों द्वारा भूगर्भीय जल आर0 सी0 सी0 जलाशय में संग्रह किया जायगा।
(6) आवश्यक जल-मात्रा	2 × 30 मेगावाट के लि0 600 घनमीटर घंटा।
(7) जल द्वारा संयन्त्र को ठंडा रखने की व्यवस्था	आई0 डी0 कूलिंग टावर सहति क्लोज सर्किट ठंडा रखने की व्यवस्था।
(8) उर्जा (ईंधन) श्रोत	सिगरौली या भुरकुडा खदानों का कोयला।
(9) ईंधन की आमद व उतराई	बड़ी लाइन के मालगाड़ी डिब्बों से कोयला प्राप्त होगा व उतारा जायगा।
(10) कोयले को संयन्त्र तक पहुंचाने की व्यवस्था	200 टन प्रति घंटा क्षमता वाला सिंगल कन्वेयर।
(11) राख निस्तारण व्यवस्था	संयन्त्र से 1 कि0 मी0 दूरी पर स्थित ऐस ड्रम क्षेत्र के गड्डी में।
(12) चिमनी	88 मीटर ऊंची आर0 सी0 सी0 चिमनी।
(13) उत्पादित शक्ति (बिजली) का निर्गम	संयन्त्र तथा सिकन्दराबाद औद्योगिक क्षेत्र के सब स्टेशन के बीच डबल सर्किट प्रेषण व्यवस्था और संयन्त्र, सिकन्दराबाद औद्योगिक क्षेत्र तथा उ0 प्र0 राज्य विद्युत् परिषद् के बीच अन्तः प्रेषण व्यवस्था।

परियोजना की अनुमानित लागत—

	(लाख रु0 में)
(1) भवन निर्माण आदि	729·00
(2) मशीनरी आदि	3232·94

(3) बिजली उपकरण, फिटिंग आदि	1,001·99
(4) ओवर हेड, कन्टिनजेन्सी	382·84
(5) सब स्टेशन, विद्युत् परिषद् के साथ अन्तः प्रेषण व्यवस्था	202·10
योग ..	5548·87
(6) लागत प्रति कि0 वाट क्षमता (बिना ब्याज)	रु0 9,248·12
(7) लागत प्रति कि0 वाट क्षमता (ब्याज सहित)	रु0 10,567·90
(8) लागत प्रति उत्पादित यूनिट	37·72
(9) लागत प्रति प्रेषक यूनिट	41·00

उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त लागत गणना 6,500 कि0 वाट घंटा। कि0 वाट प्रति वर्ष उत्पादन पर आधारित है। यदि भार गुणक में सुधार हो और वार्षिक उत्पादन 8000 कि0 वाट घंटा। कि0 वाट हो जाय तो प्रति यूनिट उत्पादन की लागत घटकर 34.26 तथा प्रति प्रेषक यूनिट की लागत 37·24 रह जायगी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'त'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 171 का उत्तर पीछे पृष्ठ 101 पर।)

अनुसूची

1--आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) और उसके अधीन निर्गत किये गये आदेश।

2--खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37)।

3--संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 (उ0 प्र0 अधिनियम सं0 5 सन् 1935)।

4--उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्रीकर) अधिनियम, 1962 (उ0 प्र0 अधिनियम सं0 8 सन् 1962)।

5--उत्तर प्रदेश गाड़ी (मालकर) अधिनियम, 1964 (उ0 प्र0 अधिनियम सं0 15 सन् 1964)।

6--उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम, 1948 (उ0 प्र0 अधिनियम स0 15 सन् 1948)।

7--उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, 1959 (उ0 प्र0 अधिनियम सं0 5 सन् 1959)।

8--उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 (उ0 प्र0 अधिनियम सं0 1 सन् 1951) के निम्नलिखित प्राविधानों के अधीन अपराध।

धारा 198-क

9--भारतीय विद्युत् अधिनियम, 1910 (1910 का 9) के निम्नलिखित प्राविधानों के अधीन अपराध।

धारा 39

नत्थी 'थ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 173 का उत्तर पीछे पृष्ठ 102 पर ।)

तालिका

राज्य श्रम त्रिदलीय सम्मेलन (चीनी उद्योग), 1980 में लिए गए निर्णय व उनके लागू किए जाने विषयक कार्यवाही का विवरण

निर्णय	लागू किए जाने के सम्बन्ध में स्थिति
1—चीनी उद्योग के श्रमिकों की वेतन वृद्धि का मामला श्रम मंत्री जी के पंच निर्णय पर छोड़ दिया जाय	श्रम मंत्री जी ने अपना निर्णय दे दिया है जो शासकीय विज्ञप्ति दिनांक 7-1-1981 द्वारा लागू कर दिया गया है। इसके अनुसार प्रदेश के सभी बैकअम पैन चीनी के कारखानों के श्रमिकों के वेतन में 32 रुपए प्रतिमास की वृद्धि दिनांक 1 जनवरी, 1981 से कर दी गई है।
2—कारपोरेट स्तर अर्थात् बोर्ड आफ डायरेक्टर्स को छोड़कर प्लान्ट व शाप स्तर पर उ0 प्र0 सरकार द्वारा बनाई गई प्रबन्ध में श्रमिकों की सहभागिता की योजना प्रदेश की निजी क्षेत्र की सभी चीनी मिलों पर भी लागू की जाय	इस निर्णय को कार्यान्वित किए जाने की कार्यवाही की जा रही है।
3—प्रदेश की बैकुअम पैन चीनी मिलें वर्ष 1979-80 के अन्तरिम बोनस का भुगतान 15-1-81 तक कर दें तथा पूर्णरूप से देय बोनस के प्रश्न पर विचार करने हेतु समिति गठित की जाय	प्राप्त सूचनाओं के अनुसार प्रदेश की समस्त चीनी मिलों ने वर्ष 1979-80 के लिए देय न्यूनतम बोनस का भुगतान कर दिया है। पूर्णरूप से देय बोनस के प्रश्न पर विचार करने हेतु समिति का गठन किया जा चुका है।
4—चीनी उद्योग की स्थायी त्रिदलीय समिति से कहा जाय कि केन परचेजिंग सेन्टर्स पर गन्ना लादने वाले ठेके के श्रमिकों को चीनी वेतन मंडल की अनुशंसाओं के आधार पर वेतन दिए जाने वाले मामले पर शीघ्र ही अपनी संस्तुति शासन को प्रस्तुत करें	समिति को शीघ्र ही शासन को अपनी संस्तुति प्रस्तुत करने हेतु लिखा जा चुका है।

निर्णय	लागू किए जाने के सम्बन्ध में स्थिति
5—श्री आर० पी० नेवटिया की अनुपस्थिति में श्री श्याम लाल को स्थायी त्रिदलीय समिति उप समिति का सदस्य नामित कर दिया जाय	इस सम्बन्ध में दिनांक 6 जुलाई, 1981 को आदेश जारी किए जा चुके हैं।
6—मास में 26 दिन के आधार पर प्रतिदिन का वेतन निकाल कर 15 दिन प्रतिवर्ष की दर से ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाय	इस मामले में शासन के आदेश जारी किए जा चुके हैं।
7—ग्रेच्युटी सम्बन्धी कानून में सेवानिवृत्ति के साथ ही ग्रेच्युटी की धनराशि के भुगतान करने के मामले का परीक्षण करके ग्रेज्युटी ऐक्ट में संशोधनार्थ विचार करने हेतु भारत सरकार को लिखा जाय।	मामले का परीक्षण किया जा रहा है।
8—चीनी मिलों के स्थायी आदेशों में उपर्युक्त आशय के प्राविधान किए जाने का मामला चीनी उद्योग की स्थायी त्रिदलीय समिति को सन्दर्भित कर दिया जाय	मामला चीनी उद्योग की स्थायी त्रिदलीय समिति को सन्दर्भित किया जा चुका है।
9—विभिन्न चीनी मिलों के विषय में यह निश्चय हुआ कि जहां सहकारी उपभोक्ता समिति नहीं हैं, वहां उन्हें गठित किया जाय और जहां वे पहले से ही हैं वहां उन्हें गतिशील बनाया जाय	इस सम्बन्ध में श्रमायुक्त को आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया है।
10—चीनी मिलों की सहकारी उपभोक्ता समितियों का एक शीर्षस्थ संगठन बनाया जाय जो उपभोक्ता समितियों की समस्याओं के निराकरण का प्रयास करे और उनके बीच समीकरण स्थापित करे। इसकी रूपरेखा तैयार करने हेतु एक समिति गठित की जाय	यह विषय शासन के विचाराधीन है।
11—चीनी मिलों के श्रमिकों को किराए पर दिए गए आवासों का किराया और ह्रास मूल्य एकत्रित करके उसकी पूंजी से नए आवास बनाए जायें तथा पुराने आवासों की मरम्मत कराई जाय। इस मामले को श्रम सचिव की अध्यक्षता में समिति देख ले।	यह मामला शासन के विचाराधीन है।

निर्णय	लागू किए जाने के सम्बन्ध म स्थिति
12--मौसमी कर्मचारियों का रिटेनिंग एलाउन्स बढ़ाए जाने, प्रत्येक चीनी मिल में कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या का निर्धारण किए जाने, ठेकेदारी की प्रथा का उन्मूलन किए जाने, समुचित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने, मौसमी कर्मचारियों को यात्रा-व्यय दिए जाने, अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किए जाने, श्रमिकों के पक्ष में श्रम न्यायालयों/न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध सेवायोजकों द्वारा उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई रिट/अपीलों में श्रमिकों का पूरा व्यय शासन द्वारा वहन किए जाने सम्बन्धी विषयों को स्थायी त्रिदलीय समिति को विचार हेतु सन्दर्भित कर दिया जाय	ये मामले स्थायी त्रिदलीय समिति को सन्दर्भित कर दिए गए हैं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'द'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 174 का उत्तर पीछे पृष्ठ 102 पर ।

संलग्नक

क्रम-सं0	नियोजन का नाम	वर्तमान न्यूनतम मजदूरी		लागू होने का दिनांक
1	2	3		4
		रु0		
1	बीड़ी बनाने में नियोजन	208·00	प्रतिमास	14-8-1980
2	उ0 प्र0 में हस्तकरघा उद्योग (सिल्क की साड़ियों की बुनाई) और जरी के कार्य में नियोजन	169·00	,,	1-10-1980
3	उ0 प्र0 में कपड़ा धोने या प्रक्षालन के साबुन के चूर्ण या प्रक्षालन के निर्माण में नियोजन (प्रथमवार)	170·30	,,	1-10-1980
4	कृषि कार्य में नियोजन	169·00	,,	9-1-1981
5	खांडसारी में नियोजन	260·00	,,	30-1-1981
6	लोक मोटर परिवहन में नियोजन	250·00	,,	25-2-1981
7	ऊनी कम्बल बनाने में नियोजन	208·00	,,	7-3-1981
8	पाटरी, सिरेमिक्स या रिफेक्ट्रीज में नियोजन (प्रथमवार)	170·00	,,	16-5-1981

उत्तर प्रदेश विधान सभा

9	ईंट भट्टा उद्योग में नियोजन	170·00	,,	16–5–1981
10	तम्बाकू विनिर्माणशाला में नियोजन	170·00	,,	16–5–1981
11	जिल्दसाजी में नियोजन (प्रथमवार)	181·50	,,	28–5–1981
12	कपड़ा छपाई में नियोजन	208·00	,,	30–5–1981
13	धातु उद्योग में नियोजन	208·00	,,	8–6–1981
14	ढलाई उद्योग में नियोजन	208·00	,,	8–6–1981
15	इंजीनियरिंग इकाइयों में सेवायोजन, जहां 50 से कम कर्मचारी नियोजित किए जाएं	208·00	,,	8–6–1981
16	टिन प्लेट ढालने और टिन प्रिन्टिंग में नियोजन (प्रथमवार)	208·00	,,	8–6–1981
17	वानिकी में नियोजन (प्रथमवार)	208·00	,,	12–6–1981
18	दफ्ती या गत्ता बनाने में नियोजन (प्रथमवार)	208·00	,,	29–6–1981
19	किसी आटा मिल, दाल मिल व चावल मिल में नियोजन	182·00	,,	30–6–1981
20	किसी तेल मिल में नियोजन	182·00	,,	30–6–1981
21	लान्ड्री और धुलाई में नियोजन	208·00	,,	23–7–1981
22	बिस्कुट एवं बेकरी में नियोजन	208·00	,,	25–7–1981
23	आइसकैंडी और आइसक्रीम में नियोजन	208·00	,,	25–7–1981
24	बर्फ अभिनिर्माणी में नियोजन	208·00	,,	25–7–1981
25	दियासलाई बनाने में नियोजन	208·00	,,	25–7–1981
26	कांच की चूड़ी आदि में नियोजन	208·00	,,	25–8–1981

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3		4
27	मिनिएचर बल्ब सहित कांच के उत्पादों में नियोजन	208·00	,,	25-8-1981
28	किसी आयुर्वेदिक, एलोपैथिक और यूनानी फार्मेसीज में नियोजन	231·50	,,	28-12-1978
29	दुकानों में नियोजन	233·00	,,	31-3-1978
30	वाणिज्य अधिष्ठानों में नियोजन	233·00	,,	31-3-1978
31	ऊनी कालीन बनाने वाले संस्थानों में नियोजन	309·00	,,	23-1-1978
32	सड़कों के सनिर्माण या उन्हें बनाए रखने या निर्माण क्रियाओं में नियोजन	156·00	,,	20-1-1978
33	सड़क तोड़ने या कूटने में नियोजन	156·00	,,	20-1-1978
34	होजरी उद्योग मे नियोजन	207·50	,,	26-9-1977
35	हीजरी उद्योग में नियोजन	176·25	,,	25-9-1977
36	बाग लगाने में नियोजन	175·75	,,	25-9-1977
37	होटल तथा रेस्ट्रां में नियोजन	178 75	प्रतिमास	24-3-77
38	चर्म शोधन व चर्म विनिर्माणी में नियोजन	195.35	,,	21-2-77
39	चर्म वस्तु विनिर्माणी में नियोजन	195.35	,,	21-2-77

उत्तर प्रदेश विधान सभा

40	सिनेमा उद्योग में नियोजन	188.75	,,	1-11-75
41	निजी छापेखानों में नियोजन	188.75	,,	15-4-75
42	मेकेनिकल ट्रान्सपोर्ट में नियोजन	78.00	,,	30-12-72
43	लकड़ी के काम व फर्नीचर में नियोजन	78.00	,,	14-12-72
44	हैण्डलूम में नियोजन	78.00	,,	14-12-72
45	कपड़े की सिलाई में नियोजन	78.00	,,	13-7-
46	पावरलूम में नियोजन	78.00	,,	13-7-72
47	चिकन के कार्य में नियोजन	78.00	,,	13-7-72

टिप्पणी--एक मास की गणना 26 कार्य दिवस की है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ध'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 180 का उत्तर पीछे पृष्ठ 105 पर ।)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1981 के पहले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 180 के उत्तर का संलग्नक

क्रम-संख्या	इकाई का नाम व पता	इकाई के स्वामी का नाम	आवंटित किए गए कागज की मात्रा
1	2	3	4
1	मेसर्स सिंह प्रिंटिंग प्रेस, मुन्नू लाल मार्केट, हरदोई	श्री बिहारी सिंह	6 टन
2	मेसर्स बी0 पी0 आर0 कापी मैन्युफैक्चरिंग महात्मा गांधी रोड, हरदोई	श्रीमती मालती द्विवेदी पत्नी श्री कृष्ण कान्त द्विवेदी बंशीनगर, हरदोई	13 टन
3	नन्दन प्रेस, रेलवेगंज, हरदोई	श्रीमती सरस्वती देवी, इलाहाबाद बैंक रोड, रेलवेगंज, हरदोई	8 टन
4	अम्बिका कापी वर्क्स मुन्नू लाल मार्केट, हरदोई	श्री उमेश चन्द्र शुक्ला	13 टन
5	मेसर्स सुरभि प्रिंटर्स, कैनाल रोड, 131, सिविल लाइन्स, हरदोई	श्री अजीत कुमार अवस्थी	6 टन
6	गोपाल कापी मैन्युफैक्चरिंग कं0, सिविल लाइन्स, हरदोई	श्री गोपाल नारायण मेहरोत्रा	8 टन
7	मेसर्स नीरू पेपर मार्ट, नियर पावर हाउस, बिलग्राम, हरदोई	श्री कमल किशोर कपूर पुत्र श्री आर0 एन0 कपूर	13 टन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मत्थी 'न'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 193 का उत्तर पीछे पृष्ठ 109 पर ।)

संलग्नक

क्रम-संख्या	अनुक्रमांक	छात्र का नाम
1	26203	सर्वश्री अजीत कुमार टण्डन
2	26212	अमिताभ पाण्डेय
3	26225	इमामुद्दीन अंसारी
4	26251	कृष्ण चन्द्र सिंह
5	26261	घनश्याम गुप्त
6	26350	महिपाल सिंह
7	26357	मु0 अजमल
8	26364	मु0 मुकीम
9	26373	जफर आलम अंसारी
10	26386	राजनाथ मिश्र
11	26401	राधश्याम
12	26473	राम सिंगार
13	26481	लाल जी
14	26495	वेद प्रकाश
15	26523	सन्त राम कनौजिया
16	26563	कु0 कुसुम कुमारी
17	26584	कु0 मंजुलता

स्वरूप कुमारी बख्शी,
शिक्षा मंत्री ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'प'

(देखिये पीछे पृष्ठ 138 पर)

उत्तर प्रदेश लोक अयुक्त तथा उपलोक अयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1981 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन-नियमावली, 1958 के नियम 147 के अन्तर्गत किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण--

1--खण्ड 2 (क) की पंक्ति में शब्द "में" तथा "उपखण्ड" के मध्य चिन्ह", में शब्द (कामा) तथा इसी पंक्ति "में" तथा "शब्द" के मध्य चिन्ह "," (कामा) बढ़ा दिया गया है।

2--खण्ड 3 की पंक्ति 1 में शब्द "में" तथा "उपधारा" के मध्य चिह्न "," (कामा) तथा इसी पंक्ति में शब्द "में" तथा "शब्द" के मध्य चिह्न "," (कमा) बढ़ा दिया गया है।

3--खण्ड 4 की पंक्ति 1 में शब्द "में" तथा "उपधारा" के मध्य चिह्न "," (कामा) तथा इसी पंक्ति में शब्द "में" तथा "खण्ड" के मध्य चिह्न "," (कामा) बढ़ा दिया गया है।

विधान परिषद सचिवालय